(1)

# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

खंक 2] षष्ठम् विधान सभा के द्वितीय सत्र का चोदहवां दिवस [संख्या 9



सोमवार,

दिनांक 19 सितम्बर, 1977

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

( श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पीठासीन )

## तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 226

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह कौशल

( अनुपस्थित )

कृपया आगे देखिये

श्री दिग्विजयसिंह !

### वर्ष 1977-78 में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेद अस्पताल

227. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1977-78 में कुल कितने आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने का राज्य सरकार विचार रखती है ? इनमें से ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में कितने-कितने आयुर्वेदिक अस्पताल खोले जावेंगे ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या औषधालय खोलते समय राज्य सरकार कोई शर्तें ग्रामवासियों के लिये रखेगी ? यदि हां, तो वह शर्तें क्या होंगी ?

(3) क्या इन औषधालयों को खोलते समय स्थानीय विधायक या अन्य प्रतिनिधियों से भी इसमें राय ली जायेगी ?

राज्य मन्त्री, आयुर्वेद (श्रीमती विद्या पाठक) : (1) इस वर्ष 1977-78 के बजट प्रावधान में 200 नवीन औषधालय खोले जाने का प्रस्ताव था। उनमें से 146 औषधालय खोले जा चुके हैं जिनकी सूची संलग्न है। शेष विचाराधीन हैं।

(2) औषधालय खोलने हेतु निम्न मापदण्ड निर्धारित किये हुए हैं:—

(क) निःशुल्क भवन व्यवस्था।

(ख) ग्राम जहां औषधालय खोला जा रहा है वहां एवं उसके आसपास 8 किलोमीटर के क्षेत्र में अन्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न हो।

(ग) ग्राम की आबादी लगभग 1,000 हो।

(घ) आवागमन की सुविधा तथा कर्मचारियों की आवास व्यवस्था हो।

(3) औषधालय खोलने से पूर्व प्रस्ताव

# Page No 2

(2)



(श्रीमती विद्या पाठक)

स्थानीय विधायक; जिला आयुर्वेद अधिकारी आदि से मंगवाये जाते हैं। एकीकृत प्रस्ताव का परीक्षण कर ही औषधालय खोलने का निर्णय किया जाता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

**श्री दिग्विजय सिंह :** जिन औषधालयों को खोलने के प्रश्न विचाराधीन थे उनको खोलने का निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

**श्रीमती विद्या पाठक :** अगले सत्र में लेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री सुरेश कुमार !

## ग्राम नोह में बाढ़ नियन्त्रण हेतु अधिग्रहण की गई भूमि का मुआवजा

**228. श्री सुरेशकुमार (भरतपुर) :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे?

(1) भरतपुर निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम नोह में सिंचाई विभाग ने जो जमीन बाढ़ नियन्त्रण नहर के लिये अधिग्रहण की थी उसका किस रेट पर मुआवजा दिया गया है ?

(2) उपरोक्त क्षेत्र के ग्राम बछामदी में इसी प्रकार जिस जमीन का अधिग्रहण किया गया है उस जमीन का मुआवजा किस रेट से अदा किया जा रहा है ?

(3) बाढ़ नियंत्रण नहर के लिए जिन किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई थी क्या उन समस्त किसानों को मुआवजा दे दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? और किस तिथि तक सम्पूर्ण मुआवजा अदा कर दिया जायेगा ?

**सिंचाई मन्त्री (श्री सम्पतराम) :** भरतपुर निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम नोह में बाढ़ नियन्त्रण नहर हेतु वर्ष 1964-65 में अधिग्रहण की गई भूमि का प्रभावित ग्रामवासियों को उनसे आपसी समझौता (म्यूचुअल नेगोसियेशन) के अनुसार चाही भूमि का रुपये 350) प्रति बीघा व संराबी भूमि का रुपये 250) प्रति बीघा की दर से मुआवजा दिया गया था। कालान्तर में प्रभावित ग्रामवासियों के आवेदन पर सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा इसी भूमि का वर्ष 1974-75 में रुपये 1,000) प्रति बीघा की दर से मुआवजा दिया गया जो उचित प्रतीत नहीं होता है।

(2) इस क्षेत्र के ग्राम बछामदी की वर्ष 1964-65 में अधिग्रहण की गई भूमि का मुआवजा भी चाही भूमि का रुपये 350 प्रति बीघा व संराबी भूमि का रुपये 250 प्रति बीघा की दर से आपसी समझौते (म्यूचुअल नेगोसियेशन) द्वारा किया गया था।

(3) बाढ़ नियन्त्रण नहर हेतु वर्ष 1964-65 में अधिग्रहण की गई समस्त भूमि का मुआवजा दे दिया गया है। वर्ष 1976-77 में अधिग्रहण की गई भूमि का मुआवजा देना शेष है। यह प्रश्न जिले के भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष अवार्ड हेतु विचाराधीन है। जो अवार्ड प्राप्त होगा उसके अनुसार भुगतान कर दिया जावेगा।

**श्री सुरेशकुमार :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि बाद में 1974-75 जो बदल कर मुआवजा दिया गया है, आप किस आधार पर कहते है कि यह उचित नहीं है ?

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले को मैंने पूर्णतया देखा है और बड़ी गहराई से देखा है। पूरी फाइल देखकर मैंने यह निवेदन किया है। इसमें यह हुआ है कि सन् 1964–65 मे तहसीलदार, एस. डी. ओ., कलेक्टर और जिन लोगों की जमीन ली गई थी उनमें म्यूचुअल एग्रीमेन्ट से यह तय हुआ है। उस म्यूचुअल एग्रीमेन्ट के बाद में कलेक्टर ने राजस्थान सरकार को लैटर लिखा फिर राज्य सरकार द्वारा उसकी स्वीकृति दी गई थी। उसके बाद में भी कुछ जमीन बच गई थी उसको लिया गया। इसके लिए सन् 1969 में एक प्रस्ताव आया चूंकि चार-पांच साल का समय बीत चुका था और कुछ महंगाई बढ़ गई थी इसलिए कलेक्टर ने इस जमीन का एक हजार रुपये प्रति बीघा के हिसाब से पेमेन्ट कर दिया था। इसके बाद में सिचाई विभाग ने लिख कर भेजा कि 1974–75 में जो काश्तकारों को मुआवजा दिया गया है वह किस प्रकार दिया गया है, इसको जांच की जानी चाहिये। जो मुआवजा दिया गया है वह गलत है, उसका कोई औचित्य नहीं है।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या सरकार के पास ऐसी जो जमीन पड़ी है उसको सरकार किसानों को देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री सम्पतराम : इस प्रश्न का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि सन् 1974–75 में जो लोगों को मुआवजा जिस जमीन के लिए दिया गया था उस वक्त उस जमीन की मार्केट वेल्यू प्रति खसरा क्या थी ? किस-किस को यह मुआवजा मिला ?

श्री सम्पतराम : मेरे ध्यान में सन् 1974-75 की बात कर रहे हैं उससे इसका सम्बन्ध नहीं है। जो जमीन सन् 1964-65 में ली गई है यह उसके बारे में है।

श्री सुरेश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, सिचाई मन्त्री महोदय को गहराई में जाने का बड़ा शौक है। हमेशा ही बड़ी गहराई में जाते हैं लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकाल पाते।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं; सन् 1964-65 में जो जमीन ली थी उसका मुआवजा 250 रु० प्रति बीघा और 350 रुपये प्रति बीघा की दर से दिया था। वह मुआवजा समुचित नहीं था और वह मुआवजा सिर्फ एडहोक बेसिस पर ही दिया गया था। इसमें म्युचुअल समझौते की जो बात मन्त्री महोदय करते हैं वह बिल्कुल सही नहीं है। कोई समझौता नहीं हुआ था। आपने जो कहा है वह उचित प्रतीत नहीं होता है।

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन्होंने जो कहा है उससे मैं सहमत नहीं हूं। मैंने खुद ने इस प्रश्न को देखा है, पूरी फाइल देखी है। इसके बारे में गहराई से सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद में इस नतीजे पर पहुंचा कि यह म्यूचुअल एग्रीमेन्टस दोनों पार्टीज के बीच में हुआ था। उसके बाद में अधिक पेमेन्ट किस प्रकार, किस अधि-

# Page No 4

(4)



(श्री सम्पतराम)

कारी ने किस वजह से किया। राज्य सरकार ज्यादा पेमेन्ट करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच करके दोषी लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री कौशल किशोर जैन !

## राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर

229. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान स्टेट कोआॅपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर आपातकाल में की गई नियुक्तियों एवं प्रमोशन मेरिट फार्मूले पर आधारित न होकर सीधी भर्ती द्वारा किये गये ?

(2) क्या यह सही है कि सहकारी बैंक कर्मचारियों को मकान बनाने हेतु कोई ऋण नहीं दिया गया ?

(3) वर्ष 1976-77 में बैंक डायरेक्टर्स की यात्रा, फीस उपहार खर्च पर कितना बजट रखा गया ?

(4) क्या यह सही है कि अप्रेल, 1977 से जून, 1977 के बीच में 27,585 रुपये 20 पैसे केवल मात्र चेयरमेन व डायरेक्टर्स को खुश करने पर व्यय किये गये ?

(5) क्या यह भी सही है कि बैंक द्वारा चेयरमेन व डायरेक्टर्स को 300 रुपये के की एच० एम० टी० घड़ी भेंट की गई ?

(6) जुलाई, 1976 से जून, 1977 तक बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री भीमनाथ वाला पर 70,270.06 रुपया किस प्रकार खर्च हुआ ?

(7) क्या यह सही है कि सन् 1976-77 में 5,63,195.43 रुपये डीजल जीपें खरीदने के काम में लिये गये ?

(8) क्या राज्य सरकार राजस्थान स्टेट कॉआपरेटिव बैंक लिमिटेड की जांच कराने की कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

सहकारिता मंत्री (श्री त्रिलोकचन्द जैन)

(1) राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा आपातकाल में तेरह प्रमोशन मेरिट एवं सिनियोरिटी के आधार पर बैंक के नियमानुसार किये गये हैं। इनके अतिरिक्त 30 सीधी भर्ती द्वारा जुनियर/सीनियर मेनेजमेन्ट ट्रेनिज भी नियुक्त किये है एवं तीन उप प्रधान व्यवस्थापक भी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये हैं।

(2) जी हां।

(3) वर्ष 1976-77 में डायरेक्टर्स की यात्रा व्यय एवं मीटिंग फीस का 44,200 रुपये का बजट रखा गया था। उपहार खर्च विविध मद से किया गया है जिसमें 40,200 रुपये का प्रावधान था।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। किन्तु घड़ियों की कीमत 300 रुपये नहीं होकर 279.91 रुपये थी।

(6) जुलाई, 1976 से जून 30, 1977 तक मेनेजिंग डायरेक्टर श्री भीमनाथवाला पर निम्न प्रकार खर्चा हुआ।

1. वेतन 23,593.55

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)

| | | |
|---|---|---|
| 2. | महंगाई भत्ता | 2,086.45 |
| 3. | प्रतिनियुक्ति | 3,600.00 |
| 4. | मकान किराया | 6,000.00 |
| 5. | कन्वेएन्स अलाउन्स | 1,800.00 |
| 6. | मेडिकल पुनर्भरण | 766.80 |
| 7. | टी० ए० एण्ड डी० ए० | 11,276.45 |
| 8. | प्रोविडेन्ट फण्ड कन्ट्रीब्यूशन | 2,359.50 |
| 9. | लीव सेलेरी कन्ट्रीब्यूशन | 3,877.40 |
| | इस प्रकार कुल | 55,360.15 |

(7) जी नहीं। राज्य के 21 केन्द्रीय सहकारी बैंकों को उनके द्वारा डीजल जीप खरीदने पर इस बैंक द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में 5,65,195.43 रुपये की राशि दी गई है।

(8) यदि कोई भी शिकायत, जो प्रारम्भिक रूप से सत्य प्रतीत हो, प्राप्त होती है तो उसकी अवश्य जांच कराई जायेगी।

**श्री कौशलकिशोर जैन** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि इस बैंक के अन्दर इतने घोटाले हुए हैं, मेरी समझ में नहीं आता है कि ऐसा होने के बावजूद जब इस बैंक के प्रबन्धक श्री भीमनाथ वाला का टर्म 24-9-77 को समाप्त हो रहा था तो इनका डेपूटेशन पीरियड 9-9-77 को मार्च, 78 तक कैसे बढ़ाया गया ? दूसरी बात यह है कि वह डेपूटेशन पीरियड बढ़ने से पहले ही 1-9-77 को बैंक के खर्चे पर कैसे चले गये ? इस प्रकार भ्रष्ट अधिकारी का डेपूटेशन पीरियड बढ़ाने का क्या कारण था ? यह कितने समय से डेपूटेशन पर चल रहे हैं ?

**श्री त्रिलोकचन्द जैन** : उपाध्यक्ष महोदय, यह लोग रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से आते हैं। श्री भीमनाथ वाला पिछले तीन चार साल से ही वहां पर काम करते चले आ रहे हैं। इनका डेपूटेशन पीरियड भी रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की परमिशन से बढ़ाया गया है और वह उसी खर्चे से जापान गये हैं।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** (हनुमानगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के अन्दर इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारी को एक्सटेन्शन किस प्रकार दिया जाता है ? इसके साथ में ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया ? उसके एक्सटेन्शन को रोका जाना चाहिये था।

**श्री त्रिलोकचन्द जैन** : भ्रष्टाचार के बारे में कोई आधार होने चाहिये जिससे कि एक्सटेन्शन रोका जाय।

**श्री कौशलकिशोर जैन** : इन भीमनाथ वाला के खिलाफ में काफी शिकायत है। इनकी जांच कराई जानी चाहिये और इनका डेपूटेशन पीरियड को जो बढ़ाया गया है, समाप्त को किया जाना चाहिये।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : प्रश्न यह है कि यह भ्रष्ट अधिकारी है और इनके खिलाफ में शिकायतें हैं तो फिर इन्हे विदेश भेजने की अनियमितता क्यों की गई है ?

Page No 6

(6)



(श्री श्योपतसिंह)

जो भी अनियमितता इनके द्वारा हुई है उनके लिए राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

**श्री त्रिलोकचन्द जैन** : इसमें कोई अनियमितताएं नहीं हैं।

**श्री कौशलकिशोर जैन** : माननीय मंत्री महोदय, मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि 24-6-76 से जून, 1977 के बीच गाड़ी नं० 2462 झुंझुनूं से रजिस्ट्रार की सड़की आयी थी जिसमें भीमनाथ वाला का हाथ था। क्या यह सही है कि झुंझुनू ले जायी गयी ?

**श्री त्रिलोकचन्द जैन** : यदि आप मुझे पूरी जानकारी देंगे तो मैं जांच कराऊंगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : अब सप्लीमेन्ट्री नहीं होगा। पांच से अधिक सप्लीमेन्ट्री नहीं होंगे।

**श्री सूर्यनारायण चौधरी** : मैं यह पूछ रहा हूं कि शिकायत वह कब तक निपटा देंगे ? कितने दिन में जांच करवा लेंगे ?

**श्री उपाध्यक्ष** : शीघ्र जांच करवा देंगे।

**श्री सूर्यनारायण चौधरी** : शीघ्र को तो सात साल हो गये। कांग्रेस वाले भी यही कहते थे।

प्रश्न संख्या 230

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री खेतसिंह राठौड़ !

( अनुपस्थित कृपया आगे देखिये )

प्रश्न संख्या 231

श्री प्रेमसिंह सिंघवी !

श्री निर्मलकुमार सबलेचा !

( अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये )

श्री उमरावसिंह ढाबरिया !

## भीलवाड़ा में आपात काल में गिरफ्तार किये गये व्यक्ति

232. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** ( बनेड़ा ) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि आपातकालीन स्थिति में भीलवाड़ा में गिरफ्तार किये गये किन्हीं लोगों ने माफी मांगी, जमानत दी और 20 सूत्री कार्यक्रम का समर्थन किया ? यदि हां, तो ऐसे लोगों के नामों की सूची यह उल्लेख करते हुए कि उनका सम्बन्ध किस राजनैतिक पार्टी से था, सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

**गृह मंत्री ( श्री केदारनाथ )** : अभी इस प्रश्न की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

**श्री मूलचन्द डागा** : इतना क्या इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है ? यह तो रिकार्ड, गृह मंत्री जी, आपके पास रहता है। आपको जानकारी कहां से करनी है। मीसा में बन्द किये हुए लोगों में से माफी किसने मांगी ? सदन में बैठे हुए वे कौन-कौन थे ? यह बता दिजियेगा।

**श्री केदारनाथ** : मैंने पहले भी निवेदन किया था कि इसका इस सेशन में जवाब दे दिया जावेगा।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** : मुझे जहां तक मालूम है यह लिस्ट माननीय मंत्री महोदय के पास आ गयी है। हाउस में

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

नहीं बताना चाहते हैं। टेबल पर रखने के लिये कहा है तो टेबल पर रख दें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न का उत्तर देने का सवाल है। जब जानकारी देंगे तो एक-एक चीज का जवाब देंगे।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, एक मेम्बर ने कहा कि उनके पास लिस्ट है। इस पर विश्वास करना चाहिये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह नहीं कहा कि लिस्ट है।

श्री मूलचन्द डागा : यह सप्रेस करते हैं इसलिये विशेषाधिकार का प्रश्न पैदा होता है।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय, का विश्वास करना चाहिये।

श्री रतनलाल वर्मा : इमर्जेन्सी के अन्दर बिना किसी कारण के, बिना किसी कसूर के अनेकों लोगों को जेल में भेज दिया गया था। उनको जेल में भेजने वालों को कब जेल भेज रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : यह इससे सम्बन्धित प्रश्न नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : बदले की भावना मत रखो।

प्रश्न संख्या 233

श्री उपाध्यक्ष : श्री कल्याणसिंह !

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

श्री समरथलाल !

## अलवर जिले में डकैती, चोरी एवं कत्ल के मामले

234. श्री समरथलाल (राजगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) अलवर जिले में माह जून, जुलाई 1977 से कितनी डकैतियां, चोरियां एवं कत्ल हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि पिछले वर्षों के आंकड़े से इन दो महीनों में अधिक डकैतियां, चोरियां एवं कत्ल हुए हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री केदारनाथ) : (1) अलवर जिले में दिनांक 1-1-77 से 31-5-77 तक 3 मुकदमें डकैती, 31 मुकदमें कत्ल व 637 मुकदमें चोरी के दर्ज हुए हैं।

(3) जी हां। आंकड़ों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण आपसी झगड़े व जनसंख्या में वृद्धि तथा जनता द्वारा निडर होकर अब इनकी रिपोर्ट करना व प्रत्येक रिपोर्ट पर अपराध दर्ज कर कार्यवाही करना है।

श्री समरथलाल:—यह आपसी झगड़े क्यों होते हैं ?

श्री केदारनाथ : एक तो जमीन का गलत अलाटमेन्ट किया। आपकी पिछली सरकार में जातिवाद के कारण अलाटमेन्ट किये।

श्री समरथलाल : सरकार मेरी नहीं थी। कांग्रेस की थी। अलवर जिले में इस वर्ष 5 महीनों में जितने कत्ल और

(श्री समरथलाल)

चोरियां हुई इतनी पिछले वर्ष कभी नहीं हुई।

श्री केदारनाथ : चौधरी के मुकदमें जरूर ज्यादातर हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री समरथलाल : क्या कोई सुधार किया गया ?

श्री केदारनाथ : स्पेशल इन्वेस्टिगेशन किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष:–नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 235

श्री प्रद्युम्नसिंह !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 236

श्रीमती सुमित्रासिंह !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री गुलमोहम्मद!

## केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल की जांच

237. श्री गुलमोहम्मद: (जोहरी बाजार, जयपुर) क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) जब से केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल (डि० बूंदी) ने काम करना शुरु किया तब से 3 वर्ष पूर्व उक्त मिल के श्रमिकों, कर्मचारियों और अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों ने मिल के प्रबन्धकों के विरुद्ध हेराफेरी और घोटालों तथा अन्य गड़बड़ियों के सम्बन्ध में क्या राज्य सरकार के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया था ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इसके पश्चात इस मामले की जांच के लिये संचालन मण्डल के सदस्यों में से एक उपसमिति नियुक्त की थी ?

(3) क्या यह सही है कि इसके पश्चात् इस जांच की कार्यवाही न होने देने के उद्देश्य से इस जांच उप-समिति के सदस्यों को संचालक के पदों से हटा दिया ?

(4) क्या यह सही है कि इसके पश्चात् कोई भी जांच उप-समिति नियुक्त नहीं की गयी जिसके परिणाम स्वरूप मिल के प्रबन्धकों के विरुद्ध कोई जांच नहीं हो सकी और समिति को 5 लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ा ?

(5) क्या राज्य सरकार इस परिच्छेद को पुन: खोलकर भ्रष्टाचार को जांच कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कैसे और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

सहकारिता मन्त्री (श्री त्रिलोकचन्द जैन): (1) जी नहीं। मिल ने फरवरी सन् 1970 में कार्य आरम्भ किया था। इससे तीन वर्ष पहले इस तरह का कोई आरोप पत्र प्राप्त नहीं हुआ। अलबत्ता इस संस्था के श्रमिकों, कर्मचारियों और अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों के द्वारा संस्था के प्रबन्धकों के विरुद्ध हेराफेरी, घोटालों एवं गड़बड़ियों के सम्बन्ध में केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल लि० सहकारिता के क्षेत्र में एक असफल प्रयास, 'अलबत्ता आखिर क्यों' नाम से शिकायत मई, 1972 में प्रस्तुत की गई थी।

# Page No 9

(9)



( श्री त्रिलोकचन्द जैन )

(2) जी नहीं। संस्था के संचालक मण्डल के सदस्यों में से जांच हेतु कोई 'उप-समिति' नियुक्त नहीं की गई थी। विभागीय अधिकारी से इस सम्बन्ध में जांच करवाई गई थी।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। इसकी जांच पहले की जा चुकी थी। जिससे आरोप सिद्ध होना नहीं पाया गया।

(5) शिकायतों की जांच हो चुकी है। अतः जांच करवाने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

**श्री उपाध्यक्षः नेक्स्ट।**

**श्री जगदीशचन्द्र शर्मा!**

## राज्य में बेरोजगारों की संख्या

238. **श्री जगदीशचन्द्र शर्मा** (रतनगढ़) : क्या नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) इस समय राज्य में कुल कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं और कितने अर्द्ध बेरोजगार है ?

(2) गत तीन वर्षों में बेरोजगारी बढ़ी है या घटी है ? यदि बढ़ी है, तो उसकी प्रतिशत दर बताने की कृपा करें।

(3) गत तीन वर्षों में कितने बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया ?

(4) बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार के पास कौन-कौन से स्रोत हैं और उन स्रोतों से इस तीन माह (मई, जून, जुलाई) में कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया ?

(5) नियोजन कार्यालयों में कुल कितने डाक्टर, इन्जीनियर, ओवरसीयर, ट्रेण्ड अध्यापक एवं ट्रेण्ड नर्सेज, कम्पाउन्डर्स तथा अन्य टैक्निकल हेण्ड्स व्यक्ति बेरोजगार है ? इन्हें रोजगार देने के लिए राज्य सरकार की क्या योजना है और इस योजना के अन्तर्गत गत वर्ष कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया ?

(6) राज्य में कितने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, हायर सेकेण्डरी, सेकेण्ड्री (जो अन-ट्रेण्ड हैं) बेकार हैं और ऐसे कितने हैं जो सरकारी नौकरियों के लिए ओवर एज हो गये हैं ? क्या ऐसे मामलों के लिए राज्य सरकार आयु सीमा में कोई विशेष छूट देने का निर्णय करना चाहती है ?

**नियोजन मंत्री ( श्री केदारनाथ ) :** दिनांक 30-6-77 को राज्य के नियोजन कार्यालयों की जीवित पंजिका पर कुल 2,57,590 व्यक्ति नियोजन सहायतार्थ पंजीकृत हैं। अर्द्ध बेरोजगारी के विषय में कोई आंकड़े नियोजन विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(2) नियोजन विभाग के आंकड़ों के अनुसार पंजीकृत बेरोजगारों को संख्या जून 1975, 1976, 1977 को क्रमशः 264213, 257701 एवं 257590 थी जिसे आधार माना जाये तो पंजीकृत आशार्थियों की संख्या घटी है जो निम्न प्रकार से है जून 1975 से 1976 —

पंजीकृत आशार्थियों की संख्या में 1.02% की कमी। जून 1976 से जून 1977 पंजीकृत आशार्थियों की संख्या में 0.10% की कमी।

# Page No 10

(10)



( श्री केदारनाथ )

(3) गत तीन वर्षों की उपरोक्त अवधि में नियोजन कार्यालयों के माध्यम से क्रमशः 19154,21010 एवं 18167 आशार्थी नियोजित हुए।

(4) राज्य संचालित योजनाओं एवं केन्द्रीय संचालित योजनाओं के तहत विभिन्न विकास कार्यक्रम चलाये जाते हैं जिनके द्वारा अतिरिक्त रोजगार की सुविधायें सृजित की जाती हैं। इनमें लघु सिंचाई मध्यम सिंचाई, कृषि विभाग, स्वाइल कन्जर्वेशन, वन संरक्षण एवं संवर्धन, सड़क निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, शिक्षा व चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, सीमान्त कृषक व लघु कृषक कार्यक्रम, डेयरी विकास इत्यादि योजनायें उल्लेखनीय हैं। योजनाओं के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार सृजित अनुमान लगाने का जो तरीका अपनाया जाता है उससे माहवार अनुमान लगाना संभव नहीं है। अतः इसके सम्पूर्ण आंकड़े उपलब्ध नहीं है, फिर भी नियोजन कार्यालय के माध्यम से जो सूचना उपलब्ध हुई है उसके अनुसार मई, 1977 में 1148, जून, 1977 में 1098 एवं जुलाई, 1977 में 1287 केन्डीडेट्स को नियोजित कराया गया।

(5) राज्य के विभिन्न नियोजन कार्यालयों को जीवित पंजिका पर दिनांक 30-6-77 को डाक्टर, इन्जीनियर, ओवरसीयर प्रशिक्षित अध्यापक, प्रशिक्षित नर्सेज कम्पाउन्डर एवं अन्य तकनीकी व्यक्तियों के लिये उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या तालिका 1 में दर्ज है जो सदन के पटल पर रख दी गयी है। पूर्व तीन वर्षों में नियोजन विभाग द्वारा उपरोक्त श्रेणी के जिन केन्डीडेट्स को नियोजित कराया उनकी क्लासवाइज सूची तालिका नं० 2 पर उपलब्ध है तथा यह भी सदन के पटल पर रख दी गयी है।

विभिन्न प्रकार के तकनीकी रोजगार पाने के इच्छुक व्यक्तियों के लिये रोजगार विभिन्न विकास कार्यक्रमों के द्वारा भी प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त इनके लिये कुछ विशेष योजनायें भी चलाई जा रही है उदाहरणार्थ कृषि स्नातकों के लिये कृषि विस्तार केन्द्र खुलवाना, बेरोजगार डाक्टरों के लिये स्वयं के क्लिनिक खुलवाना, तकनीकी बेरोजगार व्यक्तियों द्वारा निजी उद्योग स्थापित कराना इत्यादि। इन योजनाओं के अन्तर्गत गत वर्षों में कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया इसके ठीक आंकड़े इस समय उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।

(6) राज्य के विभिन्न नियोजन कार्यालयों की जीवित पंजिका पर ग्रेजुएट, पोस्ट-ग्रेजुएट, हायर सेकेण्डरी, सेकेण्डरी, अनट्रेन्ड, की सूची तालिका नं0 3 पर उपलब्ध है जो सदन के पटल पर रख दी गयी हैं एवं सरकारी नौकरी के लिये ओवर एज हो गये व्यक्तियों की सूची भी तालिका नं0 3 पर उपलब्ध है। नियोजन कार्यालयों में पंजीकृत होने के बाद नियोजन अवसर के अभाव में ओवर एज होने वाले केन्डीडेट्स के सम्बन्ध में आयु की सीमा में छूट देने का प्रश्न नीति सम्बन्धी प्रश्न है जिस पर राज्य सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

**श्री जगदीशचन्द्र शर्मा :** माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कब तक

( श्री जगदीशचन्द्र शर्मा )

अब बेरोजगारी की संख्या की गणना करवा ली जायेगी ?

श्री केदारनाथ : प्लानिंग कमीशन के तहत एक पेनल बनाया गया है उसके लिए आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं।

श्री ईश्वरचन्द्र ( पिडावा ) : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे, कि 'काम दो' या बेकारी का दाम दो, या 'बेरोजगारी का भत्ता दो' की बात करते हैं या करते थे मंत्री बनने से पहले, उस योजना को लागू करने के बारे में सरकार का कोई इरादा है या नहीं ? जो बेरोजगार हैं उनको सरकार भत्ता देगी या नहीं देगी ?

श्री केदारनाथ : यह कैसे किया जाये इसके लिए बहुत बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की जानी है। कुछ फैसले लिये भी गये हैं

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा : तीन हजार के करीब लोगों की आयु सीमा ज्यादा हो चुकी है तो कोई इस प्रकार की योजना बनाने के लिए सरकार तैयार है या कोई योजना विचाराधीन है जिससे कि इनको रोजगार उपलब्ध कराया जाये ? ऐसे लोगों के लिए कोई धंधा खुलवाने की कोई योजना है या बना रहे हैं ?

श्री केदारनाथ : ओवर एज होने के बाद एज को कैसे रिलेक्स किया जाये या कैसे इम्पलीमेन्ट किया जाये इस पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : क्या राज्य सरकार के ध्यान में है कि एक परिवार में एक आदमी को अवश्य नौकरी मिले इससे बेरोजगारों को कुछ राहत मिलेगी इस पर राज्य सरकार विचार कर रही है ?

श्री केदारनाथ : यह खयाल तो माननीय सदस्य भी जानते हैं कि बहुत अच्छा है जो एम्पलायमेंट की स्कीम बना रहे हैं उसमें इस पर विचार किया जायेगा।

श्री मूलचन्द डागा : जब से जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से कितने डाक्टरों के लिए क्लिनिक खोलने के लिये कर्जा दिया और कितने इन्जीनियर्स को उद्योग लगाने के लिए आपने कर्जा दिया ? कितने आपने गांवों के अन्दर केन्द्र खोले जहां पोलीटेक्निक के स्टूडेन्ट्स काम में लिये जायें ?

श्री केदारनाथ : माननीय सदस्य ने पढ़ा हो तो इस बजट में 50 लाख का प्राविजन रखा गया है।

श्री मूलचन्द डागा : आपने प्राविजन कर दिया यह बात तो अलग है।

श्री अब्दुल अजीज ( मकराना ) : उपाध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी मौजूदा हालत में किसी मंत्री की लापरवाही के कारण और बढ़ जाये तो क्या उस मंत्री को उस पद पर बने रहने का हक है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आप कानून देखिये।

नेक्स्ट !

प्रश्न संख्या 239

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा !

( अनुपस्थित कृपया आगे देखें )

श्री किशनसिंह भाटी !

## जेल वार्डरों का वेतनमान व आवास प्रबन्ध

240. श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर): क्या जेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या वार्डरों का वेतन सेवारत कर्मचारियों में सबसे न्यूनतम है और उनके आवास की कोई व्यवस्था नहीं है ?

(2) क्या इनमें से बहुत से कर्मचारी टी० बी० आदि रोगों से ग्रस्त हैं ?

(3) क्या इतने कम वेतन से इनके परिवार का गुजारा चल सकता है ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार के पास इनकी दशा सुधारने एवं वेतन वृद्धि करने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं तो क्यों ? यदि हां, तो किस निश्चित अवधि तक इस दिशा में कदम उठाया जायेगा ?

राज्य मन्त्री, जेल (श्री विज्ञान मोदी) : (1) जी नहीं। वार्डरों से कम वेतन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिलता है।

जी हां, अभी पर्याप्त मात्रा में आवास-गृह नहीं है। राज्य के बड़े बड़े कारागृहों पर प्रहरियों के आवास की व्यवस्था है। जिन्हें आवास व्यवस्था कारागृह परिसर में उपलब्ध नहीं होती है उन्हें नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा अन्य कर्मचारियों की भांति मकान किराया दिया जाता है।

(2) जी हां। विभाग की जानकारी के अनुसार 43 प्रहरी टी० बी० से ग्रस्त हैं;

(3) जी हां। यह परिवार के आकार पर निर्भर है। एक ही सेवा में वेतनमानों में परिवर्तन करना सम्भव नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपने 43 टी० बी० के मरीज बताये वह ड्यूटी पर हैं या सर्विस से टर्मिनेट कर दिये गये हैं या किस स्थिति में हैं ?

श्री विज्ञान मोदी : वह सभी कर्मचारी ड्यूटी पर हैं, इनको चिकित्सा सुविधायें सरकार की तरफ से नियमानुसार उपलब्ध कराई जा रही हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : नियमानुसार का क्या मतलब है ? सारी दवाइयों की व्यवस्था सरकार कर रही है या कुछ भी कर रही है।

श्री विज्ञान मोदी : जो भी चिकित्सा में डाक्टर दवाइयां प्रेसक्राइब करता है उसमें सरकारी नियमों के अनुसार सुविधा दी जा रही है ?

श्री किशनसिंह भाटी : मंत्री महोदय का जवाब पूरा नहीं है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इनसे ड्यूटी से ज्यादा काम लिया जाता है इसलिए इनको टी० बी० हो गई है। इस सम्बन्ध में क्या किया है और क्या आपकी योजना है ? इसके लिए कुछ नहीं बताया ?

श्री विज्ञान मोदी : वर्त्तमान में जो उनको दिया जा रहा है उससे उनके परिवार का गुजारा भलीभांति हो सकता है। प्रहरियों को कुछ भत्ते दिये जा रहे हैं। आठ घण्टे ड्यूटी दिये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। कारागृह के प्रहरियों को वर्ष 1975 से साप्ताहिक अवकाश दिये जाने की सुविधा दी गई है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : मंत्री महोदय जो टी० बी० के 43 केसेज बताये

( श्री श्रवणलाल )

हैं। क्या आपने जांच की है कि टी० बी० होने के क्या कारण हैं? उसको रोकने के लिये आपने जेल के अन्दर क्या प्रबन्ध किया है?

**श्री विज्ञान मोदी** : टी. बी. के कारणों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : उनसे ड्यूटी ली जा रही है क्या?

**श्री उपाध्यक्ष** : टी० बी० बहुत भयंकर बीमारी नहीं है अब। यह अलग-अलग स्टेज पर डिपेन्ड करता है।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : जो टी० बी० के मरीज हैं उनसे ड्यूटी ली जा रही है क्या?

**श्री किशनसिंह भाटी** : इस सिचुऐशन से निपटने के लिए कोई आपने निश्चित योजना बनाई है या नहीं? टी० बी० ग्रस्त व्यक्तियों से ओवर ड्यूटी ली जाती है। आप भी तो मौजूद थे जेल में, जब यह सब होता था।

**श्री विज्ञान मोदी** : मैं माननीय सदस्य से कह चुका हूं कि ड्यूटी आवर्स में परिवर्तन करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। इस पर बहुत शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : जो भी टी० बी० के मरीज हैं उनसे ड्यूटी ली जा रही है या नहीं?

**श्री विज्ञान मोदी** : इस प्रश्न का जवाब मैं दे चुका हूं।

**श्री रामकिशनदास गुप्ता** : मन्त्री महोदय को जेल का स्वयं को अनुभव है या भूल गए?

**श्री उपाध्यक्ष** : नेक्स्ट। श्री उगमराज मेहता!

## ब्यावर उप-जिले में विद्युतीकरण

241. **श्री उगमराज मेहता** (ब्यावर): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ब्यावर उप-जिले में किस एरिया का विद्युतीकरण विचाराधीन है?

(2) ब्यावर से जालिया कोटड़ा, कावरा, पुनेरा, बड़ाखेड़ा, बनजारी होते हुए बरारवन तक के एरिया का विद्युतीकरण करने में क्या बाधाएँ है?

**विद्युत मंत्री** (श्री सम्पतराम) : (1) ब्यावर उप जिले की पंचायत समिति, जवाजा के 8 ग्रामों की व पंचायत समिति, मसूदा के 59 ग्रामों की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना स्वीकृत हो चुकी है और योजना के अनुसार सभी ग्रामों का विद्युतीकरण भी हो चुका है। इस उप-जिले के अन्य ग्रामों की कोई योजना फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

(2) प्रश्न में वर्णित ग्राम पंचायत समिति जवाजा क्षेत्र के हैं जिसकी भू-जल रिपोर्ट अभी उपलब्ध नहीं होने के कारण ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना बनाना फिलहाल सम्भव नहीं है। प्रश्न में वर्णित ग्रामों में से कोटड़ा विद्युतीकरण हो चुका है।

**श्री उगमराज मेहता** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से

( श्री उगमराज मेहता )

पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि भू-जल रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। कोटड़ा और जवाजा और जालियां से बड़ा खेड़ा, बनजारी तक को इलेक्ट्रिफाई एरिया करने के लिए समय समय पर राज्य सरकार से वहां की जनता ने मांग की है। अभी तक इस एरिया को इलेक्ट्रिफाई घोषित नहीं किया है जब कि जनता वहां उद्योग लगाना चाहती है और गांव वाले कुओं पर बिजली के कनेक्शन लेना चाहते हैं। तो कब अब तक आप घोषणा करेंगे ?

श्री सम्पतराम : सरकार घोषणा करा निश्चित समय नहीं दे सकती। जैसे-जैसे स्कीम बनेगी वह इलाके के लिये जायेंगे। इसके अलावा बहुत से फैक्टर्स होते हैं। जहां तक यह कहा कि कनेक्शन कुओं पर नहीं मिले हैं तो मैंने देखा कि इस इलाके के लोग बिजली कम लेने के तैयार हैं जवाजा योजना में 90 कनेक्शन होने चाहिये थे और अब तक वो कनेक्शन ही लिये गये यह योजना 1974-75 में स्वीकृत हुई और 1975-76 से इस पर काम चल रहा है। इसी प्रकार से मसूदा के विद्युतीकरण की योजना बनी उसमें 750 कनेक्शन होने चाहिएं लेकिन सिर्फ 102 कनेक्शन ही लिये गये। विभाग की मान्यता है कि लोग कनेक्शन लेने के लिये कम आ रहे हैं।

श्री उगमराज मेहता : जालिया ब्यावर के बिल्कुल पास है वहां इलेक्ट्रिक की लाइन खिंच रही है वहां दस कुओं पर कनेक्शन के लिये आवेदन-पत्र दिये हैं। इसी प्रकार बड़ा खेड़ा के किसानों ने एप्लीकेशन दे रखी है लेकिन अभी उस पर कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की जा रही है।

श्री सम्पतराम : जब तक क्राइटेरिया में काम नहीं आता तब तक सम्भव नहीं होता है। जब तक विद्युतीकरण की योजना न बने, लाइन जाने से कोई लाभ नहीं हैं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : आपने अभी कहा कि सात सौ कुछ केसेज में कनेक्शन देने थे लेकिन वहां पर एक सौ कुछ लोगों ने कनेक्शन लिये, इसकी वजह नहीं दी, क्या मिनिमम चार्जेज ज्यादा कर दिये हैं ?

श्री सम्पतराम : नहीं; ऐसी बात नहीं है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : तो इसकी वजह क्या है ।

श्री सम्पतराम : इस प्रश्न का जवाब मैं दे चुका हूँ जितने उत्साह से कनेक्शन लेने चाहिये थे उतने उत्साह से नहीं लिये। कारण यह है उस इलाके में पानी की कमी है, अन्डर ग्राउण्ड वाटर की कमी है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : काफी जानकारी दे दी है मंत्री महोदय ने ।

नैक्स्ट : श्री गिरधारीलाल भार्गव !

श्री रामेश्वरदयाल यादव : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे ? जवाजा में 90 कनेक्शन देने थे लेकिन दो ही ने लिये। आज के दिन किसानों की कि कितनी एप्लीकेशन्स पेन्डिंग हैं ?

श्री सम्पतराम : मैं इसका कोई औचित्य नहीं समझ सकता। अगर माननीय सदस्य को कोई शक है तो वे खुद देख लें

श्री रामेश्वरदयाल यादव : शक वाली बात नहीं, आप से निवेदन किया कि 90 में से दो ने ही कनेक्शन क्यों लिया ?

प्रश्न संख्या 242

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री गिरधारीलाल भार्गव।

( अनुपस्थित )

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप जल्दी कर रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी जल्दी करें। नेक्स्ट। श्री नारायणसिंह !

ग्राम अम्बापुरा में अतिवृष्टि से क्षति

243. श्री नारायणसिंह ( डिग्गी ) : क्या बाढ़ व अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्राम अम्बापुरा, तहसील मालपुरा अतिवृष्टि से बाढ़ ग्रस्त हो गया था और इसमें हुए नुकसान का सर्वे जिलाधीश टोंक द्वारा किया गया था ?

(2) क्या यह सर्वे रिपोर्ट जिलाधीश टोंक ने राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी है ? यदि हाँ, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही करने जा रही है ? अब तक क्या कार्यवाही हो चुकी है ?

(3) क्या इस ग्राम में फसल बिल्कुल नष्ट हो गई, खेत बरबाद हो गये, पशुधन व मकान भी नष्ट हो गये ? क्या राज्य सरकार काश्तकारों का भू-राजस्व माफ कर रही है ?

(4) राज्य सरकार ने इस ग्राम में कितनी धनराशि काश्तकारों की मदद व राहत कार्य में लगाने हेतु स्वीकृत की है ? स्वीकृत की हुई धनराशि में से काश्तकारों को कितनी वितरित की और राहत कार्यों में किस तरह खर्च की गई है ? विवरण प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

बाढ़ व अकाल राहत मन्त्री (श्री सम्पत राम) : (1) जी हाँ, यह सही है।

(2) जी हाँ। जिलाधीश की रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) फसल एवं मकानों को बाढ़ के कारण नुकसान हुआ है। पशुधन की हानि नहीं हुई है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के कृषकों से भू-राजस्व एवं तकावी की वसूलियां 30 नवम्बर, 1977 तक स्थगित करने के लिए सभी जिलाधीशों को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कर दिया गया है।

(4) राज्य सरकार द्वारा इस ग्राम के बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों की सहायतार्थ अब तक 10,000) रु० की राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि में से 7,000) रुपये क्षतिग्रस्त मकानों के मालिकों को तात्कालिक सहायता के रूप में वितरित किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 200 टिन पांच टिन प्रति परिवार के हिसाब से नियन्त्रित मूल्य पर वितरित की गई है। राज्य सरकार ने टोंक जिले के काश्तकारों हेतु तीन लाख रुपये की राशि कृषि तकावी हेतु भी स्वीकृत कर दी है जिसका लाभ इस ग्राम के काश्तकारों को भी मिल सकेगा।

श्री श्योपत सिंह मकासर : आपने जब कहा है....

श्री उपाध्यक्ष : पहले प्रश्नकर्ता।

# Page No 16

(16)



**श्री नारायण सिंह :** मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस गांव के लिए आपने कितनी धनराशि की सिफारिश की है और वह धनराशि रखी भी है कि नहीं ?

**श्री सम्पतराम :** जैसा प्रश्न (4) के उत्तर में बताया, इस ग्राम के बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को सहायतार्थ 10 हजार रुपये दिये जा चुके हैं। 7000 रु. क्षतिग्रस्त मकानों के मालिकों को दिये जा चुके हैं। 200 टिन दी जा चुकी हैं।

**श्री नारायण सिंह :** मन्त्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, पानी का नाला आता है। यह कम से कम चार दफा आ चुका है, चार दफा गांव तबाह हो चुका है। इस नाले के स्थाई हल के लिए वहां के जिलाधीश ने एक स्कीम बना कर भेजी है। इसके स्थाई हल के लिए सरकार का क्या विचार है।

**श्री सम्पतराम :** मैं निश्चित रूप से तो नहीं कह सकता। कलेक्टर ने उस वक्त सुझाव भेजा था। मैं समझता हूं इसको टेक अप करेंगे, जो सम्भव होगा वह करने की कोशिश करेंगे।

**श्री नारायण सिंह :** मैं खास तौर से नाले के लिए जानना चाहता हूं कि कलेक्टर की रिपोर्ट आई या नहीं ? कोई स्थाई हल निकालना चाहते हैं या नहीं ?

**एक माननीय सदस्य :** मैं निवेदन करना चाहता हूं कलेक्टर से जो रिपोर्ट मंगाते हैं, उसमें कलेक्टर साहब कभी भी 100 परसेन्ट सही और पूरी जानकारी नहीं देते हैं। यह रवैया कांग्रेस सरकार के समय से चला आ रहा है। जनता सरकार क्या रिपोर्ट किसी दूसरे माध्यम से मंगायेगी ?

**श्री नारायणसिंह :** कलेक्टर की पूर्ण रूपेण रिपोर्ट आई है। नाले का पूरा तखमीना बनाया गया है : मेरे इस केस में कांग्रेस वाली स्थिति नहीं है।

**श्री सम्पतराम :** माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे जो सूचना है उसके अनुसार जो रिपोर्ट जिलाधीश के यहां से आई थी उसे सिंचाई विभाग को भेज दिया गया है। मैं देखूंगा कि सिंचाई विभाग से वह रिपोर्ट जल्दी से जल्दी वापस आये।

**श्री श्योपतसिंह मकासर :** माननीय मंत्रीजी, आप ने जब कहा है कि गांव की फसल बरबाद हो चुकी है तो लगान की वसूली स्थगित क्यों कर रहे हैं, माफ क्यों नहीं कर रहे हैं ?

**श्री सम्पतराम :** राजस्व के कायदे कानून स्पष्ट हैं, माननीय सदस्य अवलोकन करें।

**श्री श्योपतसिंह मकासर :** अवलोकन करने की बात नहीं है। आपने कहा कि लगान की वसूली स्थगित कर दी गई है। मैं कहना चाहता कि जनता सरकार इस पर विचार करे, जब फसल बरबाद हो चुकी है तो लगान माफ करे।

**श्री नारायण सिंह :** उपाध्यक्ष महोदय इतनी बाढ़ आई कि सारे गांव में पानी भर गया। मिट्टी मिट्टी भर गई है।

**श्री दिग्विजय सिंह :** एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। आपने यह फर्माया कि 30-11-77 तक भू-राजस्व की वसूली स्थगित कर दी है। जब खरीफ की फसल नष्ट हो गई।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मेरा प्रश्न बहुत ही साफ है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका प्रश्न सुन लिया, मंत्री महोदय ने भी सुन लिया।

श्री श्योपतसिंह मकासर : लगान वसूली स्थगित करने की जो व्यवस्था है, वह कांग्रेस सरकार की व्यवस्था थी। आपको लगान माफ करना चाहिये।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : नवम्बर 1977 तक आपने लगान वसूली स्थगित की, क्या इससे किसानों को लाभ होगा। दूसरी फसल आये और किसानों को पैसा उपलब्ध हो सके तब तक के लिये स्थगित करना चाहिये।

श्री नारायणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अगर कानून में नहीं है तो रूल्स में तब्दीली कर के इस पर विचार करें। जो फसल नष्ट हो गई है उसका लगान माफ करने का प्रयत्न कीजिये।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : एक जगह ही फसल बरबाद नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमन्त्री जी से, राजस्व मन्त्री जी से, व वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि किसानों को कांग्रेस के राज में लगान माफ नहीं होता था। जनता पार्टी के राज में जिन किसानों को फसल पैदा नहीं हुई उनका लगान माफ होना चाहिये।

श्री सम्पतराम : माननीय सदस्यों के मन में जो किसानों के प्रति सहानुभूति है, वह मैं समझता हूं। लेकिन कुछ कायदे कानून बने हैं, उन कायदे कानूनों के मुताबिक जहां ऐसे हालात होते हैं कि अकाल घोषित करना होता है, वहां अकाल घोषित होता है, लगान माफ करना होता है तो लगान माफ होता है। ओवर-आल सरकार को मालूम हो कि फसलों की हालत ठीक नहीं है तो लगान की वसूली स्थगित कर देते हैं। स्थगित करने के बाद माफ करने का सवाल पैदा होता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसका जवाब देने की जरूरत इसलिए नहीं है कि कायदे कानून निश्चित बने हुये है। उसकी जानकारी माननीय सदस्यों को होनी चाहिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उन कायदे कानून को आप बदलना चाहते हैं या नहीं जो किसानों के हित में नहीं हैं? यह बता दीजिये आप।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बहुत कह चुके हैं, माननीय सदस्य।

श्री श्योपतसिंह मकासर : फसल बरबाद हो चुकी है तो लगान वसूली स्थगित करने का सवाल कहां पैदा होता है लगान माफ करना चाहिये। आपने स्वयं ने कहा कि फसल नष्ट हो चुकी है।

श्री रतनलाल वर्मा : यदि कायदे कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो परिवर्तन किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आपका सुझाव सुन लिया है, माननीय सदस्य। आप बिराजिये आप बारबार क्यों दोहराते हैं।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न कायदे कानून में आता है कि आपने जो घोषणा की है और जो लगान

# Page No 18

(18)



(श्री माधोसिंह)

की वसूली स्थगित की है, उससे क्या किसान को राहत मिलेगी। मेरा निवेदन है रबी की फसल आ जाय तब तक के लिये लगान की वसूली स्थगित होनी चाहिये। उनकी हालत उस समय तक कुछ ठीक हो सकती है और आपके पैसे भी चुका सकते हैं। तब तक के लिये इसको स्थगित किया जाय।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या यह सत्य है कि फेमिन कोड को तब्दील करने के लिये कमेटी बनाई थी, उसके हिसाब से राज्य सरकार निर्णय कर सकती है, उसके ओवर एण्ड अबोव कुछ नहीं कर सकती। क्या फेमिन कोड में संशोधन करने का विचार रखती है सरकार ?

मुख्य मन्त्री श्री भैरोंसिंह शेखावत : कमेटी की रिपोर्ट की मुझे जानकारी नहीं है लेकिन इतनी जानकारी अवश्य है कि 7-8 वर्ष पहले सरकार ने फेमिन कोड में संशोधन करने के लिये कमेटी बनाई थी। उसकी कई वर्षों तक मीटिंग कोई हुई, ऐसा मुझे याद नहीं है। हमने भी मांग की थी कि फेमिन कोड में संशोधन किया जाय। अभी इसका फेमिन कोड से सम्बन्ध नहीं है लेण्ड रेवेन्यू एक्ट से सम्बन्धित है यह प्रश्न।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह पुरानी परिपाटी है, क्या इसको अब सरकार बदलने का विचार रखती है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आरग्यू मत करिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, फसल बरबाद हो जाती है तो लगान निश्चित रूप से माफ करना ही चाहिये।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल (जैतारण) : जैसा मुख्य मंत्री महोदय ने फरमाया फेमिन कोड से यह रिलेटेड नहीं है तो क्या आप लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत इस पर विचार करेंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फेमिन कोड के सम्बन्ध में रिपोर्ट आने वाली है। अभी आई नहीं है। यह सरकार की उदारता है कि रिपोर्ट आने से पूर्व ही लगान की वसूली स्थगित कर दी।

श्री माधोसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न तो सीधा है कि इस लगान की वसूली नवम्बर, 1977 तक स्थगित नहीं की जाकर मई 1978 तक के लिये स्थगित की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : अभी नवम्बर तो समाप्त होने दीजिये।

श्री माधोसिंह : इसका जवाब आना चाहिये माननीय मंत्री महोदय से।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रश्न पर काफी चर्चा हो चुकी है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या यह परिपाटी माननीय मुख्य मन्त्रीजी अच्छी मानते है ? अगर अच्छी मानते हैं तो इसको बदलेंगे या नहीं ?

श्री रतनलाल वर्मा : यह विधान सभा गलत कानून को बदलने के लिये ही तो बनी है। जिनसे किसानों का अहित हो; उनको बदलना ही चाहिये। जो कानून कांग्रेस सरकार ने किसानों के हित के नहीं बनाये, उनको खत्म करना चाहिये।

**श्री रामेश्वरदयाल यादव** : उपाध्यक्ष महोदय, जहां कहीं झोंपड़ा या मकान गिरता है तो उसको राहत देने के लिये प्रावधान भूतपूर्व सरकार ने किये थे। लेकिन अगर किसान को एक लाख की फसल बरबाद हो जाय तो लगान माफ होने का प्रावधान नहीं है। इसलिये जो भूतपूर्व सरकार के कानून बने हुये हैं और जनता के हित में नहीं है, किसान विरोधी कानून हैं उन कानूनों में संशोधन करने का अवश्य विचार किया जाना चाहिये। फसल बरबाद हो गई, लाख रुपये की लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।

**श्री उपाध्यक्ष** : नेक्स्ट। श्री मनोहर सिंह।

**श्री माधोसिंह** : उत्तर दिलवायें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका।

**श्री उपाध्यक्ष** : उत्तर आ चुका है।

**श्री माधोसिंह** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

**श्री उपाध्यक्ष** : नेक्स्ट। श्री मनोहर-सिंह!

## भीलवाड़ा से माण्डलगढ़ जाने वाली रोडवेज की बसें

244. **श्री मनोहर सिंह मेहता** : (माण्डलगढ़) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा से माण्डलगढ़ तक रोडवेज की तीन गाड़ियां चलती हैं जो दिन भर में केवल 64 मील ही चलती हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन तीनों में से केवल एक गाड़ी, जो भीलवाड़ा से सन्ध्या को माण्डलगढ़ वाया आकोला होती हुई जाती है, सुबह माण्डलगढ़ से रवाना होकर वाया आकोला होती हुई हो भीलवाड़ा पहूंचती है ?

(3) बकाया गाड़ियों के इसी प्रकार वाया आकोला होकर आने-जाने में राज्य सरकार को क्या दिक्कत है ?

(4) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा से माण्डलगढ़ तक जाने वाली बकाया गाड़ियों के वाया आकोला होकर न आने-जाने से पूरे क्षेत्र की ओर आकोला की जनता को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

(5) क्या आकोला तथा आस-पास के क्षेत्र की सुविधा को ध्यान में रख कर बकाया दोनों गाड़ियों को भी वाया आकोला आने-जाने का राज्य सरकार आदेश देगी ?

**यातायात मन्त्री ( श्री केदारनाथ )** : (1) जी हां। भीलवाड़ा से माण्डलगढ़ मार्ग पर वर्तमान में 3 अप, व 3 डाउन बस सेवायें संचालित की जाती हैं। यह सही नहीं है कि ये 3 परिचक्र जिन गाड़ियों से संचालित किये जाते हैं वे दिन भर में केवल 64 मील ही चलती हैं।

(2) जी हां।

(3) ग्राम आकोला मुख्य सड़क से लगभग 7 किलोमीटर अन्दर की ओर है जिसके लिये बस को 14 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ता है। जिसके कारण भीलवाड़ा से माण्डलगढ़ के

(यातायात मंत्री)

सीधे पेसेन्जरों को समय अधिक लगता है एवं कठिनाई भी होती है।

(4) जी नहीं। ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(5) आकोला के यात्रियों की संख्या काफी कम है। अतः वर्तमान में आकोला होकर और गाड़ी का चलाना सम्भव नहीं है।

**श्री मनोहर सिंह मेहता** : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके मार्फत यह कहना चाहता हूं, यह जो रिपोर्ट इनके पास आई है, सही नहीं है। बड़ी कृपा होगी, अगर माननीय मन्त्री जी बस में बेठकर पधारें। तब आपको मालूम होगा कि एक - एक बस पर कितनी भीड़ सुबह से शाम तक रहती है।

**श्री मूलचन्द डागा** : ले जाओ साथ बिठाकर।

**श्री मनोहर सिंह मेहता** : माननीय मन्त्री महोदय ने शाम आकोला मुख्य सड़क 7 किलोमीटर अन्दर बताया है। यह सात मील नहीं है, पांच मील है। वहां चलकर देखें, सवारियों को कितनी तकलीफ होती है। जो गाड़ियां माण्डलगढ़ जाती हैं उन्हें पांच मील अन्दर ले जांय तो वहां की सवारियों को आराम मिलेगा। आज जनता पार्टी का राज्य है, जब कभी उधर जाते हैं तो यात्री परेशान करते हैं और पूछते रहते हैं कि ज्यादा गाड़ियां कब चलवा रहे हो? तो मेरा निवेदन है कि अब इस जनता पार्टी के राज्य में यह तो कम से कम करवायें। सवारियां इतनी ज्यादा होती हैं कि ट्रक में बैठकर लोग जाते हैं। तो क्या आप ज्यादा गाड़ियां चलाने का विचार रखते हैं?

**श्री केदारनाथ** : एक अक्टूबर से 300 गाड़ियां और चलेगी। उसके बाद में इस पर विचार कर लिया जायगा। यदि आप 7 किलोमीटर अन्दर आने - जाने के लिए कहते है तो मैं इतना निवेदन कर दूं कि एक बस का और प्रबन्ध किया जायगा।

**श्री श्योपत सिंह मकासर** : आपकी बसेज ओवर लोड चलती है तो क्यों नहीं और गाड़ियों का प्रबन्ध करने के लिये सरकार सोचती है?

**श्री उपाध्यक्ष** : स्थगित प्रश्न। श्री उमराव सिंह ढाबरिया।

**एक माननीय सदस्य** : अभी तो काफी टाइम बचा है।

**श्री उपाध्यक्ष** : एक ही प्रश्न में आप ज्यादा समय ले लेते हैं।

स्थगित प्रश्न

श्री उमराव सिंह ढाबरिया।

## भीम स्मारक धर्मार्थ ट्रस्ट

14 **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में भीम स्मारक धर्मार्थ नाम से एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड किया गया है?

(2) यदि हां, तो इसके विधान की प्रति तथा इस ट्रस्ट की सम्पत्ति की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

(3) उक्त ट्रस्ट को वार्षिक आमदनी कितनी है तथा इसमें कितने कर्मचारी काम करते हैं ?

(4) क्या इस ट्रस्ट के हिसाब का कभी राज्य सरकार की तरफ से अंकेक्षण कराया गया ?

(5) क्या उक्त ट्रस्ट के विधान के अनुसार ट्रस्ट के सदस्यों की बैठक बराबर होती रही है ?

सहकारिता मंत्री ( श्री त्रिलोकचन्द जैन ) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न राजस्व विभाग से सम्बंधित है। गलती से सहकारिता विभाग को भेज दिया गया है। इसलिये निवेदन है कि जो दिन राजस्व विभाग के प्रश्न के उत्तर का होगा उस दिन दे दिया जायगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इस प्रश्न को राजस्व विभाग को फारवर्ड कर देना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष : पोस्टपोन किया गया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इतना निवेदन है कि ट्रस्ट के कान्स्टीट्यूशन की स्क्रूटिनी और इसका रजिस्ट्रेशन आपके सहकारी विभाग के पंजीयक द्वारा किया जाता है। वही सारी इनफार्मेशन कलेक्ट करता है। इसलिये मैंने सहकारिता विभाग के मंत्री साहब से ही उत्तर मांगा है। आप फरमाते हैं रेवेन्यू विभाग से सम्बन्धित है तो इस प्रश्न को रेवेन्यू मिनिस्टर साहब के पास भेज दिया जाता तो उत्तर आ जाता।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : यह राजस्व विभाग से सम्बन्धित है इसलिए आपके सचिवालय से निवेदन कर दिया गया था।

श्री उपाध्यक्ष : यह संस्था पंजीकृत हुई है। वह सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत हुई है इसलिए इसका सम्बन्ध तो आप से ही होता है।

प्रश्न संख्या 245

नेक्स्ट। श्री गोपालसिंह।

श्री मूलचन्द डागा : गोपालसिंह ने प्रश्न किया ही नहीं है, अनुपस्थित हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इसके उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

( अनुपस्थित कृपया आगे देखिए )

श्री रामप्रसाद लड्ढा !

### तहसील मांडल, जिला भीलवाड़ा में बिजली की मोटर के लिये आवेदन-पत्र

246. श्री रामप्रसाद लड्ढा (मांडल): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्री खेमा पिता श्री मोती कुमावत निवासी चावंडिया, तहसील मांडल, जिला भीलवाड़ा ने बिजली की मोटर लगवाने का आवेदन-पत्र दिया और प्रति पोल 250 रुपया का डिमाण्ड नोट उनको सन् 1974 में जारी किया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि अब तीन वर्ष पश्चात उन्हें एक नया डिमाण्ड

# Page No 22

(22)



(श्री राम प्रसाद लड्ढा)

नोट जारी किया गया है जो कि 850 रुपया प्रति पोल की दर से है ? यदि हां, तो क्यों और अब तक क्यों नहीं कनेक्शन दिया गया ?

(3) कृषकों को इस तरह परेशान करने का जो रवैया विद्युत विभाग ने अपना रखा है राज्य सरकार ऐसे प्रकरणों में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

**विद्युत मन्त्री (श्री सम्पतराम) :**

(1) जी हां।

(2) रिवाइज्ड डिमान्ड नोट करीब 9 महीने में ही भेज दिया गया था। इस प्रार्थी को कनेक्शन दिनांक 5-2-75 को ही दे दिया गया था। सहायक अभियन्ता ने रिवाइज्ड डिमाण्ड नोट खम्बे की कीमत में बढ़ोतरी से सम्बन्धित मण्डल के निर्देशानुसार दिया था।

(3) विद्युत मण्डल के अधिकारियों की जहां कहीं भी गलती होती हैं उस पर विभागीय अधिकारी तथा राज्य सरकार समय-समय पर कार्यवाही करती रहती है। इस मामले में सहायक अभियन्ता की गलती रही है। अतः इन्हें निलम्बित करके जांच करने के लिए मण्डल को लिखा जा रहा है।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि रिवाइज्ड डिमाण्ड नोट्स जो दिये गए हैं उसके कारण उस काश्तकार के सामने भयंकर समस्या खड़ी हो गई है। जब मैं वहां पर गया तो लोगों ने मेरे सामने यह समस्या रखी थी। एक-एक काश्तकार को पांच सौ, छः सौ, सात सौ रुपये के नोटिस दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मोटर के कनेक्शन तोड़ दिए जावें। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपकी मार्फत कि इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करें। जो नोटिस दिए गए हैं वे अधिकारियों की गलती के कारण दिये गए हैं। इससे काश्तकारों का बर्डन बहुत बढ़ गया है। अतः ऐसे अधिकारियों को हटाया जावे।

**श्री उपाध्यक्ष :** पहले ही उन्होंने कह दिया है कि कार्यवाही कर रहे हैं।

**श्री रामेश्वरदयाल यादव :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रश्न पर एक सप्लीमेंट्री मैं पूछना चाहता हूं। इसीसे सम्बन्धित है। जब दिनांक 5-2-75 को कनेक्शन दे दिया गया तो उस कन्जूमर को कंडीशनल आदेश दिया गया था कि बाद में रिवाइज्ड डिमाण्ड नोट दिया जाएगा ?

**श्री सम्पतराम :** प्रश्न का उत्तर यदि गौर से आपने सुना होता तो यह प्रश्न नहीं करना पड़ता। मैंने स्वयं ने कहा है कि इस मामले में असिस्टेन्ट इंजीनियर की गलती रही है। इसी के कारण उसको सस्पेंड किया जा रहा है और विद्युत मण्डल को इसकी जांच करने को लिखा जा रहा है।

**श्री रामेश्वरदयाल यादव :** दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, क्या राजस्थान में जो आम कंजूमर हैं उनको भी अमेंडेड डिमाण्ड नोट जारी किए जा रहे हैं ? माननीय विद्युत मंत्रीजी किसान हैं स्वयं माननीय उपाध्यक्ष महोदय

# Page No 23

(23)



(रामेश्वर दयाल यादव) किसान हैं और माननीय मुख्य मन्त्रीजी भी किसान हैं लेकिन फिर भी किसानों की बात आती है तो उसको टाल जाते हैं। मैं माननीय विद्युत मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आम किसानों को रिवाइज्ड डिमाण्ड नोट दिए जा रहे हैं तो क्या सभी ए. ई. एन. और एक्स. ई. एन. को सस्पेंड किया जा रहा है ?

श्री मूलचन्द डागा : अभी वे काश्तकारी का काम नहीं कर रहे हैं।

श्री सम्पतराम : मौजूदा सहायक अभियन्ता की गलती की वजह से डिमाण्ड नोट देना पड़ा है। उसकी गलती यह थी की तीन खम्भे लगे और उसमें दो खम्भों की प्राइज चार्ज की। इसके साथ ही यह बात उसकी जानकारी में आने के बाद भी एक एक साल तक उसने कोई कार्यवाही नहीं की, रिवाइज्ड डिमाण्ड नोट नहीं भेजा। नौ महीने तक मामला पेंडिंग रहा इसलिए सहायक अभियन्ता को परवाह नहीं करने के कारण सस्पेंड किया जा रहा है।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : राजस्थान के आम कन्ज्यूमर को अमेंडेड डिमाण्ड नोट जारी किये जा रहे हैं उसके बारे में आपने कोई उत्तर नहीं दिया ?

श्री उपाध्यक्ष : बहुत जनरल क्वेश्चन आपने किया है। नेक्स्ट।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आम किसानों को रिवाइज्ड डिमाण्ड नोट दिए जा रहे हैं और उनसे वसूली की जा रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं किसान हैं, माननीय विद्युत मंत्रीजी किसान हैं और माननीय मुख्य मंत्रीजी भी किसान हैं फिर भी इसका जवाब नहीं दिया जा रहा है।

श्री हरिशकुमार शर्मा : इस तरह से मामले को टाला नहीं जा सकता। किसानों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है, बहुत से लोग परेशान हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विद्युत मंत्रीजी ने जवाब दे दिया है।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : माननीय विद्युत मंत्रीजी का इस प्रश्न का जवाब आना चाहिए।

श्री सम्पतराम : मैं इससे सहमत नहीं हूं कि आम किसान इसलिए परेशान हैं कि रिवाइज्ड डिमाण्ड नोट दिए गए हैं। यह तो बहुत मामूली सी बात है और बहुत थोड़े लोगों को रिवाइज्ड डिमाण्ड नोट दिए गए हैं। अगर माननीय सदस्य कोई ऐसा मामला बतायेंगे कि जिसमें किसानों के साथ ज्यादती हो रही है और अधिकारियों की गलती होगी तो सरकार उस पर मौजूं एक्शन लेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नरेन्द्रपाल सिंहजी आप कुछ कहना चाहते हैं।

नेक्स्ट। श्री हरिशकुमार शर्मा।

## नियोजन कार्यालय अजमेर का किराये का भवन

247. श्री हरिश कुमार शर्मा (रामगंज मण्डी) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

उप-प्रादेशिक नियोजन कार्यालय, अजमेर का कार्यालय भवन पूर्व में कितने रुपये

(हरीश कुमार शर्मा)

माहवार किराये पर था और उसमें कितनी गुंजाइश (अकोमोडेशन) थी ? उक्त कार्यालय भवन का अब क्या किराया है और उसमें कितनी गुंजाइश (अकोमोडेशन) है ?

श्रम एवं नियोजन मंत्री (श्री केदारनाथ): पूर्व में नियोजन कार्यालय अजमेर जिस भवन के हिस्से में स्थित था वह लोढ़ा चैरिटेबिल ट्रस्ट की प्रोपर्टी थी एवं सन् 1943 से 225) रुपया मासिक किराये पर इस कार्यालय के पास था। उसमें 12 कमरे थे। वर्तमान भवन दिनांक 1-4-77 से किराये पर लिया गया जिसको प्लिंथ एरिया पहले से करीब दुगनी है। मौजूदा जमीन की कीमत एवं निर्माण मूल्य के अनुसार इस भवन का मासिक किराया पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा 1747 ) रुपया निर्धारित किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर पूर्व): क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पहले इस भवन में जो कार्यालय था उसको उस समय के जिलाधीश श्री कुम्बट साहब ने उस पार्टी को फायदा पहुँचाने के लिए खाली करवा दिया और दूसरी जगह कार्यालय के लिए स्थान ज्यादा रेंट पर दिलवाया ?

श्री केदारनाथ : मान्यवर, पहले जो भवन था उसमें डिस्पेन्सरी के लिए इन्तजाम करना था। पब्लिक इन्ट्रेस्ट को देखते हुए उसे खाली करवाया गया।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट श्री मूलचन्द सामरिया।

## रणथम्भोर टाइगर प्रोजेक्ट योजना

248. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रणथम्भोर, जिला सवाई माधोपुर में एक टाइगर प्रोजेक्ट नामक योजना चल रही है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह सही है कि टाइगर प्रोजेक्ट-स्कीम चालू करने के पश्चात् स्थानीय टाइगर प्रोजेक्ट के कर्मचारी व आस पास की जनता में भयंकर कटुता फैली हुई है ?

(3) क्या यह सही है कि आसपास के सीमावर्ती गांवों में योजना के अन्तर्गत रहने वाले जानवरों द्वारा खेतों में भारी नुकसान किया जा रहा है ? यदि हां, तो इन जंगली जानवरों से खेती की रक्षा करने के लिए राज्य सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ? कृपया टाइगर प्रोजेक्ट के नियमों को प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

वन मंत्री (श्री त्रिलोकचन्द जैन) :
(1) जी हां। यह योजना 1973-74 से क्रियान्वयन की जा रही है।

(2) टाइगर प्रोजेक्ट के स्थापित होने से जन-साधारण को स्वच्छन्द रूप से चारा चराई अथवा अन्य आवश्यकता पूर्ति न होने से आंशिक असंतोष हो सकता है, परन्तु विभाग इन समस्याओं की वैकल्पिक व्यवस्था का प्रयास कर रहा है।

(3) जी हां। आंशिक रूप से सूअरों द्वारा नुकसान ध्यान में आया है। राज्य सरकार ने अपने आदेश सं० एफ 11 (23)

# Page No 25

(25)



(श्री त्रिलोकचन्द्र जैन)

राजस्व/8/77 दिनांक 12-9-77 द्वारा खेती को क्षति पहुंचाने वाले सूअरों को सशर्त मारने के परमिट देने के लिए एस. डी. ओ. सवाई माधोपुर को अधिकृत किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर के लिए पृथक् से कोई नियम नहीं हैं। सामान्यतः इस क्षेत्र पर राजस्थान वन अधिनियम, 1953 एवं वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट, 1972 प्रभावशील है।

श्री मूलचन्द्र सामरिया : वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में क्या व्यवस्था की जा रही है? नम्बर दो के बारे में क्या व्यवस्था होगी? यह बताने की कृपा करें।

श्री त्रिलोकचन्द्र जैन : यह अलग से जो क्षेत्र हैं और इससे जो कठिनाइयां हैं उसके बारे में निवेदन है कि वन क्षेत्र को रिलोज करने के बाद 9 में से 7 गांव अन्यत्र बसा दिये हैं। सात ग्रामों के क्षतिग्रस्त ग्रामवासियों को 5,40,000) रुपये की राशि मुआवजे के रूप में दी गई है। उन्हें कृषि हेतु जमीनें, मकान आदि बनाने के लिए कवाड़े में छूट व अन्य सामान्य सुविधायें भी प्रदान की गई हैं। आसपास के गांव वालों के मवेशी बफर क्षेत्र में निर्धारित शुल्क देकर चरा सकते हैं परन्तु वन क्षेत्र के अनुपात में मवेशियों की संख्या अधिक होने के कारण थोड़ी बहुत कठिनाई अवश्य होती है। इस कठिनाई का कारण यह भी है कि राजस्व क्षेत्रों में चरनोट अथवा बिलानाम जमीन या तो नहीं है, यदि है भी तो वहां चरने योग्य कुछ नहीं बचा है। स्थानीय जानवरों की चराई सम्बन्धी समस्याओं को निवारण करने के लिए परियोजना क्षेत्र से लगे पूर्व वर्षों में लगभग 2 कटाई क्षेत्र चराई हेतु खोल दिये गये हैं। छोटी सी इमारती लकड़ी के लिए बोदल के निकट एक विभागीय डिपो भी स्थापित किया गया है जहां से लोग स्थानीय रूप से नियंत्रित मूल्य पर लकड़ी खरीद सकते हैं। जलाऊ लकड़ी के लिए बफर व खुले क्षेत्र से नियमानुसार सूखी लकड़ी के परमिट बदस्तूर दिये जा रहे हैं। परियोजना क्षेत्र की सीमा का मौके पर भली भांति सीमांकन करा दिया है। वन पशुओं से कठिनाई के सम्बन्ध में सूअरों से कृषि को क्षति पहुंचाने की कुछ घटनायें सामने आयी थीं जिस पर राज्य सरकार ने विचारोपरान्त अपने आदेश संख्या एफ 11 (23) राजस्व/8/77 दिनांक 12-9-77 द्वारा एस. डी. ओ. सवाई माधोपुर को 18-3-78 तक के लिए सवाई माधोपुर व खण्डार तहसील क्षेत्र के ऐसे सूअरों को, जो खेतों को नुकसान करते पाये जावें, मारने हेतु निम्न शर्तों पर परमिट जारी करने के लिए अधिकृत किया है:—

(1) केवल उन्हीं सूअरों का, जो खेतों पर नुकसान करते पाये जावें, कृषि की सुरक्षा के लिए शिकार किया जावे।

(2) इस प्रकार शिकार किये गये सूअर राज्य सरकार की सम्पत्ति रहेंगे एवं शिकार की सूचना निकटतम वन चौकी पर लिखित में दी जावेगी। मरे हुए सूअरों का वन विभाग द्वारा निस्तारण किया जावेगा।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो जमीन किसानों से ली गई थी टाइगर प्रोजेक्ट के लिए और जो जमीन अब उन किसानों को दी जा रही है उसके अनुपात में कितना डिफरेंस है?

**श्री त्रिलोकचन्द जैन** : इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि नो में से सात गांव वालों को तो अन्यत्र बसा दिया गया है।

**श्री मूलचन्द सामरिया** : उपाध्यक्ष महोदय, जब इन गांवों को वहां से हटाया गया था; उस समय उन गांवों में मवेशियों के लिए चरनोट की कितनी जमीन थी और अब जो दूसरी जगह उनको बसाया गया है; उनके पास कितने मवेशी हैं और उस जगह पर इन मवेशियों के लिए कितनी जमीन उपलब्ध है ? वहां पर चरागाह वगैराह के लिए कितनी जमीन है ?

**श्री त्रिलोकचन्द जैन** : जो टाइगर प्रोजेक्ट एरिया लिया गया है, उस एरिया के किसानों को पहले बसाने की समस्या है। इसकी ओर जानकारी कर लूंगा।

**श्री मूलचन्द सामरिया** : उनके बच्चे खेती कर सकें, जानवर चर सकें, यह सब बसाने की समस्या के अन्दर हो आता है। मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय स्वयं वहां पर पधार कर मौका देखें। मौका देखने पर आप उसकी भयंकरता से परिचित हो जाएंगे। इसका कोई ठोस हल निकाला जाना चाहिए।

**श्री त्रिलोकचन्द जैन** : ज्यों-ज्यों समस्या सामने आ रही है, उसका हल निकाला जा रहा है। जैसे चराई की समस्या आती जा रही है मवेशियों के लिए, तो उसका निराकरण किया जा रहा है।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

## स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

**श्री मूलचन्द डागा** : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रश्न हर वक्त रह जाते हैं। आप बैलेट की व्यवस्था कर दीजिये ताकि हमारे प्रश्न भी आ जाएं। हमारे प्रश्न हमेशा आखिर में आते हैं। आप तो यह बैलेट सिस्टम शुरू कर दीजिए।

**श्री उपाध्यक्ष** : किसी अच्छे ज्योतिषी से मुहुर्त निकलवा कर प्रश्न दें।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : उपाध्यक्ष महोदय इतनी भारी संख्या में प्रश्न सूची में रखे जाते हैं कि बाकी के प्रश्न पूछे ही नहीं जा सकते। इस प्रकार प्रश्न पूछने का महत्व गौण हो जाता है। आज 37 प्रश्न है जब कि अमूमन 20–25 प्रश्न भी नहीं पूछे जाते हैं। बाकी के प्रश्न भी पूछे जाएं इसकी व्यवस्था की ओर आप ध्यान दें। 25 से ज्यादा प्रश्न लिस्ट में न हों। 37,40 और 35 प्रश्नों को भारी लिस्ट दी जाती है। आप 25 प्रश्न की संख्या निर्धारित कर दें ताकि लिस्ट में जितने क्वेश्चन आवें वे पूछे जा सकें।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन कर दूं कि नियम के अनुसार ही प्रश्न पूछे जावें और प्रश्नों पर सप्लीमेन्ट्री भी नियमों के अन्तर्गत किये जावें तो सभी प्रश्नों के उत्तर आ सकते हैं। परन्तु नियमों के अनुसार प्रश्न, सप्लीमेंट्री आप लोग नहीं कर के सहयोग नहीं करते हैं। मैं कहां तक आपके सुझाव के अनुसार कार्यवाही कर सकता हूं फिर भी मैं इसको देखूंगा।

**श्री रतनलाल वर्मा** : व्यवस्था का प्रश्न है। आज यह सदन का अहोभाग्य है कि सदन में हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जोशी विराजमान हैं....

( व्यवधान )

श्री उपाध्यक्ष : आप उनका अभिनन्दन करना चाहते हैं तो घर जाकर कर दीजिए आप बिराजिए।

प्रश्न काल समाप्त हो गया।

श्री रतनलाल वर्मा : संजय गांधी से हरिदेव जोशी ने क्या बात कही थी ?

( व्यवधान )

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

( व्यवधान )

श्री रतनलाल वर्मा। पहले भी, उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा में श्री हरिदेव जोशी के सम्बन्ध में प्रश्न किया गया था, यह प्रश्न सदन में आ चुका है उस वक्त विधान सभा में, सदन में आप नहीं थे। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि यह जो प्रश्न खड़ा हुआ है कि संजय गांधी से माननीय भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने क्या बातचीत की थी सुन्दर डाकू के सम्बन्ध में, उस सम्बन्ध में वे अपना स्टेटमेन्ट दें।

( व्यवधान )

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, तीन दिन से मेरे प्रश्न नहीं आ रहे हैं। मेरे प्रश्नों को बाद में दिया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि मेरे प्रश्न संख्या 250 को किसी दूसरे दिन के लिए स्थगित रखा जावे। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हो गया है। किसी प्रश्न के लिए इजाजत नहीं दी जा सकती है। नियमों में गुंजाइश नहीं है।

श्री समरथलाल : व्यवस्था का प्रश्न है। जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी सूची सदन की मेज पर रखी जाती है। अभी तक मैंने 5-6 प्रश्न पूछे हैं किन्तु उनकी सूची सदन की मेज पर नहीं रखी गई है;

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस बारे में मालूम करूंगा। आप कृपया मुझसे चेम्बर में मिल लें।

( शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट संख्या 3 देखें )

## अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

### राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में जन सम्पर्क अधिकारी का पद

226. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान विद्युत मण्डल में जन सम्पर्क अधिकारी का पद है ? यदि हां, तो उसकी वेतन श्रृंखला क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी की वेतन श्रृंखला में परिवर्तन किया गया है ? यदि हां, तो क्या, कब और किन नियमों के अन्तर्गत ?

(3) क्या यह सही है कि विद्युत मण्डल में जन सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति के लिए सन् 1975–76 या 1976–77 में समाचार पत्रों आदि के माध्यम से प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित किये गये थे ? यदि हां, तो कब और किस माध्यम से ? सम्बन्धित सूचना सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

(4) क्या यह सही है कि उक्त पद के लिए कुछ व्यक्तियों ने भी सम्बन्धित अधिकारी को एप्लाई किया गया था ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति ने, किस-किस तारीख को एप्लाई किया और उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(1) जी हां, वेतन मान रु० 1150–50–1650 है।

(2) माह अप्रेल, 1976 में यह पद नवीन वेतन मान 1969 की वेतन शृंखला 375–25–550–30–850 में सृजित किया गया था। जन सम्पर्क अधिकारी को आवण्टित किये जाने वाले कार्यों की प्रवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए जुलाई, 1976 में मण्डल ने इस वेतन मान में एक सुयोग्य अधिकारी प्राप्त करने में संशय व्यक्त किया और पूर्व सृजित पद को वेतन मान रुपये 275–650 में सहायक जन सम्पर्क अधिकारी के पद में पदावनत करने एवं 700–1200 के वेतन मान में जन सम्पर्क अधिकारी का एक नया पद सृजित करने का निर्णय लिया। जो नये वेतनमानों में उपरोक्त शृंखला में है।

(3) वर्ष 1975–76 या वर्ष 1976–77 के दो वर्षों की समयावधि में इस पद के लिए कोई प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित नहीं किये गये। लेकिन वर्ष 1977–78 में प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित किये गये थे।

(4) जी हां, जिन व्यक्तियों ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये हैं उनकी सूची संलग्न है। प्राप्त प्रार्थना पत्रों में एलिजिबल प्रार्थियों का चयन समिति द्वारा साक्षात्कार किया जा कर एक व्यक्ति की नियुक्ति को जा चुकी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

## जोधपुर सेंट्रल जेल में डी. आई. आर. व मीसा बन्दियों का भोजन प्रबन्ध

230. श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : क्या कारागृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जोधपुर सेन्ट्रल जेल में डी० आई० आर व मीसा के तहत कितने व्यक्तियों गत 2 वर्षों में बन्दी रखा गया ?

(2) क्या यह सही है कि इन बन्दियों को मांसाहारी व शाकाहारी दो प्रकार का भोजन दिया जाता था ? यदि हां, तो दोनों प्रकार के भोजन पाने वालों की अलग अलग सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या मांसाहारी की दर शाकाहारी से ज्यादा थी ? यदि हां, तो कितना अन्तर था ?

(4) इन सभी बन्दियों में से क्षमा-याचना पर किन-किन को किस-किस तारीख को रिहा किया गया था ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) आपात स्थिति के दौरान केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर में कुल 378 व्यक्ति मीसा व डी० आई० आर० के अन्तर्गत दाखिल हुए थे।

( कारागृह मंत्री )

(2) जी हां, 1975 के पश्चात् से सप्ताह में केवल एक बार मांसाहारी भोजन दिया जाने लगा, दिनांक 22-11-76 से मांसाहारी भोजन बन्द कर दिया

कौन व्यक्ति शाकाहारी है और कौन मांसाहारी है, यह विशुद्ध रूप से व्यक्ति का निजी मामला है। अतएव सूची दिया जाना मानवीय दृष्टिकोण व शिष्टता की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

(3) जी हां, 4 रु० 28 पैसे का अन्तर था।

(4) इसकी सूचना एक अन्य प्रश्न के उत्तर में सरकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली है।

## छीपाबड़ौद वन खण्ड की भूमि पर ट्रैसपास

231. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : श्री निर्मलकुमार सकलेचा (झालरापाटन) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डी.एफ.ओ. बारां ता० 9-8-77 को छीपाबड़ौद रेन्ज के दौरे पर छीपाबड़ौद आये थे।

(2) क्या यह सही है कि छीपाबड़ौद रेन्ज के नीचे आ जाने वाले वन खण्डों में इस वर्ष भी भारी मात्रा में ट्रैसपास करके वन खण्ड की जमीनों को रोका गया है तथा छीपाबड़ौद कस्बे के नजदीक बालाजी की डूंगरी के आसपास नयी जमीनें वन विभाग की रोकी गई हैं तथा फाड़ी गई।

(3) क्या यह सही है कि डी.एफ.ओ. बारां ने महुआ खो रेन्ज छीपाबड़ौद की वन भूमि, जिस पर बरसों से कांग्रेस अध्यक्ष ने कब्जा अपने व अपने आदमियों के द्वारा किया हुआ है, को नपवाया था ? यदि हां तो कितनी जमीन इन लोगों ने दबा रखी है तथा कितने एरिया में पत्थर व झांकड़े से सीमाबन्दी कर रखी है तथा कब से इन महुआ खो पर कब्जा कर रखा है ?

(4) क्या यह सही है कि वन अधिकारियों की मिली भगत से इस वन क्षेत्र के ट्रैसपास की रिपोर्ट तक भी नहीं लिखी गई है ? यदि हां, तो कौन-कौन से अफसर इसमें दोषी पाये गये हैं ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

### उत्तर

(1) जी हां।

(2) छीपाबड़ौद रेन्ज में इस वर्ष किसी नये क्षेत्र पर अतिक्रमण नहीं हुआ है। पूर्व के वर्षों में अतिक्रमण की गई वन भूमि में से 5493 बीघा पर पुनः अतिक्रमण होने पर केस रजिस्टर किये गये हैं। इस वर्ष बालाजी की डूंगरी के आस-पास किसी नई वन भूमि पर अतिक्रमण नहीं हुआ है।

(3) यह सही है कि मण्डल वन अधिकारी, बारां ने श्री किशनलाल पंजाबी व 6 अन्य अतिक्रमणियों द्वारा नाजायज काश्त की गई, महुआ खो की वन भूमि को नपवाया था। इन सातों अतिक्रमणियों ने 97 बीघा 15 बिस्वा वन भूमि पर पत्थर व

( वन मन्त्री )

आंकड़े की सीमा बन्दी कर नाजायज कब्जा किया हुआ है। जिसकी सर्व प्रथम जानकारी दिनांक 28-11-69 को हुई।

(4) जी नहीं।

## भाखरा तथा व्यास, विद्युत् परियोजनाओं में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त सहायक अभियंताओं की वेतन शृंखला

233. श्री कल्याणसिंह (अजमेर पूर्व): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य भाखरा तथा व्यास जल विद्युत परियोजनाओं में भागीदार है तथा राज्य के हितार्थ वहां राजस्थान राज्य के अभियन्ताओं को प्रतिनियुक्ति पर रखा जाता है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अभियन्ताओं को पंजाब सरकार की वेतन शृंखलाओं से वेतन दिया जाता है किन्तु जून, 1975 के बाद वहां प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त सहायक अभियन्ताओं को ये वेतन-शृंखला नहीं दी जा रही है?

(3) क्या यह सही है कि 1973 में में एक त्रि-सदस्यीय समिति ने यह स्पष्ट निर्णय दिया था कि प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अभियन्ताओं को पंजाब सरकार की वेतन शृंखला स्वीकार की जानी चाहिये?

(4) क्या यह सही है कि उक्त परिलाभ केवल उन्हीं सहायक अभियन्ताओं को जो उस समय प्रतिनियुक्ति पर थे, तक ही सीमित कर दिया गया है?

(5) क्या यह सही है कि इस समय राज्य के 33 सहायक अभियन्ता उक्त दुर्व्यवहार के कारण आर्थिक कठिनाई व मानसिक तनाव से पीड़ित है? यदि हां, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या विचार रखती है?

### उत्तर

(1) जी हां। केवल व्यास परियोजना में ही राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के अभियन्ताओं को भेजा जाता है।

(2) व्यास परियोजना की वेतन शृंखला पंजाब विद्युत मण्डल की वेतन शृंखला ही है। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के जो अधिकारी व्यास परियोजना में प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं उन्हें स्वयं की अथवा व्यास परियोजना (पंजाब विद्युत मण्डल वाली वेतन शृंखला) की वेतन शृंखला में से किसी एक को इच्छानुसार स्वीकार करने की स्वतन्त्रता है। जून 1975 के बाद प्रतिनियुक्ति पर गये सहायक अभियन्ताओं को ये वेतन शृंखलाएं अब तक कुछ औपचारिकताएं पूरा न होने के कारण नहीं दी जा सकी थी। अब इन्हे पूरा करवा लिया गया है तथा उक्त अभियन्ताओं का व्यास परियोजनाओं के वेतनमानों में नोशनल फिक्सेशन कर दिया गया है और उसके अनुसार बकाया का चुकारा भी शीघ्र कर दिया जायगा।

(3) इस प्रकार की किसी समिति के गठन की जानकारी नहीं है।

# Page No 31

(31)



(विद्युत मन्त्री)

(4) जी नहीं।

(5) नेशनल फिक्शेशन के बाद अब शीघ्र ही इन्हें बकाया का भुगतान मिल जावेगा।

## राज्य विद्युत मण्डल को घाटा

235. श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य विद्युत मण्डल को 1976-77 में कुल कितना घाटा रहा ?

(2) इस नुकसान के क्या कारण थे और उनको दूर करने के क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) विद्युत मण्डल को वर्ष 1976-77 में लगभग 624 लाख रुपये का घाटा होने की सम्भावना है। तथापि वर्ष 1976-77 से सम्बन्धित 720 लाख रुपये की राशि की ग्राम्य विद्युतीकरण सहायता, जो राज्य सरकार से प्राप्त होनी शेष है, का समायोजन किये जाने पर मण्डल के पास विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 67 में वर्णित दायित्वों का निर्वाह करने के पश्चात 95 लाख रुपये का आधिक्य बच जावेगा।

(2) विद्युत मण्डल को होने वाले नुकसान के मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों में किये जाने वाले विद्युत विस्तार से होने वाली हानि, राजस्थान अणु शक्ति केन्द्र से क्रय की जा रही विद्युत की दर में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि, का अवक्षरण प्रभार में वृद्धि तथा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि, बोनस के भुगतान अतिरिक्त दायित्व आदि हैं। मण्डल, प्रशासनिक व्यय में यथा सम्भव मितव्ययता द्वारा तथा सतर्कता दस्तों द्वारा बिजली की चोरी कम करके व सिस्टम इम्प्रूवमेन्ट से लाइन लोसेस में कमी आदि द्वारा इस नुकसान को कम करने का प्रयत्न कर रहा है।

## पशुपालन विभाग के चिकित्सक

236. श्रीमती सुमित्रासिंह (झुंझुनू) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान में राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना के बाद पशुपालन विभाग, राजस्थान में कार्यरत चिकित्सक बेकार बैठे रहते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि विभाग के पास अनुभवी एवं कार्यकुशल चिकित्सक हैं ? यदि हां, तो बेकार बिठाये रखने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, हां।

प्रश्न ही उहीं उठता।

## घाटोली (अकलेरा) में पुलिस स्टेशन बनाने की योजना

239. श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (मनोहर थाना) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

( श्री विट्ठल प्रसाद )

(1) क्या यह सही है कि घाटोली ( अकरेला ) में पुलिस स्टेशन बनाने की कोई योजना पुलिस विभाग में विचाराधीन है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम राजस्थान एवं मध्यप्रदेश को अन्तिम सीमा का एक प्रमुख स्थान है और यहां पर पुलिस स्टेशन अत्यन्त आवश्यक है ।

(3) यहां का पुलिस स्टेशन किस आधार पर और किन परिस्थितियों में हटाया गया था और अब कब तक पुन: स्थापित कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । यह ग्राम राजस्थान व मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर स्थित है । पुलिस स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता के बारे में अभी निर्णय नहीं हुआ है ।

(3) राज्य सरकार द्वारा गठित एडमिनिस्ट्रेटिव इन्क्वायरी सब कमेटी की सिफारिशों के आधार पर पुलिस थाना घाटोली को वर्ष 1962 में पुलिस चौकी में परिवर्तित किया गया एवं चौकी मालटा को थाने में परिवर्तित किया गया था । यह निर्णय करते समय उक्त कमेटी ने उस वक्त अपराधों की संख्या सम्बन्धित ग्राम व क्षेत्र की जनसंख्या, भवनों की उपलब्धि व अन्य स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखा था । अब जुलाई 1977 में पुलिस उप महानिरीक्षक, कोटा रेंज, कोटा ने घाटोली में पुलिस स्टेशन स्थापित किये जाने का प्रस्ताव पुलिस महानिरीक्षक, राजस्थान, जयपुर को भेजा है जो अभी विचाराधीन है ।

## बनीपार्क स्थित टूरिस्ट बंगले के प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध शिकायत

242. श्री गिरधारीलाल भार्गव ( किशनपोल, जयपुर ) : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बनीपार्क जयपुर में स्थित टूरिस्ट बंगले में कितने कमरे एवं कितने पलंग ( बैड ) है ? इसमें पर्यटन विभाग के कुल कितने कर्मचारी नियुक्त हैं ?

(2) क्या टूरिस्ट बंगले के प्रभारी अधिकारी के खिलाफ एक विदेशी पर्यटक ने लिखित में शिकायत की थी ? क्या उस विदेशी पर्यटक ने दिल्ली के एक अंग्रेजी दैनिक में भी राज्य सरकार के खिलाफ आरोप लगाया था ? यदि हां, तो वह प्रभारी अधिकारी कौन था ? उसके खिलाफ क्या आरोप लगाये गये एवं राज्य सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या यह सही है कि विभाग के टूरिस्ट बंगले पर्यटकों को नकार कर सरकारी अधिकारियों की सैरगाह बन गये हैं ?

(4) विभाग के तहत कितने टूरिस्ट बंगले हैं ? इनमें से कितनों में पर्यटकों के

( श्री गिरधारीलाल भार्गव )

लिये भोजन व्यवस्था ठेकेदारी प्रणाली पर होती है ? क्या राज्य सरकार इस व्यवस्था को बदलना चाहती है ?

उत्तर

(1) बनीपार्क, जयपुर में स्थित टूरिस्ट बंगले में 73 पलंग ( बेड्स ) हैं।

12 रेग्यूलर एवं 6 निश्चित वेतनधारी कर्मचारी नियुक्त हैं।

(2) जी हां,

जी हां,

श्री राधेश्याम पारीक थे।

'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'प्रकाशित पत्र के आधार पर निम्नलिखित आरोप लगाये गये थे :—

1. मैनेजर ने उनसे बात नहीं की। इस कारण पार्टी अपना नाम रजिस्टर में नहीं लिख पायी तथा उसका व्यवहार भी ठीक नहीं था।
2. भोजन की व्यवस्था उचित नहीं थी तथा खाना अच्छा भी नहीं था।
3. स्नान घर में पानी नहीं था।
4. महिलाओं को पुरुषों के साथ ही एक ही डारमेटरी में ठहराया गया।

मुख्य सचिव के आदेशों पर 11 नवम्बर, 1975 को उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा टूरिस्ट बंगले का आकस्मिक निरीक्षण किया गया तथा आदेशानुसार टूरिस्ट बंगले की कार्य प्रणाली में सुधार किये गये।

(3) जी नहीं।

(4) विभाग के तहत 11 टूरिस्ट बंगले हैं। इनमें से 7 में भोजन व्यवस्था ठेकेदारी प्रणाली पर होती है।

जी नहीं।

## जालौर में ग्रेनाइट का भण्डार

245. श्री गोपाल सिंह (आहोर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जालौर शहर के पास स्थित पहाड़ में ग्रेनाइट का बहुत बड़ा भण्डार है ?

(2) क्या यह सही है कि ग्रेनाइट कटिंग व पोलिशिंग प्लान्ट जालौर की जगह जोधपुर में लगाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त व्यवसाय को प्राइवेट सेक्टर में दिये जाने के बारे में राज्य सरकार विचार कर रही है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) अभी तक स्थान के बारे में कोई निश्चित निर्णय नहीं लिया गया है। इस

(उद्योग मन्त्री)

का चयन परियोजनाओं के लिए आर्थिक लाभों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है क्योंकि जोधपुर राज्य उन छः पिछड़े जिलों में से एक है, जहां केन्द्र सरकार द्वारा मशीनों व भवन निर्माणों पर लगाई पूंजी पर 15 प्रतिशत अनुदान राशि प्राप्त होगी।

(3) जी नहीं।

## स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) सर्व श्री परसराम मदेरणा, रामचन्द्र, नूरा, शंकरलाल व नरेन्द्र पालसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से गत वर्ष सितम्बर की रात को भीलवाड़ा में इन्टक के श्रमिक नेता श्री परमानन्द त्रिपाठी पर किये गये कातिलाना हमले के सम्बन्ध में।

(2) सर्व श्री रामेश्वरलाल चौधरी, राम रघुनाथ व श्योपतसिंह मकासर, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय में कुछ छात्रों व कर्यकर्त्ताओं के बीच में हुए हमलों, मारपीट आदि की घटनाओं के कारण राजस्थान विश्वविद्यालय को अनिश्चित काल के लिए बन्द कर के के विषय में।

(3) श्री मूलचन्द डागा सदस्य विधान सभा की ओर से गत 17 सितम्बर, को सूती मिल मजदूरों व राज्य सरकार के बीच वार्त्ता असफल हो जाने के कारण मिल मजदूरों द्वारा अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर प्रारम्भ की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा। मैं राज्य सरकार से यह भी निवेदन करूंगा कि वह इस विषयक जानकारी शीघ्र से शीघ्र भेजने की व्यवस्था करें।

## स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो घटना है, वह महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रकार का वातावरण बन गया है। इसकी कोई जानकारी प्राप्त करने की जरूरत भी नहीं है सारे फैक्ट्स शिक्षा मन्त्री के सामने है। रोज डोल विथ करते हैं। इस समस्या का समाधान जल्दी से होना जरूरी हैं ऐसी स्थिति न रहे कि सारा वातावरण बिगड़ जाए।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में शिक्षा मन्त्री का ध्यान मैं पहले भी आकर्षित कर चुका हूं। मेहरबानी करके शिक्षा मन्त्री जी, शिक्षा के पवित्र मन्दिरों को राजनीति के अखाड़े मत बनाइये।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो भाषण दे रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने पहले ही ध्यान आकर्षित किया था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का अखाड़ा लगने के कारण यह हो रहा है।

(व्यवधान)

**श्री रतनलाल वर्मा :** कांग्रेस के जमाने में अखाड़े थे। जनता पार्टी के जमाने में अखाड़े नहीं रहे हैं।

**श्री मथुरादास माथुर** (डीडवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न यूनिवर्सिटी से सम्बन्ध रखता है। बाजारों में लड़के हड़ताल करवा रहे हैं। यह महत्व का विषय है। इस विषय में राज्य सरकार के मन्त्री महोदय को सदन में एक स्टेटमेंट देना चाहिये। अखबारों में भी आ रहा है। सरकार को स्टेटमेंट देने में क्या परेशानी है ? क्यों नहीं स्टेटमेंट देते हैं। गृह मन्त्री स्टेटमेंट दें, क्योंकि यह लॉ एण्ड ऑर्डर का प्रश्न है। एजूकेशन मिनिस्टर स्टेटमेंट दें, क्योंकि यूनिवर्सिटी बन्द हो जाने के कारण हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इस महत्व के प्रश्न को टाल देना उचित नहीं है। इसका जवाब देना है, यह तो मिनिस्टर महोदय को एन्टीसिपेट करके चलना चाहिये। यह सवाल यहां पर पूछा गया है। मुख्य मन्त्री जी जब पहले इस प्रकार के प्रश्न सदन में उठाते थे तो हम भी तैयारी कर के आते थे। उन्हें इस पर स्टेटमेंट देना चाहिये।

**श्री मूलचन्द डागा :** शिक्षा मन्त्री भी यहां पर मौजूद हैं........

(व्यवधान)

**श्री हरिशचन्द्र शर्मा :** इसमें कांग्रेस के लोगों का हाथ है।

(व्यवधान)

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है.......

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष :** आप विराजिये !

**श्री मथुरादास माथुर :** वहां पर आर. एस. एस. के लोग मारपीट कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में यह सब कुछ हो रहा है।

(व्यवधान)

**श्री टीकमचन्द कान्त :** यह सारी गुण्डागर्दी कांग्रेस के लोगों ने फैलाई है।

(व्यवधान)

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** उपाध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर समस्या है, सारा जनजीवन शहर का ठप्प है। टैक्सटाइल मिल्स की हड़ताल है और समस्या को आप आर्डिनरी समझ रहे हैं।

(व्यवधान)

**श्री हरिशचन्द्र शर्मा :** यह सारा गलत है ....

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष :** आप शान्ति रखें !

(व्यवधान)

**माननीय सदस्य :** कृपया विराजिये एक बार।

(व्यवधान)

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** उपाध्यक्ष महोदय इतना इम्पोर्टेन्ट मैटर है इस पर वह नहीं बोलना चाहते हैं तो कैसे वह अपना रोल अदा करेंगे ?

**श्री उपाध्यक्ष :** विराजिये !

**श्री नवनीत पालीवाल :** उपाध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दीजिये। अव्यवस्था हो रही है।

(व्यवधान)

# Page No 36

(36)



**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय विश्नोईजी, आप विराजिये। अगर इस तरह से होता रहा तो मैं यही कहूँगा कि स्थिति बड़ी खेदजनक है।

**श्री शंकरलाल** : उपाध्यक्ष महोदय, जब आपके सामने दोनों तरफ से चर्चा उठाई जा रही है, तो चर्चा होनी चाहिए ताकि मालूम हो कि वह क्या कहना चाहते हैं, और हम क्या कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

**श्री सम्पतराम (कृषि मंत्री)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो विश्वविद्यालय के बन्द होने सम्बन्धी भावनाएं व्यक्त की हैं, वास्तव में यह चिन्ता का विषय है। इसी प्रकार के मामले को कोई भी सरकार लम्बे अर्से तक नहीं टाल सकती। बिना बयान दिये इस पर कोई चर्चा होने की गुंजाइश नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी राज्य सरकार की तरफ से स्टेटमेंट देंगे।

**श्री मूलचन्द डागा** : ठीक है, That is what we want.

## शासकीय वक्तव्य

## राजस्थान विश्वविद्यालय को अनिश्चित काल के लिए बन्द करने से उत्पन्न स्थिति

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : (शिक्षा मंत्री) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय ग्रीष्म अवकाश के पश्चात् 1-8-77 को खुला। छात्रों के प्रवेश तथा अन्य समस्याओं के निराकरण के लिये विश्वविद्यालय प्रशासन ने उदार नीति अपनाई और राज्य सरकार के सहयोग से छात्रों की प्रवेश, छात्रावास तथा अन्य समस्याओं के समाधान में अत्यन्त सहानुभूति की नीति को क्रियान्वित किया गया। किन्तु दुर्भाग्यवश गत कुछ दिनों से विभिन्न विचारधारा के छात्र समुदायों में छात्रसंघ के चुनाव आदि सम्बन्धित गतिविधियों को लेकर पारस्परिक मतभेद व मुकाबले की स्थिति पैदा हुई। विश्वविद्यालय प्रशासन निरन्तर समन्वय, सामंजस्य एवं संतुलन की नीति पर चलता रहा। संघटक महाविद्यालयों में अनुशासनहीनता की कुछ घटनाएं घटित होने लगीं उन्हें भी व्यापक शान्ति के प्रयोजन से विश्वविद्यालय प्रशासन निपटाने का प्रयत्न करता रहा। छात्र समुदायों के आपसी तनाव एवं प्रतिस्पर्धा क्रमशः उग्र रूप धारण करती रही और उसकी चरम सीमा दिनांक 17-9-77 को छात्रों की आपसी मुठभेड़ में व्यक्त हुई जिसके कारण कई छात्र घायल हो गये। छात्रों के परस्पर विरोधी समुदायों ने कुलपति के निवास स्थान पर कोलाहल और आतंक का वातावरण पैदा किया। यहां तक कि कुलपति के साथ अभद्र और अशोभनीय व्यवहार किया गया। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय प्रांगण में वाणी और व्यवहार में अनेक उद्दण्डताओं की स्थितियां सामने आईं। इस हालत में पुलिस की सहायता बिना स्थिति पर काबू पाना संभव नहीं था।

इस असह्य अवस्था और हिंसा और आतंक के वातावरण में विश्वविद्यालय का कार्य संचालन संभव न हो सकने के कारण विश्वविद्यालय को अनिश्चित काल के लिए बन्द करना पड़ा जिससे कि तनाव पूर्ण स्थिति समाप्त हो सके और पुनः शान्ति और व्यवस्था की स्थापना हो सके

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

कुलपति ने विश्वविद्यालय, कालेजों के प्राचार्यों, कुलानुशासक, छात्र कल्याण परामर्शदाता, वार्डन्स इत्यादि सभी उपलब्ध शिक्षकों एवं अधिकारियों से परामर्श किया। निर्णय लेने से पूर्व कुलपति महोदय ने सचिव, चांसलर, शिक्षा आयुक्त मुख्य सचिव, गृह मन्त्री व उनके सचिव आदि सरकारी अधिकारियों को भी वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया था। मुख्य मन्त्री तथा शिक्षा मंत्री उक्त दिन अर्थात् 17-9-77 को जयपुर में नहीं थे। अंतिम निर्णय लेने से पूर्व कुलपति ने चांसलर महोदय से जोकि दिल्ली में थे, अनुमति प्राप्त कर ली थी।

रविवार दिनांक 18-9-77 को छात्र समुदाय पुनः कुलपति के निवास स्थान पर प्रातःकाल से ही प्रदर्शन, नारे, भाषण आदि करते रहे और अन्त में सायंकाल 4 बजे से बड़े समुदाय में वहीं पर मीटिंग आदि कर धरना देकर बैठ गये। यह धरना रात्रि भर चलता रहा और 19-9-77 के प्रातः तक चालू है। धरना निवास के बरामदे में दिया जा रहा है जिससे कुलपति का समस्त परिवार क्षुब्ध तथा आतंकित है और निवास से सामान्य रूप से बाहर आना जाना बन्द किया हुआ है छात्र 18-9-77 के सायंकाल से विश्वविद्यालय को तुरन्त खोलने की मांग कर रहे हैं। कुलपति ने छात्रों को सम्बोधित कर यह स्पष्ट रूप से कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम सांस्कृतिक, सामाजिक, खेलकूद, व्यायाम तथा धार्मिक सम्मेलन आदि बिना अधिकारियों के स्पष्ट आदेश के आयोजित नहीं किये जा सकेंगे। इसकी अवहेलना करने पर उचित कार्यवाही की जावेगी।

विश्वविद्यालय तुरन्त खोलने के बारे में भी कुलपति ने कहा कि इस बारे में विचार विमर्श कर तथा चांसलर साहब से बात व स्थिति का अवलोकन कर शीघ्रातिशीघ्र खोलने का निर्णय लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में परामर्श कर लिया गया है और सोम और मंगल का अवकाश है, दो दिन बाद निश्चित रूप से विश्वविद्यालय खुल जायगा।

**श्री मूलचन्द डागा** : पहले तो स्टेटमेंट में यह दिया कि हिंसात्मक वातावरण हो रहा है।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं उन्हीं सदस्यों से निवेदन करूंगा जिन्होंने प्रस्ताव पेश किया है।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मन्त्रीजी ने जो बात कही है उसमें कुछ मुद्दे पैदा होते हैं। यह बहुत अच्छी बात है कि दो दिन के बाद विश्वविद्यालय खुल जायगा। मगर सवाल यह है हमको यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि फलां ग्रुप ने यह किया और दूसरे ग्रुप ने यह किया, इस तरह की धारणा नहीं बनायी जानी चाहिए। सवाल यह है कि 17-9-77 को झगड़ा हुआ, वह किस बात को लेकर हुआ, क्यों हुआ ? दुबारा इस तरह का प्रश्न पैदा न हो विश्वविद्यालय के प्रांगण मे, इसके लिये क्या कर रहे हैं? यह भी सवाल है कि इमर्जेंसी के दौरान बहुत से ऐसे ग्रुप बने हुए थे जिनका इमर्जेन्सी के पक्ष में बहुत बड़ा समर्थन था। वह ग्रुप विश्वविद्यालय में बैठे हुए हैं और इस तरह का वातावरण पैदा कर रहे हैं। हम यह नहीं चाहते हैं

( श्री श्योपतसिंह मकासर )

कि विश्वविद्यालय में इस तरह का वातावरण पैदा हो। इसलिए एक तो यह बात कि झगड़ा किस बात को लेकर हुआ और दुबारा इस तरह प्रश्न पैदा न हो इसके लिये क्या कर रहे है ?

तीसरी बात शिक्षा मन्त्री महोदय, और गृह मन्त्री महोदय को विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ बैठ कर, आपस में बातचीत के जरिये इस सम्बन्ध में तय करना चाहिए ताकि भविष्य के लिए इसका हल निकाला जाय। खुल कर इस विषय में विचार विमर्श किया जाय। इससे हमारा मतलब यह नहीं कि विचार प्रकट करने की मुमानियत है, कोई भी विद्यार्थी, कोई भी प्रोफेसर किस विचार का है, वह विचार प्रकट करे इस पर सजा नहीं होनी चाहिए। यह ठीक है वह अपने विचार प्रकट कर सकता है। मगर साथ ही दोनों पक्षों को बुलाकर वापस दुबारा इस तरह की घटना न हो इस बारे में एमिकेबली कोई हल निकालना चाहिए। यह मामला एमिकेबली सैटल करना चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष :** डागा जी, आपका तो प्रस्ताव में नाम नहीं है।

**श्री मूलचन्द डागा :** मैंने शुरू में ही अपना नाम दिया हुआ है।

**श्री मथुरादास माथुर :** उपाध्यक्ष महोदय, सदन में मैंने चिन्ता प्रकट की थी कि ऐसी स्थिति यूनिवर्सिटी में पैदा होने का वातावरण बन रहा था....

**श्री भंवरलाल शर्मा :** आप तो करा ही रहे थे।

**श्री मथुरादास माथुर :** मैंने महसूस किया था। मुख्यमन्त्री के सामने, आपके सामने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर और उसके बाद बजट पर बोलते समय यह मत व्यक्त किया था कि यूनिवर्सिटी में अनुशासनहीनता व तनाव का वातावरण बनाया जा रहा है, कारण यह था....

( व्यवधान )

उपाध्यक्ष जी, आप इन्हें रोक लीजिये। मैं नहीं कहता कि जनता पार्टी आर० एस० एस० की आइडोलोजी को बिलोंग करती है। अगर यह करता है तो गृहमंत्री इसका जवाब देंगे, मुख्यमन्त्री इसका जवाब देंगे। जो कोई आइडोलोजी आर० एस० एस० की हो, उससे बहुत से हम लोग इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले सहमत नहीं है, जो इस दल के जन्मदाता हैं वह भी इसमें तरमीम चाहते हैं। जितने भी जनता पार्टी के नेताओं के बयान निकले हैं वे उस आइडोलोजी में विश्वास नहीं करते।

**एक माननीय सदस्य :** केवल मधुलिमये।

**श्री मथुरादास माथुर :** और भी बहुत से हैं। ऐसी स्थिति में आइडोलोजी को लेकर यूनिवर्सिटी में शाखायें चलाई जायं, कुछ लोग जो इसमें विश्वास नहीं करते हैं, वो एतराज है और वे मिलकर उनको पीटने के लिए चले आयें और हिंसा हो। वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के पास में शिकायत लेकर जायें तो उनकी हिम्मत नहीं कि कह सकें कि हम इसे बन्द करेंगे। अगर उसी समय शाखायें बन्द करवा देते तो आज यह स्थिति पैदा

(श्री मथुरादास माथुर)

नहीं होती, झगडा नहीं होता, लोग पीटे नहीं जाते। वाइस चांसलर और जितने अधिकारी हैं वे भी घबराते हैं। वे सोचते है कि हमारे शिक्षा मन्त्री जो हैं वह जनता पार्टी के तो हैं लेकिन उसके अलावा जनता पार्टी में घटक है जनसंघ, उसका घटक है आर० एस० एस०, उसको वे बिलोंग करते है। मुख्य मन्त्री जी आर० एस० एस० घटक के नहीं हैं.....

( व्यवधान )

शिक्षा मन्त्री आर० एस० एस० के हैं। मैं यह भी नहीं कहता कि शिक्षा मन्त्री ने कोई आदेश दिया हो। मगर अधिकारियों का मनोविज्ञान इस तरह का रहता है। जो ऊपर के अधिकारी हैं, वे देखते हैं कि शिक्षा मन्त्री आर. एस. एस. का है। यदि आर. एस. एस. पर रोक लगा दो गई तो हम लोगों को नौकरियां खतरे में पड़ जायगी। कुलपति व दूसरे अधिकारी सब समझते हैं.......

( व्यवधान )

उनको खुश करने के लिए उन्होंने वहां पर कोई फैसला नहीं किया। लड़कों के आपस में झगड़े हुए, चोटें आई। उसके बाद में जब देखा तो न यहां शिक्षा मन्त्री थे न मुख्य मन्त्री। वह दिल्ली में अपने कामों में मशगूल थे। पता नहीं कामयाबी मिली या नहीं, मैं नहीं कह सकता लेकिन वह दिल्ली से लौट आए। कुलपति ने घबराहट के मारे विश्वविद्यालय को बन्द कर दिया। आप मानेंगे कि विश्वविद्यालय को बन्द करना कोई मामूली बात नहीं है। वह भी जब कि सेशन चालू है, चुनाव पहले भी हुए है और होते रहेंगे। चुनावों में झगड़ा नहीं हुआ। चुनाव तो हम भी लडकर आए हैं। यह झगड़ा तो इस लिए हुआ कि यूनिवर्सिटी ने आर. एस. एस. को कितना महत्व दिया। इस बात को लेकर झगड़ा हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में

श्री मथुरादास माथुर : मैं दो मिनट में खत्म करूंगा। दोषी कौन है ? यूनिवर्सिटी बन्द हो गई। लड़कों ने कहा, बन्द नहीं होनी चाहिए। कुलपति के बरामदे में धरना दिया है। पाच लडकों की जिद है कि शाखायें चलेंगी तो यूनिवर्सिटी बन्द कर देंगे ? यूनिवर्सिटी बन्द हो गई और लडकों में जोश में आकर बाजार बन्द करवा दिया मैं एम. आई. रोड से आया हूं। वहां 90 प्रतिशत दुकानें 11-11.15 बजे बन्द थी आर. एस. एस. की शाखा यूनिवर्सिटी में चले, इस बात को लेकर यूनिवर्सिटी बन्द हो, बाजार बन्द हो, हिंसा हो, क्या इस तरह से आपको राज चलाना है ? मुख्य मन्त्री जी, आप सोच लें, आपको ज्यादा परेशानी होगी क्योंकि आप उस घटक के नहीं हैं जो आर. एस. एस की आइडोलोजी को सपोर्ट करता है आप उस आइडोलोजी में विश्वास नहीं करते। मुख्य मन्त्री ने लोगों से कहा है कि यह नहीं होना चाहिए जो मेरी विचारधारा है वही गृह मन्त्री की है। तो हम गृह मन्त्री को सरकार माने या मुख्य मन्त्री की सरकार माने या शिक्षा मंत्री को सरकार माने ? यहां तो तीन-तीन अलग-अलग विचारधारा के लोग हैं। कुलपति ने घबराकर यूनिवर्सिटी बन्द कर दी। एक्शन होना चाहिए, यूनिवर्सिटी तुरन्त खोलनी चाहिए, बाजार में हिंसा की भावना बनी हुई है, उसको रोकना

(श्री मथुरादास माथुर)

चाहिये। आपने बयान दिया है कि आगे आर. एस. एस. की शाखा नहीं होनी चाहिए। भले ही लाइब्रेरी में जाय, अपने विचार रखें जिन्दगी सुधारें।

श्री मूलचन्द डागा : प्रांगण में शाखा लगा रहे थे, कोई हमला नहीं किया।

श्री मथुरा दास माथुर : हमला शाखा वालों ने किया।

श्री टीकमचन्द कांत : हमला यूथ कांग्रेस वालों ने किया।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, 17-9-77 को जब यह छात्रों के समुदाय के बीच झगड़ा हुआ उससे पूर्व एक समुदाय के छात्र जब बराबर आर. एस. एस. की शाखा यूनिवर्सिटी के कैम्पस में लगाने का विरोध कर रहे थे उन्होंने वाइस चांसलर और अन्य आथोरिटीज को अपोज किया दो तीन बार। उनकी बात को यूनिवर्सिटी ने नहीं सुना, क्या यह सही है ?

श्री माणकचन्द सुराणा : आपको जितना अपनी बात सदन में रखने का अधिकार है उतना ही मुझे भी है...

श्री मथुरादास माथुर : शिक्षा मंत्री से हमने पूछा है आप क्यों बात कर रहे हैं ?

श्री माणकचन्द सुराणा : मुझे भी कहने का अधिकार है, सुनिये। उसके बाद में बोलिए।

श्री परसराम मदेरणा : आपसे नहीं कहा है।

श्री माणकचन्द सुराणा : विश्वविद्यालय बन्द होने की चिन्ता जितनी विरोधी पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों को है, उससे भी अधिक हम लोगों को है। कल मैंने 6 घण्टे 3 बजे से लेकर 11.30 बजे तक विश्वविद्यालय खोलने की समस्याओं को सुलझाने में लगाए। मैंने छात्रों से भी बातें की हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आर. एस. एस. पर अटेक करने की जो मनोवृत्ति है, इसको मैं भूतपूर्व समाजवादी दल के सदस्य होने के बावजूद निन्दा करता हूं। प्रश्न यह नहीं है, मुझे दुःख है कि लाडनू से आने वाले माननीय सदस्य कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य हैं ........

श्री मथुरादास माथुर : लाडनू से नहीं।

श्री माणकचन्द सुराणा : डीडवाना से उन्होंने कहा मुख्यमंत्री कुछ सोचते हैं, शिक्षा मंत्री कुछ सोचते हैं गृह मंत्री कुछ सोचते है। तीनों मंत्री चाहे अलग-अलग सोचते भी हों लेकिन जनता सरकार एक तरह से सोचती है। उसकी जानकारी होने के बावजूद शिक्षा मंत्री ने तीन दिन पूर्व आदेश दे दिया है कि विश्वविद्यालय के प्रांगण में विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत कार्यवाहियों के अलावा कोई गतिविधि नहीं होगी। रजिस्ट्रार के दस्तखत से यह आदेश परसों ही जारी कर दिया गया है, इतनी तो आपको भी जानकारी है, अखबारों में छप चुका है। उस आदेश से सब बिलकुल कवर्ड हैं न तो शाखा लग सकती है न समाजवादी युवक संघ की मीटिंग हो सकती है न हो मार्क्सवाद से सिम्पेथी रखने वाले विद्यार्थियों की कोई गतिविधि हो सकती है, चाहे वह गतिविधि कितनी ही कानूनी हो भजन कीर्तन करना व नमाज पढ़ना अच्छा है लेकिन विश्वविद्यालय के प्रांगण

(श्री माणकचन्द सुराणा)

मे बिना कुलपति की अनुमति के कुछ नहीं हो सकता। शाखा भी नहीं लग सकती, ये आदेश रजिस्ट्रार साहब ने प्रसारित कर दिए हैं। अब इसके बाद में क्या परिस्थितियां हुई ?

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रीजी ने अपने भाषण में नहीं बताया जो कि सुराणाजी ने कहा है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वर्माजी, आप विराजिये।

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, इन परिस्थितियों में, जैसा कि पहले बताया गया, वाइस चान्सलर महोदय को विश्वविद्यालय बन्द करने की आवश्यकता मुझे प्रतीत नहीं होती। एक थोड़े से लड़कों के विरोध करने पर विश्वविद्यालय को बन्द कर देना उचित नहीं है। मेरे ख्याल से जिन परिस्थितियों में यूनिवर्सिटी को बन्द किया गया था उसमें वाइस चान्सलर महोदय का यह कदम एक भारी भूल है। इस प्रकार शिक्षण संस्थाओं को बन्द किया जाना बिल्कुल गलत कदम है। इस सम्बन्ध में मैं खुल कर वाइस चान्सलर महोदय से मिला था। उनसे कहा था कि यह परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि जिसमें आप यूनिवर्सिटी बन्द करो। आपको तो तत्काल यूनिवर्सिटी और कालेजेज खोलने चाहिए। मैंने तो उन्हें कहा कि आप कल ही विश्वविद्यालय खोल दें। इस पर उन्होंने कल और परसों तक यूनिवर्सिटी खोलने में अपनी कुछ दिक्कतें बतायीं। उपाध्यक्ष महोदय, वह ऐसी नहीं थीं, फिर भी मैंने उन्हें कहा कि कल नहीं तो आप परसों विश्वविद्यालय को जरूर खुलवा दें। इसलिए मेरा शिक्षा मन्त्रीजी से यह निवेदन है कि आप तत्काल आदेश वाइस चान्सलर महोदय को दें कि कल तक यूनिवर्सिटी व कालेजेज जरूर खुल जाने चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं यह भी शिक्षा मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो कोड आफ कन्डक्ट बना हुआ है उसके अनुसार वाइस चान्सलर महोदय के यूनिवर्सिटी बन्द करने के आदेशों के बारे में जांच की जानी चाहिये। उनके खिलाफ में एक्शन लिया जाना चाहिये। उन्होंने विश्वविद्यालय को बन्द करके बच्चों की शिक्षाओं में तो नुकसान पहुंचाया ही है; उसके साथ-साथ उन्होंने इतना अप्रशासनिक कदम किस तरीके से किस दृष्टिकोण से उठाया, यह देखने की बात है। इस तरह से बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ करना बिलकुल उचित नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं ? इसमें छोटे-मोटे सभी मिलाकर 20–25 लड़कों का ही तो आपस में झगड़ा था कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी जिससे कि यूनिवर्सिटी को बन्द किया जाता कोई ऐसी गम्भीर परिस्थितियां नहीं थीं जिसके कारण यूनिवर्सिटी बन्द की जाती। इसलिये मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि राज्य सरकार से आज ही आदेश निकलने चाहिये कि यूनिवर्सिटी तत्काल ही खोली जानी चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो सुराणाजी ने स्टेटमेन्ट दिया है उसी को हम सरकारी स्टेटमेन्ट मानलें ? क्या उस स्टेटमेन्ट से सरकार को भी सन्तोष है ?

# Page No 42

(42)



**श्री माणकचन्द सुराणा :** मैंने तो मेरी बात कही है। राज्य सरकार की बात राज्य सरकार कहेगी।

**श्री बजरंगलाल शर्मा** (बनीपार्क जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय सदन में यूनिवर्सिटीज के बारे में संशोधन बिल पास किया गया था उस समय मैंने बहस के दौरान यह कहा कि शिक्षण संस्थाओं के बारे में संशोधन इतनी तेजी से करना उचित नहीं है। हम इतनी तेजी से पूरी तरह से इस बिल पर विचार नहीं कर सकेंगे। पर, उपाध्यक्ष महोदय, उस समय इतनी तेजी से बिल पास कर दिया गया। आज वहां पर जो वाइस चान्सलर हैं वह ओफिशियेटिंग हैं। वहां पर कोई सिण्डीकेट नाम की चीज नहीं है। आज स्थिति ऐसी है कि यूनिवर्सिटी बन्द हो गयी है और इसके असर से बाजार बन्द हो गये हैं। शिक्षण संस्थायें बन्द होने से कोई पढ़ाई नहीं हो रही है और झगड़े हो रहे हैं। सिण्डीकेट है नहीं और जिस प्रकार प्रेसीडेंट रूल में गवर्नर काम करता है उसी तरह से वहां पर वाइस चान्सलर काम कर रहा है। मेरी मान्यता यह है कि वहां पर अभी प्रेसीडेन्ट रूल कायम है। इस तरह से जो गैर जिम्मेदाराना काम वाइस चान्सलर कर रहा है उसके लिये सदन के सभी सदस्य चिन्तित हैं, छात्र चिन्तित हैं। आज स्थिति ऐसी है कि सदन में हम उस पर पूरी तरह से विचार नहीं कर सकते है। मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिये। इस प्रकार एक छोटे से झगड़े से शिक्षण संस्थाओं का अनिश्चित काल तक बन्द हो जाना उचित नहीं है। वहां पर आर० एस० एस० वाले शाखायें लगाते हैं या दूसरी एसोशियेशन वाले अपने कार्यक्रम करते हैं उनके सम्बन्ध में इधर बैठने वाले या उधर बैठने वाले अपने-अपने पक्ष की बात करते हैं। इस तरह का वातावरण कोई भी उचित नहीं कह सकता है। मेरा निवेदन यह है कि तुरन्त शिक्षण संस्थायें खुल जानी चाहिये जिससे कि बच्चों की पढ़ाई खराब न हो। इसके लिये राज्य सरकार को सक्षम कदम उठाने की आवश्यकता है। नहीं तो स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि कुलपति अपनी मनमानी कर रहा है। सिण्डीकेट है नहीं। यूनिवर्सिटी बन्द हो गयी है, बाजार बन्द हो रहे हैं और लड़के ट्रकों में भर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हें रोका जाना चाहिये। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि जिससे यह शिक्षण संस्थायें वापस शुरू हो जाएं जो राजनैतिक पार्टी पालिटिक्स वहां पर चल रही है उसे समाप्त किया जाना चाहिये और शिक्षण संस्थाओं को शिक्षा का केन्द्र होने तक ही सीमित रखना चाहिये। इसके लिये मेरा निवेदन है कि आप कृपा करके इन सारी बातों की तरफ सोचें ताकि सभी काम ठीक तरह चल सकें।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष :** इस पर काफी विचार किया जा चुका है।

(व्यवधान)

**श्री रामकिशन दास गुप्ता :** सिर्फ दो मिनट, उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक दो बात ही निवेदन करना चाहता हूं। काफी देर से आपको निवेदन कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने स्टेटमेन्ट दिया, उसमें कुछ तथ्य

Page No 43

(43)



(श्री रघुनाथ विश्नोई)

पेश किये हैं। उस स्टेटमेन्ट के लिये तो मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। पर जो तथ्य पेश किये गये हैं उनसे मालूम होता है कि लड़कों में मारपीट हुई और वहां पर वाइस चान्सलर की स्थिति ऐसी हो गयी है कि वह बाहर तक नहीं निकल सकते। ऐसी स्थिति में उन्होंने यूनिवर्सिटी को बन्द कर दिया, यह कहा जा रहा है कि ऐसी सिचुएशन नहीं थी जिससे कि यूनिवर्सिटी को बन्द किया जाता। उसके बन्द कर देने से आज बाजार में हड़ताल हो रही है, लड़कों में भारी असन्तोष है, वह पढ़ना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी को बन्द करने का कोई औचित्य ही नहीं है। यह जो वाइस चान्सलर महोदय ने निर्णय लिया है वह बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है। इस निर्णय से, मैं समझता हूं, बच्चों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जनता के सामने भारी दिक्कतें आ रही है क्योंकि सारा बाजार बन्द है। यह सभी वाइस चान्सलर को गैर जिम्मेदाराना तरीके से यूनिवर्सिटी बन्द करने के आदेश के कारण हुआ है। इसके लिये राज्य सरकार को चाहिये कि वाइस चान्सलर के खिलाफ कार्यवाही करे। सिण्डीकेट को बनाने के लिये तुरन्त इलेक्शन होना चाहिये। वहां पर डेमाक्रेटिक तरीके से काम होना चाहिये। हमारी मन्शा यह है कि किसी प्रकार की पार्टी पोलीटिक्स शिक्षण संस्थाओं के केन्द्र में नहीं होनी चाहिये। तुरन्त यूनिवर्सिटी को खोल कर पढ़ाई शुरू की जानी चाहिये। सारी व्यवस्था ठीक तरह से चालू हो इसकी कार्यवाही तुरन्त की जानी चाहिये।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री शंकरलाल !

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई बात रिपीट करना नहीं चाहता लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी कोई विशेष एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिस्थितियां नहीं थी जिससे कि यूनिवर्सिटी बन्द की जाती। आज स्थिति ऐसी है कि बाजार बन्द है, जनता परेशान है, कोई चीज मिलती नहीं है।

**श्री नवनीत पालीवाल :** बाजार बन्द नहीं है, मैं अभी दवा लेकर आया हूं, अभी 12 बजे।

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** मेरा मन्त्री जी से निवेदन है कि आप चाहे चिन्तित हों पर सिर्फ चिन्ता करने से कुछ नहीं होता। आप तो इसके लिए तुरन्त कार्यवाही करें और यूनिवर्सिटी को तुरन्त खोलने के आदेश देवें जिससे कि बच्चों की पढ़ाई में हर्जाना नहीं हो और जो बाजार वगैरह बन्द हो गये हैं वह खुल जायें जिससे कि जनता को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े।

**श्री शंकरलाल :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा लम्बा भाषण नहीं देना चाहता हूं। मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी कोई विशेष परिस्थितियां नहीं थीं जिसके कारण यूनिवर्सिटी बन्द होती और शिक्षा मन्त्री जी को मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो 'दैनिक नवज्योति' में समाचार आया है कि वार्ता के दौरान छात्र प्रतिनिधियों को यह भी कहा गया कि वे विश्वविद्यालय में आर. एस. एस. विरोधी वातावरण नहीं बनायें। यदि आप लोगों ने ऐसा किया तो मन्त्री गण तुम्हारी पीठ थपथपायेंगे। उधर सुभाष गुलाटी एवं अभीजीत का आमरण अनशन का दूसरा दिन है। तो इन सारी परिस्थितियों में आप क्या कर रहे हैं ?

श्री रामकिशन दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट ही निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आज यूनिवर्सिटी में तालाबन्दी हो रही है, इसके पीछे कांग्रेस वालों का हाथ है जिनको कि जनता ने ठुकरा दिया है। आम स्थिति यह है कि लोग आर. एस. एस. की खिलाफत कर रहे हैं जब कि सभी को मालूम है कि आर. एस, एस. के जवान ऐसे हैं जिन्होंने इन्दिरा सरकार की तानाशाही से लोहा आपातकालीन स्थिति के दौरान लिया था और आज भी वह लोग मुकाबला करने को तैयार हैं। मैं स्पष्ट रूप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने आर. एस. एस. को बदनाम किया तो आर. एस. एस. वाले अवश्यमेव उसका प्रतिकार लेंगे।

अगर राष्ट्रीय स्वयम् सेवक संघ नामक संस्था की वहां पर शाखा चले, जहां बच्चे बैठते हैं, उठते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, रहते हैं, वहां मिल कर यदि वे खेल खेलते हैं तो उनमें हमें क्यों एतराज है? उसके लिए क्यों इस प्रकार का हल्ला किया जाए? जो केम्पस में रहेंगे, स्टडी करेंगे वे अपनी एक्टीविटीज जरूर जारी रखेंगे। हमें तो यह देखना है कि वहां पर ऐसी कोई कार्यवाही न हो जिससे कि कानून का उल्लंघन हो, कानून का पालन न हो। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वामपन्थी लोग हैं जो अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, उनके द्वारा जो हरकतें हो रही है, उनके लिए उन लोगों की एक्टीविटीज, जो वहां खेलने की चालू रखते आये हैं, बन्द की गई तो उनके सामने घुटने टेकने जैसी बात होगी। राष्ट्रीय स्वयम् सेवक संघ ने इन्दिरा के सामने घुटने नहीं टेके, वे कभी इस सरकार के आगे भी घुटने नहीं टेकेंगे।

श्री शंकरलाल : विशिष्ट भाषण हो रहा है, शिक्षा मन्त्री जी।

श्री रामकिशन दास गुप्ता : देश में आजादी आयी है। हरएक व्यक्ति को काम करने और अपने विचार रखने का अधिकार है। कोई भी संस्था हो, हमारी जनता पार्टी अपने प्राइम मिनिस्टर के बेटे के लिए जुलूस निकालने के लिए तैयार नहीं है जैसा आपने किया इन्दिरा गांधी के बेटे संजय को खुश करने के लिए। कांग्रेस की सरकार थी वहां पर एक एम. पी. मिश्रा साहब एडल्ट एजूकेशन के नाम पर अपना कार्य कर रहे थे। वह किसने किया? आप लोगों ने किया? क्या आप इन्कार करेंगे? संजय गांधी को याद करें। राजस्थान के कांग्रेस

(व्यवधान)

के लोगों की, कांग्रेस पार्टी की मक्कारी है, फरेबी है, जो इन छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। हम उनको गुमराह नहीं होने देंगे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के छात्र इसका डट कर विरोध करेंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री शीशराम ओला : On a point of order, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जाइये, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री शीशराम ओला : On a point of order, Sir.

श्री रामकिशन दास गुप्ता : मैं चाहूंगा सरकार से···

श्री शीशराम ओला : On a point of order, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री रामकिशन दास गुप्ता : हम इसका विरोध करेंगे, यदि सरकार ने इस प्रकार का कदम उठाया।

श्री शीशराम ओला : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकारी पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य इस प्रकार वहां पर भाषण दे रहे हैं, हम भी उनकी तरह से ही यहां पर सदस्य चुन कर आये हैं। उनको इस प्रकार से किसी पर कोई लांछन लगाने का अधिकार नहीं है।

रामकिशन दास गुप्ता : मैंने कहा है कांग्रेस में मक्कार, फरेबी लोगों के कारण...

( व्यवधान )

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस प्रकार के शब्द बोलेंगे तो यह शोभा की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, सदन के नेता खड़े हुये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का बड़ा दुःख है कि किन्हीं कारणों से विश्वविद्यालय बन्द हुआ। मुझे इस बात की खुशी है कि कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य इस विश्वविद्यालय में लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं के हामी बन गये हैं।

विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में अभी माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने वक्तव्य दिया वे शायद यह कहना भूल गये कि वक्तव्य सरकार का नहीं था। जिन कारणों से विश्वविद्यालय बन्द किया, जो एक ज्ञापन दिया, उन्होंने उसको सदन में पढ़ कर सुना दिया।

एक माननीय सदस्य : इसका मतलब यह हुआ कि यह गवर्नमेन्ट का स्टेटमेन्ट नहीं था।

श्री मूलचन्द डागा : Was it not a Government Statement ? क्या यह गवर्नमेन्ट का वक्तव्य नहीं था ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और उन्होंने जो आगे बात कही वह सरकार का वक्तव्य है। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय ने जिन कारणों से विश्वविद्यालय बन्द किया सरकार को जो सूचना दी गयी वह सदन के सामने रख दी गयी। सरकार की क्या प्रतिक्रिया है वह भी माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने बता दी, इसमें भ्रम नहीं रहना चाहिए। स्वयं शिक्षा मन्त्री जी ने वक्तव्य पढ़ते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के कुलपति शिक्षा मन्त्री या मुख्य मन्त्री से नहीं मिलें। उनका स्वयं का वक्तव्य होता तो इन शब्दों में नहीं होता।

विश्वविद्यालय में तनाव की स्थिति किस प्रकार पैदा हुई और किस प्रकार समाप्त होनी चाहिये; मैं उस प्रश्न पर जाना नहीं चाहता कि आर. एस. एस. की शाखा लगती थी और किस प्रकार झगड़ा हुआ है। विश्वविद्यालय में इस प्रकार की शाखा नहीं रहेगी, विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने आदेश दे दिये हैं। यह प्रश्न यहां समाप्त हो जाता है। इसकी भूमिका में यह बात

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

भी कहूं कि जब से चतुर्वेदी जी शिक्षा मन्त्री बने हैं उस समय से यहां आर. एस. एस. की शाखा नहीं लगी है किन्तु यहां आर. एस. एस. की शाखा 1973 में लगती थी जिसको स्वयं मैं देखने गया। जनता पार्टी या जनसंघ के राज्य में नहीं किन्तु कांग्रेस के राज्य में यह लगती थी। किन कारणों से शाखा को लेकर विवाद हुआ है मैं उसमें नहीं जाना चाहता। शाखा लगना बन्द करा दिया तो इस तथ्य को सामने रख कर विचार करना चाहिए।

विद्यार्थी आन्दोलन कर रहे हैं, माननीय माथुर साहब बैठे हुए हैं, उनको कहना चाहूंगा कि यह आन्दोलन उनका इस बात को लेकर है कि मेडिकल कालेज में सीटें बढ़ाओ। यह सीटें बढ़ायी जाये या नहीं बढ़ायी जाये? कांग्रेस सरकार ने सीटों को कम किया, हमने नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने कमी की और भुगतना हमें पड़ रहा है।

दूसरा सवाल उठाया उन्होंने रिजर्वेशन का। इस प्रश्न को लेकर भूख हड़ताल हो रही है रिजर्वेशन के प्रश्न को लेकर हड़ताल हो रही है। सीटें रिजर्व्ड हैं शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये उनका पर्सेन्टेज अच्छा नहीं होने के कारण सलेक्शन हो नहीं पाता। मेडिकल कौंसिल ने इस प्रकार की व्यवस्था की कि 5 पर्सेन्ट अंकों की उनको रियायत दी जा सकती है। रियायत देने के बाद भी कुछ छात्र आते नहीं। मैंने स्वास्थ्य मन्त्री जी से इस सम्बन्ध में बात की थी। उन्होंने बताया कि मेडिकल कालेज के कार्य में परिवर्तन करना न करना इस सम्बन्ध में मेडिकल कौंसिल ही विचार कर सकती है। सारी स्थिति को देखने के बाद मेडिकल कौंसिल को रिपोर्ट करेंगे और वह निर्णय करेगी।

मैं माननीय सदस्यों को जानकारी के लिये निवेदन कर दूं कि वाइस चान्सलर अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं। वाइस चान्सलर का पद जल्दी से जल्दी भरा जाय, इसके लिये सरकार भी उतनी ही चिन्तित है। जो व्यवस्थायें हैं उनमें परिवर्तन हो इसका भी प्रयत्न करेंगे। सिन्डीकेट का जल्दी से जल्दी गठन हो और डेमोक्रेटाइजेशन जल्दी से जल्दी हो इसके लिये भी हम चिन्तित हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम चिन्तित नहीं हैं। जल्दी ही इस सारी स्थिति से हम निपटना चाहते हैं।

इस सदन के जरिये से मैं कांग्रेसी बन्धुओं से निवेदन करना चाहूंगा कि आज वे हमें शिक्षा देने की बात करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि डेमोक्रेटाइजेशन की जो व्यवस्था थी उसको किसने समाप्त किया? किसने खत्म किया? विद्यार्थियों के साथ किसने पाप किया? हमने नहीं, कांग्रेस ने पाप किया। उस घुटन के वातावरण से विद्यार्थी बाहर निकल कर आये। यह स्वाभाविक था कि स्वतन्त्र वातावरण में उन्हें अपने विचार रखने का हक मिला। राजस्थान का विद्यार्थी समाज गलत तत्वों के साथ में जाने वाला नहीं है और न ही वह कोई गलत कार्यवाही करने वाला है जिससे सब पर असर पड़े। मुझे इस बात का पक्का विश्वास है। विद्यार्थियों में हमारा विश्वास है। विद्यार्थी समाज कोई भी अशोभनीय घटनायें नहीं करेंगे, यह मैं आशा लेकर चलता हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें राजनीति लाकर वर्ग संघर्ष को

( श्री भैरोंसिंह शेखावत )

स्थिति पैदा कर ऐसी हालत पैदा न करें जिससे आप और हमें दोनों को चिन्तित होना पड़े और विश्वविद्यालय का वातावरण विषाक्त बन जाय। आप जिस तरह से इस सारे झगड़े को मिटाने के लिए राय देंगे मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सब आपस में मिल कर इस समस्या का समाधान जिस प्रकार से हो सकता है उस प्रकार समाधान करने की चेष्टा करेंगे। इसमें न तो कांग्रेस पार्टी का सवाल है और न जनता पार्टी का सवाल है। अगर समस्या है तो सब के लिये समान हैं। इसका समाधान करने का विषय सब के लिए चिन्ता का विषय है। इस सारे मामले में मैं पूरे सदन से सहयोग चाहूंगा ताकि इस समस्या का हम आसानी से समाधान कर सकें। मैं आप को अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि इस सम्बन्ध में राजनैतिक दांवपेच नहीं खेलें। अगर खेलेंगे तो उसके निश्चित रूप से दुष्परिणाम निकलेंगे।

**श्री हरिदेव जोशी :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के इस आश्वासन का हृदय से स्वागत करता हूं किन्तु एक निवेदन और उनसे करना चाहता हूँ कि भूख हड़ताल पर गये हुए विद्यार्थियों के प्रश्न को वह प्राथमिकता दें। उन्होंने इस प्रश्न को नहीं छुआ।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उनका एक प्रतिनिधि मण्डल ज्यों ही मैं दिल्ली से आया मुझ से मिलकर गया है। मेरी उनसे पूरी बातचीत हुई है। 3 बजे हम फिर मिलने वाले हैं। इस बातचीत में आप में से कोई शामिल होना चाहें तो उसके लिए मैं आप को आमंत्रित करता हूं।

**श्री हरिदेव जोशी :** मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको राजनीति से बिलकुल अलग रखा जाना चाहिए। विद्यार्थी सही रास्ते पर हैं या गलत रास्ते पर, इस विवाद में मैं जाना नहीं चाहता हूं लेकिन वह हमारे बच्चे हैं। हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। वह विद्यार्थी जो भूख हड़ताल पर हैं उनकी ऐसी स्थिति नहीं है कि उनकी उपेक्षा की जा सके। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर विश्वविद्यालय देरी से खुले तो खुले लेकिन इन विद्यार्थियों की भूख हड़ताल तुरन्त खुल जाये इसके लिए आप देख लें।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** मैं निश्चित रूप से चिन्तित हूं और प्रयत्न कर रहा हूं कि जो विद्यार्थी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं वह अपनी भूख हड़ताल तोड़ दें। उनसे मेरी 3 बजे बातचीत होगी। मैं माथुर साहब, श्री परसराम जी और जोशी जी को उसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं।

**श्री परसराम मदेरणा :** माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो हमें आमंत्रित किया है निश्चित तौर पर किसी के बातचीत में हम उनके साथ सहयोग ही नहीं करेंगे बल्कि उसमें शरीक भी होंगे और हल निकालने में पूरी मदद करेंगे। यूनीवर्सिटी में जो कुछ हुआ, कांग्रेस पार्टी ने राजनीति से प्रेरित होकर किसी को नहीं उकसाया। यह बात मुख्य मंत्री जी के और गृह मंत्री जी के ध्यान में होगी कि हमने न तो हड़ताल करवाई और न

( श्री परसराम मदेरणा )

अभी भी जो घटना हुई उसमें कांग्रेस पार्टी ने किसी भी विद्यार्थी समुदाय को उकसाने या लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार किया और न उनको राजनीति में इन्वाल्व किया है।

## स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक काम रोको प्रस्ताव था कि 17 और 18 सितम्बर की दरमियानी रात के 1 बजे इंटक के नेता श्री परमानन्द जी त्रिपाठी के ऊपर कातिलाना हमला किया गया। उस हमले में 17 तारीख को 4 बजे इस प्रकार की कोशिश की थी कि जो प्रबन्धकों ने ताला बन्दी की है उस तालाबन्दी को किस प्रकार से समाप्त किया जाये........

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि मैंने इस सम्बन्ध में जानकारी मांगी है। अगर गृह मन्त्री जी के पास कोई जानकारी है तो जरूर इस पर चर्चा हो सकती है।

**श्री परसराम मदेरणा** : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही अहम मसला है क्योंकि पहले सदन में चर्चा हुई थी कि हड़ताल तालाबन्दी और दूसरे मामलों को लेकर हुई है। लेकिन अब जो कातिलाना हमला किया गया और दूसरे मकान में से जहां उनको इस बात की आशंका थी कि उनके साथ मारपीट की जायेगी, उनको घसीट कर बाहर लाया गया और अमानवीय तरीके से खींचते-खींचते गेट तक ले गए........

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि चर्चा इस पर तभी चालू होगी जब कि उनके पास जानकारी हो।

**श्री परसराम मदेरणा** : एक घण्टे तक मार पिटाई के बाद बेहोश हो गए और महात्मा गांधी हास्पिटल में भर्ती हैं। जो कातिलाना हमला हुआ है उससे वहां जन-जीवन में बहुत बड़ा भय व्याप्त हो गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह 17 तारीख की रात की बात है और दो दिन का समय निकल गया है। यह निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण घटना है। उनके पास तथ्यों की जानकारी होगी। मैं चाहूंगा कि आज ही वह उस सम्बन्ध में वक्तव्य दें।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं गृह मन्त्री जी से जरूर चाहूंगा कि अगर उनको जानकारी है तो वह दे दें। बाकी मैं उनको कम्पेल नहीं कर सकता।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैंने भी आपको लिख कर दिया है स्थगन प्रस्ताव। मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं लेकिन यह जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि गृह मन्त्री जी आज ही अगर सदन के सम्मुख आज की कार्यवाही समाप्त होने से पहले पहले इस संबंध में वक्तव्य दे दें तो अच्छी परम्परा होगी। इसको ज्यादा डिले नहीं किया जाय।

**श्री शंकरलाल** : उपाध्यक्ष महोदय; यह बिलकुल ठीक बात है कि आज ही वक्तव्य देना चाहिए। गृह मन्त्रीजी को पता है और पहले भी कहा था और........

( व्यवधान )

**श्री उपाध्यक्ष :** आप इस विषय पर पहले बहुत कह चुके हैं और गृह मंत्री जी की जानकारी में है।

**श्री मूलचन्द डागा :** उपाध्यक्ष महोदय, कातिलाना हमला किया जाय, हिंसात्मक कदम उठाये जायें, उनको नहीं नहीं रोका जाये और सशक्त कदम राज्य सरकार के नहीं उठे तो यह वातावरण हिंसात्मक होगा। 25 हजार मजदूरों ने हड़ताल का नोटिस दे दिया है और वह मिल में काम नहीं कर रहे हैं........

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय डागा जी, आप इस सम्बन्ध में पहले चर्चा कर चुके हैं।

**श्री मूलचन्द डागा :** ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर स्टेटमेन्ट नहीं दें तो यह मन्त्री क्या काम करेंगे।

**श्री श्योपतसिंह मकासर :** इस सम्बन्ध में देरी हो तो यह अच्छा नहीं हैं। गृह मन्त्रीजी को कुछ कहने दें।

**श्री मूलचन्द डागा :** वह भीलवाड़ा जायें और देखें कि क्या हालत है।

**श्री केदारनाथ (श्रममंत्री) :** उपाध्यक्ष महोदय, टेक्सटाइल इन्डस्ट्री में जो हड़ताल थी वह रात समाप्त हो गयी है और समझौता हो गया है। भाई परमानन्दजी के बारे में जो विरोधी पार्टी के नेता महोदय ने कहा है मैंने कल और आज टेलीफोन पर जानकारी हासिल की है और रिपोर्ट मैंने मंगाई है। इस संबंध में रिपोर्ट आज ही आ गयी तो आज ही मैं वक्तव्य दे दूंगा और नहीं तो जब रिपोर्ट आ जायेगी तब दे दूंगा। भाई परमानन्दजी हास्पिटल में भर्ती हैं और उनकी स्थिति चिन्ताजनक नहीं है। मारपीट जरूर हुई है लेकिन कोई गम्भीर स्थिति नहीं है। जिन लोगों ने मारपीट में हिस्सा लिया उन 15 व्यक्तियों को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया है।

**श्री श्योपतसिंह मकासर :** कितने लोग पीटने में थे ? सवाल यह है। परमानन्दजी की हालत गम्भीर है या नहीं, सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि कल को देवानन्दजी की पिटाई हो जायगी। अगर इस तरह की घटनायें हुईं तो फिर आगे यह स्थिति ज्यादा गम्भीर होगी। सवाल उसको रोकने से संबंधित है। जो घटना हुई है वह कितनी गम्भीर है, सवाल यह है। हालत परमानन्दजी की कितनी गम्भीर है, यह सवाल नहीं है। राजस्थान में कोई भी घटना आज सरकार के इशारे के ऊपर या सरकार का सहारा लेकर हो या सरकार के नाम से इस तरह की अव्यवस्था फैलायें तो वह जनता पार्टी की सरकार के लिए सोचने का विषय है। यह न तो मार्क्सवादी पार्टी के कार्यकर्ता है और कांग्रेस पार्टी के हैं। यह सारी की सारी ट्रबल क्रियेट हो रही है इसके पीछे क्या मकसद है, यह सवाल है।

**श्री केदारनाथ :** मैंने केवल जानकारी दी है ताकि हाउस को सन्तोष हो जाये। जिन लोगों ने वारदात की है उनको फौरन गिरफ्तार किया गया है।

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना मैंने भी दी थी।

**श्री उपाध्यक्ष :** मुझे हर स्थगन प्रस्ताव के बारे में जानकारी नहीं है। आप चैम्बर में मिल लें।

**श्री मूलचंद डागा** : एक स्थगन प्रस्ताव मैंने तारीख 13 को 2½ लाख कर्मचारी हड़ताल करने जा रहे हैं, इस संबंध में दिया था। कैलाश मेघवाल का स्टेटमेंट था कि अधिकारी असहयोग की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : एक स्थगन प्रस्ताव मेरा भी था।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं इस संबंध में कुछ कहना चाहूंगा। इन स्थगन प्रस्तावों को चर्चा का विषय बना रहे हैं। मैंने राज्य सरकार से कुछ जानकारी चाही थी, कुछ जानकारी आ गई है। आप इस संबंध में चेम्बर में मिल लें, आपको संतुष्ट कर दूंगा। और भी कोई शंका होगी या संशय होगा तो उसका भी समाधान हो जायगा।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : मैंने 15 तारीख को दिया था।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप चेम्बर में मुझसे मिल लें।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : पहले रेफर तो करेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप कृपया मुझ से मिल लें।

( व्यवधान )

**श्री शंकरलाल** : 13 तारीख को जो मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था।

**श्री रामकरण सिंह ( कोटपूतली )** : मैंने आधे घंटे की चर्चा के लिये एक नोटिस दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। जो सरपंच था उसने लाखों रुपयों का घोटाला किया है; इस पर चर्चा नहीं हो सकी।

**श्री उपाध्यक्ष** : इसके बारे में मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूं।

## स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था

**कुछ और प्रस्तावों के बारे में निवेदन** करना चाहता हूं।

सर्वश्री रघुनाथ विश्नोई, सूरजपालसिंह, माधोसिंह, रामनारायण; अब्दुल अजीज, मांगीलाल; अब्दुल हादी, सुमित्रा सिंह, रिद्धमलसिंह, मथुरादास माथुर, वृद्धिचन्द्र जैन, सुखलाल सेंगचा, रामसिंह विश्नोई, प्रद्युम्नसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से पिछले 3 माह में सामान्य एवं आवश्यक वस्तुओं के भावों में अत्यधिक बढ़ोत्तरी होने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई स्थिति के विषय में स्थगन प्रस्ताव आये हैं।

यह एक महत्वपूर्ण विषय है। इस पर सदन में चर्चा करने के लिये शीघ्र ही कोई तिथि निश्चित करने के प्रश्न पर मैं विचार कर रहा हूं।

## स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

**श्री मूलचन्द डागा** : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया 13 तारीख को सारे 2½ लाख कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के बारे में। न रो सकते हैं न रोने का तरीका है उनके पास।

( व्यवधान )

**श्री कौशल किशोर जैन** : एक व्यवस्था का प्रश्न है। 12 तारीख को भीलवाड़ा की मिल की हड़ताल के बारे में ध्यान

(श्री कौशल किशोर जैन)

आकर्षण प्रस्ताव रखा था। माननीय गृह मंत्री महोदय ने सदन को विश्वास दिलाया था कि 48 घंटे के अन्दर भीलवाड़ा की मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की तालाबन्दी समाप्त हो जायेगी। मैं निवेदन करूंगा 48 घंटे बीत चुके हैं। गृह मंत्री आश्वस्त करें, उसके बारे में क्या किया गया। यह बात सत्य है कि 17 तारीख को रात्रि को जो कुछ हुआ, अशोभनीय है। 17 तारीख को प्रातःकाल मिल चालू करने के लिये....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता।

श्री कौशल किशोर जैन : जिस प्रकार संचालकों ने इन्टक से मिलकर....

(व्यवधान)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो प्रश्न यहां पर टाल दिया है उसके बारे में यहां पर कोई सदस्य बातचीत करें, प्रश्न उठायें वह बिल्कुल अनुचित है। माननीय नेता महोदय से भी निवेदन करूंगा, ऐसे आदमी को रोका जाये जो हमारी पार्टी का होकर भी इस तरह से बात करे।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। कोई भी सरकार की रिपोर्ट, कार्यवाही अंग्रेजी में नहीं होगी यह बात पहले भी उठाई थी। जो इलेक्शन डिपार्टमेंट की किताब आज हम को मिली है वह पूरी की पूरी अंग्रेजी में मिली है। यहां पर 80 प्रतिशत गांवों से लोग आये हैं। आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि समस्त कार्यवाही हिन्दी में होनी चाहिये। विधान सभा में कोई कार्यवाही अंग्रेजी में नहीं होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा।

श्री शंकरलाल : जो स्थगन प्रस्ताव आये, उसके बारे में आपने व्यवस्था दी। मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव था। आपने स्वीकार किया है कि वह स्थगन प्रस्ताव मैंने 15 तारीख को दिया है। आज पूरे देश में कांग्रेस महंगाई विरोधी दिवस मना रही है। आज ही क्यों न उसके ऊपर चर्चा उठाई जाये? बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज ही चर्चा कर लें तो उत्तम होगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपकी भावनाओं से सहमत हूं। जल्दी से जल्दी टाप प्रायोरिटी देकर शीघ्र ही निश्चित करूंगा और आज ही इसके बारे में जानकारी करूंगा।

श्री रामकरणसिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में जो बेशर्मी, बेरहमी और लापरवाही इन तीनों का संगम होता जा रहा है। इन तीनों के संगम के संबंध में आपकी व्यवस्था चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, कृपा करके इसके बारे में तो आप व्यवस्था दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया बिराजिये।

श्री रामकरणसिंह : निश्चित रूप से से इन तीनों का संगम होता जा रहा है। या तो आप खण्डन कीजिये। अगर आप चाहते हैं तो मैं एक्सप्लेन करूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं देख रहा हूं कि यह व्यवस्था का प्रश्न है या नहीं।

श्री रामकरण सिंह : इसका मतलब है इसका निर्णय आप स्थगित रखते हैं?

**श्री उपाध्यक्ष :** मैं दे रहा हूं आप बिराजिये ।

**श्री रामरघुनाथ (डेगाना) :** महंगाई के सम्बन्ध में जो स्थगन प्रस्ताव देने वाले हैं उनके नामों में मेरा नाम इनक्लूड नहीं है ।

**श्री उपाध्यक्ष :** मैं इन्क्लूड कर रहा हूं। कोटपूतली के माननीय सदस्य के जो विचार हैं जहां तक विचारों का सम्बन्ध है कोई भी सदस्य उनके विचारों से असहमत नहीं होगा। माननीय सदस्यों से इस बात की अपेक्षा करूंगा कि सदन के कार्य संचालन में उचित संयम बरतें और जितना भी इस सदन की गरिमा को देखते हुए आवश्यक मानते हैं उतना सभी सदस्य सहयोग दें।

**श्री मूलचन्द डागा :** उपाध्यक्ष महोदय, तारीख 14 सितम्बर के रोज एक विशेषाधिकार का प्रश्न आपकी सेवा में रखा था। 13 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो भाषण दिया, उस भाषण में यह कहा था कि उधर बैठने वालों की नींद हराम होगी। यह भाषण दिया। उसके बारे में विशेषाधिकार प्रश्न आपको सेवा में पेश किया। उससे हमारे कन्डक्ट पर रिफ्लेक्शन है, यह स्पष्ट है, श्रीमन्। यह विशेषाधिकार हनन की सीमा में आता है।

**श्री उपाध्यक्ष :** मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा जो प्रस्ताव मूव किया है उसे मैंने वर्ड बाई वर्ड पढ़ा है। जब इस असेम्बली में आया तब ही जानकारी की। जो आपने उसमें लिख कर दिया है कि पेपर की कटिंग साथ में दे रहा हूं वह प्राप्त नहीं हुई है। आपने लिख कर जरूर दे रखा है कि कटिंग साथ में दे रहा हूं।

**श्री मूलचन्द डागा :** श्रीमान्, मैंने दे दी। सारे तथ्य मैंने आपको सेवा में पेश कर दिये हैं। चार दिन से बराबर प्रतीक्षा कर रहा हूं। जो रिफ्लेक्शन किया है और जो इशारा किया है....

**श्री उपाध्यक्ष :** आपको और इन्तजार नहीं करना पड़ेगा, आप बिराजिये।

**श्री मूलचन्द डागा :** मुझे बोलने का अवसर दे दीजिये।

**श्री उपाध्यक्ष :** मैं बोलने का अवसर भी आपको दूंगा, आप अभी बिराजिये।

**श्री मूलचन्द डागा :** श्रीमान्, मैंने सारे तथ्य आपकी सेवा में पेश कर दिये हैं।

**श्री रामकरण सिंह :** उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तारीख 7 को दिया था। उसको मुझे, उपाध्यक्ष महोदय, आसन ने यह सूचना दी थी इस हाउस में कि इसकी राज्य सरकार से जानकारी ली जा रही है। उसके बाद जब मैंने दुबारा व्यवस्था का प्रश्न उठाया 12 तारीख को, 13 तारीख को 14, तारीख को माननीय सचिव महोदय का जो पत्र मिला है उसमें लिखा है कि आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अस्वीकार किया जाता है। तो मैं यह चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से जानकारी मंगवायें किसी तरह की और हाउस में यह कह दें कि जानकारी की जा रही है। उसके बाद लिख दें कि अस्वीकार किया जाता है तो क्या उसके बाद यह अस्वीकार किया जा सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष : जहां तक आपके स्थगन प्रस्ताव का सम्बन्ध है, राज्य सरकार से जानकारी आ चुकी है। उसके बाद ही यह महसूस किया गया कि उस पर चर्चा किया जाना सम्भव नहीं है। इसकी जानकारी आपको दे दी गई है। इसके बाद और कोई जानकारी चाहेंगे तो आप चेम्बर में आ जाय और मुझ से बात कर लें सदन में इस प्रश्न को उठाने की इजाजत नहीं दे सकता।

श्री रामकरणसिंह : आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, हजारों पशु मर गये और आदमी मर रहे हैं, उसका भी आप महत्व नहीं समझ रहे हैं।

( व्यवधान )

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कोई बात उठाते तो मैं सोचता। कृपया आप इस बारे में....

श्री रामकरण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में बार बार प्रश्न उठाता रहा हूं। कोटपूतली में भयंकर वर्षा हुई है और हालत अत्यधिक खराब है। वहां हालत सुधारी जाय नहीं तो लोगों का जीना दुभर हो रहा है....

श्री उपाध्यक्ष : इस पर और चर्चा मत करिये।

(व्यवधान)

श्री रामकरण सिंह : जन-जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। कोटपूतली में इतनी वर्षा हुई है कि लोगों का सारा जीवन अस्त व्यस्त होरहा है और आप कहते हैं कि यह महत्व का मामला नहीं है। लोगों के लिये आने-जाने का कोई रास्ता नहीं है पशु काफी तादाद में मर रहे हैं। डाक्टर वहां जा नहीं सकता, किसी प्रकार की दवा पहुँच नहीं सकती। कोई आने-जाने का रा नहीं रहा है। ट्रैक्टर नहीं निकल सकता, लोग आ-जा नहीं सकते फिर भी आप कोई महत्व नहीं दें तो मैं समझता हूं इससे अधिक और महत्व का क्या प्रश्न होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं भी अपने विचार आपके सामने रख दूंगा। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रामकरणसिंह : वास्तव में, उपाध्यक्ष महोदय, आप माफ करें जो जनता को राहत देनी चाहिये, वह बिलकुल नहीं दी जा रही है रास्ते आने-जाने के बचे नहीं हैं. ट्रैक्टर चल नहीं सकते। पैदल चल नहीं सकते, ऐसी स्थिति वहां की हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

( व्यवधान )

श्री रतनलाल वर्मा : अभी बोलने के बाद में नहीं बोलने देंगे। सदन का समय खराब होता है।

( व्यवधान )

श्री रामकरणसिंह : सारी जगह पानी ही पानी भरा है और सारे रास्ते बन्द हैं।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। 'समय खराब मत करिये, यह जो शब्द अभी माननीय सदस्य ने कहे हैं ये शब्द कार्यवाही से निकाले जायं।

( व्यवधान )

( श्री शंकरलाल )

ये जो शब्द कहे हैं माननीय सदस्य के लिये 'कि सदन का समय खराब मत करिये' इन शब्दों को कार्यवाही से निकालिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत ( मुख्य मंत्री ) : कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य ने उल्लेख किया कि अधिक वर्षा के कारण वहां की जनता परेशान हो रही है, मेरी उनके प्रति सहानुभूति है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि किन-किन गांवों में इस प्रकार की स्थिति हो रही है, वे कृपया मुझसे मिल कर बता दें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि तुरन्त व्यवस्था करवा दूंगा।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, जो समय नष्ट करने के लिये माननीय सदस्य ने कहा है, इसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि ये शब्द पार्लियामेन्ट्री नहीं हैं। किसी माननीय सदस्य के लिये इस प्रकार कहना 'कि आप समय नष्ट कर रहे हैं' मैं समझता हूं उचित नहीं है। इन शब्दों को कार्यवाही से निकाला जाये।

एक माननीय सदस्य : यह अन-पार्लियामेन्ट्री कहां से आ गया ?

( व्यवधान )

श्री उपाध्यक्ष : मैं जवाब दे दूंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी अपना स्थगन प्रस्ताव चार दिन पहले दिया था....

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसकी व्यवस्था दीजिये। मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। माननीय सदस्य ने कहा कि सदन का समय नष्ट किया जा रहा है'।

श्री उपाध्यक्ष : समय खराब करने की बात जो माननीय सदस्य द्वारा कही गई है, यह तो मैं कितनी बार सुनता हूं और माननीय सदस्य कहते रहे हैं; बार-बार कहते हैं 'सदन का समय खराब किया जा रहा है'। बहुत से माननीय सदस्य कहते हैं। जब किसी प्रश्न पर चर्चा होती है और सप्लीमेन्ट्री प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप भी स्वयं फील करते हैं कि समय नष्ट किया जा रहा है। इसलिये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आज से चार रोज पहले मैंने दिया था। अलवर जिले में भारी वर्षा हुई है और साबी नदी में दुबारा बाढ़ आई है। सारे जिले में ऐसी अव्यवस्था फैली हुई है। सारे रास्ते बन्द हैं, चारों ओर पानी ही पानी से लोग घिरे हुए हैं। दवा कोई पहुँच नहीं सकती। बीज की कोई व्यवस्था नहीं है, खरीफ क्राप करीब-करीब नष्ट हो चुकी है, रबी की क्राप की कोई तैयारी नहीं है। गांवों में भयंकर बीमारी फैली हुई है। इन सारी स्थितियों को लेकर 25 तारीख को भूख हड़ताल का नोटिस दिया है और राजस्थान किसान सभा के महामंत्री है, वे भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। बड़ी गंभीर स्थिति है अलवर जिले की।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप विराजिये और मुझे भी सुन लीजिये। आप चेम्बर में आयें। बहुत से ऐसे स्थगन प्रस्ताव होते हैं जिनके बारे में आप मुझसे चेम्बर में बात कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। अभी कोई जानकारी इस विषय में है नहीं। आपको अवसर मिले तो आप कृपया मेरे

(श्री उपाध्यक्ष)

चेम्बर में आ जाइये और कोई जानकारी चाहिये तो प्राप्त कर लीजिये। आयन्दा ध्यान रखूंगा कि स्थगन प्रस्तावों की क्या स्टेज है। आप कृपया मुझसे मिल लें, मैं इस बारे में सूचना दे दूंगा।

## सदन की मेज पर रखे गये पत्र
## अधिसूचना

Next item of Agenda. माननीय उपनिवेशन मंत्री महोदय।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

**श्री केदारनाथ (उपनिवेशन मंत्री)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:—

1. अधिसूचना संख्या एफ 4 (32) राज/उप/76, दिनांक 11 मार्च, 1977 व
2. अधिसूचना संख्या प० 4 (3) राज/उप/77, दिनांक 9 मार्च, 1977।

## आपत्ति
## अधिसूचना सदन की मेज पर रखने में विलम्ब

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : अधिसूचनायें सदन का सत्र प्रारम्भ होते ही सदन की मेज पर रखनी चाहिये थीं, यह विधान सभा की परम्परा रही है। इस तरह से अधि-सूचनाएं रखने में डिले हुई है इसके लिए इनको सदन से क्षमा याचना करनी चाहिए।

**श्री परसराम मदेरणा** : उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी अधिसूचना को सदन की मेज पर प्रथम सत्र में रखा जाना चाहिए। पहला सत्र हुआ वह प्रोरोग भी हुआ, सानेडाई नहीं प्रारोग हुआ, तो ये अधि-सूचनायें उस पहले सत्र में ही रखी जानी चाहिए थीं। माननीय उपनिवेशन मंत्रीजी ने इसमें सतर्कता नहीं बरती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सदन में भी कई दफा इस प्रकार के आदेश आसन द्वारा दिए गए हैं कि पहले सत्र में जो भी अधिसूचनायें हों, वह सदन की मेज पर रखी जायं। रूल मैंकिग पावर गवर्नमेंट के पास है, रूल मैंकिग पावर के अन्तर्गत जिन सूचनाओं को सदन की मेज पर रखना है, उनको पहले ही सत्र में रखा जाना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था कई दफा दी जा चुकी है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य श्री मदेरणाजी ने जो विचार व्यक्त किए उनसे मैं भी सहमत हूं। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को कई बार ताड़ना भी दी गई है।

**एक माननीय सदस्य** : ताड़ना ही नहीं बल्कि प्रताड़ना कहिए....

**श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री)** : वह राज्य सरकार यह नहीं थी, पहले वाली थी। ताडना और प्रताड़ना उसी सरकार को मिलती रही है।

**श्री शंकरलाल** : पहले वाली सरकार की बात आप भूल नहीं सकते।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : पहले वे करते थे और अब आप करते हो। दोनों में फर्क क्या है ?

**श्री परसराम मदेरणा :** जब तत्कालीन सरकार ने अधिसूचनाएं सदन में रखने में देरी की तो मैंने उस वक्त की सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया था कि किसी भी डिपार्टमेंट की अधिसूचना हो, एक आफिसर को अलग से लगाकर सदन की मेज पर रख दूंगा। उसके बाद बराबर निश्चित तौर पर समय पर अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखी जाती रही थीं। यह विभाग भी मेरे पास में था, पिछले ढाई-तीन साल तक मेरे पास रहा था। कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट की एक भी अधिसूचना रखने में देरी नहीं हुई। पहले सत्र के प्रथम दिन या दूसरे दिन रख दी गई, कभी भी देरी नहीं हुई। लेकिन ये अधिसूचना, जो आज रखी जा रही हैं, पहले सत्र में नहीं रखी गई। इसमें कोई विशेष एतराज की बात नहीं है लेकिन पहले सत्र में ही रखी जानी चाहिए थीं। पिछली सरकार ने बहुत से निर्णय लिये थे जिनको आपने रोक दिया। अगर आप यह समझते हैं कि यह अधिसूचना गलत है तो रूल मेकिंग पावर गवर्नमेंट को है उसके अनुसार आप कैंसिल कर दीजिये। अगर कैंसिल नहीं करते हैं तो अधिसूचना सदन की मेज पर रखना लाजमी है। अगर आप समझते हैं कि अधिसूचना ठीक नहीं है तो आप कैंसिल कर दीजिये। मेरा निवेदन है कि साँचौर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो एतराज उठाया है कि प्रथम सत्र में रखनी चाहिए थी और आज रखी जा रही हैं, उनका एतराज ठीक है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जो सूचनाएं सदन की मेज पर रखी जाती हैं, माननीय सदस्य का अधिकार है कि वह उस सम्बन्ध में एतराज करना चाहें तो पन्द्रह दिन के समय के अन्दर कर दें।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** इसमें किसी की आपत्ति नहीं है कि अधिसूचनायें तत्काल रखी जावें। माननीय सदस्य, जो अभी बोल रहे हैं वे स्वयं जानते हैं कि भूतपूर्व सरकार की किस प्रकार की परम्परा थी। उस परम्परा में कोई गलती हो गई तो उसके लिए हमें खुशी नहीं है। भविष्य में इस बात का ध्यान रखेंगे कि अधिसूचना बराबर समय पर सदन में प्रस्तुत कर दी जावें।

## अनुदानों की मांगें

**श्री उपाध्यक्ष :** अब अनुदानों की मांगों पर विचार विमर्श होगा और मतदान होगा। श्री ललितकिशोर जी चतुर्वेदी, मांग संख्या 26 चिकित्सा की मांग को विचार व पारण हेतु प्रस्तुत करेंगे। जिन सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव दिये हैं व जिनकी सूची पृथक् से प्रस्तुत की गई है. वे वाद-विवाद में भाग लेंगे। वाद-विवाद के पश्चात् चिकित्सा मन्त्री उत्तर देंगे। तत्पश्चात् मांग पर सदन से मतदान करवाया जायेगा।

**श्री शंकरलाल :** माननीय उपाध्यक्ष जी, महंगाई के विषय को पहले से लिया जाय। जो महंगाई से आज आम जनता बीमार है उसकी चिकित्सा करने की पहले आवश्यकता है। यह चिकित्सा की मांग तो बाद में ले लेंगे लेकिन पहले महंगाई की चिकित्सा के बारे में चर्चा कर ली जाय। महंगाई की समस्या आम जनता से सम्बन्धित है इसीलिए पहले इसको ले लिया जाय। बाद में इस मांग को ले लें तो माननीय चिकित्सा मंत्री जी को भी कोई एतराज नहीं होगा।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : उपाध्यक्ष महोदय, असल में आज....

**श्री परसराम मदेरणा** : उपाध्यक्षजी, कांग्रेस पार्टी के तीस माननीय सदस्यों ने एडजोर्नमेंट मोशन इस सम्बन्ध में दिए हैं। आसन की तरफ से यह व्यवस्था दे दी गई कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से स्टेटमेंट दिलवाया जायगा। मुख्य मंत्रीजो और सदन के नेता यहां पर बिराजमान हैं। मैं आपकी मार्फत उनसे निवेदन करूंगा कि आज उपभोक्ता वस्तुओं की जो कीमतें हैं वह आसमान को छू रही हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने देश भर में रेलियां निकाली हैं और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है....

**श्री उपाध्यक्ष** : इस प्रश्न के बारे में पहले निवेदन किया जा चुका है। इसकी अहमियत को मैं खुद महसूस करता हूं।

**श्री परसराम मदेरणा** : यह मामला मेहनतकश जनता के जीवन से सम्बन्ध रखता है। बहुत बड़ी संख्या में जनता इससे बेचैन है। यह बहुत लोक महत्व का प्रश्न है। इसलिए मैं आपकी मार्फत माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि खाद्य और आपूर्ति मंत्रीजी को कहें कि इस सम्बंध में स्टेटमेंट दें। डे टु डे चीजों के भाव; आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के भाव बढ़ रहे हैं, उनको इसकी पूरी जानकारी है। आज महंगाई विरोधी दिवस देश भर में मनाया जा रहा है, रेलियों का आज आयोजन किया गया है इसलिए आज ही चर्चा हो। यह बात नहीं है कि आज यह प्रश्न उठाया हो, बल्कि हमने पांच रोज पहले, चार रोज पहले ही एडजोर्नमेंट मोशन इसलिए दिये थे ताकि सरकार इस सम्बन्ध में तैयारी करके कोई न कोई वक्तव्य सदन में दे। मेरा निवेदन है कि आप आपूर्ति मन्त्रीजी से या मुख्य मंत्री से कहें कि आज ही इस सम्बन्ध में स्टेटमेंट सदन में दिया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : जहां तक....

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : उपाध्यक्ष महोदय, यह आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी महंगाई के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। वे स्वयं जानते हैं....

**श्री मूलचन्द डागा**: आश्चर्य काहे का है ?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : तीस वर्ष की गलत नीतियों के कारण ......

**श्री मूलचन्द डागा** : यह कोई उत्तर नहीं है, श्रीमान !

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : महंगाई बढ़ी है और उस महंगाई के विरोध में आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन का स्वागत है। जो प्रदर्शनकारी आज ज्ञापन दे रहे हैं वह ज्ञापन मैं लूंगा। महंगाई के सम्बन्ध में जिस समय बजट पर आम चर्चा हो रही थी, उस समय भी चर्चा हो चुकी है। इसके बावजूद आप लोग इस प्रश्न पर चर्चा करना चाहते हैं तो इसके लिए समय निश्चित करेंगे। आज ही चर्चा हो, यह नहीं होगा।

**श्री शंकरलाल** : जनता में भयंकर असंतोष है.......

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : तभी आपके सुझाव सुनेंगे, जब चर्चा होगी। उस समय हम भी आपके सुझाव सुनेंगे कि इस महंगाई को किस प्रकार रोका जाय। आपके

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कन्स्ट्रक्टिव सुझावों पर कार्यवाही करना संभव होगा तो वह कार्यवाही भी करेंगे। चर्चा किस समय हो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे मिल कर हम समय तय कर लेंगे।

श्री शंकरलाल : आज ही चर्चा हो, इसमें क्या आपत्ति है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष : इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। इसकी अहमियत स्वयं मुख्य मंत्रीजी महसूस करते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की कोई बैठक नहीं बुलाई गई, तो भी सदन के नेता को और मुझे बुला कर आप समय निर्धारित कर लें ताकि इस पर चर्चा की जा सके।

श्री शंकरलाल : नेता महोदय को इसमें क्या आपत्ति है कि आज चर्चा हो ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह तो मुख्य मन्त्री जी कह चुके हैं कि इस सम्बन्ध में बात कर लेंगे।

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : आज ही चर्चा हो जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आज नहीं हो सकेगी। बात कर लेंगे, आप बिराजिये। श्री ललित किशोर चतुर्वेदी !

## अनुदान की मांग

## मांग संख्या 26 चिकित्सा की प्रस्तुती

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा मन्त्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या 26 चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 36,90,39,000) रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

## मांग संख्या 26 पर कटौती प्रस्ताव

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल, जयपुर), श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

1. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की असफलता पर चर्चा के लिये)।

2. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छोटी डिस्पेन्सरियों के डाक्टरों का समय पर डिस्पेन्सरियों में उपलब्ध नहीं होने से जनता को होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

3. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई मान सिंह अस्पताल को जिला अस्पताल घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

4. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर की आबादी

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

के अनुपात में राजकीय अस्पताल के अभाव पर चर्चा के लिये )।

5. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( जयपुर शहर की आबादी के अनुपात एवं जनाने अस्पताल की दूरी को, देखते हुए और जनाने शफाखाने खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव :

6. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( डायरेक्टर मेडिकल एण्ड हेल्थ विभाग, हिन्द होटल वाले भवन पर खोलने के औचित्य पर चर्चा के लिये )।

7. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर नगर में जिला अस्पताल, और महिला जिला अस्पताल शीघ्र बनाये जाने पर चर्चा के लिये ) ।

श्रीमती उजला अरोड़ा :

8. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( जनाने अस्पताल में इमर्जेन्सी केसेज को देखने के लिये ई. सी. जी. एक्स-रे आदि जांच के उपकरण एवं इनके विशेषज्ञों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) :

9. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( चिकित्सा की सुविधायें ग्रामों में बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये )।

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली):

10. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( चिकित्सा विभाग बाढ़ के समय रोगियों की देखभाल करने में असफल रहा, इस पर चर्चा के लिये ) ।

11. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( चिकित्सा निदेशालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ) ।

12. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( चिकित्सा सहायता सामग्री और उपकरणों को डाक्टरों द्वारा पूरी तरह काम में नहीं लेते इस पर चर्चा के लिये ) ।

श्री रघुनाथ विश्नोई ( सांचोर ) :

13. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( सांचोर पंचायत समिति के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवस्था करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये ) ।

14. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( सांचोर के अनुसूचित जाति के गरीब टीकाकारों के साथ विभाग द्वारा घोर अन्याय करने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ) ।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

15. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचौर में 30 शय्या अस्पताल खोलने एवं सांचोर क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था करने में सरकार की घोर उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

16. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति सांचोर क्षेत्र में मलेरिया प्रकोप की रोकथाम करने एवं डूंगरी व मवातड़ा में एडपोस्ट खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

17. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चीतलकाना डिस्पेन्सरी में दवाइयों का इन्तजाम एवं डिस्पेन्सरी की इमारत की मरम्मत हेतु विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

18. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सांचोर के उपकेन्द्र डूंडवा एवं रणोदर में होने वाली गड़बड़ियों पर चर्चा के लिये)।

19. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पति पत्नी डाक्टरों के पोस्टिंग एक ही स्थान पर करने के सरकारी आदेशों की पालना न करने के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री मूलचन्द डागा (पाली):

20. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मेडिकल शिक्षा स्तर में हो रही गिरावट के कारणों पर चर्चा के लिये)।

21. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांवों में चल अस्पतालों की भारी कमी पर चर्चा के लिये)।

22. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अस्पतालों में दवाइयों का अभाव व डाक्टरों में सेवा की भावना के अभाव पर चर्चा के लिये)।

23. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आजकल बड़े बड़े डाक्टर जो मेडिकल कालेज में प्रोफेसर हैं व अन्य लोगों के द्वारा अपने क्लीनिक चलाते हैं और बीमार लोगों को लूटते हैं उन पर चर्चा के लिये)।

24. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई मानसिंह अस्पताल मे अधीक्षक पद पर अयोग्य व्यक्ति की नियुक्ति पर चर्चा के लिये)।

25. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आज भी चिकित्सा विभाग में पौने दो साल से कार्यवाहक निदेशक ही काम कर रहे हैं इस पर चर्चा के लिये)।

Page No 61

(61)



( श्री मूलचन्द डागा )

26. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( ट्यूटर के पी० एस० सी० में सलेक्ट हो जाने के बाद दो साल हो रह सकते हैं वहां गलत ढंग से समय समय पर और वृद्धि करने से डाक्टरों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये )।

27. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( जो डाक्टर, कम्पाउन्डर, नर्स आदि राज्य सरकार की सेवा में हैं, उन्हें प्राइवेट प्रेक्टिस करने से रोका जावे इस पर चर्चा के लिये )।

28. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( खाद्य पदार्थों में भारी मिलावट के कारण जनता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा है, को चर्चा के लिये )।

श्री रामरघुनाथ चौधरी ( डेगाना ) :

29. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( ग्रामीण क्षेत्रों में एलोपैथी डिस्पेन्सरी में उचित मात्रा में दवाइयां उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये )।

30. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( जिन चिकित्सालयों में दांतों के डाक्टर हैं उन्हें दांत बनाने का सामान उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये )।

31. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के संबध में चर्चा के लिये )।

32. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग मे से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( जिन चिकित्सालयों में दो डाक्टरों की पोस्ट है वहां एक पुरुष डाक्टर व एक महिला डाक्टर पदस्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये )।

33. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल सर्जीकल कैम्प्स लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये )।

34. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया के प्रकोप से पीड़ितों के इलाज में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये )।

35. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( मलेरिया उन्मूलन में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये )।

36. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( डेगाना में ड्रेनेज सिस्टम ठीक न होने से गन्दे पानी से होने वाली बीमारियों की रोकथाम विभाग द्वारा नहीं किये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये )।

( श्री राम रघुनाथ चौधरी )

37. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर किया जाय ( खाद्य सामग्री में मिलावट की रोकथाम में विभाग द्वारा बरती जाने वाली लापरवाही पर चर्चा के लिये ) ।

38. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नारू नियन्त्रण कार्यक्रम में विभाग द्वारा बरती जाने वाली शिथिलता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

श्री शंकरलाल (जैतारण):

39. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर मे उपभोक्ता भण्डार से दवाइयां खरीदना अनिवार्य न रखने की व्यवस्था हेतु चर्चा के लिये ) ।

40. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( चिकित्सालयों में मुफ्त दी जाने वाली दवाइयों की सूची अस्पताल के बाहर प्रदर्शित कराने की व्यवस्था हेतु चर्चा के लिए ) ।

41. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( गांव चाणोद, जिला पाली में डॉक्टर की व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये ) ।

42. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( मोबाइल सर्जीकल यूनिट्स की संख्या में वृद्धि हेतु चर्चा के लिये ) ।

43. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( जैतारण तहसील के गांव मोहराई में स्वीकृत सब-सेन्टर को स्थापित न करने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये ) ।

श्री अजीतसिंह (टोंक):

44. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( मलेरिया व छूत की बीमारियों की रोकथाम में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिए ) ।

45. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( घटिया व नकली दवाइयों की रोकथाम में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये ) ।

46. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( अस्पतालों में दवाइयों की अपर्याप्तता पर चर्चा के लिये ) ।

श्री कल्याण सिंह सांखला (अजमेर पूर्व):

47. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर शहर में ऐलोपेथिक डिस्पेंसरियों के आबादी के अनुपात में अभाव पर चर्चा के लिए) ।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी):

48. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सालयों में अपर्याप्त दवाइयों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

# Page No 63

(63)



**श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) :**

49. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा अस्पताल में डाक्टर व नर्सिंग स्टाफ की कमी व रोगियों को दिये जाने वाले भोजन के स्तर में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

50. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रायोगिक चिकित्सा केन्द्रों में पर्याप्त उपकरणों के नहीं होने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

51. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र में आबादी के अनुपात में एलोपैथिक चिकित्सालयों की कमी पर चर्चा के लिये)।

52. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय अस्पताल भीलवाड़ा के नर्स होस्टल में व्याप्त अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

53. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा तहसील में अस्पतालों की कमी के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये)।

**श्री अब्दुल अजीज (मकराना) :**

54. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मकराना क्षेत्र में बड़ा अस्पताल खोलने एवं उसमें सर्जन आदि की व्यवस्था हेतु चर्चा के लिये)।

55. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आबादी के अनुपात में मकराना में चिकित्सा व्यवस्था के अभाव पर चर्चा के लिये)।

56. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मकराना अस्पताल को बड़ा अस्पताल बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

**श्री माधोसिंह (रेवदर) :**

57. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेवदर के ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा के अभाव एवं अस्पताल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

**श्री शीशराम ओला (पिलानी) :**

58. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्र जिला झुन्झुनूं में चिकित्सा व्यवस्था करने में सरकार की घोर उपेक्षा बरतने पर चर्चा के लिये)।

59. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवस्था के बारे में सरकार की घोर उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) :

60. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जो वैद्य या डाक्टर गावों में अपने प्राइवेट औषधालय या चिकित्सा का काम प्रारम्भ करना चाहें उन्हें बिना ब्याज हल्की किश्तों पर ऋण दें पर बेकारी भत्ता नहीं दें, इस पर चर्चा के लिये)।

61. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हर पंचायत हैड क्वार्टर आयुर्वेद औषधालय हो और आयुर्वेदिक तथा एलोपेथिक दोनों एक स्थान पर न खोले जायं इस पर चर्चा के लिये)।

62. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा के लिये चिकित्सालयों में उपकरणों और दवाइयों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) :

63. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय सामान्य चिकित्सालय नसीराबाद को बी श्रेणी का अस्पताल क्रमोन्नत किए जाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री शिवनारायण (थानागाजी) :

64. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [ग्राम नागल, बानो एवं मुडावरा ग्राम (तहसील थानागाजी) में एड पोस्ट डिस्पेन्सरी खोले जाने बाबत चर्चा के लिये]।

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कामन):

65. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली के व्यापक प्रसार हेतु चर्चा के लिये)।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर):

66. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर में कालू गूजर की आपात स्थिति में अगस्त, 75 में पुलिस द्वारा की गई निर्मम पिटाई के कारण हुई मृत्यु सम्बन्धित अस्पताल के डाक्टरों द्वारा पुलिस के दबाव के कारण मृत्यु की वास्तविक जांच रिपोर्ट में की गई हेरा फेरी बाबत चर्चा के लिये)।

श्री समरथलाल (राजगढ़) :

67. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग मे से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत स० रैणी के रामपुरा में जामरोली, सकर, राजपुर में डिस्पेन्सरी खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

68. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नालोनी, परवेणी, अकेरी, भूडा, रामपुरा में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

69. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आयुर्वेद को राज्य की मुख्य चिकित्सा पद्धति घोषित किया जावे व वैद्यों का वेतन स्तर पशु चिकित्सक के समान स्तर तक तो कम से कम लाया जावे के विषय पर चर्चा के लिये)।

# Page No 65

(65)



**श्री हीरालाल आर्य (पीपलदा) :**

70. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा सुविधा गांवों में उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये)।

71. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मांगरोल तथा इन्द्रगढ़ में जच्चाखाना खोलने व मांगरोल में दो डाक्टरों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

**श्री ताराचन्द (रूपवास) :**

72. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर जिले की डिस्पेन्सरियों में दवाओं के अभाव पर चर्चा के लिये)।

73. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा चिकित्सालय में दवाओं के अभाव पर चर्चा के लिये)।

74. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आयुर्वेद विभाग की डिस्पेन्सरियों में पर्याप्त मात्रा में दवायें न होने पर चर्चा के लिए)।

75. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा विभाग के डॉक्टरों व नर्सों के स्थानान्तरण में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

**श्री नवनीत कुमार (नाथद्वारा) :**

76. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सालयों के अभाव के कारण होने वाले कष्टों पर चर्चा के लिये)।

77. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सालय खोलने की असन्तुलित नीति के कारण प्रभावित जन जीवन पर चर्चा के लिये)।

**श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :**

78. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर क्षेत्र में अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं के बारे में चर्चा के लिये)।

**श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) :**

79. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में दवाएं अधिक रखी जायं व उपकरणों की व्यवस्था की जाय इस पर चर्चा के लिए)।

80. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समस्त पंचायत क्षेत्रों के हैड क्वार्टरों पर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना हेतु चर्चा के लिये]।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा (मांडल) :**

81. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एडपोस्ट डिस्पेन्स-

( श्री रामप्रसाद लड्ढा)

रियों में हर जगह प्रथम श्रेणी मेल नर्स को ही रखा जाने बाबत चर्चा के लिये )।

82. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( भीलवाड़ा स्थित महात्मा गांधी आरोग्य सदन में आये दिन टिटनेस बीमारी उत्पन्न होने की जांच कराने बाबत चर्चा के लिये )।

83. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( आयुर्वेदिक औषधालय भवनों के निर्माण में जन-सहयोग व सरकारी अंशदान की स्पष्ट नीति निर्धारण के अभाव पर चर्चा के लिये )।

84. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय(आयुर्वेदिक औषधालयों में बजट के अनुसार दवाइयां समय पर नहीं मिलने सम्बन्धी चर्चा के लिये )।

85. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( बागौर जिला भीलवाड़ा में लेडी डॉक्टर की अविलम्ब नियुक्ति कराने बाबत चर्चा के लिये )।

86. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( आयुर्वेदिक औषधालयों में दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने बाबत चर्चा के लिये )।

89. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( चिकित्सालयों में ट रों व अन्य स्टाफ एवं व्यवस्थाएं जनसंख्या के आधार पर निर्धारित कराने बाबत चर्चा के लिये )।

88. मांग संख्या 26 मुख्य, शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( सभी डिस्पेन्सरियों में ए० एन० एम० के पद सृजित करने बाबत चर्चा के लिये )।

89. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( जहां नये औषधालय खोले गये हैं वहां सभी आवश्यक सामग्री व उपकरण शीघ्र उपलब्ध करवाने बाबत चर्चा के लिये )।

90. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( जिन क्षेत्रों में निजी भवनों में अस्पताल चल रहे हैं वहां प्राथमिकता के आधार पर भवन निर्माण करने में विभाग द्वारा कोई कदम नहीं उठाने पर चर्चा के लिये )।

91. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( राजकीय नक्शे के अनुसार भवन उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न असुविधा पर चर्चा के लिये )।

92. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( जिला स्तरीय औषधालयों में सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं व विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध करवाने सम्बन्धी चर्चा के लिये )।

93. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

# Page No 67

(67)



(श्री रामप्रसाद लड्ढा) :

कम कर दिया जाय (राजकीय औषधालयों में सेवारत चिकित्सकों के एक स्थान पर अधिकतम सेवाकाल व स्थानान्तरण सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

94. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (औषधालयों में निर्धन व्यक्तियों को दवाइयां मुफ्त प्रदान करने व पट्टियां, रूई आदि सामान्य सामग्री वर्ष भर उपलब्ध करवाने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) :

95. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (महात्मा गांधी एवं उम्मेद महिला अस्पताल में अव्यवस्था, दवाइयों एवं चिकित्सकों के अभाव में जनता को हो रहे कष्टों पर चर्चा के लिए)

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) :

96. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में विशेषज्ञों की व्यक्तिगत प्रेक्टिस को प्रोत्साहन देने एवं चिकित्सालयों में व्याप्त अव्यवस्था एवं अनुसंधान की आवश्यकता व दवाइयों का सरकार द्वारा उत्पादन कराने हेतु चर्चा के लिए)।

97. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा के वर्तमान ढांचे खतरनाक, अनुपलब्ध दवाइयों की अव्यवस्था, चिकित्सकों की अकर्मण्यता के कारण चिकित्सा क्षेत्र में नया परिवेश माह लाने हेतु चर्चा के लिए)।

श्री मनीराम (तारानगर) :

98. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्ति हेतु शहरी डाक्टर नहीं जाते तथा बड़े पैमाने पर चिकित्सालय खाली पड़े रहते हैं, पर चर्चा के लिए)।

श्री टीकमचन्द कान्त (जालोर) :

99. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालोर जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों की कमी एवं चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्था पर चर्चा के लिए)।

श्री जगदीश चन्द्र (रतनगढ़) :

100. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया, कम कर दिया जाय (ड्रग लाइसेन्स देने की प्रणाली एवं इसमें भ्रष्टाचार रोकने बाबत चर्चा के लिए)।

101. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (घटिया स्तर की औषधियों की रोकथाम बाबत चर्चा के लिए)।

102. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रतनगढ़ में चिकित्सा सुविधा के विस्तार के बाबत चर्चा के लिए)।

# Page No 68

(68)



( श्री जगदीश चन्द्र )

103. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( चिकित्सकों की स्थानान्तरण नीति के बाबत चर्चा के लिए ) ।

**श्री मेघराज (चूरू) :**

104. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की कमी बाबत चर्चा के लिए ) ।

105. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( जोड़ी ग्राम, तहसील चूरू में खोले गये प्राइमरी हैल्थ सब-सेन्टर में डॉक्टर को स्थान मुहैय्या कराने बाबत चर्चा के लिये ) ।

106. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( भरतीया अस्पताल चूरू में डॉक्टरों के खाली स्थानों की पूर्ति न किये जाने बाबत चर्चा के लिये ) ।

**श्री नवलराय बच्चाणी (अजमेर पश्चिम):**

107. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( आयुर्वेदिक दृष्टिकोण को दृष्टिगत रखते हुए बीमारियों की रोक-थाम हेतु छोटी-छोटी पुस्तकें प्रकाशित करा कर जन मानस को समझाने हेतु चर्चा के लिए ) ।

108. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( बाह्य क्षेत्रों में जहाँ जनसंख्या अच्छी है वहाँ आयुर्वेद के "अ" श्रेणी चिकित्सालय खोलने हेतु चर्चा के लिये ) ।

109. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आयुर्वेदिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिये पुरानी हस्तलिखित पुस्तकों का संग्रह करने एवं प्रकाशित कराने हेतु चर्चा के लिये) ।

110. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( आयुर्वेद के वैद्यों के स्तर उठाने के लिये प्राइवेट और राजकीय वैद्यों के लिये शिक्षण केन्द्रों के और खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ) ।

**श्री जीतमल जैन (अलवर) :**

111. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले के अस्पतालों में कमियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ) ।

**डा० गंगा सहाय ( कठूमर ) :**

112. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलेक्जेन्ड्रा हास्पिटल, अलवर में होने वाली अनियमितता तथा अव्यवस्था तथा जिले के अन्य अस्पतालों पर चर्चा के लिये ) ।

**श्रीमती नारंगी देवी ( किशनगंज ) :**

113. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( स्त्री चिकित्सा एवं बाल चिकित्सा का किशनगंज, शाहबाद क्षेत्र में अभाव पर चर्चा के लिये

( श्रीमती नारंगी देवी )

114. मांग संख्या 26; मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए Orthopedic Apparatus लगाने बाबत चर्चा के लिये )।

श्री रामेश्वर ( चौमू ) :

115. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चौमू क्षेत्र में चिकित्सा का अभाव एवं मलेरिया की रोकथाम का उचित प्रबन्ध नहीं है, के सम्बन्ध में चर्चा के लिये )।

116. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (औषधालय भवन एवं उसमें औषधियों की अपर्याप्तता पर चर्चा के लिये )।

श्री माधोसिंह कछवाहा (सरदारपुरा):

117. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( चिकित्सा सेवाओं में अव्यवस्था की रोकथाम एवं सुधार हेतु तुरन्त उचित कदम उठाने के हेतु चर्चा के लिये )।

श्री रामकिशोर मीणा ( सिकराय ) :

118. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( सिकराय क्षेत्र में डी० डी० टी० छिड़काव कार्य को अविलम्ब प्रारम्भ करने पर चर्चा के लिये )।

119. मांग संख्या 26; मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( सिकराय क्षेत्र में स्थित चिकित्सालयों में स्टाफ की अविलम्ब व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये )।

120. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( सिकराय क्षेत्र में नवीन चिकित्सालय खोलने बाबत पर चर्चा के लिये )।

श्री हरिशकुमार शर्मा (रामगंज मण्डी):

121. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( क्षेत्र में आयुर्वेदिक औषधालय एवं चिकित्सालय के अभाव पर चर्चा के लिये )।

122. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( क्षेत्र के रानपुर, आलोद, अरनाबाद में चिकित्सालय की कोई व्यवस्था नहीं है इस पर चर्चा के लिये )।

123. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( रामगंज मंडी में अस्पताल अत्यधिक छोटा, पूरे पलंग नहीं है तथा रानपुर, आलोद में चिकित्सालय नहीं, मंडाना, सुकेत, खेड़ामल्दा में डाक्टर नहीं, नर्सें नहीं इस पर चर्चा के लिये )।

श्री मंजूर अली ( सवाई माधोपुर ) :

124. मांग संख्या 26; मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम दुब्बी, जडावता, पढाना, एहीथा, बाडालास में कहीं भी किसी भी प्रकार कोई डिस्पेन्सरी नहीं होने बाबत चर्चा के लिये )।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया ( बनेड़ा ) :**

125. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( मेडीकल कालेजों में प्रोफेसरों की नियुक्तियों के बारे में चर्चा के लिये )।

126. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( छोटे गांवों के अस्पतालों में अव्यवस्था होने व स्टाफ नहीं होने पर चर्चा के लिये )।

127. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( गांवों के अस्पतालों में भवन निर्माण हेतु विभाग द्वारा व्यवस्था कराने के बारे में चर्चा के लिये )।

128. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( अस्पतालों में दवाइयों की व्यवस्था नहीं हैं व बजट को कमी पर चर्चा के लिये )।

**श्री बत्तीलाल ( टोडा भीम ) :**

129. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( चिकित्सालयों में दवाइयों की कमी पर चर्चा के लिये )।

**श्री माणकलाल ( नैनवा ) :**

130. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( चिकित्सालयों में डाक्टर एवं विशेष रूप से लेडी डाक्टरों की कमी व धन के अपव्यय पर चर्चा के लिये )।

**श्री नूरा ( मसूदा )**

131. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( राज्य सेवारत बड़े डाक्टरों की पत्नियों और रिश्तेदारों द्वारा चलाये जा रहे प्राइवेट अस्पतालों में उनके सहयोग करने के कारण सरकारी कार्य में व्यवधान के प्रश्न पर चर्चा के लिये )

132. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( गांवों के अस्पतालों में डाक्टरों और टेक्नीशियन्स के खाली स्थानों पर चर्चा के लिये )

**श्री चिरंजीलाल ( पुष्कर ) :**

133. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( ग्रामीण क्षेत्र से चिकित्सालयों में इलाज कराने आने वाले मरीजों के साथ जो व्यक्ति आते हैं उनके ठहरने की व भोजन की व्यवस्था विभाग द्वारा करने पर चर्चा के लिये )।

134. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( अजमेर मेडिकल कालेज में जुलाई 1977 में हाउस जॉब देने के बाद ताजा प्रार्थना-पत्र मांगा जाना और वेस्टेड लोगों के बच्चों को हाउस जॉब देने के गलत तरीके पर चर्चा के लिये )।

135. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( राजकीय सेवा में डाक्टरों के परिवार के लोगों के इलाज के लिये सरकारी खर्चों पर विदेशों से डाक्टरों को बुलाने पर चर्चा के लिये )।

( श्री चिरन्जी लाल )

136. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( मेडिकल कालेज से संबन्धित चिकित्सालयों में भर्ती हुए मरीजों से इलाज हेतु डाक्टरों द्वारा अनियमित रकम की मांग तथा उसके देने पर उसका उपचार होना, इस पर चर्चा के लिये )।

श्री राम किशनदास (कोलायत) :

137. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( मेडिकल कालेज व इससे संबन्धित चिकित्सालयों में स्टाफ की कमी व उपलब्ध योग्यताओं वाले स्टाफ का उचित उपयोग के अभाव पर चर्चा के लिये )।

138. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( कोलायत विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सालयों का अभाव व उक्त क्षेत्र की विभाग द्वारा उपेक्षा करने पर चर्चा के लिये )।

सुश्री पुष्पा जैन ( आमेर ) :

139. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( आमेर क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है व अस्पतालों में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये )।

श्री भवरलाल ( हिण्डोन ) :

140. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवाइयां एवं पट्टियां तक जनता को उपलब्ध कराने में असमर्थ रही है इस पर चर्चा के लिये )।

141. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में विभाग द्वारा स्टाफ की कमी की पूर्ति नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये )।

142. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( प्रत्येक सब सेन्टर पर प्रथम या द्वितीय ग्रेड के मेल नर्स पदस्थापित करने में विभाग की लापरवाही पर चर्चा के लिये )।

143. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( हिण्डोन अस्पताल में 50 बैड मन्जूर होते हुए भी वहां उपलब्ध कराने में विभाग की लापरवाही पर चर्चा के लिये )।

144. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का पी० एम० टी० में 30 प्रतिशत से बढ़ा कर 45 प्रतिशत नम्बर किये जाने में विभाग की धांधली पर चर्चा के लिये )।

श्री सुरेशकुमार (भरतपुर):

145. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर जिले में चिकित्सा सम्बन्धी कठिनाइयां, सहायता सामग्री एवं उपकरणों की कमी के विषय में चर्चा के लिये)।

श्री भैरवलाल कालाबादल (खानपुर) :

146. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

Page No 72

(72)



(श्री भैरवलाल कालाबादल)

कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में जहां डिस्पेन्सरियां हैं वहां दवा नहीं, जहां दवा है वहां डाक्टर नहीं, दोनों है तो कम्पाउण्डर नहीं, इन समस्याओं के समाधान में सरकार की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

147. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा शाहपुरा चिकित्सालय का निर्माण कराने में ध्यान नहीं देने से चिकित्सा सुविधा के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) :

148. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक औषधालयों की कमी पर चर्चा के लिये)।

149. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई मानसिंह व जनाना अस्पताल, जयपुर में व्याप्त घोर अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

150. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मातृ शिशु प्रसूति गृहों के झुन्झुनू जिले में अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी) :

151. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी राजकीय अस्पताल में डाक्टर की कमी पर चर्चा के लिये)।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क जयपुर) :

152. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा क्षेत्र में व्यवस्था नहीं है इस पर चर्चा के लिये)

153. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत पक्षपात व भ्रष्टचार है इस पर चर्चा के लिये)।

154. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सकों की लापरवाही से मरीजों की होने वाली मृत्यु पर चर्चा के लिये)।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) :

155. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेगिस्तानी क्षेत्रों में अधिक चिकित्सालय खोलने, स्टाफ पूरा भेजने व जनसंख्या को ही आधार न मानने बाबत चर्चा के लिये)।

श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर) :

156. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (औषधालयों में समय पर औषधि न पहुंचने तथा औषधालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न होने से उत्पन्न परेशानी पर चर्चा के लिये)।

श्री गोविन्द सहाय,

श्री बतीलाल मीणा,

श्री कुन्जीलाल (बामनवास):

157. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( आयुर्वेद विभाग के औषधालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न होने से परेशानी के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री गोपाल (पाटन):

158. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( केशवरायपाटन एवं लाखेरी जैसे बड़े कस्बों में लेडी डाक्टर की आवश्यकता पर चर्चा के लिये )।

159. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी जिले में अस्पतालों की ठीक व्यवस्था नहीं होने पर बहस करने हेतु चर्चा के लिये)

160. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केशवराय पाटन के अस्पताल में दवाइयों का बजट कम होने पर चर्चा के लिये )

161. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केशवरायपाटन तहसील में चिकित्सा के अभाव में नई डिस्पेन्सरियां खोलने की चर्चा के लिये)।

162. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले की लाखेरी डिस्पेन्सरी को अस्पताल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये )।

163. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( चिकित्सा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु चर्चा के लिये )।

164. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( पाटन क्षेत्र की झालीजा का बरारत एवं मंडोली में डिस्पेन्सरी खोलने हेतु चर्चा के लिये )।

मेजर श्री फतहसिंह (भीम):

165. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( मदारिया, ठीकरवास, कूकरखेड़ा, नराना और कालादेह नामक भीम क्षेत्र के गांवों में आयुर्वेदिक शफाखाने खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये )।

166. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( भीम ग्राम के अस्पताल को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये )

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

167. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में टी० बी० अस्पताल के भवन निर्माण की स्वीकृति दिलाने में विभाग द्वारा उदासीनता पर चर्चा के लिये )।

168. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में 100 रोगी

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

शय्याओं को बढ़ाकर 150 रोगी शय्याओं के कराने पर चर्चा के लिये)।

169. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान प्रान्त के राजकीय अस्पतालों में, शहरों में कस्बों में जहाँ भी स्थापित है, कोटेज वार्डों के किराये की एक समान रूप से 20 बीस रुपये किराये की दर होने से कस्बों की जनता कोटेज वार्डों का लाभ नहीं उठा सकती, अतः असन्तोष व्यक्त करने पर चर्चा के लिये)।

170. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में ग्राम बेसाला एवं वाटाडू ग्राम में एलोपैथी डिस्पेन्सरी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

171. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के रा॰ चिकित्सालय, बाड़मेर एवं जिले के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कनिष्ठ विशेषज्ञ, पोस्ट ग्रेजुएट सी॰ए॰एस, औषध निरीक्षक स्वास्थ्य निरीक्षक, मैकेनिक, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, डेन्टल टैक्निशियन, मेल नर्स प्रथम, मेल नर्स द्वितीय, प्रसविकी, वाहन चालक के कई पद काफी अर्से से रिक्त होने के कारण जिले के अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का प्रबन्ध सुचारु रूप से नहीं होने के कारण जिले की जनता में गहरा असंतोष है जिस विषय पर चर्चा के लिये)।

172. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फर्जी मेडिकल बिल की रिएम्बर्समेंट प्रवृत्ति को रोकने में चिकित्सा विभाग द्वारा नवीन प्रणाली अपनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

173. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटेज वार्ड एवं एम्बूलेंस गाड़ियों के किराये की दर एक समान सभी कस्बों और शहरों में नहीं होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

174. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान प्रान्त में मलेरिया रोग व्यापक रूप से फैल रहा है, अतः उसके रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) :

175. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में डिस्पेन्सरियों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

176. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मलेरिया की रोकथाम में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये)।

177. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूतपूर्व सरकार द्वारा खोले गये चिकित्सालयों को अभी

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
तर्क प्रारम्भ न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री शिवचरणसिंह (बयाना) :

178. मांग संख्या 26; मुख्य शीर्षक चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( बयाना तहसील में डिस्पेन्सरी न खोलने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये) ।

श्री रामदेव ( मूण्डवा ) :

179. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( नागौर चिकित्सालय में दवाओं के अभाव से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये ) ।

श्री खेतसिंह ( शेरगढ़ ) :

180. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( ग्रामवासियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये ) ।

श्री हरजीराम बुरडक ( लाडनूं ) :

181. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( जिला खाद्य निरीक्षक, करौली द्वारा सेम्पल न. 15/77 को बदल देने पर चर्चा के लिये ) ।

182. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( लाडनूं अस्पताल में रोगी वाहन की व्यवस्था नहीं करने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

183. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( लाडनूं अस्पताल में एक्सरे मशीन लम्बे समय से खराब पड़ी है उसे तत्काल ठीक कराने पर चर्चा के लिये ) ।

184. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( नागौर जिले के आयुर्वेदिक औषधालयों में बजट के अनुसार दवाएँ सप्लाई नहीं करने पर चर्चा के लिये ) ।

185. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( ग्राम निम्बी जोधा, तहसील लाडनूं, जिला नागौर में एलोपेथिक चिकित्सालय खोलने पर चर्चा के लिये ) ।

186. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( सेठ गनपतराय सरावगी ट्रस्ट, लाडनूं के द्वारा सरकार से किये गये एग्रीमेन्ट के अनुसार सरकार ने मोबाइल सर्जिकल केम्प नहीं लगाने पर विभाग द्वारा कोई कारगार कदम नहीं उठाने पर चर्चा के लिये ) ।

187. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( मौजूदा आयुर्वेदिक औषधालयों को पूर्णरूपेण अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद ही नये औषधालय खोलने पर चर्चा के लिये) ।

188. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( आवश्यकता अनुसार

# Page No 76

(76)



(हरजीराम बुरड़क)

आयुर्वेद औषधालय खोलने पर चर्चा के लिये )।

189. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( जिला चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय नागौर में लिपिक के विरुद्ध चल रही गम्भीर शिकायतों को दबा देने पर चर्चा के लिये )।

190. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनू आयुर्वेद औषधालय के भूतपूर्व सहायक वैद्य के खिलाफ चल रही कार्यवाही को दबा देने पर चर्चा के लिये )।

191. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( लाडनू आयुर्वेद औषधालय में स्टाफ व दवाइयों की कमी पर चर्चा के लिये )।

192. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( नागौर जिले के आयुर्वेद औषधालयों में श्रेणी के अनुसार कर्मचारी नहीं लगाने तथा आवश्यक सामान उपलब्ध नहीं कराने पर चर्चा के लिये )।

193. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( मीठड़ी, तहसील लाडनूं में नये खोले गये एलोपैथिक चिकित्सालय में डाक्टर के अभाव पर चर्चा के लिये )।

194. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (होम्योपैथिक चिकित्सालय फिरवासी, तहसील लाडनू में होम्योपैथिक डाक्टर नहीं लगा कर एक आयुर्वेदिक कम्पाउण्डर लगाये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती सुमित्रासिंह ( झुंझुनू ) :

195. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( गांवों में मच्छरों का भयंकर प्रकोप एवं डी. डी. टी. स्प्रे में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये )।

196. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( अस्पतालों एवं चिकित्सालयों में मिलने वाली दवाओं के अभाव पर चर्चा के लिये )।

197. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( अप्रेल माह में खोले गये एड पोस्ट एवं डिस्पेन्सरियों में अभी तक स्टाफ नहीं नियुक्त किये जाने पर चर्चा के लिये )।

198. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( गांवों में मलेरिया का भयंकर प्रकोप तथा सरकार उसकी रोकथाम तथा चिकित्सा उपायों में असमर्थ एवं असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (मनोहरथाना):

199. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय(स्वास्थ्य केन्द्र पर डाक्टरों का अभाव एवं औषधियों की कमी पर चर्चा के लिये )।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) :

200. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की असफलता पर चर्चा के लिये)।

201. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा एलोपैथिक और आयुर्वेदिक औषधालय खोलने में पक्षपात बरतने पर चर्चा के लिये)।

202. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्र के लिये चिकित्सा व्यवस्था हेतु समुचित प्रावधान नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

203. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सभी प्रकार की चिकित्सा व्यवस्था के व्यापक प्रचार एवं प्रसार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) :

204 मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा क्षेत्र में डाक्टरों और दवाइयों के गम्भीर अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल,जयपुर) :

205. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर की ब्रह्मपुरी बस्ती व चौड़ा रास्ते में एक एक एलोपैथिक चिकित्सालय खुलवाने हेतु चर्चा के लिये)।

206 मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल व जनाना शफाखाना में व्याप्त घोर अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

207. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (इस वर्ष खोले जाने वाले आयुर्वेदिक औषधालयों में दवाएँ उपलब्ध कराने हेतु औषधालयों के अनुपात में रसायनशालाएं खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

208. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर स्थित टी० बी० सेनेटोरियम, जनाना अस्पताल एवं सवाई मानसिंह अस्पताल में गत दस वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण नहीं किये जाने से अन्य कर्मचारियों में व्याप्त असतोष पर चर्चा के लिये)।

209. मांग संख्या, 26 मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में दि. 1 नवम्बर, 1956 से नियुक्त वरिष्ठ लिपिकों के पदोन्नत नहीं किये जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

210. मांग संख्या-26 मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग के किसी भी स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सीनियोरिटी लिस्ट प्रकाशित नहीं किये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

211. मांग संख्या, 26 मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दिनांक 5-8-72 के वरिष्ठ लिपिकों को कार्यालय सहायक के पदोन्नति आदेश तत्कालीन निदेशक के होने के बावजूद प्रसारित नहीं करने से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

212. मांग संख्या, 26 मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (1 नवम्बर, 1956 के कर्मचारियों की सीनियोरिटी को "तिलक फार्मूले" के तहत निश्चित कर प्रकाशित करने के राज्य सरकार के आदेशों के उपरान्त भी सूची प्रकाशित नहीं किये जाने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

213. मांग संख्या, 26 मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा विभाग में स्थायी निदेशक की नियुक्ति नहीं किये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

श्री रणजीतसिंह (ओसियां) :

214. मांग संख्या, 26 मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांवों में चिकित्सा सुविधा के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री रावतराम (सुजानगढ़) :

215. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अस्पतालों में दवाइयों की कमी व मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

216. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देहाती क्षेत्रों में ट्रेन्ड नर्सों की नियुक्तियों की आवश्यकता एवं जिन गांवों के लोग अपने खर्चे से मकान बनाकर देवें उन गांवों में मेडिकल डिस्पेन्सरी प्राथमिकता के आधार पर खोलने के संबन्ध में चर्चा के लिये)।

217. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम डडवाला–जैतासर, मलसीसर खूड़ी, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू में आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री जगदीशसिंह (धौलपुर) :

218. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर क्षेत्र में चिकित्सा की उपेक्षा की गई है उस पर चर्चा के लिये)।

219. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्र में रोगियों के इलाज न होने पर मौतें हुई, इस पर चर्चा के लिये)।

220. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मन्जूर शुदा डिस्पेन्सरी आज तक न खुलने पर चर्चा के लिये)।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

221. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

# Page No 79

(79)



(श्री मूलचन्द सामरिया)

कम कर दिया जाय (दौसा में सी. एम. एच. ओ. कार्यालय जो पूर्व में था पुनः खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

222. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा अस्पताल में दो की बजाय चार डाक्टरों की व्यवस्था व समुचित औषधियों की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये)।

223. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा अस्पताल को जिला स्तर पर क्रमोन्नत कराने के बारे में के चर्चा के लिये)।

224. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र में 50 बेड्स की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये)।

225. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा अस्पताल व मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं) :

226. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रावतभाटा में नोटीफाइड एरिया कमेटी से प्राप्त 1,50,000 की रकम में से चिकित्सा भवन की स्थापना हेतु 80,000 रुपये की रकम स्वीकृत कराने की चर्चा के लिये)।

227. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण आंचल में जो कि एक टापू के रूप में है उनमें चिकित्सा केन्द्र स्थापित करने के लिये चर्चा के लिये)।

228. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीणों द्वारा भवन, पलंग एवं अन्य सुविधा उपलब्ध कराई जाने पर भी रेफरल अस्पताल उपलब्ध न कराने की चर्चा के लिये)।

229. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मलेरिया विभाग को अधिक सक्रिय करने तथा इस सम्बन्धी अन्य सुझावों पर चर्चा के लिये)।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) :

230. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम निवारिया, तहसील देवली में चिकित्सा के कोई साधन नहीं होने से वहां की जनता को भारी कठिनाई होती है उस पर चर्चा के लिये)।

231. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उनियारा के अस्पताल में जनता द्वारा एक वार्ड बनाया जा रहा है और उस पर अभी तक करीब 25 हजार खर्च हो चुका है उसमें राज्य सरकार द्वारा भी सहायता दिलाये जाने पर चर्चा के लिये)।

232. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम ककोड़ व ग्राम

(श्री दिग्विजयसिंह)

फूलेत में एड पोस्ट खोले जाने के बावजूद जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा वहां अभी तक स्टाफ उपलब्ध नहीं कराने पर चर्चा के लिये)।

233. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उनियारा अस्पताल मे स्टाफ अपूर्ण होने पर चर्चा के लिये)।

श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा):

234. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले में चिकित्सालयों एवं स्टाफ की कमी पर चर्चा के लिये)।

235. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पिडावा क्षेत्र में दवाइयों का मौजूदा प्रावधान अपर्याप्त है एवं महिला चिकित्सक उपलब्ध नहीं है इस पर चर्चा के लिये)।

236. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भवानी मण्डी अस्पताल में एक्सरे व अन्य उपकरणों का प्रावधान नहीं किया है इस पर चर्चा के लिये)।

श्री निर्मल कुमार (झालरापाटन):

237. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालरापाटन बालचन्द चिकित्सालय में बिस्तरों की संख्या एवं बजट बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

238. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिला चिकित्सालय में डाक्टरों की कमी के संबन्ध में चर्चा के लिये)।

239. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में करीब एक हजार बेरोजगार डाक्टरों को काम पर लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार):

240. मांग संख्या 26 मुख्य, शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अस्पतालों में डाक्टरों का व्यवहार ठीक न होने के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री रंगजी (सपोटरा):

241. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सालयों में डाक्टरों की व्यवस्था ठीक नहीं होने तथा सरकार द्वारा ध्यान न देने पर चर्चा के लिये)।

श्री हरलालसिंह खर्रा (श्री माधोपुर):

242. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम झाडली में चिकित्सा सुविधा नहीं होने से जनता को भारी असुविधा होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

243. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्री माधोपुर, रींगस,

(श्री हरलालसिंह खर्रा)

आदि अस्पतालों में दवा व पट्टियां आदि नहीं होने से गरीबों की चिकित्सा में असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

244. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय (श्री माधोपुर क्षेत्र में जनसंख्या के हिसाब से चिकित्सा सुविधा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

245. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय (श्री माधोपुर कस्बे में कई महीनों से लेडी डाक्टर नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

246. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम महरोली की डिस्पेन्सरी में स्टॉफ नहीं भेजने से जन आक्रोश से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

247. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय (श्री माधोपुर, सीकर) चिकित्सालय में मरीजों की संख्या को देखते हुए बेड्स बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये)

श्री बहादुरसिंह :

248. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सालय के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाये (ग्रामीण चिकित्सा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री लालशंकर (सागवाड़ा) :

249. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए (सागवाड़ा तहसील में 'बी' श्रेणी अस्पताल खुलवाये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री विजयसिंह नदेरा (बांदीकुई) :

श्री शिवरावसिंह (बस्सी) :

250. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विधान सभा क्षेत्र बस्सी व बांदीकुई में डाक्टरों एवं अन्य कर्मचारियों की कमी व दवाइयों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) :

251. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बालोतरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में महिला चिकित्सक के अभाव से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

252. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बालोतरा के अस्पताल में रोगियों के अनुपात में स्टाफ की कमी के कारण समुचित चिकित्सा सुविधा न मिलने पर चर्चा के लिये)।

253. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मरुस्थलीय जिलों में जहां जनसंख्या दूरस्थ इलाकों में बिखरी हुई है ऐसे क्षेत्रों में अधिक संख्या में

(श्रीमती मदनकौर)

चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये )।

254. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( बाड़मेर जिले के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों पर साधारण और बहुधा होने वाली बीमारियों की दवाइयों के अभाव पर चर्चा के लिये )।

**श्री आलम अली खान (फतेहपुर) :**

255. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय(देहाती क्षेत्रों में अधिक से अधिक चिकित्सा सुविधा प्राप्त कराने बाबत चर्चा के लिये )।

256. मांग संख्या 26; मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( गांवों में मलेरिया रोग से पीडित लोगों को चिकित्सा सुविधा पहुँचाने तथा इस रोग की रोकथाम के लिये की जाने वाली व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये )।

**श्री अमृत लाल ( डूंगरपुर ) :**

257. मांग संख्या 26; मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( डूंगरपुर जिला में डाक्टरों की भारी कमी के कारण रोगियों को इलाज करने में अव्यवस्था हो रही है इस पर चर्चा के लिये )।

**श्री गोपालसिंह :**

258. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( प्राइमरी हेल्थ सेन्टर ज्यादा धनाढ्य नागरिकों की बस्ती वाले गांवों के आस पास केन्द्रित किये गये है, पर चर्चा के लिये )।

**श्री करतार सिंह ( किशनगढ़ ) :**

259. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( गांवों में मलेरिया का भयकर प्रकोप की रोकथाम हेतु चर्चा के लिये )।

260. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसूती गृह नहीं खोलने की पूर्ण उपेक्षा करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये )।

261. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( पंचायत समिति स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में एक वृहत चिकित्सालय, जिसमें आपरेशन, एक्स-रे आदि सुविधायें उपलब्ध हो, की स्थापना पर चर्चा के लिये )।

262. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न परिस्थितियों पर चर्चा के लिये )।

263. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( खाद्य पदार्थों पर बड़े जोरों पर हो रहे अपमिश्रण से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये )।

(श्री करतार सिंह)

264. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रीय औषधालयों में दवाइयों की कमी के फलस्वरूप ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने में असुविधा पर चर्चा के लिये)।

265. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अस्पतालों में चिकित्सक स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री हरिसिंह यादव (बानसूर):

266. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देहात में चिकित्सा सुविधा के अभाव व अलवर जिला चिकित्सालय के विकास के विषय में चर्चा के लिये)।

श्री हजारीमल (सरदार शहर):

267. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांवों में समुचित चिकित्सा व्यवस्था के सम्बन्ध में तथा गांवों में भयंकर रूप से फैली मलेरिया की रोकथाम बाबत चर्चा के लिये)।

श्री नन्दलाल (उदयपुर ग्रामीण):

268. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दवाखानों में दवाइयों की कमी एवं व्यवस्था में सुधार लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री विजयेन्द्र पाल (आसीन्द):

269. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला भीलवाड़ा के आसीन्द क्षेत्र में रेफरल अस्पताल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (नीम का थाना):

270. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समस्त वैद्यों एवं डाक्टरों को एम० बी० बी० एस० पास करने के उपरान्त दो वर्षों के लिये गांवों में चिकित्सा कार्य करने के पश्चात् ही सर्टीफिकेट दिये जाने चाहिये, इस पर चर्चा के लिये)।

270. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आयुर्वेद, एलोपैथी व अन्य प्रकार की चिकित्सा सुविधाओं को प्रशासकीय सामन्जस्य बैठाने के निमित्त चर्चा के लिये)।

271. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम टोडा एवं सांवलपुरा में ऐलोपैथिक अस्पताल खुलवाने के बाबत चर्चा के लिये)।

272. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हर चिकित्सक के लिये अपने हैड क्वार्टर से 10 किलो मीटर तक के एरिया में हर माह दौरा कर स्वास्थ्य के बाबत जानकारी देने व निदान करने के लिये चर्चा के लिये)।

( श्री सूर्यनारायण चौधरी )

273. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( आयुर्वेद को सम्मानित स्थान दिलवाने एवं वैद्यों को डाक्टरों के बराबर सुविधा व सम्मान दिलवाने हेतु चर्चा के लिये )।

274. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( पूरे राजस्थान के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना बनाने व लागू करने की चर्चा के लिये )।

275. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( राज्य भर में नि:शुल्क दवाएँ दिलवाने हेतु चर्चा के लिये )।

276. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( नीम-का-थाना में एक बड़ा अस्पताल बनाने एवम् उसे 50 बिस्तर का बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

277. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( ग्राम पाहन में एक अस्पताल खुलवाने एवं 25 बिस्तर का अस्पताल बनाने की चर्चा के लिये )।

श्री सुखलाल सेंगचा (रायपुर ) :

278. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राइमरी हैल्थ सेन्टरों में दो डाक्टर एक साथ नहीं रखने व दवाइयों के अभाव हेतु चर्चा के लिये)।

279. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांवों में जहां 12 किलोमीटर तक अस्पताल नहीं है वहां अस्पताल खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री सूरजपालसिंह ( भीनमाल ) :

280. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीनमाल के ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा के अभाव एवं अस्पताल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) :

281. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में सरकार द्वारा घोर उपेक्षा किये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) :

282. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालोर एवं सिरोही के जिला अस्पतालों को 150 शैयाओं का बनाने, स्टाफ की कमी तथा प्राथमिक केन्द्रों में स्टाफ की कमी जिसमें नर्स आदि की कमी के साथ-साथ औषधियों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

283. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान से बच्चे

(श्री रघुनन्दन व्यास)

डाक्टरों का बाहर पलायन होने से राजस्थान की जनता को अच्छे डाक्टरों की सेवाएं उपलब्ध न होने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

284. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डाक्टर दम्पत्ति को एक ही स्थान पर नियुक्त न करने से ग्राम जनता को होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

## मांग संख्या 26 पर वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कटौती प्रस्ताव आज विचाराधीन हैं और जो वक्ता महोदय हैं उनकी संख्या काफी लम्बी चौड़ी है, 101 सदस्यों की सूची है। मैं देख रहा हूं कि दिन पर दिन कटौती प्रस्ताव बहुत ज्यादा आ रहे हैं। उचित होता कि आप भी इन कटौती प्रस्तावों में कुछ कटौती कर देते लेकिन यह संख्या तो और बढ़ रही है। प्रश्न केवल यह है कि आज इस पर जो वाद-विवाद होगा उसके लिये समय की परिधि को देखते हुए कहां तक व्यवस्था की जा सकती है, इस सम्बन्ध में मैं खुद भी बड़े पशोपेश में हूं। मैं आपका सहयोग चाहूंगा। अभी तक मैं इस बारे में निश्चित विचार नहीं बना सका हूं। फिलहाल श्री गिरधारीलाल भार्गव डिबेट शुरू करेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय यह पूर्व में भी परम्परा रही है कि जो कट मोशन यहां पर, सदन में लिस्ट हो कर आ गये हैं, वे सारे के सारे मूव समझे जाएं माननीय मंत्री महोदय कट मोशन का रात्रि के 9-10 बजे जवाब देते हैं फिर भी उन का कट मोशन वाइज जवाब नहीं दिया जाता है जो कट मोशन हम मूव करते हैं, यहां पर पुट-अप करते हैं उनकी भी एक सीमा है उत्तर देने की। इसलिये मैं आपसे यह व्यवस्था चाहूंगा कि जो स्पेसिफिक कटमोशन है, जिसके जरिये कोई बात पाइन्ट आउट की गई है, उसका जवाब मंत्री महोदय की ओर से बाद में हम को मिल जाय ताकि कटमोशन रखने का जो महत्व है वह पूरा हो सके। यह मंत्री महोदय के लिए भी अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष: इस सम्बन्ध में जो नियम है, उसके अनुसार ही मैं कार्यवाही कर सकता हूं।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह परम्परा सदन के अन्दर पूर्व में रही है। जिस कट मोशन का उत्तर सदन में नहीं हो सके उसका उत्तर माननीय सदस्य को मंत्री महोदय द्वारा भेज दिया जाय। मैं समझता हूं कि इस परम्परा को ध्यान में रखते हुए आप निर्देश देंगे ताकि माननीय सदस्यों को सन्तोष हो सके कि जिस विषय पर वे कटौती प्रस्ताव रखते हैं उसका उत्तर सरकार की ओर से आ रहा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, हम भी यह चाहते हैं कि निश्चित रूप से परम्परा के अनुसार उत्तर पहुंचे। कटौती प्रस्ताव यहां पर रखे जाते हैं किन्तु जब उत्तर होता है तब आप कृपया सदन में रहने का भी कष्ट करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सदन में रहते हैं तब भी आपका उत्तर नहीं आता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान अन्य प्रदेशों की तुलना में चिकित्सा के क्षेत्र में भी पिछड़ा हुआ है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सब से ज्यादा चिकित्सा विभाग के नियमों में संशोधन हुआ है। इस कारण सीनियोरिटी लिस्ट जो नियमों के अनुसार बननी चाहिए थी, अभी तक नहीं बन सकी है। आज इस विभाग की यह हालत है कि प्रशासनिक खर्चा ज्यादा है। इस विभाग में एक-एक मसले की दो-दो फाइलें बनी हुई है। मंत्री महोदय को यदि किसी की अच्छाई बतानी है तो वैसी फाइल प्रस्तुत कर दी जाती है, किसी को बुरा बताना है तो वैसी फाइल मंत्री महोदय को प्रस्तुत कर दी जाती है। मेरा निवेदन करना है कि इस ओर भी चिकित्सा मंत्री को ध्यान देना चाहिए।

इसके बाद में यह निवेदन करना चाहता हूं कि डाइरेक्टर, मेडिकल एण्ड हेल्थ सर्विसेज कौन होगा—उसकी नियुक्ति के बारे में भी अभी तक कोई माप दण्ड नहीं बना है। किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, इस मापदण्ड के आधार बिना यह गाड़ी चल रही है।

इसके बाद, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्रत्येक मरीज की देखभाल करने के लिए नर्सेज की संख्या कितनी होनी चाहिय, इस सम्बन्ध में कोई मापदण्ड अभी तक राज्य सरकार ने नहीं बनाया है। इसके बाद अब हालत यह है कि एस. एम. एस. अस्पताल में राजनीति व्याप्त है। राजनीति के आधार पर किस डाक्टर को किस स्थान पर रखा जाय, इस पर विचार चल रहा है। सवाई मानसिंह अस्पताल के डाक्टरों का जो समय मरीजों को सेवा में लगना चाहिए, या अध्ययन में लगना चाहिए, वह न लग कर के आज सारे के सारे डाक्टरों का मानसिक सन्तुलन बिगड़ा हुआ है। इस एस. एम. एस. अस्पताल में राजनीति भयंकर रूप से व्याप्त है।

इसके बाद दूसरा दोष इस अस्पताल में यह है कि जो सामान पिछले दिनों इस अस्पताल के लिए खरीदा गया था, चाहे स्टेनलेस स्टील की थालियां हो, चाहे वाटर कूलर पीने के पानी की व्यवस्था के लिए खरीदे गये हों, एयर कण्डीशनर का सामान खरीदा गया हो, चाहे कपड़े धोने की मशीन खरीदी गयी हो, इस सब सामान की किसी भी व्यक्ति ने खरीद की हो, अगर इसमें अनियमितता की गई है तो उसकी जांच की जानी चाहिए। हमने यह सौगंध नहीं खा ली है कि ये जो वस्तुएं खरीदी हुई पड़ी है, उनका सदुपयोग नहीं किया जाएगा। मेरा निवेदन है कि इन वस्तुओं का उपयोग किया जाना चाहिए। जो अनियमितता हुई है, उसकी जांच की जानी चाहिए। दोषी व्यक्ति को दण्ड दिया जाना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, आशा है कि मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे।

इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय पे-क्लिनिक के बारे में पिछले दिनों यहां पर चर्चा हुई थी। पे-क्लिनिक आज एक मुनाफाखोरी का धन्धा बन गया है। इससे जो मरीज आता है उसको कोई राहत नहीं मिलती है। बाहर के मरीज डाक्टर के

( श्री गिरधारीलाल भार्गव )

पास जाते हैं तो वे कहते है मेरा आउट डोर फलां दिन होगा, उस दिन आओ। सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर आज हमारे सवाई मानसिंह अस्पताल में हैं परन्तु पे-क्लिनिक के चक्कर के कारण आने वाले व्यक्ति या मरीज को 6-7 दिन तक इन्तजार करना पड़ता है। इससे सरकार को भी लाभ नहीं हो रहा है। यदि कहीं पर विशेष लाभ भी हो रहा है तो वह जयपुर शहर में ही हो रहा है। जो अन्य नगरों में पे-क्लिनिक की व्यवस्था कर दी है, उससे राज्य सरकार को भयंकर नुकसान हो रहा है। मैं यह निवेदन करूंगा कि पिछली सरकार का भी मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिए इस विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया था, उस समय सरकार ठीक आंकड़े नहीं दे पायी थी कि पे-क्लिनिक से सालाना कितनी आमदनी होती है। मेरा निवेदन है कि यह सारा मुनाफाखोरी का धन्धा है और इससे मरीजों को राहत नहीं मिल रही है। इस पर आप निश्चित रूप से ध्यान देंगे, ऐसी आशा है।

सरकारी कर्मचारियों को दवाई उपलब्ध कराने के लिये कुछ दुकानें आपने खोल दी हैं, उससे मैं समझता हूं कि सुविधा भी है और असुविधा भी है। जयपुर में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। सरकारी कर्मचारियों और केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित दुकानों से दवाइयां खरीदना अनिवार्य कर दिया गया है....

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

माननीय सदस्य ने जो कटौती के प्रस्ताव दिए हैं, वे उन पर अभी तक नहीं बोले हैं। मैं निवेदन करूंगा कि एक समय निर्धारित कर दें। 111 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। जिस पाइंट के ऊपर कटौती प्रस्ताव है, माननीय सदस्य अपने विचार उसी तक सीमित रखें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कट मोशन पर ही बोलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री भार्गव बहुत ही अनुभवी हैं। जो राय व्यक्त की गई है उससे वे सहमत होंगे। आशा है उसी के अनुरूप वे चलेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इनकी तो आदत पड़ गई है। पहले इधर बैठते थे तब भी ऐसा करते थे और अब भी ऐसा कर रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, जो आरोप लगाये गये हैं, वे सही नहीं हैं। मैं निवेदन कर दूं जो मेरे कटौती प्रस्ताव हैं; उन्हीं पर बोल रहा हूं। जो एक से पांच तक कटौती प्रस्ताव हैं, उन पर बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : समय की सीमा निर्धारित कर देता हूं। मैं यह सोच रहा हूं कि किसी वक्ता महोदय को अधिक से अधिक 7 मिनट और 5 मिनट के बीच का समय दिया जाए। इस समय के बीच वे अपना समायोजन कर लें। इस अवधि में वे अपने कटमोशन पर विचार व्यक्त कर दें। मैं चाहूंगा कि जो वक्ता महोदय पहले बोलें वे शायद मेरी बात से सहमत होंगे कि जो वक्ता महोदय इन्तजार में बैठे रहते हैं, उनकी भावना का भी वे ध्यान रखें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं नियमों के अनुसार ही बोल रहा हूं। जो एतराज किया गया है वह ठीक है। मेरा निवेदन है कि सब के लिए यह नियम लागू होना चाहिए।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों को दवाइयां अस्पताल से ही मिल जाएं तो मैं ऐसा समझता हूं कि इससे जो रिम्बर्समेन्ट वाला झगड़ा है वह भी खतम हो जाएगा, मिट जाएगा। जयपुर शहर के अन्दर सारे नियमों का पालन कराया जाता है तो अन्य नगरों के अन्दर भी यह व्यवस्था हो। इस ओर मैं चिकित्सा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अन्य नगरों में यह व्यवस्था नहीं है, केवल जयपुर शहर में है।

इसके बाद मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने जयपुर जिला अस्पताल बनाने की घोषणा की थी। आज तक महिला अस्पताल का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। राज्य सरकार को इस ओर जल्दी से जल्दी ध्यान देना चाहिए। विशेष रूप से महिला चिकित्सालय की ओर सरकार ध्यान दे। इसमें केवल 250 बेड्स होंगे जब कि पुराने जनाना अस्पताल में 450 बेड्स हैं। यदि यह जिला-चिकित्सालय बन गया तो महिला अस्पताल में बेड्स की कमी होगी। जयपुर शहर में एक और महिला अस्पताल आरंभ किया जाना चाहिए। यहां पर एक और महिला अस्पताल बनाया जाना चाहिए, जो आवश्यक है आप चाहें तो इसको एक्सपेन्ड करें। लेकिन जो बिल्डिंग बन चुकी है, उसमें स्थान नहीं है इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि एस. एम. एस. की बिल्डिंग में जो बच्चों का वार्ड बना हुआ है, उस एक ही वार्ड में विभिन्न प्रकार के रोगी बच्चों को रखा जाता है जिससे वातावरण दूषित होता है। अधिकतर बच्चे नीचे ही पड़े रहते हैं। एडमिशन रोजाना 90 के करीब होता है इसलिए जयपुर शहर में अलग से महिला चिकित्सालय और एक बालकों के लिए चिकित्सालय बनाया जाये तो मैं समझता हूं बहुत बढ़िया होगा।

मेन्टल हॉस्पिटल की जो दुर्दशा है उसकी ओर भी ध्यान नहीं दिया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मलेरिया बहुत बढ़ रहा है, इसकी जगह जगह शिकायतें हैं इसका उन्मूलन करने के प्रोग्राम को तीन फेज में पूरा करना चाहिए। इसकी रोकथाम के लिये फर्स्ट फेज में डी. डी. टी. की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं समझता हूं वह नहीं हो रही है।

अब मैं मिलावट के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। कई चीजों में मिलावट होती है। हमारे इन्सपेक्टर लोग घूमते रहते हैं लेकिन फिर भी लोगों को मिलावट की वस्तुएं मिलती है। मिलावट की वस्तुएं नहीं मिले इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

आज कल तबादले का दौर बहुत चल रहा है। इस वजह से 25 प्रतिशत डाक्टर छुट्टी लेकर बैठे हुए हैं। अच्छे-अच्छे डाक्टरों का आपने ट्रान्सफर कर दिया तो यह ठीक नहीं होगा। आप उनको गांवों में भेजना चाहते हैं, यदि उनके रहने की और पीने के पानी की उचित व्यवस्था

( श्री गिरधारीलाल भार्गव )
करदी जाय तो निश्चित रूप से वे गांवों में चले जायेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

ई. एस. आई. डिस्पेन्सरीज की हालत भी ठीक नहीं हैं। वहां पर मरीजों को पूरी दवाईयां नहीं मिलती। परिवार नियोजन का जो स्टाफ फालतू हो गया है उसको दूसरे काम में लगाया जाना चाहिए।

शहरों में जो छोटी-छोटी कालोनीज दूर दूर हैं उन में डिस्पेन्सरीज खोली जानी चाहिए जिससे कि जो सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में भीड़ है वह समाप्त हो जाय।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने घणे ही सुधार किये हैं लेकिन फिर भी मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ऑपरेशन थियेटर में यह हालत है कि उनमें विद्युत व्यवस्था भंग हो जाती है और मरीज की जान को खतरा हो जाता है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है ? जीवन उपयोगी दवाएं भी वहां पर नहीं मिलती हैं।

( समय-समाप्ति-सूचक घंटी )

... माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कर्तव्य को जानता हूं और उसका पालन करूंगा। हॉस्पिटल में हर विभाग के कई यूनिट्स बनाये गये हैं। एक यूनिट का नम्बर एक सप्ताह के बाद आता है। एक विभाग में 6 यूनिट्स हैं और दूसरे विभाग में 5 यूनिट है। एक यूनिट वाले सारे टैस्ट्स कराने के लिए लिख देते हैं और फिर एक सप्ताह बाद उनका टर्न आता है। दूसरे दिन मरीज जाता है तो डॉक्टर अपने हिसाब से दवाईयां लिखता है। इस बारे में भी हमको विचार करना चाहिये।

अन्त में मैं, यह निवेदन करना चाहूंगा यह सारी हालत के अलावा वार्डों में पंखों की कमी है। पंखे के नीचे बैड लेने के लिए भी किसी प्रभावशाली व्यक्ति के टेलीफोन की आवश्यकता होती है। मैं, मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इन सारी बातों की ओर ध्यान दें आपने देखा होगा कि जो मरीजों के अटेंडेंट्स आते हैं वे बाहर पड़े रहते हैं, इसलिए कम से कम ..........

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

**श्री श्योपतसिंह मकासर :** खटमल होते हैं, खटमल बहुत हैं।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव :** उनके लिए भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। शौचालय की हालत भी ठीक नहीं है, उनके लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

अन्त में मैं, आयुर्वेद विभाग के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। इसके बारे में भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। वैद्य लोग भी पांच साल का कोर्स पूरा करते हैं इसलिए उनको भी डॉक्टरों के समान ही वेतनमान दिये जाने चाहियें। एक नेशनल रिसर्च इन्स्टट्यूट का उद्‌घाटन कांग्रेस सरकार के जमाने में हुआ था, इसका काम भी अभी ठीक से चालू नहीं हुआ है। इसके अलावा सभी विधायकों को यह शपथ लेनी चाहिये कि हम सब आयुर्वेद का इलाज करायेंगे और डॉक्टरों के पास जाना पसन्द नहीं करेंगे। अन्त में.......

**श्री उपाध्यक्ष :** अन्त में तो आप कई बार कह चुके हैं।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव :** होम्योपैथी का बोर्ड बना हुआ है, उसके कौन-कौन से सदस्य हैं? होम्योपैथी के डॉक्टरों का वेतन भी बहुत कम है। इस बोर्ड का पुनर्गठन किया जाना चाहिये। इसके बारे में भी रिसर्च किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए इसका जो कालेज है........

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य, आपने बहुत ज्यादा समय ले लिया।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव :** मैं समझता हूं कि राज्य सरकार इस कालेज को अपने हाथ में ले।

अन्त में मेरा निवेदन है कि जो उपरोक्त बातें कही गई हैं उनका निश्चित रूप से मन्त्री महोदय उत्तर देने की कृपा करें।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्रीमती उजला अरोड़ा

**श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं समय के अन्दर ही समाप्त करने की चेष्टा करूंगी। हमारे पुराने ग्रन्थों में लिखा है :—

सद्यो मासं नवंचान्न बारला स्त्री क्षीर भोजनम्
घृत मुष्णोदकस्नानं सद्य प्राण कराणिषट
पूति मासं स्त्रीगो वृद्धा वालकि स्तरूणं दधि
प्रभाते मैथुनम् निद्रासद्य प्राण हणाणिषट

इसी तरह से हमारे जो पूर्वज हुए, उन्होंने तपस्या की, इस चिकित्सा के बारे में उन्होंने रिसर्च की और इसको आगे बढ़ाया। इसकी खोज की, और इसके लिए च्यवन ऋषि ने एक औषधि निकाली, आज इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और मामले को उलट पुलट किया जा रहा है। आयुर्वेदिक और एलोपैथिक चिकित्सा में रिसर्च की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पिछले बीस वर्षों में इसको कोई बढ़ावा नहीं मिल रहा है। जो स्पेशल डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी आगे बढ़ाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यूरोलोजी के ओर दूसरे नये विभाग खोले हैं लेकिन पैथोलोजी को आगे बढ़ाने के अवसर नहीं दिये गए हैं। मैं यह कहना चाहूंगी कि इसके अभाव में हमारी जो प्रतिभाएं हैं वह इधर उधर बिखरी हुई पड़ी हैं। यहां के लोग बाहर जाकर काम करना पसन्द करते हैं और बाहर के लोग हमको किस भावना से देखते हैं, इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है बल्कि केवल राजनैतिक उलट-पुलट के कारण ही संरक्षण की बात की जा रही है। पिछली सरकार ने तीस सालों में अपने आदमियों को ही आगे बढ़ाया, उसके आधार पर मैं यह समझती हूं कि कई प्रतिभाएं इधर-उधर बिखरी पड़ी हैं, उनकी ओर ध्यान दिया जाना बहुत ही जरूरी है।

इसी तरह से मैं यह कहना चाहूंगी कि हमारे यहां गांवों के अन्दर कोई चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेन्टर है वहां पर कोई दवाइयां उपलब्ध नहीं होती। इससे चिकित्सा करने में बड़ी असुविधा होती है। एम० बी० बी० एस० और एम० एस० वहां नहीं रहते हैं। उनको दवाइयां भी उपलब्ध नहीं होती। इतना ही नहीं वहां पर जो बहुत ज्यादा दुखद स्थिति है वह यह है कि मरीजों को लाने के लिए एम्बूलेन्स की भी कोई व्यवस्था नहीं है।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मातृ-शिशु कल्याण केन्द्रों का भी वहां पर अभाव है। जिन माताओं और बहनों को प्रसव पीड़ायें होती हैं उनको जयपुर लाने की व्यवस्था नहीं है, इस ओर भी ध्यान देना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि दुनियां बहुत आगे बढ़ गई है, लोग आसमान पर पहुंच गये हैं, मगर हमारे राजस्थान में चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। लाखों महिलाएं तड़फती रहती हैं, लेकिन आक्सीजन और बहुत सी जीवनोपयोगी दवाइयों की व्यवस्था नहीं होती हैं। बहुत सी दवाइयां ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल ओपरेशन के टाइम पर किया जाता है, लेकिन महिलाओं के लिए इस ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। मैं यह कहना चाहती हूं कि प्रसव पीड़ा के सम्बन्ध में रिसर्च की जानी चाहिए और....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके लिए बजट में कुछ पैसा रखा जाना चाहिए। मैं यह कहना चाहूंगी कि महिलाओं की विभिन्न चिकित्साओं के बारे में कतई ध्यान नहीं दिया जाता है। टी० बी० सेनेटोरियम में जो एप्रूव्ड लिस्ट की दवाइयां होनी चाहिये वह बहुत कम है टी. बी. सेनेटोरियम कई मुख्य और महत्वपूर्ण केपसूल्स एप्रूव्ड लिस्ट में नहीं हैं इसलिए इनको गरीब लोग खरीद नहीं पाते और माताओं और बहिनों की चिकित्सा नहीं हो पाती। लम्बी बीमारी से परेशान हो जाते हैं, इसके लिए ऐसी व्यवस्था करें कि उनको ये दवाइयां मुफ्त में मिल सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस तरह से तो, उपाध्यक्ष जी, कोई अपनी बात पूरी नहीं कह सकेगा। अच्छे सुझाव इस तरीके से नहीं आ सकेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष :** अच्छे सुझाव तो आप पहले ही रख देतीं।

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** वहां पर 20 रुपये प्रतिदिन के बेड्स खाली पड़े हैं और जो गरीब मरीज हैं उनको बेड उपलब्ध नहीं हो पाते। इसलिए सीमा निर्धारित की जानी चाहिए ताकि उनको फ्री बेड मिलें जो गरीब मरीज हैं वे 20 रुपये प्रतिदिन बेड के पे नहीं कर सकते हैं।

इसके अलावा जो आयुर्वेदिक औषधालय में वैद्य हैं, उनके वेतनमानों में असमानता है। आयुर्वेदिक कालेज का प्रिन्सिपल 1250-1700 के वेतनमान में है जबकि मेडिकल कालेज का प्रिन्सिपल 1700-2000 के वेतनमानों में वेतन लेता है।

**श्री उपाध्यक्ष :** इस पर तो आपका कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है।

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** इस तरह उन लोगों को असमानता की स्थिति में न डाल कर वेतनमानों में समानता लानी चाहिए। जो लेबोरेट्रीज हैं उनकी सेवायें गरीब लोगों को मुफ्त मिलनी चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष :** बहुत कह दिया।

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूं।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री ओंकारलाल चौहान।

**श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) :** उपाध्यक्षजी, चिकित्सा और स्वास्थ्य के

( श्री ओंकार लाल चौहान )

बारे में मैंने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इनका अधिक से अधिक विस्तार किया जाना चाहिए। यह जो प्रगति प्रतिवेदन पेश किया गया है इससे पता लगता है कि काफी सोच समझ कर बनाया गया है। मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि चालू वित्तीय वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में 105 नई डिस्पेन्सरी तथा 203 नयेएड पोस्ट खोले जाने की उसने स्वीकृती प्रदान की है।

भारत सरकार, खुशी की बात है; ग्रामों के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाकर ग्रामीणों को चिकित्सा की ओर ध्यान दे रही है। बीमारी तो शहरों में भी होती है और गांवों में भी होती है। जहां गन्दी बस्तियां हों या आसार हों बीमारी फैलाने के, वहां चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए मैं इस प्रगति विवरण को पढ़ रहा था। इसमें लिखा है कि 8,42,525 लोगों को बी० सी० जी० के टीके लगाए गए। क्या सर्वे किया गया इस बात का कि शहरों में कितने बीमार हुए और गांवों में कितने हुए? प्रति वर्ष क्या औसत आता है और कितनी मौतें होती हैं? क्या उपचार किया भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाए ताकि हम असेसमेंट कर सकें कि गत वर्ष में हमने क्या प्रगति की।

जहां तक मलेरिया का सम्बन्ध है, यह कार्यक्रम वर्ष 1959 से चालू है। बीच में इस बीमारी के इरेडीकेशन के परिणाम अच्छे आने लग गए थे लेकिन बाद में फिर यह रिकवर हो गई। क्या कारण है? क्या डी० डी० टी० पाउडर वीक हो गया? क्या ऐसी चीजें आ गई जिनसे वापस मलेरिया फैल गया? मैं इस बात की भी तारीफ करूंगा कि राज्य सरकार ने जो ऐसी दवाइयों के मूल्यों की बात कही है उसमें कटौती की है, यह स्वागत योग्य कदम है।

परिवार नियोजन के बारे में भी एक चैप्टर दिया है। इसमें बताया है जन्मदर घटानी है और मौतों को देख कर कितनी दर की जाएगी। कई बार सदन में बयान हुए हैं और आश्वासन मिला है कि जहां जहां परिवार नियोजन में ज्यादतियां हुई हैं वहां एक्शन लिया जाएगा। इससे जो मौत हुई हैं; उनके परिवारों को रुपया भी दिया गया है लेकिन क्या इस बात का भी सर्वे किया गया कि आपातकाल के दौरान अधिकतर अनुसूचित जाति व जन-जाति के लोगों को ही पकड़-पकड़ कर उनके ऑपरेशन्स किए गए? ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा आपरेशन किए गए उनमें लापरवाही बरती गई। उसका नतीजा यह निकला कि कई मौतें हुई। मैंने डाक्टर जे० पी० गुप्ता के लिए मुख्य मंत्री व चिकित्सा मंत्री को लिखा है कि उनके 375 केसेज बिगड़े जिसके कारण कई लोगों की मृत्यु हुई। उसके बावजूद उसका केवल ट्रांसफर किया। क्या यह पर्याप्त है? क्या यह सजा है? जिसने जन-जीवन के साथ खिलवाड़ किया, ऐसा भयंकर काम किया....

श्री उपाध्यक्ष : कटौती प्रस्ताव के विषय पर आ जाइए।

श्री ओंकारलाल चौहान : मेरा कटौती प्रस्ताव ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, परिवार नियोजन भी उसमें आ जाता है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आप ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करें।

( श्री ओंकारलाल चौहान )

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अमोलुर में प्राइमरी हेल्थ सेन्टर खाली पड़ा है। बढ़िया भवन बना हुआ है। वहां कम्पाउन्डर नहीं है। बिल्डिंग किसी काम नहीं आ रही है। शायद दो नर्सेज रहती हैं गांव में। वहां न तो आयुर्वेद डिस्पेंसरी है न एलोपैथिक। जहां बिल्डिंग सरकार ने उपलब्ध करा रखी है वहां कम्पाउन्डर डिस्पेन्सरी होनी चाहिए।

इसी प्रकार दूसरा अवाई कस्बा है। वहां लेडी डाक्टर नहीं है। लेडी डाक्टर डिस्पेन्सरी में होनी चाहिए। क्योंकि मेल्स व फिमेल्स के केसेज होते है। फिमेल्स की देखभाल की भी आवश्यकता है। अटरू में भी लेडी डाक्टर होनी चाहिए। वहां प्राइमरी हेल्थ सेन्टर की बिल्डिंग सारी चूर हो गई है, न डाक्टरों के बैठने की जगह है न मरीजों के लिए। आखिर इन बिल्डिंग की क्यों नहीं रिपेयर्स व मेन्टेनेन्स होती ? इसी तरह बापावर में भी डाक्टर डिस्पेन्सरी होनी चाहिए।

अब मैं पे-क्लिनिक्स पर आता हूं। काफी समय से बात चल रही थी कि राज्य में यह प्रणाली शुरू की जाए। इसके पीछे मन्शा यह थी सभी डाक्टर्स, खास तौर से जो विशेषज्ञ हैं, की सेवायें मरीजों को उपलब्ध हों। मैंने अनुभव यह किया है कि जिस डाक्टर पर विश्वास होता हैं जिसका मेडीकल ट्रीटमेंट व्यक्ति को अच्छा लगता है, उसी से ही करवाता है चाहे उसके लिये उसको 10-20 मील से भी आना पड़े। लेकिन पे-क्लिनिक में एक डाक्टर रोजाना उपलब्ध नहीं होता है क्योंकि उनका डे बन्धा हुआ है। तो यह व्यवस्था चलाई गई है, हो सकता है आपकी दृष्टि से ठीक हो लेकिन मरीज के साथ पूरा न्याय नहीं हो पाता। अतः इस योजना को देखा जाए आया यह राज्य के हित में है, या नहीं ? अगर हित में है तो चालू रखी जा सकती है। अगर अनुभव के आधार पर आप इस निर्णय पर पहुंचे कि यह प्रथा नहीं चल सकती, व्यवहारिक नहीं है तो इस पर पुनःविचार करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह !

श्री रामकरणसिंह ( कोट पूतली ) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे तीन कट मोशन दिये हुए हैं। इसमें मेरा सबसे पहला कट मोशन तो यह है कि आपके विभाग में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। न तो चिकित्सा विभाग के द्वारा रोगियों की देख भाल होती है न आपका विभाग इस ओर किसी प्रकार से सतर्क ही है और न ही आपके विभाग के पास पूरी तरह से दवाइयां हैं। जो कर्मचारी हैं आपके विभाग में, उनमें पूर्णतया भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे यहां पर एक गांव पहाड़ियों के बीच में है वहां पर आबादी भी काफी है पर वहां अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं है सिर्फ एक कम्पाउन्डर है। मैं बार बार उसके बारे में आपके अधिकारियों से मिल चुका हूं पर उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। जनता में भारी परेशानी है। इसके साथ ही एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं। हमारे कोटपूतली में एक अस्पताल है। अभी बाढ़ के कारण जो वहां पर दवाइयां गोदाम में पड़ी थीं वह सभी नष्ट हो गयीं।

( श्री रामकरणसिंह )

पर आपके चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मेरा निवेदन है कि आप इसके बारे में तुरन्त कार्यवाही करें जिससे कि जनता को पूर्णतया दवाइयां मिल सकें।

( 2.00 म. प. )

(श्री पुरुषोत्तम मन्त्री, सभापति, पीठासीन )

इसके अलावा जो दवाइयां आप प्राइमरी हैल्थ सेन्टर को भेजते हैं, जनता को देने के लिये देते हैं, वह जनता में नहीं बांटी जाती हैं। वह दवाइयां आपके यहां के कर्मचारी लोगों के बस्ता ए खामोशी में या थैलों में रहती हैं। मैंने इस बारे में आपके उच्च अधिकारियों को लिखा पर कोई कार्यवाही उन लोगों के खिलाफ में नहीं हो रही है। आज आप तो दवा गांव की जनता को देने के लिये देते हैं पर वह दवा नहीं मिलने से हमारे कोटपूतली के गांवों में भयंकर रूप से मलेरिया फैल रहा है, लोगों के फोड़े-फुन्सी हो रहे हैं, चेचक फैल रहा है। पर कोई भी दवा उन लोगों को नहीं मिल पा रही है। इस कारण लोग आज वहां भयंकर बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं और मर रहे हैं। सभापति महोदय, हमारे वहां पर मलेरिया की बहुतायत है, फोड़े-फुन्सी इतने हो रहे हैं कि लोग सड़ रहे हैं। मैं मन्त्रीजी से स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इसकी ओर विशेष रूप से ध्यान नहीं देंगे तो वहां के लोगों की हालत बहुत खराब हो जायेगी। आज आप करोड़ों रुपयों की मांगें स्वीकार कराना चाहते हैं पर अगर आप लोगों को गांवों में पूरी तरह से राहत नहीं दे सकते तो इससे ज्यादा गम्भीर बात क्या हो सकती है। अगर आप गांवों में लोगों की बीमारी के इलाज के लिये पूरी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। आज आपके विभाग की यह हालत है कि जिसको वहां की जनता चाहती है उस अधिकारी को आपका विभाग अपने निजी स्वार्थों के कारण से नहीं रहने देता और जिसको वहां से हटाया जाना चाहिये उसे हटाया नहीं जाता। मेरी समझ में नहीं आता कि इसके पीछे आपका क्या दृष्टिकोण है।

( समय-समाप्ति-सूचक घन्टी )

सभापति महोदय, दो मिनट ही तो हुए हैं मुझे।

**श्री सभापति :** आपको पूरे पांच मिनट हो गये हैं।

**श्री रामकरणसिंह :** सभापति महोदय, मैं अभी एक बात कह कर तुरन्त समाप्त करता हूं। सभापति महोदय, जिस व्यक्ति को वहां का जन-प्रतिनिधि चाहता है, जिसको जनता चाहती है, जिसको सरपंच चाहता है और जो जनता के लिये लाभदायक होता है उसको आपका विभाग वहां रहने नहीं देना चाहता, इसका क्या कारण है ? मैं समझता हूं कि कुछ व्यक्तियों को राजी करने के लिये आप इस प्रकार की कार्यवाही करते हैं। सभापति महोदय, इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की कार्यवाही को तुरन्त रोका जाना चाहिये। इसके अलावा आपके चिकित्सा विभाग में भयंकर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आपके निदेशक महोदय बेचारे कोई आदेश निकालते हैं तो नीचे के जो अधिकारी और

(श्री राम करण सिंह)

कर्मचारी हैं वह ऐसे हैं कि पैसा लेकर या अपने स्वार्थ की सिद्धि करने के लिये जो भी आदेश होते हैं उसमें बहुत हो होशियारी से परिवर्तन कर देते हैं। ऐसा चक्कर चलते हैं आपके यह नीचे के अधिकारी कि आप भी चक्कर में पड जाते हैं, हम भी चक्कर में पड़ जाते हैं और जनता भी चक्कर में पड़ जाती है। सभापति महोदय, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि किस प्रकार निजी चहेतों की स्वार्थसिद्धी के लिये एक मेहतर का ट्रांसफर वहां से सौ मील दूर पर कर दिया गया। इसका कोई कारण नहीं था, शिकायत नहीं थी सिर्फ उनके चहेते डॉक्टर साहब नहीं चाहते थे। इस कारण उसके बदले अपने चहेते को ले आये। आज स्थिति यह है कि निदेशक महोदय जो भी आदेश करें उसमें नीचे वाले कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपका स्टाफ जो है नीचे न वह निदेशक महोदय के काबू में है न ही वह उनके किये हुए आदेशों की पालना करता है बल्कि उल्टे उनको गुमराह कर देता है। जो भी सूचना दी जाती है वह उनके पास तक नहीं पहुँचती हैं। जो दवाइयां आप गरीब, मजदूर और देहात के लोगों के लिये देते हैं वह उन तक नहीं पहुँचती है। इसके अलावा पता नहीं वह कहां जाती हैं। इसके साथ ही वहां पर डिस्पेन्सरीज की हालत यह है कि वहां दवाइयां मिलती नहीं हैं। जाते ही यह कहते हैं कि दवा नहीं है या कहते हैं औजार नहीं है। तो मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। इसमें इस तरह से गड़बड़ी होना जनता की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ है। आपको मेरा निवेदन है कि आप इन दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लें। दवाइयां गांवों में पूरी तरह से भिजवाने की व्यवस्था करें। मैं समझता हूं कि हमारे कोटपूतली में अभी जो बाढ़ आई उससे बहुत भयंकर रूप से बीमारियां फैल रही हैं। प्रायोरिटी देकर उनकी रोकथाम कर लोगों को उचित चिकित्सा व्यवस्था देने की कार्यवाही करें।

**श्री सभापति :** श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

(अनुपस्थित)

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** इनके नीचे ही मेरा नाम है।

**श्री सभापति :** श्री रघुनाथ विश्नोई।

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** सभापति महोदय, मैंने तीन मामलों में कट मोशन दिये हैं। उनकी ओर मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहला तो यह है कि हमारे यहां एक गरीब वेक्सीनेटर है उसको बिना कारण से परेशान किया जा रहा है। उसको पिछले सात साल से परेशान कर रहे है और अब सस्पेन्ड कर रखा है। मैंने इसके बारे में जब उसके अधिकारी को पूछा तो उसने कहा था कि आपके खिलाफ में इसने इलेक्शन में काम किया था। मैंने उसे कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है। बाद में मैंने पता लगाया तो मालूम पड़ा कि डाक्टर और उस वेक्सीनेटर के अन्दर आपस में झगड़ा था। उस डाक्टर को कई बार कहा गया पर वह उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता था। इसके अलावा अभी वह सस्पेन्ड है। वहां पर दफ्तर में भ्रष्टाचार का बोलबाला है।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

डाक्टर पैसा लेता है। अब स्थिति यह है कि उसको सस्पेन्ड करके आहोर लगा दिया है। उस व्यक्ति की औरत गर्भवती है, पैसे उसको मिलते नहीं हैं। जब कारण पूरा पता लगाया तो पता पड़ा कि उसके फिक्सेशन के लिये उससे पैसे मांगे गये। उसने पचास रुपये की रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। हालांकि उसका फिक्सेशन हो गया है पर उस व्यक्ति को सस्पेन्ड करके आहोर सौ मील दूर फेंकने का क्या तुक है, यह मेरी समझ में नहीं आता। गरीब आबिद अली वेक्सीनेटर उसको परेशान किया जा रहा है। इसके अलावा जो सी. एम. ओ. है उसने कई दिनों तक उसको चार्जशीट तक नहीं दी। जब ज्यादा पूछताछ की और कहा कि कि प्रारम्भिक जांच नहीं हुई, चार्जशीट नहीं दी तो उसको सस्पेन्ड क्यों किया गया ? जब उस व्यक्ति की कोई शिकायत नहीं थी तो क्या कारण है उसे सस्पेन्ड करने का ? पर कोई सुनने वाला नहीं है। बिना प्रारम्भिक जांच उसको सस्पेन्ड कर दिया। उसकी पत्नी गर्भवती है। उसको वहां से, पत्नी से सौ मील दूर ट्रान्सफर आबिद अली बाबू ने कर दिया है। छुट्टी उसको बकाया होने के बावजूद भी दे नहीं रहे हैं। वह बीमारी की छुट्टी लेकर गया। बीमारी का सर्टिफिकेट उसने एम. डी. डाक्टर का दिया। उसके खिलाफ में क्योंकि कुछ न कुछ करना था, सर्टिफिकेट के मामले में तो कुछ कर नहीं सकते थे इसलिए कोई दूसरे कारण बता कर स्वास्थ्य अधिकारी ने चार्जशीट दे दी। इस तरह से उस बेचारे वेक्सीनेटर को परेशान किया जा रहा है। मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि आप इस ओर विशेष तौर से ध्यान दें।

सभापति महोदय, इसके अलावा आज डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर आपके स्वास्थ्य विभाग में इतना भ्रष्टाचार का बोलबाला है कि वहां बहुत हालत खराब है। मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन विशेष तौर से है कि इसमें तो जल्दी से जल्दी सुधार करें। भ्रष्टाचार के दो और मामले पेश कर रहा हूं। रामदा सब सेन्टर के युनिसेफ के आर्टिकल्स, मेटीरियल ले जा कर बेच दिये गये। बगैर काम किये ही कर्मचारियों को तनख्वाह दे रहे हैं। दूसरा सब-सेन्टर खोला ही नहीं। दवाइयां नहीं दी गई। चार महीने से एक दिन भी नहीं गई है। सब अधिकारी उससे डरते हैं। उसको बैठी बैठी को तनख्वाह देते हैं। इस बारे में निश्चित रूप से जानकारी करें उठवा सब-सेन्टर का युनिसेफ का मेटीरियल बेच दिया। सब-सेन्टर खोला या नहीं खोला, यह जांच कर लीजिये।

दूसरा मैं निवेदन करूंगा कि सी० एम० एच० ओ० और डी० एम० ओ० दफ्तरों के बाबुओं का तबादला कर दीजिये। बाबू खुद कहते हैं, हमें अफसरों को पैसा देना पड़ता है वरना हमारे कहने से कौन काम करे। यह परिपाटी है।

( समय-समाप्ति-सूचक घंटी )

श्री सभापति : पांच मिनट हो गये। 11 बोलने वाले हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सरकारी पक्ष को भ्रष्टाचार खत्म करने में सहयोग दे रहा हूं। कम से कम समय तो मुझे देना चाहिये।

श्री सभापति : आपने कटौती प्रस्ताव में "भ्रष्टाचार" शब्द का प्रयोग ही नहीं किया।

श्री रघुनाथ विश्नोई : डठवा व रणोदर के सब सेन्टर के लिये कह रहा हूं।

सभापतिजी, इसके अलावा चीतलवाना डिस्पेन्सरी में दवाइयों के इन्तजाम और डिस्पेन्सरी भवन की इमारत की मरम्मत हेतु निवेदन करना चाहता हूं। इस भवन की मरम्मत करायें। बजट दिया नहीं। दवाइयां हैं नहीं। लोग पट्टियां खुद खरीद कर लाते हैं। कोई दवाई नहीं है। मेडिकल फैसेलिटीज वहां प्रोवाइड करें नहीं; हॉस्पिटल खोलें नहीं तो कम-से कम दवाइयों की व्यवस्था तो करें।

सभापतिजी, इसके अलावा डूंगरी व भवातड़ा में एडपोस्ट खोले हैं उस क्षेत्र में सब मलेरिया से पीड़ित हैं। हालत बहुत खराब है वहां के सेन्ट पर्सेन्ट लोग बीमार हैं। एड पोस्ट खोला है; मकान की व्यवस्था कर दी अब स्टाफ भेजें। सांचोर में 30 शैया अस्पताल खोलने का आश्वासन सरकार ने दिया था। आश्वासन समिति में यह मसला गया। राज्य सरकार ने आश्वासन दिया था कि सांचोर में यह खोला जावेगा। माननीय मंत्रीजी ने आश्वासन दे दिया था। इस आश्वासन को पूरा करने की आप कृपा करें।

( समय-समाप्ति-सूचक घंटी )

माननीय सभापतिजी, मैं चाहूंगा कि नीति की पालना होनी चाहिये। ट्रांसफर की जो नीति है उसको पालना होनी चाहिये। छंगाणीजी ने तीन केटेगरी बनायी थीं। हार्ड एरिया, सेमी हार्ड एरिया और गुड एरिया। आप नये आये हैं। 20-20 साल से डाक्टर एक ही जगह बैठे हैं उनको दूसरी जगह क्यों नहीं भेजते हैं? वे अच्छे से अच्छे एरिया में बैठकर काम कर रहे हैं। इसलिये आप इसकी नीति निर्धारित करें।

श्री सभापति : अब आप बैठिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने फूड इन्सपेक्टर्स की पावर्स विथड्रा की है। अडलट्रेशन के बारे में भारत सरकार की व आपकी क्या नीति है?

श्री सभापति : कटौती प्रस्ताव नहीं है आपका?

श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है डाक्टर की कि वह मंत्री के घर पहुंच जाय। रोज मंत्री की सेवा करे। मंत्री के घर पहुंच जाय यह डाक्टर की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है। कोई माने या नहीं माने, डाक्टर को जिन्दा रहना है तो उसे यह एक काम करना होगा। एक उदाहरण देना चाहता हूं क्योंकि समय कम है। डाक्टर का नाम मैंने लिख कर दिया हुआ है, श्याम सुन्दर हल्दिया। आपकी सलेक्शन कमेटी बैठी उसके बाद ट्यूटर इन मेडिशन सलेक्ट किया गया और चतुर्वेदी साहब, ट्यूटर इन मेडिशन सलेक्ट किया गया और उसके बाद कार्डियोलोजी लिख दिया। भगवान् जाने यह कैसे हुआ। 1-6-74 को लैटर लिखा है और उसमें यह लिखा है :

"In the Central Selection Committee, the selection was made

Page No 98

(98)



( श्री मूलचन्द डागा )

for C. A. S. and Tutor in Medicine and not for C. A. S. and Tutor in Medicine (Cardiology). I was present there as an expert. In fact no post of C. A. S. and Tutor in Medicine (Cardiology) was advertised and nobody was, therefore, considered for such a post."

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : कौनसी तारीख ?

**श्री मूलचन्द डागा** : 1-6-74 । अब क्या चाह रहे हैं आप ? पर्सनल फिजिशियन बने फिर लेक्चरार बनेगा। पहले सेवा करे तब आप करेंगे। आज का डाक्टर वह अच्छा जो हमारी सेवा करता है, विधायकों की सेवा करता है। डाक्टरों ने क्लिनिक खोल रखे हैं। मरीजों को प्रेस्क्रिप्शन दे देते हैं। और कह देते हैं, तुम जाओ वहां से ब्लड टेस्ट करा लाओ। भ्रष्टाचार के खिलाफ जिहाद बोल रहे हैं मुख्य मंत्रीजी, उस रास्ते पर चलो चतुर्वेदीजी।

आफिशियेटिंग डाइरेक्टर पौने दो साल से रूपराजजी पुरोहित, हैं बी० एन० शर्मा कार्यवाहक डाइरेक्टर हैं। टीकमजी जवाब नहीं है। सारे आफिशियेटिंग डाक्टर पौने दो साल से एक जगह पर बैठे हैं। भ्रष्टाचार को देखना है तो देखिये, सेवा की आड में कहां शोषण है। पुण्य की आड़ में कहां पाप है। गरीबों की सेवा की रट लेकिन करते हैं कुछ और काम। बसन्तमालती, पुत्ता पिष्टी हमारी दवा। च्यवनप्राश आपका। खाओ, पीओ और मौज करो। यह भ्रष्टाचार है। यह मैंने आपकी सेवा में अर्ज किया है।

**श्री सभापति** : 5 मिनट हो गए हैं।

**श्री मूलचन्द डागा** : बाप रे बाप 5 मिनट हो गये हैं।

4 महीने में 3047 आपरेशन किये हैं फेमिली प्लानिंग के श्री राजनारायण जो कहते हैं, केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री कि 3047 आपरेशन हुए और औरतों के हुए 391 इस तरह से कुल मिलाकर 3438 हुए। चार महीने में यह कुल आपरेशन हुए हैं फेमिली प्लानिंग के। यह सारा काम हुआ है परिवार नियोजन का। आज डाक्टर आइडल बैठे हुए हैं

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : परिवार कल्याण है।

**श्री मूलचन्द डागा** : हां नाम बदल गया। परिवार कल्याण हो गया।

**श्री सभापति** : आपका इस विषय में कटौती प्रस्ताव नहीं है।

**श्री मूलचन्द डागा** : मैंने एक बात यह कही। मैं कहना चाहता था डाक्टरों के बारे में। आज गिरधारीलाल जी भार्गव बोल गए....

**एक माननीय सदस्य** : कोई बात डाक्टर गंगवाल के लिये है क्या ?

**श्री मूलचन्द डागा** : उन्होंने क्या किया कि आडिट रिपोर्ट की नकल ले आये उन्हें पता ही नहीं कि वैंच कर दी गयी। उनके खिलाफ उन्होंने पढ़ दी, गिरधारीलाल जी भार्गव ने। आप आडिट आब्जेक्शन्स को देखिये। जो आडिट आब्जेक्शन खत्म हो

( श्री मूलचन्द डागा )

गए उनको तो खत्म कीजिए। महरबानी करके मन्त्री महोदय जबरदस्त चैकिंग कीजिए ..........

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

यह हॉस्पिटल की डिमाण्ड और यह घन्टी न जाने कैसे चलेंगे यह हास्पिटल।

**श्री सभापति** : 7 मिनट हो गए आपको।

**श्री मूलचन्द डागा** : बहुत बड़ी कृपा है। बैठना ही पड़ेगा।

**श्री सभापति** : कम से कम 5 मिनट और अधिक से अधिक 7 मिनट।

**श्री मूलचन्द डागा** : आप देखिये, यह श्यामसुन्दर हल्दिया कहीं लेक्चरार न बन जायें। मैं सारे कागज पेश कर चुका हूं।

**श्री सभापति** : श्री रामरघुनाथ।

**श्री रामरघुनाथ (डेगाना)** : सभापति महोदय, मेरे तीन-चार कटौती के प्रस्ताव हैं। मैं प्रारम्भ में मलेरिया और नारू के रोग के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा मलेरिया को ऐसी बीमारी है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में सभी जगह मौजूद है। मलेरिया उन्मूलन के लिए हमने बहुत पहले कहा था कि मलेरिया गांवों में रहा ही नहीं। अब जो इतना ज्यादा मलेरिया फैल रहा है इसकी वजह क्या है, इसकी तरफ गौर करें तो पता लगेगा कि गांवों में हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के समुचित पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर सके है गांवों में अधिकतर जगहों पर ग्रामवासी अब भी कच्चे तालाबों, डिग्गियों आदि से पानी पीते हैं जिसमें शुद्धता नहीं रहती वर्षा मे गन्दगी फैलती है। गांवों में ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने से यह बीमारी और भी अधिक फैलती है। जगह जगह गन्दगी होने से मलेरिया का प्रकोप है। आज से दो साल पहले हम मानने के लिये तैयार ही नहीं थे कि ग्रामीण क्षेत्र में मलेरिया होता है। लेकिन अब मलेरिया इतना जबरदस्त प्रकोप है कि आपको शायद ही कोई घर ऐसा मिलेगा जहां मलेरिया से कोई न कोई आदमी पीड़ित न हो। कई घरों में तो यह हालत है कि वहां न कोई काम करने वाला है और न खाना बनाने वाला है। घर के तमाम के तमाम लोग मलेरिया से पीड़ित हैं। सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सरकार का यह फर्ज है कि मलेरिया को समाप्त करने के लिए ऐसी व्यवस्था करें ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सस्ती या मुफ्त में दवाई उपलब्ध हो। लगातार इस ओर सक्रिय होकर मलेरिया समाप्त किया जाये वरना गांव के सारे लोग बीमार हो जायेंगे। और देश की समस्या और विकट हो जायगी।

इससे बुरी हालत नारू के रोग की है। बरसात हुई और यह बीमारी शुरू हुई। इसका कारण यह है कि गांव के लोगों को हम शुद्ध पानी नहीं पिला सकते। जो पानी तालाबों में आता है वही पानी जानवरों को पीना पड़ता है और वही पानी गांव वालों को पीना पड़ता है। पता नहीं पीने के पानी की व्यवस्था कब हो सकेगी। इसके लिए आपने लम्बे चौड़े आश्वासन दिये हैं। यह और भी दुःख की बात है कि इस बीमारी की दवा न होने से वे लोग गलत

# Page No 100

(100)



(श्री रामरघुनाथ)

इलाज करते हैं जिनको हम क्वेक्स कहते है। वह ऐसा इलाज करते हैं कि नारू निकालने हेतु छोटा मोटा कट लगाकर ज्यादा बीमारी बढ़ा देते हैं। शरीर का वह भाग सूज जाता है और कई दिनों तक चल फिर नहीं सकते। घुटने वगैरह के जोड़ हमेशा के लिए रह जाते हैं और पांव सीधा नहीं होता। शहरों में ऐसा नहीं है क्योंकि यहां लोगों को पीने के लिये फिल्टर्ड वाटर मिलता है। गांवों में फिल्टर्ड वाटर उपलब्ध नहीं है। आप पानी की व्यवस्था जब करेंगे तब करेंगे लेकिन इस बीमारी की तरफ ध्यान दें कि इसके लिए क्या किया जा सकता है ताकि यह बीमारी दूर हो।

इसके साथ ही आपने गांवों के अन्दर जितने भी चिकित्सालय खोल रखे हैं उनमें दवाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। डाक्टर लोग दवाई लिख देते हैं और कह देते हैं, यह दवाई बाजार से लाओ। पैसे वाले लोग तो दवाई दुकानों से ले सकते हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर रहने वाले लोग बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं। वह दवाई दुकानों से नहीं ला सकते। इसलिए अधिक से अधिक ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सालय हैं उनको दवाई अधिक उपलब्ध कराई जाय ताकि गरीब तबके के लोगों का इलाज सस्ता हो सके।

इसके साथ ही एक बात और कहना चाहता था। आपने मेडिकल कालेज से सम्बन्धित होस्पिटल के डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द कर दी। वह भी कोई अच्छी बात नहीं है। जिनको इलाज कराना है वह होस्पिटल में जायें। लेकिन वहां आपने पे-क्लिनिक खोल दी है। जो व्यक्ति अचानक बीमार हो जाय रात्री को वह अपने मन पसन्द डाक्टर को दिखा नहीं सकता उसे लाजिमी तौर से इमर्जेंसी में ही ले जाना पड़ता है। हर डाक्टर को प्रैक्टिस अलाउन्स देकर राज्य कोष को आर्थिक नुकसान पहुँचाया है। अब डाक्टर भ्रष्ट तरीकों से प्रैक्टिस करने लगे हैं। इसमें श्रीमान, जनता को नुकसान, राज्य सरकार को नुकसान व डाक्टरों को नुकसान है। आपके इस पे-क्लिनिक से कोई प्रसन्न नहीं है। सुनिये, अब दांतों के डाक्टरों का हाल मैं निवेदन करना चाहता था कि बड़े-बड़े शफाखानों में आपने दांतों के डाक्टर लगा रखे हैं। वहां जाओ और दांत उखड़वा लो, या छोटी मोटी केविटी हो गई है तो फिलिंग करवा लो। लेकिन दांत उखाड़ने के बाद क्या करें? न तो डाक्टर के पास सामान है कि वह दांत बनाकर दे दे और न वह घर पर इस कार्य को कर सकता है। आखिर जो उसने पढ़ाई की है वह कहां उसका उपयोग करे? वह दांत नहीं बना सकता क्योंकि होस्पिटल में उसके लिए साधन नहीं है और घर बना नहीं सकता क्योंकि प्राइवेट प्रैक्टिस कर नहीं सकता। तो डाक्टर के लिए यह प्राब्लम है कि जो ज्ञान उसके पास है उसको भी वह उपयोग में ला नहीं सकते। डाक्टर लोग चाहते हैं कि लोगों को दांत बनाकर दिये जायें लेकिन इसके लिए सुविधायें नहीं हैं, वह ऐसा नहीं कर सकते। अब दांत उखड़वाने के लिए जबरन उनके पास जाना पड़ेगा जो कि सड़क के किनारे छोटे मोटे दांत बनाने वाले बैठते हैं। दांत ठीक नहीं बनेगा तो आदमी मुंह की दूसरी बीमारियां प्राप्त कर

(श्री रामरघुनाथ)

लेगा। इसलिए बहुत ही सोचने का विषय है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक दो मिनिट और लूंगा।

जो दांतों के डाक्टर होस्पिटल में लगे हैं, वह बेकार बैठे हैं। जो गरीब है उनके दांत उखाड़ दें और जो बड़े लोग हैं उनके दांत साफ कर दिया करें, इसके सिवाय उनके पास कोई काम नहीं है। तो मेरा कहना है कि उनको दांत बनाने के लिए जितने भी साधन हैं वह उपलब्ध करायें।

अब दो पाइंट और निवेदन करना चाहूंगा। एक मेरी कान्सटीट्यूएन्सी डेगाना के संबंध में है। बरसात का सारा पानी वहां से निकलता है। डेगाना एक बड़ा कस्बा है। वहां बहुत गन्दगी रहती है क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है। इस कारण बाहर का सारा पानी गांव में से निकलता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ड्रेनेज के लिए कोई व्यवस्था करें। साथ ही इसके लिए अनुदान दें।

अन्त में खाद्य सामग्री के संबंध में कहना चाहूंगा, पहले जितनी मिलावट होती थी, इमर्जेन्सी में वह बन्द हो गयी थी। सारे सदस्य जो उधर बैठे हैं रूलिंग पार्टी में वह इमर्जेन्सी को गालियां निकालते हैं लेकिन आपने देखा होगा कि खाद्य सामग्री में इमर्जेन्सी के दौरान मिलावट बन्द हो गयी थी। अब पता नहीं राज्य सरकार ने अपने आदमियों को, अपने कृपा पात्र लोगों को लाभान्वित करने के लिए सारी मिलावट शुरू करवा दी। हिन्दुस्तान में जयपुर का खाद्य सामग्री में मिलावट में सबसे अगुआ नम्बर है, यहां सबसे ज्यादा मिलावट होती है। इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम खाने पीने की चीजें जो कि छोटी मोटी घरेलू कार्यों में काम में आती हैं जैसे हल्दी है, मिर्च है, धनिया है इसमें मिलावट नहीं हो। इनमें जो लोग मिलावट करते हैं उनको बहुत बड़ा पनिशमेन्ट दिया जाये। इसके लिए नये कानून की अगर आवश्यकता हो तो उसकी व्यवस्था की जाये।

**श्री सभापति :** श्री शंकरलाल।

**श्री शंकरलाल (जैतारण) :** सभापति महोदय, कुछ दिन पूर्व हमारे चिकित्सा मंत्री महोदय ने एस० एम० एस० होस्पिटल का इन्सपेक्शन किया था और कुछ जांच भी की थी। ऐसा ज्ञात हुआ कि आपने रसोई घर का भी निरीक्षण किया और वहां बरतन भी जब्त किये। आप नतीजे पर पहुंचे कि जो स्टेनलैस स्टील के बरतन होने चाहिए उसकी जगह दूसरी प्रकार के बरतन थे। इस घोटाले का आपको पता लगा। यह पता नहीं कि आपने उसके बारे में क्या किया व इस तरह से...

**श्री सभापति :** माननीय सदस्य, इस विषय में आपका कटौती प्रस्ताव नहीं है। मेहरबानी करके कटौती प्रस्तावों तक ही सीमित रहें।

**श्री शंकरलाल :** सभापति महोदय, जो दवाइयों के बारे में मैंने कटौती प्रस्ताव रखा है उस कटौती प्रस्ताव के जरिये मैंने निवेदन किया कि लोगों को मालूम नहीं कि कौन सी दवाइयां अस्पताल से मिलेंगी और कौन सी दवाइयां अस्पताल से नहीं मिलेंगी। इसलिये हर अस्पताल के बाहर इस प्रकार की सूची लगाई जावे कि यह दवाइयां

( श्री शंकरलाल )

अस्पताल से मिलेंगी और यह दवाइयां बाहर से लानी हैं। मेरी जान पहचान है तो डाक्टर मुझको दवाई प्रेस्काइब कर देगा लेकिन दूसरे सारे आदमियों को प्रेस्क्राइब नहीं करेगा। 1100 पेशेन्ट्स की औसत है एस. एम. एस. अस्पताल में। जो अस्पताल की दवाइयां प्रेस्क्राइब कर दी जाती हैं उनमें से करीब 16 प्रकार की दवाइयां मिलती नहीं हैं। आप कृपा करके डाक्टर से ऐसी दवाइयां प्रेस्काइब करायें जो गरीबों को मिल सकें। फण्ड्स की भी कमी है। सिर्फ 42 हजार रुपये इसके लिये आपने रखे हैं। मैं दवाइयों की उपलब्धि के बारे में निवेदन कर रहा था। स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने निरीक्षण के समय डाकूमेंट्स सीज किये थे, घोटाले का पता चला लेकिन उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की, उसके बारे में आज तक जनता को कुछ मालूम नहीं पड़ा।

इसके अलावा मैंने कुछ कटौती प्रस्ताव रखे हैं अपने क्षेत्र के बारे में जैतारण तहसील के अन्दर मोहराई गांव है। उसके अन्दर पहले वाली सरकार ने डिस्पेन्सरी खोलने की स्वीकृति दी। वहां के लोगों ने मकान की व्यवस्था की। अब वह आपने रद्द कर दी जैसा पहले स्कूलों के बारे में कहा उसी प्रकार मैं कहना चाहता हूं आपने वह डिस्पेन्सरी क्यों रद्द कर दी ?

इसी प्रकार आनन्दपुर तहसील जैतारण में बहुत बड़ा गांव है लेकिन वहां पर डाक्टर नहीं है। मेरी समझ मे नहीं आता किस तरह काम होगा। वहां पर डाक्टर नहीं पहुंचता।

( समय-समाप्ति-सूचक घन्टी )

सभापति महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्तावों पर ही बोल रहा हूं।

मेडिकल और सर्जिकल यूनिट्स के अन्दर सबसे उपयोगी चीज है वह है मोबाइल सर्जिकल यूनिट। उनकी संख्या बढ़ाइये। मैं सुझाव देना चाहता हूं हर डिवीजन में एक मोबाइल सर्जिकल यूनिट रखें। जहां तक मेरी जानकारी है केवल दो यूनिट्स हैं उनसे लाभ मिलता है इसलिये उनकी संख्या बढ़ाइये।

उपभोक्ता भण्डारों से ही दवाइयां खरीदें ऐसा प्रावधान आपने रखा। यह प्रावधान आपने विधायकों के लिये भी कर रखा है। यह गलत है। आज आप दवाइयों के लिये उपभोक्ता भण्डारों में जायें तो उनके अन्दर दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। एन. ओ. सी. लीजिये फिर दूसरी जगह से खरीदिये। आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसका मोनोपोलाइजेशन करना चाहते हैं। दवाइयां ऐसी चीज है कि जहां से मिलें, लें। यह जरूरी नहीं कि एक जगह से ली जायें। आपकी यह प्रणाली चाहे किसी सरकार ने, किसी अधिकारी ने निकाली है, यह ठीक नहीं है। इस प्रकार की जो व्यवस्था है, उसे ठीक करें। यही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इसके अन्दर सुधार लाना चाहते हैं तो जो आपने जांच की है उसका नतीजा लोगों के सामने आये।

( समय-समाप्ति-सूचक घन्टी )

श्री मूलचन्द डागा : बहुत बड़ा प्रश्न है, उपभोक्ता भण्डार बन्द रहते हैं। कितने घन्टे बन्द रहते है ?

श्री सभापति : माननीय श्री प्रद्युम्नसिंह

( अनुपस्थित )

( श्री सभापति )

माननीय श्री शिवचरण सिंह।

( अनुपस्थित )

माननीय श्री अजीत सिंह।

**श्री अजीत सिंह ( टोंक )** : सभापति महोदय, आज सरकार की इस विभाग के ऊपर जो पकड़ होनी चाहिये वह काफी ढीली पड़ती जा रही है, इस पर कन्ट्रोल नहीं हो पा रहा है। इस सम्बन्ध में मैंने कटौती प्रस्ताव रखे हैं। माननीय सभापति जी, मेरे टोंक के अन्दर सर्वे कराया गया। मलेरिया को बीमारी 60 पर्सेंट लोगों में पाई गई, एक सर्वे रिपोर्ट के अन्दर यह है। फिर भी विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। कलेक्टर के माध्यम से पत्र लिखे फिर भी न टीके लगाये गये, न कुछ और कार्यवाही की गई। जो रोक थाम होनी चाहिये वह भी नहीं हुई। डिपार्टमेन्ट पर आपको कठोरता से नियन्त्रण करना चाहिये।

छूत की जो बीमारी है उनकी रोक-थाम के कोई उपाय नहीं किये जाते। ऐसे मरीजों को अलग से रखने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है।

मरीजों को टट्टी पेशाब के लिये बाहर जाना पड़ता है। आपके नोटिस में भी लाये लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया।

एक्स-रे की मशीनें बन्द पड़ी हैं। एक्सरे जैसी मशीनों के ऊपर आपका विभाग ध्यान नहीं देता।

आप का मलेरिया विभाग निकम्मा पड़ गया है। अगर मलेरिया के उन्मूलन के लिये कोई काम नहीं करना है तो इसको बन्द क्यों नहीं कर देते ? गांव-गांव में डाक्टर बैठा रखे हैं, बड़ा भारी खर्चा होता है। फिर भी मलेरिया को कन्ट्रोल कर नहीं पाये। अगर आपको इस विभाग को चलाना है तो ठीक ढंग से चलाइये। टी. बी. के बीमारों के इलाज के लिये, उनके सोने बैठने की अलग से व्यवस्था कीजिये। वहां के लोग अधिकतर बीड़ी का धन्धा करते हैं। यह धन्धा वहां पर 5-7 हजार आदमी करते हैं।

परिवार नियोजन के बारे में आपका यह विभाग निकम्मा हो गया है, इस के क्या कारण हैं ? इसके बारे में कोई नीति निर्धारित कर के व्यवस्था कीजिये नहीं तो इसका स्टाफ बड़े अस्पतालों और डिस्पेन्स-रियों में लगा दीजिये। परिवार नियोजन केन्द्रों के दरवाजे बिल्कुल बन्द हैं। डिपार्ट-मेन्ट के लोग खाली बैठे तनखाह उठा रहे हैं। मैं तो सुझाव दूंगा आप इनको बड़े अस्पतालों और डिस्पेन्सरियों में लगा दीजिये।

दूसरा कटौती प्रस्ताव मेरा, सभापति महोदय, दवाइयों के सम्बन्ध में है। जयपुर के अन्दर बड़े पैमाने पर नकली दवाइयां चल रही हैं। पहले छापा मारा गया था उसमें बड़े स्टोर चपेट में आये थे, न मालूम उस केस में क्या हुआ ? आज हालत यह है कि नकली दवाइयां बड़ी प्रचुर मात्रा में मिल रही हैं। इसका फैलाव गांवों के अन्दर काफी बढ़ गया है। छोटी छोटी डिस्पेन्सरियों में नकली दवाइयों का लेनदेन चल रहा है। जो आपके यूनिट्स हैं वह बिलकुल निकम्मे हैं। उन्होंने पैसे बान्ध रखे हैं स्टोर से। तो क्या आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वे ठीक दवा देंगे। इस पर कन्ट्रोल नहीं हो रहा है इसलिये निवेदन करूंगा, स्पेशल पार्टी कायम कर दीजिये जो कि मेडिकल स्टोर्स

Page No 104

(104)



(श्री अजीतसिंह)

पर छापे डाले। मेरा यह भी सुझाव है कि गरीबों को अगर आप दवा देना चाहते हैं और रूरल डिस्पेन्सरीज में दवा उपलब्ध कराना चाहते हैं तो जो पुराने मिक्सचर हैं उनको ही इन्ट्रोड्यूज करिये ताकि कम पैसों में ज्यादा लोगों की सेवा हो सके।

इसी प्रकार आयुर्वेद विभाग में भी हालत खराब है। या तो आप यूनानी अस्पतालों की सहायता बन्द कर दें या फिर उनको आप टाइट कीजिये। एक ही आदमी 12-12 साल से बैठा हुआ है। उसके पास कोई काम नहीं है और न उसके पास मरीज ही आते हैं। मरीज आकर उसके पास करें भी क्या। उसे मरना थोड़े ही है। औषधालयों को जो दवा देते हैं उसके वितरण की व्यवस्था ठीक करें। दवा के अभाव में वैद्य हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। मेरा तो निवेदन है कि आप दवा वितरण का एक चार्ट बना लीजिये ताकि दो पैसे का चूर्ण चटनी तो वैद्य मरीज को दे सके। उससे ही गांव वालों को थोड़ा बहुत लाभ होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि उनको हटाकर आप दूसरी व्यवस्था कीजिये जिससे निश्चित रूप से गांव वालों को लाभ पहुंचे और व्यवस्था भी ठीक हो।

**श्री सभापति :** श्री कल्याणसिंह !

**श्री कल्याण सिंह सांखला (अजमेर पूर्व) :** सभापति महोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का जो संक्षिप्त प्रगति प्रतिवेदन मिला है, उसमें प्रारम्भ में ही यह बात कही गई है कि देश की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति का वहां के निवासियों के स्वास्थ्य स्तर से गहरा सम्बन्ध होता है। इसलिए एक कल्याणकारी राज्य में पर्याप्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराना वहां की सरकार का एक महत्वपूर्ण दायित्व होता है। बहुत ही अच्छी बात कही गई है। इन्हीं शब्दों की ओर मैं, स्वास्थ्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज अजमेर शहर की आबादी लगभग साढ़े तीन लाख है। 28 गांव उसमें और सम्मिलित कर दिये गये हैं परन्तु जवाहरलाल नेहरू हास्पिटल के अलावा पूरे शहर में कोई दूसरा चिकित्सालय को व्यवस्था नहीं है जहां आदमी जाकर अपना इलाज करा सके। अगर किसी आदमी को चोट लग जाय और एक दो टांके लगाने पड़ें तो उसको 5-7 मील चल कर जवाहरलाल नेहरू हास्पिटल में जाना पड़ता है। तीस साल की आजादी के बाद राजस्थान के प्रमुख शहर में स्वास्थ्य सम्बंधी सुविधा कितनी दुर्लभ है। यह एक सोचनीय विषय है। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि कैसी हालत चिकित्सा के संबंध में वहां के लोगों की है। मैं निवेदन करूंगा कि अजमेर शहर की जनसंख्या को देखते हुए और उसके फैलाव को देखते हुए कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां डिस्पेन्सरी होनी चाहिये, जैसे रामगंज क्षेत्र है वहां डिस्पेन्सरी हो, उससे आस-पास का काफी एरिया कवर हो सकता है। वहां से नेहरू हास्पिटल लगभग 5 किलोमीटर दूर पड़ता है। इसलिए वहां डिस्पेन्सरी होना आवश्यक है। गुलाबबाड़ी क्षेत्र है वह लगभग 7 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहां डिस्पेन्सरी खुलना आवश्यक है। इसी प्रकार मोतीकटला क्षेत्र में डिस्पेन्सरी खोलें तो शहर के अन्दरूनी एरिया को उससे काफी लाभ मिल सकता है।

आज नेहरू हास्पिटल में जो स्थिति चल रही है वह भी अत्यन्त ही खराब है।

(श्री कल्याणसिंह सांखला)

किसी मरीज को ग्लूकोज की आवश्यकता हो तो वह वहां नहीं मिलता है वह बाजार से लाना पड़ता है। जो बोतल के साथ नली आदि सामान लगता है वह भी प्रत्येक बोतल के साथ खरीद कर मरीज को लाना पड़ता है। जब सरकार स्वास्थ्य पर इतना पैसा खर्च करती है और अजमेर में मेडिकल कॉलेज भी है, फिर भी वहां दवाओं की पूरी व्यवस्था नहीं है। ग्लूकोज तक की सुविधा मरीजों को उपलब्ध नहीं होती है जबकि वहां पूरे जिले के लोग आते हैं। मेरा निवेदन है कि आस-पास में डिस्पेन्सरी खोल दें तो अस्पताल पर भार कम पड़ेगा। डिस्पेन्सरी में लोगों का छोटा-मोटा इलाज भी हो जायेगा और अस्पताल बड़ी बीमारियों के लिये रह जायेगा। मैं स्वास्थ्य मन्त्री जी से आशा करता हूं कि वे डिस्पेन्सरी खोलने की व्यवस्था करेंगे।

दूसरा निवेदन है कि अजमेर शहर में मलेरिया का भयंकर प्रकोप है। जैसा मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है कि आजकल मच्छर डी० डी० टी० को भी हजम कर जाते हैं ...

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

तो उसकी कोई दूसरी व्यवस्था हो। आज प्रत्येक घर में मलेरिया का प्रकोप है। कोई घर बचा हुआ नहीं है।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं मिलावट रोकने की व्यवस्था बनी हुई है....

**श्री सभापति :** इस पर, माननीय सदस्य, आपका कटौती का प्रस्ताव नहीं है।

**श्री कल्याणसिंह सांखला :** प्रस्ताव तो नहीं है....

**श्री सभापति :** आप कृपा करके जिस विषय पर कटौती प्रस्ताव नहीं है, उस पर मत बोलिये।

**श्री कल्याणसिंह सांखला :** सभापति महोदय, समय की परिधि में ही मैं बोलना चाहता हूं। तो मैं यह निवेदन कर रहा हूं आज जो मिलावट रोकने की व्यवस्था है, उससे मिलावट रुक नहीं पाती है। आज जो गली में तेल बेचने वाला है जो एक-आध किलो तेल रोज बेच पाता है उसका तो तेल का सेम्पल भरा जाता है लेकिन जो मिल तेल सप्लाई करती है उससे सेम्पल नहीं लिया जाता है। एक-दो किलो तेल जो गली का गरीब दुकानदार बेच रहा है उससे सेम्पल लेते हैं तो मेरा निवेदन है इससे मिलावट रुकने वाली नहीं है। जहां मूल रूप में सामान बनता है, मेरा ख्याल है वहां से सेम्पल लिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा और मिलावट रोकने का यही एक तरीका होगा। इसी प्रकार खाने की मीठी गोलियों के सम्बन्ध में निवेदन है जहां पर निर्माण हो वहीं पर सेम्पल भरा जाये। खाद्य पदार्थों का सेम्पल निर्माण स्थल पर ही भरा जाय।

**श्री सभापति :** श्री रामदेव !

(अनुपस्थित)

**श्री रामसिंह विश्नोई !**

**श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) :** सभापति महोदय, मैंने चिकित्सा के सम्बन्ध में कटौती के प्रस्ताव दिये हैं। प्रथम तो राजस्थान के गांवों में चिकित्सा की कोई व्यवस्था ही नहीं है और अगर कहीं कोई मामूली व्यवस्था है भी तो लोगों को 10-15 मील चलकर उस चिकित्सालय में

( श्री रामसिंह विश्नोई )

माना पड़ता है। अलबत्ता तो डाक्टर वहां जाते नहीं हैं। मगर कोई भलामानस डाक्टर चला भी जाता है तो उन गांवों के चिकित्सालयों में किस तरह की दवा उपलब्ध नहीं है। केवल मात्र चिकित्सालय खोलने से या डाक्टर के जाने से गांवों में बीमारी का इलाज हो जावे यह सम्भव नहीं है। मैं, सभापति महोदय, यही निवेदन करूंगा कि गांवों में छोटी मोटी चिकित्सा की व्यवस्था अवश्य हो होनी चाहिये। प्रत्येक क्षेत्र में औषधालय या चिकित्सालय की व्यवस्था हो ताकि गरीबों को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े और इसका इलाज सही ढंग से और शीघ्र हो सके। मैंने ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर चिकित्सालय और चिकित्सा व्यवस्था के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव दिये हैं। मैंने यह मांग की थी, माननीय सभापति महोदय, गांवों के अन्दर जो दवा विक्रेता हैं वे पूरी तरह से दवायें रख नहीं सकते। इसलिए राज्य का यह पहला दायित्व है कि गांवों के अन्दर जो चिकित्सालय हैं वहां पर ग्राम की जरूरत की बीमारियों को दवाइयां उपलब्ध होनी चाहिए। जैसे खुजली की दवा है, आंख की बीमारी की दवा है, छोटी छोटी अन्य बीमारियों की दवा हैं, चोट की या मामूली सिरदर्द की जो रोजमर्रा काम में आती हैं, वह दवाएं दुकानों से, विक्रेताओं से नहीं मंगवा कर चिकित्सालय के जरिये ही उनको व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए बजट का प्रावधान भी ज्यादा किया जाना चाहिए ताकि गांव के अन्दर दवा खरीद कर जो गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करा सकते उनके इलाज की समुचित व्यवस्था हो सके।

एक, माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक टेंडेन्सी है डाक्टरों की, चाहे शहर के हों या गांव के हों, वे उन्हीं कम्पनी की दवाओं को लिखते हैं जहां से पर्याप्त कमीशन मिलता है; जिनसे ज्यादा कमीशन मिलता है। कमीशन वही कम्पनी ज्यादा देती है जो या तो छोटी कम्पनी है या हल्की कम्पनी है, जो दवाइयां अच्छी नहीं बनाती है। उन्हीं कम्पनियों से डाक्टर लोगों को ज्यादा कमीशन मिलता है और उन्हीं को दवाइयां ये लोग लिखते हैं। इससे मरीजों का इलाज नहीं होता। गरीब आदमी पैसा भी ज्यादा देता है और उसका इलाज भी नहीं हो पाता। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इस टेंडेंसी को रोकने के आदेश, निर्देश दें और इसकी व्यवस्था करावें। जो कम्पनियां गलत दवाइयां बेचती हैं ज्यादा पैसा चार्ज करती हैं कमीशन ज्यादा देती हैं, कमीशन के कारण डाक्टर लोग सही दवाई नहीं लिखकर इन कम्पनियों की दवाइयां लिखते हैं जिससे गरीब आदमी का इलाज नहीं हो पाता है। इसलिए आप ऐसी व्यवस्था करायें जिससे चिकित्सालय में ही उनका इलाज हो सके और गरीब आदमी को फायदा मिल सके। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता था, माननीय सभापति महोदय, गांव हो या शहर, सहकारी संस्थाओं के जरिये दवाओं का वितरण करावें ताकि करप्शन ज्यादा न हो। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी दवा विक्रेता हैं बिना रसीद काटे, बिना बिल दिये ज्यादा से ज्यादा पैसा ले करके दवा देते हैं। डाक्टर कोई दवाई लिखते हैं, दवा दूसरी दे देते हैं। ये छोटी मोटी बातें हैं। हकीकत में गरीब आदमी

( श्री रामसिंह विश्नोई )

इसका सामना नहीं कर सकते क्योंकि वे समझते नहीं है, अनपढ़ हैं, जानते हीं नहीं कि उनको कौनसी दवा खरीदनी है। इस तरह से उनको गलत दवा दे दी जाती है।

( समय-समाप्ति-सूचक घण्टी )

इसके कारण करप्शन भी बढ़ता है।

बिलाड़ा कस्बा जहां पर बहुत पुराना राजकीय अस्पताल है, जो जीर्ण अवस्था में है। जहां कि आबादी 25000 है वहां की जनता ने करीब पांच लाख रुपये चन्दे के इकट्ठे किये हैं। वहां पर 25 बेड का एक राजकीय स्वीकृति से नया अस्पताल बनाना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि इसके लिए प्रावधान रखा जा कर इसकी व्यवस्था की जाय।

श्री सभापति : माननीय श्री खेतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनन्दन व्यास !

(अनुपस्थित)

श्री कौशलकिशोर जैन !

श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री, स्वास्थ्य मंत्री, महोदय का ध्यान भीलवाड़ा जिले के चिकित्सालय की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय....

एक माननीय सदस्य : भीलवाड़ा मिल की तरफ।

श्री कौशलकिशोर जैन : वह तो प्रातः काल हो गया है।

श्री मनोहर सिंह मेहता : इन्होंने पूछा कि क्या भीलवाड़ा मिल की बात कह रहे हैं।

श्री कौशल किशोर जैन : प्रातःकाल के समय या सायंकाल के समय जनरल हास्पिटल भीलवाड़ा में चले जायें तो ऐसा लगता है कि यह अस्पताल है कि सार्वजनिक शौचालय। उसके चारों ओर दृष्टि घुमा लीजिए, प्रातःकाल के समय करीब पचास लोग उस अस्पताल के मैदान के अन्दर शौच करते हुए बैठे दिखाई देंगे। इसी कारण कई वर्षों से भीलवाड़ा के अन्दर अनेक व्यक्ति आंत्रशोथ की बीमारी के शिकार हो गये। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय स्वास्थ्य मन्त्री महोदय को कि वे इस ओर ध्यान दें और इस प्रकार की व्यवस्था करें जिससे यह रुक सके। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि जो मैदान खाली पड़ा है उस प्रांगण के अन्दर, उसके अन्दर कुछ खेती की व्यवस्था की जाय या छोटा मोटा फार्म लगाया जाय। इस प्रांगण के अन्दर छोटी सी सराय बनी हुई है जो पूरी नहीं बनी है। इसमें तीन चार कमरे हैं जो आधे बने हुए हैं। कई वर्षों से यह तीन-चार कमरों की आधी बनी हुई सराय सार्वजनिक शौचालय का रूप लिए हुए है जिसमें आस-पास के सारे मोहल्ले के लोग शौच जाते हैं। कई बार इस बारे में मांग की जा चुकी है कि इस आधी बनी हुई सराय को डिसमेंटल किया जाय लेकिन उस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। मेरा निवेदन है कि इस छोटीसी आधी बनी हुई सराय को समाप्त किया जाय।

मैं एक निवेदन यह भी करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा अस्पताल से लगा हुआ एक नर्सेज होस्टल है। 60 के आस पास नर्सेज उस होस्टल में रहती हैं। यहां होस्टल

( श्री कौशल किशोर जैन )

काफी दिनों से स्टोर-कम-होस्टल बना हुआ है। भीलवाड़ा अस्पताल का स्टोर इसमें चलता है। मैंने स्वयं जाकर देखा है कि कुल मिलाकर इसमें छः कमरे हैं, तीन-चार कमरों में अस्पताल का सामान भरा हुआ है। केवल तीन-चार कमरों में...

**श्री सभापति :** इस पर आपका कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है ।

**श्री कौशल किशोर जैन :** है, माननीय सभापति महोदय। मेरे पांच कटौती प्रस्ताव हैं उसमें यह नर्सेज होस्टल की बात भी है।

**श्री सभापति :** इस पर आपके कुल तीन कटौती प्रस्ताव हैं, पांच नहीं हैं।

**श्री कौशल किशोर जैन :** आगे होंगे, माननीय सभापति महोदय, आप देख लें ।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :** एक साथ नहीं हैं, अलग-अलग हैं।

**श्री कौशलकिशोर जैन :** इस होस्टल में 41 नर्सेज रहती हैं। इसी होस्टल में जो स्टोर रूम बने हुए हैं उनमें चौबीसों घन्टे आना जाना रहता है। इसकी वजह से यह भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। ये सारे कमरे नर्सेज होस्टल के लिए ही स्वीकृत हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस स्टोर को तुरन्त समाप्त करके वहां पर नर्सेज के रहने की व्यवस्था की जाय। अभी तीन कमरों में चालीस नर्सेज को भरा हुआ है, मैं निवेदन करूंगा कि उस सारे होस्टल को; सारे कमरों को नर्सों को उपलब्ध करवाया जाय।

इसी नर्सेज होस्टल से जुड़ती हुई एक छोटी सी सड़क का निर्माण करने के लिए 25 हजार रुपये रेडक्रास ने स्वीकृत किए थे किन्तु कहीं सड़क दिखाई नहीं देती। वर्षा के दिनों के अन्दर भीलवाड़ा में इस प्रकार का दृश्य उपस्थित हो जाता है मानो इस होस्टल का बाकी सड़कों से कोई सम्बन्ध ही नहीं हो।

मैं टी० बी० क्लिनिक की ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। भीलवाड़ा के अन्दर 20 जून तक टी० बी० क्लिनिक में एक अण्डा मरीज को दिया जाता था। 20 जून के बाद वह अण्डा देना बन्द कर दिया गया है। कारण यह बतलाया गया कि एक अण्डा एक रुपये में आता है। ठेकेदार की बेईमानी से या डाक्टरों की बेईमानी से, न मालूम कौन बेईमानी करते थे, अब मरीजों को अण्डा देना बन्द कर दिया गया है। मेरा निवेदन है कि टी० बी० के मरीजों को टी० बी० क्लिनिक के अन्दर अण्डा मिलना चाहिए। यह सुविधा उनको मिलनी चाहिए। यह जो सुविधा बन्द की गई है इसको निश्चित रूप से पुनः चालू किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं एक और बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। राजस्थान के अन्दर आयुर्वेद और एलोपेथी के अन्दर जो अन्तर है उसके बारे में मैं; सभापति महोदय, आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा।

( समय-समाप्ति-सूचक घण्टी )

दिनांक 1-4-66 को जो भिषगाचार्य हैं उनको पांच-पांच रुपये के तीन इन्क्रीमेंट एक साथ दिए गए थे। उससे पांच सौ वैद्यों को लाभ हुआ था किन्तु 1-4-66 से दिए इन्क्रीमेंट को 30-4-77 को वापस ले लिया

(श्री कौशल किशोर जैन)

है। इस प्रकार एक वैद्य को कम से कम सौ रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। मेरा निवेदन है कि वैद्यों को डाक्टरों के समान वेतनमान दिया जाय।

डॉक्टरों में एक इण्टरनी को तीन सौ साढ़े तीन सौ रुपया दिया जाता है और एक वैद्य को डेढ़ सौ रुपया ही मिलता है। गुजरात सरकार ने समान वेतनमान दिए हैं उसी तरह से राजस्थान सरकार भी दे ताकि मेधावी लोग आयुर्वेद को अपनायें और आयुर्वेद पर शोध करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

**श्री सभापति :** इस विषय पर आपका कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है। मेहरबानी करके बैठिए।

**श्री कौशलकिशोर जैन :** जूनागढ़ के अन्दर आयुर्वेद शोध संस्थान की व्यवस्था की गई है, इसी प्रकार राजस्थान सरकार को भी आयुर्वेद शोध संस्थान की व्यवस्था करनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

## सूचना

## महँगाई विरोधी प्रदर्शन

**श्री मथुरा दास माथुर :** माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और आपके जरिये राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि महगाई के प्रश्न को लेकर एक बड़ा नागरिकों का जुलूस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में विधान सभा भवन के सामने पहुँचा है। मुख्य मंत्री या मन्त्रिमण्डल के माननीय सदस्यों को मेमोरेंडम दे कर के आज की बढ़ती हुई महँगाई, जो आकाश को छू रही है, की ओर सरकार का ध्यान खींचना चाहता है। इसलिए मैं आपके जरिये मंत्रि-मण्डल के माननीय सदस्य, जो यहां पर बैठे हुए हैं उनका ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि या तो खुद जाकर मिलें, या मुख्य मंत्री को सूचना दें कि वे खुद जाकर उस डेपुटेशन से मिलें, जुलूस जो आया है उसके प्रतिनिधि दरवाजे पर खड़े हुवे हैं, उनसे मिलें, उनको रिसीव करें या ऐसी व्यवस्था करें कि वह डेपुटेशन जो बाहर खड़ा हुआ है वह मिल सके। माननीय सभापति महोदय, यह सदन की परम्परा रही है कि ऐसे मौकों पर जब कि लोग आते हैं, या तो मुख्य मंत्री या मंत्रिमण्डल के सम्बन्धित माननीय सदस्य जाकर लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। उसी परम्परा के अनुसार, सभापति महोदय, मैं आपके जरिये से सदन का ध्यान खींचना चाहूंगा कि वह इस परम्परा को निभायें और नागरिकों का जो डेपुटेशन कांग्रेस के नेतृत्व में आया हुआ है उससे मिलें।

**श्री शंकरलाल :** सभापति महोदय, स्वयं मुख्य मंत्री महोदय को जाना चाहिए और साथ ही आसन को भी जाना चाहिए। हजारों की संख्या में नागरिक आये हुए हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ा रोग है देश के सामने, हमारे प्रदेश के सामने वह सबसे बड़ा रोग महंगाई का है। आम आदमी इससे त्रस्त है। इसका उपचार होना चाहिए। यह जुलूस आम जनता की आवाज को लेकर आया है। मुख्य मंत्रीजी को इनसे मिलना चाहिए और इन लोगों को सम्बोधित करना चाहिए।

(व्यवधान)

**श्री सभापति :** आप तशरीफ रखिए।

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** मुख्य मंत्री महोदय को जाकर के मेमोरेन्डम लेना चाहिए। आज जयपुर शहर में दुकानें बन्द हैं। वे आपका इन्तजार कर रहे हैं। मुख्य मंत्री जी आफिस में विराजमान हैं और शिक्षा मंत्रीजी यहां पर विराजमान हैं।

**श्री सभापति :** मुख्य मंत्रीजी को सूचना दे दी गई है।

**श्री अब्दुल अजीज।**

**श्री नवनीत पालीवाल :** इस प्रश्न पर जयपुर बन्द नहीं है। छात्रों ने बन्द करवा दिया है।

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** चेयर से रूलिंग हो गई है। आज ही इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए।

**श्री सभापति :** अलग से और रूलिंग की आवश्यकता नहीं है। इस समय जो तथ्य हैं, मुख्य मंत्री और विरोधी दल के नेता मिल कर समय तय करेंगे। इसके अलावा मथुरादास जी माथुर ने जो बात यहां पर रखी है, उसकी सूचना मुख्य मंत्री महोदय को भेज दी गई है।

**श्री दिग्विजय सिंह :** माननीय सदस्य परम्परा की बात कह रहे है। यह भी परम्परा रही है कि जो प्रतिनिधि आये हैं, वे मेमोरेन्डम लेकर माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मिल लें।

( व्यवधान )

**श्री शंकरलाल :** सरकार का यह रवैया तो खराब है। गलत है।

( व्यवधान )

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी :** माननीय सभापतिजी, सूचना मुख्य मंत्रीजी को भिजवा दी गई है।

**श्री दिग्विजय सिंह :** भूतपूर्व मुख्य मंत्री कभी भी मिलने गये हों, ऐसा कोई एक उदाहरण बता दें।

**श्री मथुरादास माथुर :** मैं आपको बता दूं जो नागरिक आए हैं जुलूस लेकर, वे मेमोरेन्डम लेकर आए हैं। सेक्रेटेरिएट जाएं तो वह अलग प्रश्न है और इस सदन के सामने कोई जुलूस आवे तो यह दूसरा प्रश्न है। इस सदन के सामने जो जुलूस लेकर आते हैं, वे उनसे मुख्य मंत्री की हैसियत से नहीं लीडर ऑफ दी हॉउस की हैसियत से मिलने आते हैं वरना वे सेक्रेटेरिएट जाते। यह जुलूस असेम्बली के सामने, सदन के सामने आया है। इस सदन के माननीय सदस्यों के सामने आया है। तो इस वक्त जो सदन के नेता हैं, उन्हें सदन के नेता की हैसियत से उनके सामने जाना चाहिए। यह गवर्नमेंट का काम नहीं है। उनको सदन के नेता की हैसियत से जाना चाहिये। हमारे नेता हैं, इसलिए उनको जाना चाहिए।

**श्री सभापति :** सूचना दे दी गई है।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :** माननीय सभापति महोदय, विरोधी दल के माननीय सदस्य ने जो भावनाएं यहां पर व्यक्त की हैं, उनसे मुख्य मंत्री महोदय को परिचित करा दिया गया है, सूचना भिजवा दी गई है। उसके अनुसार जो कार्यवाही करनी है, वह कर लेंगे।

**श्री मथुरादास माथुर :** उस कार्यवाही की सूचना यहां पर, सदन में भेजें या

(श्री मथुरादास माथुर)

माननीय सभापति जी, आपके जरिए से हम को सूचित करें कि वे क्या कार्यवाही करना चाहते हैं।

श्री सभापति : यह हो जाएगा। थोड़ा इन्तजार कीजिए।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र होनी चाहिए। वहां पर हजारों की संख्या में नागरिक आए हैं।

श्री सभापति : श्री अब्दुल अजीज।

श्री अब्दुल अजीज : सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से ज्ञापन दिया जाय, इस पर जो सदन के अन्दर व्यवस्था दी गई है, वह अच्छी परम्परा है। परन्तु महंगाई को रोकने के बारे में आपका क्या जवाब है, यह बताया जाए। इस महंगाई को रोकने के बारे में क्या कदम उठायेंगे, इसके बारे में....

श्री सभापति : मैं निवेदन करूंगा कि कृपया माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव पर बोलें।

श्री अब्दुल अजीज : अच्छा, इसके लिए कहा है।

श्री शंकरलाल : यह प्रस्ताव ज्यादा महत्वपूर्ण है।

श्री सभापति : मैंने निवेदन कर दिया है, उनका डेलीगेशन मिल लेगा।

## मांग संख्या 26 पर अग्रेतर वादविवाद

श्री अब्दुल अजीज : सभापति महोदय, अभी तो मंत्री महोदय पधार रहे हैं।

मैं सदन को यह अर्ज करना चाहता हूं कि मकराना पचास हजार की आबादी का कस्बा है और शहर की शक्ल लेने जा रहा है। संगमरमर की इन्डस्ट्रीज में और माइन्स में वहां पर आए दिन लोगों की केजुअल्टीज होती हैं। हाथ, पैर किसी न किसी रूप में गलती से टूट जाते हैं, या कुछ अनसेफ्टी मेजर से इन्सान को नुकसान पहुंचता है। ऐसी हालत में तत्काल इलाज की सख्त जरूरत होती है। वहां पर एक छोटी सी डिस्पेन्सरी है। वह डिस्पेन्सरी उस इलाके के लिए नाकाफी है। मैं आपके माध्यम से सदन से और मन्त्री महोदय से यह गुजारिश करता हूं कि वहां पर एक बड़े अस्पताल की तुरन्त व्यवस्था की जाए। मजदूर तबका है। मजदूरों की कम आय है। कम आय वाला मजदूर अपनी जिन्दगी का गुजर बसर बड़ी मुश्किल से करता है। उसे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसलिए राज्य सरकार से गुजारिश करता हूं कि अगर यह वास्तव में जनता सरकार है और गरीब के प्रति इसकी सहानुभूति है तो इस बात पर गौर करे कि वहां जो अधिकांश मजदूर वर्ग है वह दूसरी जगह जाकर इलाज नहीं करवा सकता है। मकराना इन्डस्ट्रियल एरिया है, माइनिंग का कार्य होता है तो स्वाभाविक रूप से वहां पर एक्सीडेन्ट होते हैं। वहां पर एक्सीडेन्ट के लिए तत्काल उपचार करने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए वहां पर बड़ा अस्पताल हो जिसमें यह तमाम व्यवस्था हो। जो डिस्पेन्सरी है, उसमें एक्स-रे मशीनें हैं लेकिन पर्याप्त साधन नहीं हैं, नई टेक्नोलोजी की चीजें नहीं हैं। जो डाक्टर हैं वे अधिकतर सिविल डाक्टर हैं। वे बुखार, और दर्द की दवाई जानते हैं। जो एक्सीडेन्ट होते हैं, उनके इलाज के लिए कोई

( श्री अब्दुल अजीज )

डाक्टर नहीं हैं। बुखार, पेट दर्द के इलाज के अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मजदूरों को जीप में डालकर अजमेर या जयपुर ले जाना पड़ता है। अगर खून की कमी होगई तो रास्ते में ही मजदूर की मृत्यु हो जाती है। मेरा अनुरोध है कि राज्य सरकार एक बड़ा अस्पताल वहां पर खोले ताकि वहां पर ऐसे एक्सीडेन्ट का मुकाबला कर सकें। हाल ही में वहां पर एक लेडी डाक्टर का प्रावधान किया गया है लेकिन अभी तक उसकी नियुक्ति नहीं की गई है।

दूसरा मैं यह निवेदन करूंगा कि वहां के अस्पताल की स्थिति दयनीय है। वहां पर लोगों को डाक्टर यह कहते हैं कि बजट नहीं मिलता है। वहां पर मजदूर काम करते हैं इसलिये जो पर केपिटा इन्कम होती है, उससे वहां पर हन्ड्रेड पर्सेंट अस्पताल की पूर्ति की जाए। उसके बजट की मात्रा ज्यादा हो। यह सब प्राप करने की व्यवस्था करें। वहां पर लोग रोजगार के लिए भी ज्यादा आते हैं। इन सब के देखते हुए वहां एक बड़े अस्पताल की आवश्यकता है, जिसमें ये सब इन्तजाम हों एक सर्जन का होना भी बहुत जरूरी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री सूरजपाल सिंह
( अनुपस्थित )
श्री माधोसिंह !

श्री माधोसिंह ( रेवदर ) : सभापति महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा के बारे में है। मैं आपके द्वारा चिकित्सा मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा आयुर्वेद मंत्री ने कहा है कि हर जिले में 1000 की आबादी वाले ग्राम में एक आयुर्वेदिक औषधालय खोला जाएगा, उसी प्रकार की व्यवस्था चिकित्सा मंत्री महोदय राजस्थान के हर जिले में आबादी और क्षेत्र के आधार पर करें। मैं यह अनुरोध करूंगा कि चिकित्सा मंत्री महोदय इस तरह की नीति को निर्धारित करें। राजस्थान के अन्दर चिकित्सा की सुविधाएं नहीं है इसलिए इसकी कोई सर्टेन पालिसी होनी चाहिए, कोई पापुलेशन का क्राइटेरिया निश्चित होना चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हो सकें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 1 लाख और 31 हजार की पापुलेशन है। वहां पर सिर्फ चार डिस्पेन्सरियां हैं। वह चार डिस्पेन्सरियां भी कब खुलीं? जब 1947 के अन्दर में भारत आजाद हुआ उससे भी पहले। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि उस विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा की उचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। तीस तीस मील तक कोई डिस्पेन्सरी नहीं है। ऐसी हालत में वहां के लोग किस प्रकार से चिकित्सा सुविधा से लाभान्वित हो सकेंगे और कैसे उनको दवाइयां उपलब्ध होंगी, कैसे उनको बीमारियों का इलाज होगा, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, पंचायत समिति हेडक्वार्टर रेवदर पर एक प्राइमरी हेल्थ सेन्टर है। उसमें चार बेड हैं। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में चालीस मील के एरिया में एक प्राइमरी हेल्थ सेन्टर है और केवल चार बेड उसमें उपलब्ध हैं। वह भी पैसे वाले बड़े लोगों को ही उपलब्ध होते

# Page No 113

(113)



(श्री मांधोसिंह)

हैं और गरीब लोग उससे वंचित रह जाते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि प्राइमरी हेल्थ सेन्टर में और अधिक बेड्स की व्यवस्था की जानी चाहिए। कुछ इस तरह का प्रावधान रखा जाना चाहिए जिससे कि मामूली जो गरीब आदमी हैं वह लोग विशेष कर अपनी चिकित्सा ठीक प्रकार से करा सकें।

अब मैं डिस्पेन्सरीज के अन्दर जो मेडिशन हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक साल में पब्लिक हेल्थ सेन्टर को 6 हजार रुपयों की मेडिशन दी जाती है, वह आज से नहीं पिछले 15 सालों से दी जा रही है। उनकी मात्रा अभी तक नहीं बढ़ी है। इसलिए इस सम्बन्ध में मेरा अनुरोध है कि इस प्रावधान से तो मरीजों को चोट लगने पर पट्टी तक का इन्तजाम नहीं हो सकता है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि मेडिशन्स का प्रावधान और बढ़ाया जाना चाहिये। साथ ही प्राइमरी हेल्थ सेन्टर के अन्दर ऐसी मेडिशन्स, जो आम रोगों के लिए काम आती है, उपलब्ध कराई जानी चाहिये। यह मेरा सुझाव है कि एक तो सबसे ज्यादा गांवों में सांप काटने की शिकायतें रहती हैं। जो इसके लिए इन्जैक्शन दिये जाते है वह वहां पर विशेष तौर पर उपलब्ध कराये जाने चाहिए जिससे कि आदमी को मरने से बचाया जा सके। दूसरा मेरा सुझाव है मलेरिया और टी० बी० तथा पेट के दर्द के बारे में। गांवों के अन्दर लोगों को ठीक से खाना नहीं मिलता है, कई तरह का खाना मिलता है जिससे पेट में दर्द होता है, अगर पेट के दर्द और टी० बी० जैसी आम बीमारियों का इलाज भी ठीक से नहीं हो पाता है; दस-दस, बीस-बीस किलोमीटर के अन्दर भी इलाज उपलब्ध नहीं होता है; तो मैं समझता हूं कि जनता पार्टी ने जो गरीबों के और गांवों के उत्थान के बारे में घोषणाएं की हैं, वह घोषणाएं केवल घोषणाएं ही रह जायेंगी। चिकित्सा के कार्यक्रम को अगर गांवों में गति नहीं देंगे, लोगों को दवाइयां उपलब्ध नहीं होंगी तो.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपके जो कार्यक्रम हैं वे वैसे ही रह जायेंगे।

एक सुझाव मेरा मोबाइल यूनिट के बारे में है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जैसा अभी किसी माननीय सदस्य ने कहा, मैं भी यह अनुरोध करूंगा कि जब तक दूसरी व्यवस्थाएं धन की नहीं होती, हरएक पंचायत समिति हेडक्वार्टर पर एक मोबाइल यूनिट होनी चाहिए। वह हर सप्ताह गांवों में जाय और लोगों को चिकित्सा की सुविधायें उपलब्ध कराये। अगर इतना भी हो जाय तो मैं समझूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को कुछ सहायता, राहत मिली है।

एक अनुरोध मैं और करना चाहूंगा, मेरे क्षेत्र में दस सब सेन्टर्स हैं लेकिन हालत यह है कि उनमें से आठ सब सेन्टर्स में नर्स या कम्पाउन्डर नहीं है। वहां पर आपको स्टाफ बढ़ाना चाहिए। अगर वहां पर एक भी नर्स नहीं है तो फिर क्या फायदा हुआ सेन्टर्स खोलने से। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी वहां पर स्टाफ की व्यवस्था की जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

( श्री माधोसिंह )

एक निवेदन मेरा परिवार कल्याण के बारे में है। मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के बारे में गहराई से विचार किया जाना चाहिए। 'परिवार नियोजन 'और' परिवार कल्याण' शब्दों में क्या फर्क है। सीमित परिवार होने से ही परिवार कल्याण का कल्याण सम्भव है और यदि परिवार सीमित नहीं होगा तो कल्याण से क्या मतलब हुआ। एक तरफ तो आप अन्त्योदय की योजना के अन्तर्गत पांच गरीब परिवारों को लेकर उनका उत्थान करना चाहते हैं और दूसरी तरफ राजस्थान में 6, 7 लाख की पोपूलेशन एक साल में और बढ़ जायगी तो आपका जो 1 लाख और 65 हजार के उत्थान का लक्ष्य है वह कहीं रह जायगा। 4 लाख 35 हजार परिवार तो और बढ़ जायेंगे तो आप किस प्रकार से गरीबी दूर करने में सफल होंगे। इसलिए परिवार कल्याण कार्यक्रम पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय श्री परसरामजी मदेरणा।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री शीशराम ओला।

**श्री मथुरादास माथुर** : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्वाइन्ट ऑफ आर्डर उठाया था उसका सरकार को तरफ से कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

**श्री उपाध्यक्ष** : उत्तर आने वाला है, अभी थोड़ी देर में।

**श्री शीशराम ओला (पिलानी)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं जिन पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। किसी भी जन कल्याणकारी सरकार का परम कर्तव्य है कि वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की व्यवस्था करे, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है। राजस्थान केवल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर उदयपुर तक ही सीमित नहीं है। राजस्थान हिन्दुस्तान का वह राज्य है जो क्षेत्रफल में मध्यप्रदेश के पश्चात् दूसरे नम्बर पर है। यहां पर लोग काफी दूरी में बिखरे हुए हैं। गांवों के अन्दर और कई ढाणियों में, जो बहुत दूर दूर होती है, कोई साधन चिकित्सा के उपलब्ध नहीं हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी 80 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्र में आवास करती हैं, राजस्थान का स्वास्थ्य विभाग उनके प्रति इतना उदासीन है कि उसकी चर्चा करना बेकार है। क्योंकि स्वास्थ्य मन्त्रीजी यहां पर मौजूद नहीं हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से जो भी सरकारी पक्ष में बैठे हैं उनसे यह अर्ज करना चाहूंगा कि आज कल विशेष तौर से अधिक वर्षा हो जाने से खेतों और जमीन के अन्दर से काले सांप बाहर आ जाते हैं और लोगों को काट जाते हैं। उनके काटे जाने पर जो इन्जेक्शन देने चाहिए वह हॉस्पिटल्स में उपलब्ध नहीं हैं 15, 20 और 50 मील की दूरी पर हास्पिटल्स हैं वहां पर ले जा नहीं सकते। ले जायं तो मरीज रास्ते के अन्दर ही मर जाते हैं। इसी प्रकार से टिटेनस की बीमारी के लिए भी इन्जेक्शन आवश्यक है जिससे कि रोगियों को बचाया जा सके। पचास मील की दूरी पर जो हॉस्पिटल हैं, वहां पर ले जाने से पहले ही टिटेनस का मरीज दम तोड़ देता

( श्री शीशराम ओला )

हैं। इसी प्रकार से कुछ और बीमारियों के इन्जेक्शन हैं, जैसे पागल कुत्ते के काटने पर लगाये जाने वाले इन्जैक्शन। बड़े बड़े हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में यह इन्जैक्शन लगाते है। हमारे झुन्झुनुं में एक हॉस्पिटल है, वहां पर इन्जैक्शन नहीं हैं पागल कुत्ते के काटने पर लगाये जाने डाक्टर लोग कहते हैं कि यह इन्जैक्शन कसौली से आता है हैजे के इन्जेक्शन नहीं हैं, टिटेन्स के नहीं है, पागल कुत्ते के काटने पर लगाये जाने वाले इन्जेक्शन नहीं हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भयंकर बीमारियों में इन्जैक्शन की आवश्यकता होती हैं, अगर ऐसे रोगी को तत्काल इन्जैक्शन नहीं लगाया जाय तो उसे बचाया नहीं जा सकता है। फिर भी कोई ठीक प्रकार से व्यवस्था नहीं है, दवाएं नहीं हैं, इन्जेक्शन नहीं है, एसी हालत में जो व्यक्ति बीमार होता है उसको बचाना बड़ा असम्भव है। गांवों में पहले हॉस्पिटल ही नहीं। यदि कोई है भी तो कोई होस्पिटल ऐसा नहीं है जिसके अन्दर पूरा स्टाफ हो। या तो डाक्टर नहीं होगा यदि डाक्टर होगा तो वह वहां रहना पसन्द नहीं करेगा और जल्दी ही अपना तबादला करा लेगा। न वहां पर नर्स होती है न कम्पाउन्डर····

( समय-समाप्ति-सूचक घंटी )

मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं, 10 मिनट ती मिलने ही चाहिये, मैं उससे पहले नहीं बैठूंगा।

श्री सभापति : 5 मिनट हो गए। 2 मिनट और।

श्री शीशराम ओला : मैं 10 मिनट बोलूंगा नहीं तो बैठ जाता हूं। यदि आप बोलने नहीं देते हैं तो·······

श्री सभापति : सबको 7 मिनट दिए हैं। जिनके 5-5 कटौती प्रस्ताव हैं उनको भी 7 मिनट ही दिए हैं।

श्री शीशराम ओला : मैं जल्दी समाप्त करता हूं कहने का तात्पर्य यह है कि आज गांवों मे 25-30-40 मील तक अस्पताल नहीं, 80 प्रतिशत लोग गांवों में आवास करते हैं, वे इस चिकित्सा सुविधा से वंचित रहें, क्या ऐसी सरकार को कल्याणकारी सरकार कह सकते हैं? मैं चाहता हूं कि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर एक अस्पताल की व्यवस्था हो। यदि आबादी के हिसाब से अस्पताल खोलने की प्रक्रिया चालू रखी तो ग्रामीण क्षेत्रों में कभी अस्पताल को व्यवस्था नहीं हो सकेगी। कम से कम दो तीन पंचायतों के बीच एक अस्पताल की व्यवस्था हो ताकि ग्रामीण लोग चिकित्सा का लाभ उठा सकें। आज इस कदर गांवों में मलेरिया फैला हुआ है कि कोई ऐसा घर नहीं बचा जिसमें मलेरिया न हो। उसके अलावा गंदा पानी पीने से टाइफाइड पूरी तरह से फैला हुआ है। यदि समय रहते काबू नहीं पाया तो ये बीमारियां महामारी का रूप ले लेगी और इन्सान में जो बीमारियों के हमले को रोकने की क्षमता है वह समाप्त हो जायगी। इसलिए तत्काल बीमारियों को समाप्त किया जाए; और आगे आने वाली महामारी को तुरन्त रोका जाय। चिकित्सा विभाग में इस बार ऐसा सचिव आया है जो हर कार्य को तत्परता से करता है इसलिए मुझे आशा है कि शायद मेरे सुझावों पर अमल होगा।

धन्यवाद।

**श्री सभापति :** श्री हरजी राम

( अनुपस्थित )

**श्री कल्याणसिंह सांखला :** व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय श्री माथुर ने जो कहा कि हजारों की संख्या में लोग बाहर खड़े हैं, मैं देखकर आया हूँ, 200-300 ही हैं।

**श्री सभापति :** यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

**श्री मथुरादास माथुर :** आपको गिनती नहीं आती है।

**श्री कल्याणसिंह सांखला :** आपका तखमीना गलत था।

**श्री रतनलाल वर्मा :** एक मदारी खेल करता है, उसमें भी 300 लोग इकट्ठे हो जाते हैं।

**श्री सभापति :** बैठ जाइए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह !

(अनुपस्थित)

श्री भैंरवलाल !

(अनुपस्थित)।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा !

(अनुपस्थित)।

श्री रामनारायण चौधरी !

(अनुपस्थित)।

श्री श्योपतसिंह !

(अनुपस्थित)।

श्री भंवरलाल शर्मा !

(अनुपस्थित)।

श्री नवरंगसिंह !

(अनुपस्थित)।

श्री रणजीतसिंह !

(अनुपस्थित)।

श्री मनोहरसिंह मेहता !

**श्री मनोहरसिंह मेहता** ( मांडलगढ़ ) : सभापति जी, मूल में ही भूल हो रही है इसलिए हमें स्थिति में बदलाव लाना होगा। कितने आश्चर्य की बात है कि विधायक व सांसद, अधिकारी व कर्मचारी जो अपने आप को जनता का सेवक कहते हैं, उनके लिए सारी चिकित्सा सुविधायें हैं। हम लोग बीमार होंगे तो मेडिकल बिल्स पास होंगे, सारा खर्चा सरकार वहन करेगी लेकिन जो हमारे मालिक हैं, जनता है, चाहे दो हजार की बस्ती हो, चाहे 1500 की, उसके लिए कोई अस्पताल नहीं। आप डाक्टरों की शिक्षा दीक्षा में भी परिवर्तन लायें। जब परिवर्तन आएगा तो भौतिक सुख-समृद्धि के बजाय रोगी में भगवान के दर्शन होंगे और शराब नहीं पीएंगे इसलिए परिवर्तन लायें। मेरे थोड़े से सुझाव हैं।

जहां जहां परिवार नियोजन केन्द्र हैं, वहां के कर्मचारियों को भी बुरा लग रहा है। दिन भर बैठे रहते हैं इसलिए उन केन्द्रों को डिस्पेन्सरीज में बदल दें तो वहां पर लोगों की सेवा हो सकेगी और यह अभियान भी बढ़ता रहेगा।

दूसरी बात यह है कि जिन–जिन डाक्टरों को व वैद्यों को नौकरी मिली है यदि वे गांवों में अपनी क्लिनिक लगाना चाहें तो बिना ब्याज के उनको लोन दिया जाए और थोड़ा सा अनुदान दिया जाए।

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

बेकारी भत्ता जो आप दे रहे हैं वह मत दीजिये। उनको अपने आप गांवों में जूझने दें। ऐसे भी डाक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी शक्ति गांवों में लगायी है वे चमके हैं। गांव वाले ही उनके पैसे की व्यवस्था करते हैं।

तीसरी बात यह है कि कई जगह 30 वर्षों में ऐसा हुआ है कि एक ही गांव में दो डिस्पेन्सरीज-एलोपेथिक व आयुर्वेदिक हैं, यदि आप में हिम्मत है तो क्योंकि वह बड़ा कस्बा नहीं है इसलिये दोनों में से एक चीज, जिसको गांव वाले रखना चाहें रख दीजिए, दूसरी को हटा दीजिए। आगे के लिए आप ऐसी व्यवस्था करें कि आप दोनों तरह की डिस्पेन्सरीज एक साथ न खोलें।

जहां-जहां पंचायत मुख्यालय हैं, वहां चाहे हजार की बस्ती हो, चाहे 1500 की, गांव वाले यदि मकान बनाने को तैयार हों तो आप औषधालय खोल दें। यदि 900 या हजार की बस्ती हो तो कम से कम कम्पाउण्डर रखें। वहीं का पढ़ा-लिखा लड़का पार्ट टाइम बेसिस पर काम करने के लिए लगा दें तो उसके द्वारा प्रारम्भिक उपचार हो सकेगा। यदि इतना करेंगे तो गांव वालों की बड़ी सेवा होगी। तो जिन लोगों की हम नौकरी करते हैं, उनके लिए यह देखना हमारा फर्ज है कि हर गांव में कोई दवा के अभाव में नहीं मर पाए। यदि ऐसा होता है तो यह हम पर कलंक है। गांव में डिस्पेन्सरी या दवाखाना खोलने की चेष्टा की जाए। वैसे मेरे ख्याल से गांव में दवाखाना ही उपयुक्त होगा।

**श्री सभापति :** श्री भंवरलाल ऐरन!

**श्री भंवरलाल ऐरन** (नसीराबाद) : सभापतिजी, नसीराबाद में एक चिकित्सालय केन्टोमेंट बोर्ड द्वारा एक अर्से से चलाया जा रहा था। 1975 में राज्य सरकार ने उसका अधिग्रहण किया और तभी से उसकी दुर्दशा आरम्भ हुई। वहां एक्स-रे मशीन है लेकिन रेडियोलोजिस्ट नहीं, दवाइयां नाम मात्र को नहीं, पट्टी नहीं, किसी प्रकार की सुविधा नहीं और यहां तक कि स्प्रिट, काटन और टिंक्चर आयोडिन नहीं। आपरेशन थियेटर है लेकिन एपरेट्स, इम्पलीमेन्टस नहीं, एम. डी. डाक्टर होते हुए भी उसका कोई उपयोग नहीं।

**श्री मूलचन्द डागा :** आपको तो भूख हड़ताल करनी चाहिये।

**श्री भंवरलाल ऐरन :** एक तो भूख हड़ताल आपके नाथूरामजी कर रहे हैं दूसरे आप करेंगे।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, वहां पर कोई एम्बूलेंस नहीं है और जब कभी वहां पर कोई भी कोम्पलीकेटेड केस आता है तो नसीराबाद के अस्पताल वाले यह कहते हैं कि आप इसको जवाहरलाल नेहरू अस्पताल अजमेर ले जाओ। वहां पर कोई व्यवस्था किसी प्रकार की दवाइयों की नहीं हैं, न कोई मशीनें वगैरह ही हैं। अस्पताल में बहुत भारी मात्रा में लोगों को परेशानी हो रही है। फिर भी जो अस्पताल नसीराबाद में है उसकी दुर्दशा की ओर राज्य सरकार कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से चिकित्सा मन्त्रीजी से यह निवेदन है कि वह नसीरा-

# Page No 118

(118)



(श्री भंवरलाल ऐरन)

बाद अस्पताल की दुर्दशा जल्दी से जल्दी सुधार करने की व्यवस्था करने की कृपा करें। वहां पर जो दवाइयां आज नहीं हैं जो एपरेटस नहीं हैं उन्हें जल्दी से जल्दी उपलब्ध करायें।

इसके साथ ही मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। नसीराबाद में आप एक लेडी डाक्टर का अपोइन्टमेन्ट जल्दी से जल्दी करें। लेडी डाक्टर के अभाव में जब कभी किसी गर्भवती स्त्री के प्रसव के समय नसीराबाद अस्पताल लाया जाता है तो बहुत तकलीफ रहती है। वहां पर कोई इन्तजाम नहीं है। वहां के अधिकारी तुरन्त ही यह कह देते हैं कि यहां पर प्रसव की पूर्ण व्यवस्था नहीं है आप इसको तुरन्त अजमेर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल ले जाये। कभी रात को ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तो वहां पर कोई सवारी मोटर की व्यवस्था नहीं हो पाती। अतः मेरा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से चिकित्सा मन्त्रीजी से यह निवेदन है कि आप नसीराबाद अस्पताल में एक लेडी डाक्टर की व्यवस्था जल्दी से जल्दी करें।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप नसीराबाद अस्पताल को 'बी' ग्रेड अस्पताल बनाने की कार्यवाही करायें। इसके लिये जो भी आवश्यक कार्यवाही करनी हो आप जल्दी से जल्दी करायगे तो वहां की जनता को राहत मिलेगी।

इसी के साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि नसीराबाद में जो एक मिलिट्री अस्पताल है वहां पर सिविलियन्स को जाने की अनुमति नहीं है। केन्टोनमेंट एरिया में मिलिट्री के भी करीब 600 परिवार हैं उन्हें भी सिविल अस्पताल में जाना पड़ता है जिससे उनको भी दिक्कत होती है। इससे वहां की जनता को काफी परेशानी हो रही है। मेरा निवेदन है कि आप इस ओर तुरन्त कार्यवाही करें जिससे जनता को राहत मिले। नसीराबाद का जो अस्पताल है उसे 'बी' श्रेणी का अस्पताल बनाया जाये, दवाइयों की पूरी व्यवस्था करायें तथा प्रापर एपरेटस का इन्तजाम करायें। बस यही मुझे निवेदन करना है।

**श्री सभापति : श्री शिवनारायण।**

**श्री शिवनारायण (थानागाजी) :** सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरा इलाका थानागाजी में एक ऐसी तहसील है जो आज दिन तक कांग्रेस राज्य में उपेक्षित हो रही। मैंने जो दो कटौती प्रस्ताव रखे हैं उसमें से एक ग्राम नांगल बानी एवं मुंडावरा ग्राम में दो एड पोस्ट डिस्पेन्सरी खोलने के बारे में हैं। सभापति महोदय, पहले यहां कांग्रेस राज्य की यह नीति रही और घोषणा भी की थी कि अगर किसी गांव में डिस्पेन्सरी खोलनी हो तो वहां की जनता डिस्पेंसरी के लिये भवन बनाये। हमारे यहां पर इन दोनों जगहों पर भवन बने हुए आज करीब पांच वर्ष हो गये हैं लेकिन अभी तक किसी प्रकार की डिस्पेन्सरी नहीं खोली गयी है पब्लिक की तरफ से भवन निर्माण कर दिया गया पर एड पोस्ट नहीं खोला गया है। अतः मेरा राज्य के चिकित्सा मन्त्रीजी से यह निवेदन है इन दोनों जगह

(श्री शिव नारायण)

एड पोस्ट डिस्पेन्सरीज खोली जायं। सभापति महोदय, यह दोनों गांव ऐसे हैं जिनकी करीब 15 हजार और 20 हजार तक की आबादी है। इसलिये जनता की सहूलियतों को देखते हुए अगर आप वहां पर एड पोस्ट डिस्पेन्सरीज खुलवायेंगे तो जनता को काफी राहत मिलेगी। इसके साथ ही जो थाना गाजी तहसील आज तक उपेक्षित रही है उस में भी सुधार होगा।

श्री सभापति : श्रीमती श्यामाकुमारी।

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कपासन): सभापति महोदय, आज सदन में आयुर्वेद और चिकित्सा विभाग की मांगों पर बहस चल रही है। मैंने भी आयुर्वेद के प्रसार की ओर, कटौती प्रस्ताव देकर, चिकित्सा मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित किया है। सभापति महोदय, मैं चिकित्सा मन्त्रीजी से आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे यहां आयुर्वेदिक पद्धति प्राचीनतम प्रणाली है। इससे कई लोगों को लाभ पहुँचा है। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि इस हमारी आयुर्वेदिक प्रणाली की तरफ राज्य सरकार की तवज्जह कम हो रही है। यह भी कहा जाता है कि आयुर्वेदिक प्रणाली से इलाज कराने से इलाज होने में ज्यादा समय लगता है। उसके साथ में यह भी कहा जाता है कि आयुर्वेदिक इलाज में दवाइयां जो दी जाती हैं वह महंगी दी जाती हैं। मेरी इस बारे में कुछ वैद्यों से बात हुई, इसके साथ में हमारे यहां पर सदन में भी माननीय सदस्य आयुर्वेद के वैद्य हैं, उन्होंने जो कमियां आज आयुर्वेद के अन्दर लोग बताते हैं उसके विपरीत ही बताया है। मैंने भी इसको देखा तो मुझे आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज उत्तम लगा। सभापति महोदय, आज यह कहा जाता है कि आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज होने में लम्बा समय लगता है। इसका कारण यह है कि लोग पहले सभी जगह जाकर, एलोपैथिक इलाज कराकर ही वैद्य के पास आते हैं। जब सभी जगह से वह थक जाते हैं तो आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज कराने आते हैं, इस तरह से उस बीमार का रोग बढ़ जाता है और इससे इलाज में समय लगना स्वाभाविक है अगर पहले ही आयुर्वेद का इलाज चालू किया जाय तो मैं समझती हूं कि इस पद्धति से सस्ता, सुगम और जल्दी बीमारी का इलाज होता है। जैसे आज किसी व्यक्ति को जुकाम हो जाता है; वह अगर किसी डाक्टर के पास जाता है तो जुकाम के लिये ही 15-20 रुपये का डाक्टर नुस्खा लिख देता है। वही व्यक्ति किसी वैद्य से इलाज करायें तो वह 4 या 5 आने की पुड़िया देकर कहता है, रात को सोते वक्त ले लेना, आपका जुकाम ठीक हो जायेगा। इसी प्रकार से अगर किसी बच्चे को खांसी हो जाती है तो डाक्टर उसके लिये कफ सायरप लिख देगा जो कि 6-7 रुपये में आता है। वैद्यजी उसके लिए फिटकड़ी बताशे की उकाली देकर कहेंगे, रात को लेकर सो जाइये, आप ठीक हो जायेंगे। यह तो मेरी खुद की आजमायी हुई दवा है। यह दवा सस्ती रहती है। तो मेरा निवेदन है कि चिकित्सा मन्त्रीजी इस ओर विशेष ध्यान दें, और हमारी जो यह प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेदिक है उसे बढ़ाने की व्यवस्था करें।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहती हूं, कपासन

(श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर)

मेरी खुद की कान्स्टीट्यून्सी है में एक अस्पताल है। वहां पर चार वैद्य हैं पर कोई डाक्टर नहीं है उससे लोगों को काफी दिक्कत होती है। मेरा चिकित्सा मन्त्री जी से यह निवेदन है कि जनता के हित को ध्यान में रखते हुए डाक्टर की व्यवस्था करने की कृपा करें। इसके साथ ही मेरे क्षेत्र में अरकोल एक जगह है जहां पर कि एक डाक्टर बताया गया है, लेकिन वास्तव में वहां पर कोई डाक्टर नहीं है। इसी प्रकार से मन्डविया जगह है जहां कि कोई डाक्टर नहीं है। वहां पर हजारों तीर्थ यात्री दर्शनार्थ आते हैं। एक महीने पहले एक डॉक्टर का ट्रांसफर वहां से हो गया लेकिन अभी तक कोई डॉक्टर उसके बदले में नहीं गया है। मेरा, सभापति महोदय, आपके मार्फत चिकित्सा मन्त्री जी से यह निवेदन है कि वहां जल्दी से जल्दी डॉक्टर भेजने की व्यवस्था करें जिससे कि जनता को राहत मिले। इसके साथ ही मैंने जो कटौती के प्रस्ताव दिये हैं उनकी तरफ पुनः चिकित्सा मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। बस मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री रावतराम।

(अनुपस्थित)

श्री गुलाबचन्द कटारिया !

**श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) :** सभापति महोदय, आपातकालीन समय में जिस तरह से राजन हत्याकाण्ड हुआ था उसी तरह का हत्याकाण्ड अभी हमारे उदयपुर में एक 21 वर्षीय युवक कालू का हुआ है। सभापति महोदय, कालू नाम के व्यक्ति को उसी के पास रहने वाले व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस कस्टडी में बंद किया गया। उसे वहां पीटा एवं बिजली के शॉक दिये जिससे बेहोश हो गया। उसका ठीक तरह से उपचार नहीं हुआ। उसको बेहोशी की हालत में उदयपुर के अस्पताल के अन्दर वार्ड नम्बर चार में नरेश भू के यूनिट में भर्ती कराया। नरेश भू ने उसका स्टोमक वाश किया। उसकी रिपोर्ट दी जिसमें उनने बताया कि कालू ने एलकोहल नहीं पी रखी थी। सभापति महोदय, उस व्यक्ति को दस तारीख को भर्ती कराया गया और 12 तारीख को 8 बज कर 25 मिनट पर उसकी मृत्यु हो गयी। सभापति महोदय, कालू दो दिन तक बीमार रहा। उसका पिता एक साधारण पुलिस का कर्मचारी है। उसे सूचना नहीं मिली कि कालू अस्पताल में बीमार पड़ा है, बेहोश है। एक वार्ड के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने 12 तारीख को बेहोशी की सूचना दी। उसी दिन रात को 8 बज कर 25 मिनट पर उसकी मृत्यु हो गयी। दूसरे दिन सुबह उसका पोस्ट मार्टम हुआ 9 बज कर 15 मिनट पर। वहां पर सभी पुलिस के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे, खास तौर से एक एस० पी० ट्रेनिंग पुलिस श्री तिवारी हैं वह मौजूद थे। इसके साथ-साथ सभी पुलिस वाले थे उनकी वजह से ही यह केस बनाया गया कि एल्कोहल से मृत्यु हुई। उन्हें यह डर था कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो जाय। सभी पुलिस के अधिकारी कर्मचारी होने से साबित होता है कि उसमें पुलिस ने कोई न कोई गुनाह किया हो उस गुनाह से बचने के लिये सभी पुलिस वाले वहां मौजूद थे एवं अपने दबाव से पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में एल्कोहल से मृत्यु बताई गई। पुलिस ने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इस प्रकार का बयान दिया है कि शराब पीने के कारण बेहोश हो गया था। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप ही विचार सकते है कि अगर मुझे पकड़ कर पुलिस सरे बाजार ले जाती है तो बाजार का कोई भी व्यक्ति नहीं कहता है कि उसने शराब पी है। पुलिस उसको पीटती है और बेहोश हो जाने के बाद यह कहा जाता है कि शराब के कारण उसकी मृत्यु हुई है। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में यह कहलाया गया है कि एल्कोहल के कारण मृत्यु हुई। क्या बेहोशी के हालत में उसने शराब पी ली? क्या ऐसे शराब पी जा सकती है? पुलिस ने अपने आपके बचाव के लिये यह कहानी गढ़ी है। वह गरीब युवक था जिसको कोई पूछने वाला नहीं था। यदि कोई ऊंचा व्यक्ति होता तो पूछ होती। उसका बाप कलेक्टर होता तो सब जगह जाकर कहता कि उसकी कोई जांच नहीं हुई। मैंने दो बार ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी पेश किये लेकिन कोई जांच नहीं की गई। मैंने जब-जब भी इस ओर आपका ध्यान आकर्षित किया तब मैंने यह कहा है कि डाक्टर की रिपोर्ट की जांच करायी जाय। उस निर्दोष व्यक्ति को गुदा में बिजली का करेन्ट लगाया गया और उसके कारण उसकी मृत्यु हुई। ऐसे पुलिस कर्मचारियों को आपको दंडित करना चाहिये, उनको सस्पेन्ड करके जांच करनी चाहिये। डॉक्टर डांगी, जिसने इस प्रकार की रिपोर्ट दी, को सस्पेन्ड करना चाहिये। डॉक्टर का काम उस तक ही सीमित नहीं रहता है। उसकी जांच करायी जाय। मेडिकल ज्यूरिस्ट की हर मेडिकल रिपोर्ट पर पैसा बंधा रहता है। माइनर हो या मेजर। मैं वकालात करता हूं, मुझे मालूम है। 100 का पत्ता दिखाया जाता है उस हिसाब से रिपोर्ट बनती है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से चाहूंगा कि इसकी जांच करायें, पुलिस अधिकारी एवम् डॉ. डांगी, मेडिकल ज्यूरिस्ट, जिसने गलत रिपोर्ट पुलिस के दबाव से दी, को सस्पेन्ड किया जाय। उस गरीब व्यक्ति को मुआवजा मिले जो कि आज तक नहीं मिला है। इस ढंग से उस निर्दोष युवक की हत्या की गयी है। मेरा निवेदन है कि दोषी लोगों को सजा मिले।

श्री सभापति : श्री समरथलाल।

श्री समरथलाल (राजगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत चिकित्सा, आयुर्वेद के सम्बन्ध में जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन, बने और उससे बने स्वस्थ समाज, इस तरह को आधार-शिला हमारे समाज की होनी चाहिये। लेकिन इस प्रकार का समाज बने कैसे? इस प्रकार का समाज बनाने के लिये चिकित्सा और आयुर्वेद विभाग की ओर से जो पहल की जानी चाहिए, पिछले तीस वर्ष में, मैं समझता हूं वह पहल समुचित नहीं की गई है।

हमारे यहां पर राजस्थान के अन्दर पांच मेडिकल कालेजेज हैं। उन मेडिकल कालेजों से जो मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करके निकलते हैं उनको खपाने के लिये राजस्थान में क्षमता नहीं है। मैं आपके मार्फत, माननीय सभापति महोदय, निवेदन

(श्री समरथ लाल)

करना चाहता हूं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से कि एक मेडिकल छात्र पर करीब 1 लाख रुपये का खर्चा आता है। एक लाख रुपये के खर्चे का भार राजस्थान सरकार के बजट और राजस्थान की जनता पर पड़ता है। 1 लाख रुपया खर्च करने के बाद हमारे मेडिकल छात्र राजस्थान की जनता की सेवा न करके हरियाणा, यू.पी. और मध्य प्रदेश में जाकर वहां की जनता की सेवा करते हैं। मैं आपकी मार्फत चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में समुचित व्यवस्था करें जिससे मेडिकल छात्र राजस्थान की जनता की सेवा में खप सकें। एक लाख रुपया खर्च आता है एक मेडिकल छात्र पर और उसका लाभ राजस्थान की जनता को नहीं होता है किन्तु दूसरे प्रदेशों की जनता को होता है।

इसी सन्दर्भ में, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि अनुसूचित जाति और जन-जाति के अधिकतर लोग गांवों में रहते हैं। जनता सरकार गांवों की उन्नति की बात करती है और अनुसूचित जाति व जन-जाति की बात करती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अनुसूचित जाति और जन-जाति के छात्रों के प्रवेश के सम्बन्ध में....

**श्री सभापति :** इस पर आपका कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है। आपके जो कटौती प्रस्ताव है उन पर ही अपने विचार प्रकट करें।

**श्री समरथलाल :** आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। चूंकि यह सम्बन्धित विषय है इसलिए निवेदन कर रहा था।

**श्री सभापति :** कहिये।

**श्री समरथलाल :** मैं कह रहा था कि 30 प्रतिशत मार्क्स जिन छात्रों के होते हैं। पहले उनकी मेरिट लिस्ट बनती थी और जितनी सुरक्षित जगह होती थी उनको उस हिसाब से लिया जाता था। लेकिन अब जनरल सीटों के साथ सुरक्षित स्थान को भी मिला दिया गया है और मार्क्स 50 पर्सेन्ट कर दिया है। अभी सुबह ही माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कहा था कि मेडिकल कौंसिल का नियम है और नियम उन्होंने ही बनाया है। उन्होंने यह फर्माया है कि 5 प्रतिशत अंकों का रिलेक्सेशन देते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि पूर्व में जो प्रणाली थी उसी को कायम रखा जाय। आप यह बात कहते हैं कि हम अनुसूचित जाति और जन-जाति के लिये बहुत ही जागरूक हैं यह बात सही नहीं है।

दूसरा निवेदन मैं करना चाहता था आपके चिकित्सा विभाग की अकर्मण्यता के बारे में। राजगढ़ में आठ नौ साल पहले एक एक्स-रे मशीन आयी थी। आप जानते हैं, चिकित्सा मंत्रीजी, एक्स-रे मशीन एक लाख रुपये की होती है।

**श्री सभापति :** यह भी आपका विषय नहीं है।

**श्री समरथलाल :** वह मशीन यों ही पड़ी हुई है।

**श्री सभापति :** कृपया आप अपने विषय पर ही बोलें।

**श्री समरथलाल :** अलवर जिले में गुढ़ा सवाई राम है। एक जगह डिस्पेन्सरी है और दूसरी जगह एड पोस्ट है। लेकिन अभी तक डॉक्टर कम्पाउन्डर की कोई व्यवस्था नहीं है। उन गांवों के नाम से तो आपने डिस्पेन्सरी खोल दी लेकिन आज तक डॉक्टर. कम्पाउन्डर नहीं है और न दवायें ही हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आयुर्वेद के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा। आपने 200 औषधालय खोलने का निर्णय लिया। अच्छा है। लेकिन 146 खोले हैं। आयुर्वेद मन्त्रीजी यहां पर मौजूद नहीं है। आयुर्वेद औषधालय खोलने की शर्तें रखी हैं – दो किलोमीटर आसपास सुविधा न हो, 2 हजार की आबादी हो, भवन हो। आयुर्वेद भवन 40 हजार की लागत से बनाया है। त्रिवेणी गांव में बना हुआ है वहां पर आज आयुर्वेद औषधालय खोलें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरा, सभापति महोदय, आपकी मार्फत यह भी निवेदन करूंगा कि आयुर्वेद औषधालयों में दवाई की व्यवस्था करें। जितना बजट इसके लिए रखा जाता है उतना नहीं पहुँचता है। प्रगति पत्र जो वितरित किया गया है उसके अनुसार 30 पैसे प्रति व्यक्ति दवा मिलती है लेकिन औसत 10 पैसा ही पड़ता है। कम से कम इसको बढ़ाया जाय। इसके अलावा मेरा निवेदन है कि 10 पैसे औसत है उसको देखते हुए, वहां जो आयुर्वेदिक औषधालय है उसका बजट अधिक नहीं किया जाता है। इसलिए मेरा निवेदन इस संबंध में यह है कि आप पूरी व्यवस्था करें। यही मेरा निवेदन है।

**श्री सभापति :** श्री दाऊदयाल जोशी।

**श्री दाऊदयाल जोशी** ( दौमोद ) : सम्माननीय सभापति जी, "यस्य देशस्सी योजन्तु तज्यम् तस्योत्स्योम हितम्" आज एलोपैथी औषधियों का भयंकर विष ताण्डव की तरह सारे हिन्दुस्तान में छाया जा रहा है। एलोपैथी औषधियों की उग्रता के कारण आज मनुष्य परेशान हो गया है। टेरामाइसिन, पेनसलीन आदि की प्रक्रिया है उसके कारण हर व्यक्ति सोचने को विवश हो रहा है कि मेरे देश की औषधि ही उपयुक्त थी। दुर्भाग्य है कि आयुर्वेद चिकित्सा के प्रति इतनी भयंकर उपेक्षावृत्ति पिछली सरकार ने बरती कि जहां राजस्थान में राज्य मंत्री स्तर का दर्जा आयुर्वेद के मंत्री को दिया गया....

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** आपकी सरकार से ठीक करवा लें।

**श्री दाऊदयाल जोशी :** मैं अपनी सरकार से अपेक्षा करता हूँ और आशा करता हूं कि वह करेगी। मैं निवेदन कर रहा था कि आज की तारीख तक आयुर्वेद के लिए अलग से सचिव की नियुक्ति नहीं है। स्वास्थ्य सचिव ही इसके कार्य को देखते हैं। उसी के कारण से यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि राजस्थान में 150 औषधालयों के अन्दर वैद्य नहीं हैं। राजस्थान का दुर्भाग्य है। मैं शल्य चिकित्सा की बात तो नहीं कहता लेकिन औषधि में आयुर्वेद का कोई मुकाबला नहीं। मैं निवेदन कर रहा था कि आयुर्वेद का अलग से मंत्री नहीं

(श्री दाऊदयाल जोशी)

होने से और स्वास्थ्य सचिव के द्वारा ही इसके काम को देखने के कारण इसकी तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है और आज 150 औषधालयों में वैद्य नहीं हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आज राजस्थान के अन्दर करीब 750 डाक्टर हर वर्ष निकलते हैं लेकिन राजस्थान के अन्दर 120 वैद्य केवल मात्र 3 आयुर्वेदिक कालेजों में से निकलते हैं। यही कारण है कि 120 औषधालय बिना वैद्यों के पड़े हैं। मुझे दुःख है कि यदि राजस्थान में आयुर्वेद के और अधिक विद्यालय खोल दिये जाते तो आज यह स्थिति पैदा नहीं होती। आज लोग जहां आयुर्वेद की तरफ भाग रहे हैं, आयुर्वेद की तरफ आकर्षित हो रहे हैं वहीं मेरा दुर्भाग्य है कि आयुर्वेद की नकली औषधियां आज बाजार में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और वह आयुर्वेद की कीर्ति को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि आयुर्वेद में सीतोपलादी चूर्ण है जो कि पांच चीजों से बनता है और जिसमें वंसलोचन होता है, वह आज की तारीख में नकली मिलता है। पीपल नकली मिलता है। दाल चीनी नकली मिलती है। केवलमात्र एक चीज असली मिलती है और वह है मिस्री। 5 चीजों से बनने वाला फार्मूला है। जो कि खांसी के लिए है और क्षय रोग के लिए भी है, टी० बी० को मिटाने वाला दुनुस्खा है उसमें पांच चीजें होती है, उसमें चार चीजें नकली और सिर्फ एक चीज असली मिलती है। इसी तरह से हिंगास्टक चूर्ण में 8 चीजें होती हैं। लेकिन उसमें से 5 चीजें नकली मिलती हैं।....

श्री रघुनाथ विश्नोई : वैद्य अब अपना काम छोड़कर इन्जेक्शन लगाने लग गए हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरे लिए कृपा करें, मुझे बोल लेने दीजिए क्योंकि थोड़ा समय दिया गया है।

आयुर्वेद की दृष्टि से जानने वाले लोग कम हैं इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि नकली औषधियों की भरमार है।

मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान केनाल के किनारे-किनारे ग्रीनरी डवलप करें और वहां आयुर्वेद की औषधियों का निर्माण शुरू करें ताकि हम बाजार में असली औषधियां दे सकें। इससे आयुर्वेद का बहुत लाभ होगा और लोगों को बहुत काम भी मिलेगा।

राजस्थान के अन्दर हिन्दुस्तान की सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्वेद शोध संस्थान बनाया जो कि सारे हिन्दुस्तान का मार्गदर्शन करेगा। आयुर्वेद शोध संस्थान तो खुल गया और श्री हरिदेव जी जोशी ने उसका उद्घाटन भी किया था लेकिन मुझे दुःख है कि पिछली सरकार द्वारा उसका उद्घाटन होने के बाद $1\frac{1}{2}$ साल के अन्दर कोई भी कार्य नहीं हुआ है।

मैं एक और निवेदन करूंगा कि इन्डियन मेडिशन्स बोर्ड के रूप में यहां वैद्यों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक संस्था बनी हुई है। श्रीमान्, सन् 1953 के अन्दर इन्डियन मेडिशन्स बोर्ड को 26 हजार रुपये की ग्रान्ट मिली थी उसके कार्य को चलाने के लिए। मुझे दुःख है कि 1953 से लेकर आज 1977 तक, यह एक प्रमाण है पिछली सरकार का, उस इन्डियन मेडिशन्स बोर्ड को 26 हजार से बढ़ाकर 27 हजार ग्रान्ट नहीं की गई। आज भी उस संस्था को 26 हजार ही मिलते हैं। एक तरफ

(श्री दाऊदयाल जोशी)

तो एलोपैथी चिकित्सा है उसके स्वास्थ्य सचिव का भवन है वह एयर कन्डीशन्ड भवन है लेकिन इन्डियन मेडिशन्स बोर्ड के चेयरमेन का भवन आप देखें मैं अभी तीन चार दिन पहले गया था, तो वहां मोमबत्तियां जलती हैं और वहां बदबू आती है ऐसी उपेक्षा उसकी हमारी पिछली सरकार ने की।

मैं निवेदन करूंगा कि आयुर्वेद के साथ ही यूनानी चिकित्सा को तरफ भी हमारी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। यूनानी चिकित्सा भी अपने आप में सम्पूर्ण चिकित्सा है यूनानी चिकित्सा के लिए भी यहां एक कालेज खोला जाये तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं आज प्रातः काल देवली में था। आप वहां देखिये कि वह कोई चिकित्सालय है जिसमें फर्नीचर नहीं, वैद्य के बैठने की जगह नहीं और टूटे फूटे खोके में दवाई पड़ी हैं। आप इनकी भी व्यवस्था ठीक करें।

सभापति महोदय, जहां हमारे यहां आयुर्वेद शोध संस्थान का निर्माण हुआ है तो जिस प्रकार से लंका में सबसे पहले यह घोषित किया गया कि लंका की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति केवल आयुर्वेद होगी मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार इस बात में पहल करे और राजस्थान के अन्दर भी एलोपैथी का बायकाट करके आयुर्वेद चिकित्सा को राज्य की चिकित्सा पद्धति घोषित करे।

**श्री शंकरलाल** : सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि महँगाई विरोधी जुलूस यहां आया था। डेपुटेशन मुख्य मन्त्री जी से मिलने के बाद हम नीचे गये। साथ में श्री नाथूराम जी भी थे। जिन छात्रों के लाठी की चोटें लगी थीं, उनके खून वह रहा था वह हमारे सामने आये। हमने उनको केशर जी के सामने, गृह मन्त्री जी के सामने प्रस्तुत किया। और भी बच्चों के चोटें आई हैं तो वह चोटें कैसे आई और क्यों आई? इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, आप यह बात मुख्य मन्त्री जी और गृह मन्त्री जी के ध्यान में लायें और इसकी जांच करायें। जिनके चोटें आई उनमें दौसा नगरपालिका के चेयरमेन, जो कि श्री नवलकिशोर एम० पी० के भतीजे हैं, राजेन्द्रकुमार के भी चोट आई है। तो इस प्रकार से लोगों के चोटें आई है इसकी जनता पार्टी की सरकार जांच कराये।

**श्री सभापति** : बैठिये माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

**श्री शंकरलाल** : माननीय सभापतिजी, गम्भीर चोटें आई हैं

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, आप ने बोल लिया, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

**श्री मूलचन्द डागा** : यह व्यवस्था का ज्यादा प्रश्न है।

**श्री सभापति** : यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

माननीय श्री जगदीश सिंह!

(अनुपस्थित)

( श्री सभापति )

माननीय श्री मूलचन्द सामरिया ।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री एच. एन. शर्मा !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री दिग्विजय सिंह !

(अनुपस्थित)

माननीय ईश्वर चन्द्र !

(अनुपस्थित)

माननी श्री निर्मल कुमार !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री ओम प्रकाश शर्मा !

(अनुपस्थित)

**श्री रामरघुनाथ चौधरी :** अभी जो शंकरलाल जी कह रहे....

**श्री सभापति :** There is no point of order therein आपने जो पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बैठिये ।

(दर्शक दीर्घा से दर्शक द्वारा सदन की अवमानना )

**एक माननीय सदस्य :** बेरहमी से पीटा गया ।

**श्री सभापति :** यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है

**श्री मदनसिंह (दांता) :** ऊपर से पम्फलेट फेंके गये हैं ।

**श्री सभापति :** सिक्योरिटी गार्ड है उसका प्रबन्ध कर दिया है

माननीय श्री हीरालाल आर्य ।

**श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :** मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र होने की वजह से आवागमन के साधन नहीं हैं और जो चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिये वह उपलब्ध नहीं है। गांव वालों को 10-15 मील जाकर कहीं चिकित्सा सुविधा मिल पाती है। अतः आपकी मार्फत में माननीय चिकित्सा मन्त्री जी का ध्यान इस क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं कि जो ऐसा क्षेत्र है जहां चिकित्सा सुविधा नहीं है वहां चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाये। बतवन, करजोश, चानदा, नोनेर, जलोदा खातियान, केशवपरा जो कि बड़े बड़े स्थान है वहां के लोगों को चिकित्सा के लिए बड़े कई मील दूर जाना पड़ता है। आयुर्वेदिक औषधालय और एलोपैथिक अस्पताल खोले जायें तो वहां पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकती है। इसके अतिरिक्त इन्द्रगढ़ व मांगरोल आदि स्थान हैं. बड़े बड़े स्थान है वहां पर जच्चा खाना खोला जाना चाहिये । जच्चाखाना के अभाव में मां, बहिनों को मौत के मुंह में जाना पड़ता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि वहां पर जच्चा खाना खुल जाये । जहां जच्चाखाना है वहां लेडी डाक्टर की व्यवस्था की जानी चाहिये। इसके अलावा मांगरोल बहुत बड़ा नगरपालिका स्थान है । वहां पर

(श्री हीरा लाल आर्य)

मरीजों की संख्या बहुत अधिक है। लेकिन केवल एक डाक्टर है। मरीज इतने आते हैं कि वह अकेला डाक्टर मरीजों को सम्भाल नहीं पाता। मैंने वहां पर जा कर देखा है। वहां पर दो-तीन बजे तक मरीजों की भीड़ लगी रहती है। इतने मरीज होते हैं कि अकेला डाक्टर अटेन्ड कर नहीं पाता इस समस्या को दूर करने के लिये वहां पर एक डाक्टर की और व्यवस्था की जानी चाहिये।

इसके अलावा जो कुछ भी वहां पर सरकारी अस्पताल या आयुर्वेदिक औषधालय हैं उनके कि स्टाफ हालत बहुत अच्छी नहीं है। स्टाफ का वहां होना नितांत आवश्यक है।

कई स्थान ऐसे हैं जहां पर डाक्टर कम्पाउन्डर छुट्टी जाते हैं तो उनकी जगह कोई आदमी नहीं होता। इस कारण लोगों को बड़ी परेशानी होती है। साथ ही भवनों का नितांत अभाव है। ककरावदा, बमोलिया, सुहावद, गनेशगंज जो औषधालय हैं उनके भवन बिल्कुल नहीं हैं। अस्पताल में दवाओं, औजार बैंडेज का नितांत अभाव है। इटावा, खोतोली, इन्द्रगढ़ व मांगरोल में दवाइयां अच्छी तादाद में उपलब्ध होनी चाहिये

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके लिये बजट में व्यवस्था की जानी चाहिये। साथ ही अस्पतालों में आवश्यकता की वस्तुओं की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये।

मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, जो सरकारी कर्मचारी है गांवों में उनको चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती। इसलिये मेरा निवेदन है कि उनको चिकित्सा भत्ता दिया जावे ताकि डाक्टर्स के अभाव में उनको जो चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, वह मिल सके।

सभापति : माननीय किशनसिंह भाटी।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री ताराचन्द।

श्री ताराचन्द (रूपवास) : माननीय सभापति जी, मैं आपको अपनी एक प्रकार की मांग प्रस्तुत कर रहा हूं इन कटौती प्रस्तावों के जरिये। भरतपुर जिले में जो जो अस्पताल हैं उनमें दवाइयों की बहुत ही कमी है। जहां छोटे छोटे औषधालय और डिस्पेन्सिरीज हैं वहां की बात छोड़िये, प्रमुख अस्पताल, सदर अस्पताल भरतपुर की बात कहूंगा वहां पर दवाइयां मिलना तो एक तरफ, मरीजों को मरहम पट्टी तक बाजार से लानी पड़ती है। इस तरह का अभाव बहुत ही ज्यादा है। गांवों में लोगों को गोलियों के अलावा कुछ नहीं मिल पाता। दवाइयों के लिये भरतपुर भागना पड़ता है। मेरे क्षेत्र में एक खनिज उद्योग चल रहा है वहां पर हजारों आदमी पत्थर का काम करते है और पत्थर और शिला का काम करते हैं। काफी हथोड़े आदि चलाते हैं और बड़ी बड़ी शिलाएं और पत्थर निकालते वक्त उनको चोटें आती हैं पहले यहां पर एक झूमरलाल तिवारी लाल नाम के एक ठेकेदार थे उन्होंने वहां सारा इन्तजाम कर रखा था, वहां एक अस्पताल खोल रखा था। अब उनका ठेका समाप्त हो गया और आज वे वहां पर नहीं है और अस्पताल की भी कोई व्यवस्था नहीं है।

(श्री ताराचन्द)

मंत्री महोदय से प्रार्थना की कि 30 हजार की बिल्डिंग वहां पर खाली पड़ी है उसमें अस्पताल जिस तरह से चल रहा था उसी तरह से एक एलोपैथिक अस्पताल खोल दिया जाये तो बेहतर है। वह एक प्रकार से प्रहरी इलाका है जिसके चारों तरफ नदियां जा रही हैं। नदियों के जाने से पानी की बाढ़ के कारण रास्ते रुक जाते हैं। 4-5 महीने इस तरह का रास्ता रहता है कि सारा दलदल हो जाता है। अगर कोई आदमी बीमार हो जाय तो उसको लाने-ले जाने मे भी दिक्कत होती है इसलिये डिस्पेन्सरी का होना बहुत जरूरी है। एक सज्जन सिघाकला गांव से आये थे उन्होंने मंत्री महोदय को पत्र लिखा था कि वे 30 हजार रुपये की बिल्डिंग सौंपना चाहते हैं। आप अपनी ओर से अस्पताल खुलवा दें। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अस्पताल खोलने का वहां यह औचित्य है।

अब मैं सदर हास्पिटल के प्रति भी दो शब्द कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय भरतपुर पधारे थे तब सारी बातें मंत्री महोदय ने देखी थीं। मंत्री महोदय ने सारी अव्यवस्था को देखते हुए उसे ठीक करने के लिये भी कहा था। जो वहां दुर्गन्ध आती है उसको भी मंत्री महोदय ने देखा था।

( समय-समाप्ति-सूचक घंटी )

दो मिनट में समाप्त कर दूंगा।

वह अस्पताल 50 वर्ष पुराना है। उस समय आबादी बहुत कम थी लेकिन आज आबादी बढ़ गई है तो मरीजों की संख्या भी काफी बढ़ गई है। आउट-डोर में काफी संख्या में लोग आते हैं। शल्य चिकित्सा के लिये भी 700-800 आदमी आते हैं लेकिन जो भवन है शल्य चिकित्सा का वह अनुपयुक्त है। इसलिये डॉक्टरों को 6 घन्टे के बजाय आठ-आठ घंटे तक भी कार्य करना पड़ता है।

श्री सभापति : इस पर आपका कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है।

श्री ताराचन्द : मैं आपसे प्रार्थना करूं

श्री सभापति : इस विषय पर केवल एक कटौती प्रस्ताव है। आप उसी पर बोलें, बाकी पर नहीं।

श्री ताराचन्द : मैं निवेदन करूंगा, यह भी उसी विषय से सम्बन्ध रखता है। इसकी जरूरत है. वहां पर इसकी आवश्यकता है इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि वहां पर आबादी को देखते हुये और भवन की कमी को देखते हुये भवन की समस्या को सुधारें और एक नया अस्पताल खुलवाने की भी व्यवस्था करें।

श्री सभापति : बजरंगलाल शर्मा !

(अनुपस्थित)

श्री चुन्नीलाल !

(अनुपस्थित)

श्री रंगजी !

( अनुपस्थित )

श्री गोविन्द सहाय !

( अनुपस्थित )

श्री हरलालसिंह खर्रा !

( अनुपस्थित )

# Page No 129

(129)



(श्री सभापति)

श्री बहादुरसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री बालशंकर !

(अनुपस्थित)

श्री नवनीतकुमार !

**श्री नवनीत पालीवाल (नाथद्वारा) :** सभापति जी, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मन्त्रीजी से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैंने शिक्षा की मांग के दिन भी माननीय शिक्षा मन्त्रीजी से अनुरोध किया था कि पिछली सरकार का सारा का सारा तन्त्र जिस प्रकार तबादलों के चक्कर में फंस गया था, कम से कम हमारा यह प्रशासन भी उस तरह के चक्कर में न फंस जाय....

**श्री मूलचन्द डागा :** यह आपको डर हो गया क्या ? ये सेक्रेटरी बोल रहे हैं।

**श्री सभापति :** बोलने दीजिये, माननीय डागा जी।

**श्री मूलचन्द डागा :** इनको शक पैदा हो गया है। महामन्त्री बोल रहे हैं।

**श्री नवनीत पालीवाल :** मैं तो, सभापतिजी, सावधानी के लिये कह रहा हूं। जो गलतियां कांग्रेस ने की और जिनके कारण इनको उधर बैठना पड़ा उनमें कहीं हम भी नहीं फंस जायं, इसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

**श्री सभापति :** मैं निवेदन करूंगा कटौती प्रस्ताव पर ही बोलें, इधर उधर के विषय पर न बोलें।

**श्री नवनीत पालीवाल :** मेरा कटौती प्रस्ताव है कि पिछली सरकार ने शहरों और गांवों के बीच असमानता का असर पैदा किया था....

**श्री सभापति :** यह कटौती प्रस्ताव नहीं है।

**श्री नवनीत पालीवाल :** सभापति महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव पढ़ देना चाहता हूं 'ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सालयों के अभाव के कारण होने वाले कष्टों पर चर्चा' और 'चिकित्सालय खोलने की असन्तुलित नीति के कारण प्रभावित जन-जीवन पर चर्चा'।

**श्री सभापति :** चिकित्सालय खोलने का है।

**श्री नवनीत पालीवाल :** उसी पर मैं निवेदन कर रहा हूं। जिस तरह पिछली सरकार ने चिकित्सालय खोले हैं उसमें कई प्रकार की आर्ज असुविधायें हो रही हैं। मैं चिकित्सा मन्त्रीजी को याद दिलाऊं, नाथद्वारा में एक डिस्पेन्सरी है। 14 मील दूर देलवाड़ा है, कोई चिकित्सा की व्यवस्था 14 मील के पूरे क्षेत्र में नहीं है। इसी तरह मांवली से गोगुन्दा तक नाथद्वारा क्षेत्र में कोई चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। डिलिवरी के केसेज संभालने की किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। नतीजा यह होता है कि डिलिवरी के केसेज बिगड़ जाते हैं और उदयपुर चिकित्सालय में पहुंचते-पहुंचते मौत हो जाती है। इसलिये मैं चिकित्सा मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया इसको देखें। विभाग द्वारा इसको दिखवायें जहां चिकित्सालय की आवश्यकता है, वहां खुलवाने का कष्ट करें।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो असन्तुलित नीति है चिकित्सालय खोलने की, उसके कारण गांवों की स्थिति, माननीय

(श्री नवनीत पालीवाल)

सभापति महोदय, बड़ी दयनीय है। डॉक्टर जाना वहां पसन्द नहीं करते और अगर जाते भी हैं, तो राजनीति के शिकार हो जाते हैं। शहरों में डॉक्टरों की भरमार रहती है। अच्छी तरह से उनका यहां उपयोग भी नहीं हो पा रहा है और जहां उपयोग होना चाहिये, वहां वह पहुँच नहीं पाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा जो असन्तुलन की स्थिति है, जो अव्यवस्था हैं उसको दूर करने की कृपा करें। गांवों में डॉक्टरों का होना अनिवार्य कर दीजिये। शहरों में फिर भी चिकित्सा सुविधा मिल जाती है लेकिन दूर-दराज गांवों में चिकित्सा की व्यवस्था न होने से गांव वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि गांवों में अविलम्ब डिस्पेन्सरीज खुलवाने की व्यवस्था करें। आपके सवाई मानसिंह अस्पताल में डाक्टरों की भरमार है, वहां राजनीति चलती रहती है, विद्वेष चलता है, अव्यवस्था चलती हैं और इधर हम लोग गांवों में चिकित्सा सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं मेहरबानी करके जो डॉक्टरों की भीड़ आ रही है उसको गांवों की ओर भेजिये। जैसे शिक्षा आवश्यक है मनुष्य के लिये, जैसे भोजन की आवश्यकता है उसी प्रकार चिकित्सा मनुष्य के लिये आवश्यक है। इसलिए जो भूल पहले की है उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं जितने बड़े-बड़े अस्पताल हैं उनमें डाक्टर राजनीति के शिकार हैं और कुछ लोग अव्यवस्थायें फैला रहे हैं उनको ठीक करिये। जहां अनियमिततायें हैं वहां जांच करवायें और जो कमियां हैं उनकी पूर्ति करवायें तो बहुत बड़ा अहसान होगा। मैं निवेदन करूंगा, चिकित्सा मंत्री जी विशेष ध्यान दें ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जैसी की सरकार की नीति है उस नीति पर ही चलने की कोशिश करें और जो पिछली सरकार ने गलती की हैं उसको नहीं दोहरायें।

श्री मूलचन्द डागा : श्री नाथ जी के पास पहुँच जाओ, सारी बीमारी दूर हो सकती है।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, मेरा नाम है।

श्री सभापति : जो एबसेन्ट है, उनका नाम बाद में आयेगा।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : सभापति महोदय, मैंने अपने कटौती प्रस्ताव दिये है उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। आपको याद दिलाना चाहता हूं ब्यावर औद्योगिक क्षेत्र है....

(व्यवधान)

श्री भैरवलाल कालाबादल : सभापति महोदय, मैं उस समय उपस्थित नहीं था अब आ गया हूं।

श्री सभापति : बाद में

श्री उगमराज मेहता। ब्यावर में तीन मिल है। उन में 7700 मजदूर काम करते हैं वे सब ई. एस. आई. में रजिस्टर्ड हैं। उस हिसाब से वहां 8 डॉक्टर होने चाहिये लेकिन अभी वहां केवल 4-5 डॉक्टर ही हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं जो 3-4 डॉक्टरों की कमी है वह पूरी की जाय। साथ ही ई. एस. आई. का अस्पताल दूर

(श्री उगमराज मेहता)

है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं की मिल क्षेत्र के पास एक डिस्पेन्सरी जरूर खोली जाय। अजमेर, किशनगढ़, नसीराबाद में डिस्पेन्सरी है तो ब्यावर में भी डिस्पेन्सरी होना आवश्यक है। अभी तक ब्यावर शहर को डिस्पेन्सरी से वंचित रखा गया है। अतः सब जगहों को देखते हुये ब्यावर में डिस्पेन्सरी का होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही ए. के. हास्पिटल हैं उसमें भी पूरी तौर से चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। न तो वहां एनसथेसिया का कोई स्पेशलिस्ट है, न मेडिकल ज्यूरिस्ट है, न कोई स्किन स्पेशलिस्ट है। राजस्थान में कम्परेटिव ब्यावर में टी. बी. पेशेन्ट ज्यादा है। कारण कि वहां रूई, ऊन और सीमेन्ट के कारखाने ज्यादा हैं उसकी वजह से वहां टी. बी. के केसेज ज्यादा होते हैं। वहां पर टी. बी. का स्पेशलिस्ट होना जरूरी है।

दूसरे वहां पर डॉक्टर मिसेज भार्गव भीलवाड़ा से आई हैं। उनके आने के बाद वहां टिटेनिस के केसेज हुए। सात दिन तक वहां का हास्पिटल बन्द रहा उसकी लापरवाही के कारण। भीलवाड़ा में भी चार-पांच लोगों की मृत्यु हो चुकी थी और ब्यावर में तीन महिलाओं की मृत्यु हो गई। सात दिन तक अगस्त में हास्पिटल बन्द हुआ। इसकी शिकायत की जा चुकी है। आपसे निवेदन है कि आप इसकी ओर ध्यान दें। जवाजा में जो दवाइयां दी गई हैं उसकी भी जांच करवायें। जो नियरेस्ट एक्सपायर डेट की दवाइयां थीं वे दी गई हैं जवाजा डिस्पेन्सरी को, जो काम में नहीं आ रही है और वहां पर जो दवाई चाहिए उनका गबन किया गया है।

दूसरा यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपातकाल के दौरान कोटडा काण्ड हुआ था परिवार नियोजन के कारण। उस काण्ड की आज तक जांच नहीं की गई है। जिस प्रकार बेदर्दी से लोगों पर अत्याचार किए गए हैं उनके बारे में माननीय मेजर साहब ने भी हाउस में कहा है। मैं चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उसकी अविलम्ब जांच कराई जाय।

( समय-समाप्ति-सूचक घण्टी )

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि अमृतकौर चिकित्सालय में बीस कम्पाउण्डर्स की जगह है जिन पर एन० एस० काम कर रही है। कम्पाउण्डरों की जो पोस्टें खाली हैं उन पर कम्पाउण्डरों को लगाया जाय।

इसके अलावा बड़ाखेड़ा में चिकित्सालय है वहां पर डाक्टर नहीं है और कम्पाउण्डर भी नहीं है। कम्पाउण्डर की जगह एन० एस० काम कर रही है। टाटगढ़ में भी एन० एम० काम कर रही है, कम्पाउण्डर नहीं है।

**श्री सभापति :** माननीय श्री रतनलाल वर्मा !

**श्री रतनलाल वर्मा** (भिनाय) : माननीय सभापति महोदय, हम गांव वालों को तीस साल तक कांग्रेस सरकार ने बिल्कुल पिछड़ा दिया है और किसी भी प्रकार के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं की है। बड़े-बड़े शफाखाने बन गए, जयपुर में और भी बड़ा हो गया, अजमेर में और भी बड़ा हो गया; बड़ी-बड़ी जगहों पर हॉस्पिटल बनते जा रहे हैं और वहां पर मरीजों की गिनती भी

(श्री रतनलाल वर्मा)

बढ़ती जा रही है लेकिन आज की तारीख में भी अगर गांव का आदमी भर्ती होने जाय तो जब तक घर पर दिखा कर बीस रुपये फीस के नहीं दे तब तक वह अस्पताल में भर्ती नहीं हो सकता है। गांव का आदमी अस्पताल में भर्ती नहीं हो सकता है, आज भी यह स्थिति चल रही है। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, मैं आपसे कहता हूं कि मेहरबानी कर के ऊंची धोती पहन कर और माथे पर फेंटा बांध कर किसी अस्पताल में जाकर खड़े हों, आपको मालूम पड़ जाएगा कि आज भी रिश्वत देने पर ही भर्ती करते हैं, नहीं तो नहीं करते।

**श्री सभापति :** यह तो आपका कटौती प्रस्ताव नहीं है।

**श्री रतनलाल वर्मा :** यह तो गांव की बात बता रहा हूं। इसका भी प्रस्ताव था और आगे भी है।

मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, इस व्यवस्था को खत्म करें। जो गड़बड़ हो रही है उसका चैकिंग करने के लिए मेहरबानी करके भेष बदल कर अगर आप जायं तो आपको मालूम पड़ जायेगा। यह मेरा निवेदन है।

दूसरी बात यह है कि जिन गांवों में किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है उसके लिए एक नीति निर्धारित कर दें कि हर पंचायत हेड क्वार्टर पर एक औषधालय हो। हर पंचायत हैडक्वार्टर पर, हर गिरदावर हैडक्वार्टर पर डिस्पेंसरी हो जिन में छोटे मोटे आपरेशन हो जायं। हर पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर पचास बैड का हास्पिटल हो जहां पर पचास आदमी भर्ती होकर इलाज करा सकें। जो प्राइमरी हैल्थ सेन्टर मौजूद हैं उनमें दस-बारह आदमी भर्ती होते हैं, इसलिए वहां पर ऐसी व्यवस्था करें ताकि पचास आदमी भर्ती होकर इलाज करा सकें। वहां पर एक्स-रे मशीन हो ताकि सब तरह के आपरेशन हो सकें। कोई बहुत बड़ा आपरेशन हो तो वह विक्टोरिया में हो जाय या जयपुर में हो जाय। लेकिन छोटे आपरेशन हों तो मेहरबानी कर के ऐसी व्यवस्था करें कि वहां का वहीं पर आपरेशन हो जाय। गरीबों का इलाज वहां का वहीं हो जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

मैं निवेदन करूंगा कि आज गांवों के अन्दर जो पैसे वाले लोग हैं मैं भी उसी गिनती में हूं, हम सर्दी के मौसम में बिस्तरों में सोते है। मखमल की रजाइयां ओढ़ कर पूंजीपति सोते हैं। लेकिन किसान सर्दी के मौसम में भी जब कि रात को सिंचाई होती है, तालाब की मोरियां खुलती हैं, कमर-कमर तक, गोड़े गोड़े तक पानी में खड़ा रहता है और खेत की पिलाई करता है। उस वक्त सांप भी पानी में आते हैं, बिच्छु और कैंचुले भी पानी में आते है। कई जगह पर लोगों को सांप काट खाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती है? सभापति महोदय, गांव के अन्दर कोई बस का साधन नहीं है, मोटर का साधन नहीं है, किसी प्रकार की चीज का साधन नहीं है, उस मरीज को होस्पिटल ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस वजह से वह आखिर में मर जाता है। इस पर तीस वर्षों तक इस कांग्रेसी सरकार ने कोई ख्याल नहीं किया और गरीब जनता के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। मैं कह देना चाहता हूं कि

श्री रतनलाल वर्मा)

किसानों पर जो अत्याचार करते रहे उन पर उन्होंने आंसू बहा दिए। अगर अभी भी व्यवस्था नहीं की गई तो हम पर आंसू बहाने को तैयार हो जायेंगे। तो, सभापति महोदय, स्वास्थ्य मंत्री महोदय, गांवों में आज भी कैम्प लगते हैं, नये साल लगा था और आगे भी लगायेंगे लेकिन मिनाय के अन्दर बीस पच्चीस हजार रुपयों का चन्दा कर लिया, और भी देने को तैयार हैं यदि वहां पर 50 बेड्स का हास्पिटल बनाया जाय। लेकिन कहा यह जाता है कि वहां पर बिल्डिंग की व्यवस्था गांव वाले करें। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, स्वास्थ्य मंत्री जी से कि जयपुर के अन्दर बिल्डिंग की व्यवस्था किसने की? अजमेर में बिल्डिंग बनाने की व्यवस्था किसने की? भीलवाड़ा में बिल्डिंग की व्यवस्था किसने की? कोटा के अन्दर बिल्डिंग की व्यवस्था किसने की? गांव का जो गरीब आदमी हमारा पेट भरता है, गेहूं, चना, जो पैदा करता है, दूध पैदा करता है, वह हमको पालता है, खिलाता है, पिलाता है, जिन्दा रखता है, वह आज अगर बीमार पड़ जाय तो उसके इलाज की व्यवस्था नहीं। इलाज के लिए भर्ती होना है तो आपको बिल्डिंग बना कर देनी पड़ेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, दो मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : आपने अपना कटौती का प्रस्ताव तो एक ही रखा है, बाकी का क्या करेंगे?

श्री रतनलाल वर्मा : सभापति महोदय, गांवों में मेरा यह....

श्री अब्दुल अजीज : सभापति महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य माइक पर भी इतने जोर से बोलते है कि सुनाई ही नहीं देता।

श्री रतनलाल वर्मा : अभी तो मैं शुरू करने वाला हूं। दो मिनट में कह दूंगा।

श्री सभापति : पांच मिनिट हो गए हैं, एक मिनट और।

श्री रतनलाल वर्मा : तो, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि गांव अभी भी पिछड़े हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी इसकी व्यवस्था करेगी, मुझे अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा है, इस सत्ता पर पूरा विश्वास है, हमारी सरकार इन गरीब किसानों के लिए अवश्य व्यवस्था करेगी और किसी प्रकार से गरीबों के इलाज के लिए कभी पीछे नहीं रहेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तो, मैं यह कहता हूं, सभापति महोदय, कि इन गरीबों का आप लोगों को पूरा-पूरा ख्याल रखना चाहिए जिन्होंने हमको सत्ता के अन्दर चुन कर भेजा है।

श्री सभापति : माननीय श्री रामप्रसाद लड्ढा।

श्री मूलचन्द डागा : कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इस पर भी कोई कटौती प्रस्ताव है क्या?

एक माननीय सदस्य : Here lies the point.

**श्री रतनलाल वर्मा** : अभी तो आप छाती पीट रहे हो सदन के बाहर आकर।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा (मांडल)** : सभापति महोदय, यह कांग्रेस सरकार के लिए कलंक की बात है कि गत तीस सालों के अन्दर चिकित्सा पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने जो कटौती प्रस्ताव दिए हैं....

**श्री शीशराम ओला** : कांग्रेस का नाम लेने से ही काम नहीं चलेगा। अब काम तो करना ही पड़ेगा।

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, बैठिये।

**श्री रतनलाल वर्मा** : जो पाप तीस वर्षों में किये है, उन पापों को कैसे भूल जायेंगे?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : माननीय सभापति महोदय, चूंकि मेरे कटौती प्रस्ताव दस-पन्द्रह हैं और समय कम है इसलिए थोड़ा समय और लूंगा। कई महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको कहते हुए मैं अपनी बात शुरू करूंगा। सब से पहले तो, सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूँगा कि जहां कहीं भी एड पोस्ट खोली जाए वहां पर कम से कम सीनियर रैंक का मेल नर्स रखा जाए ताकि डिस्पेन्सरी न खुले तो उसके अभाव में अच्छी से अच्छी सुविधा लोगों को मिल सके।

इसके साथ ही सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि भीलवाड़ा में एक गांधी आरोग्य सदन है। आये दिन वहां पर टिटेनस की बीमारी के कारण मृत्यु होती है। आपके माध्यम से, सभापति महोदय, मैं चिकित्सा मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस सम्बन्ध में पूरी तरह से जांच पड़ताल करायें। यह मालूम किया जाए कि किस कारण से आए दिन टिटेनस की बिमारी के कारण ये मौतें होती हैं।

इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो ग्रामों के अन्दर आयुर्वेद के अस्पताल हैं, वहां पर सरकार केवल भवन के नाम पर मकान लेकर अस्पताल चलाती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में कोई नीति स्पष्ट करे कि जनता से मिलने वाले जन सहयोग और राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले अंशदान, से किस प्रकार के भवन की आवश्यकता होगी, यह स्पष्ट हो ताकि कम से कम गांव के अन्दर वैसा भवन हो जिसके कारण से लोगों को पूरी चिकित्सा सुविधा मिल सके।

इसके साथ ही मैं आयुर्वेद अस्पतालों के सम्बन्ध में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि गत तीस साल से इन अस्पतालों को चार हजार रुपये की दवाइयां दी जाती है। वह बजट समाप्त हो जाता है तो दवाइयां इन अस्पतालों को नहीं दी जाती है। मैं निवेदन करूंगा माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीजी से इस सम्बन्ध में कि जो दवाइयां दी जाएं वे समय पर दी जायें ताकि लोगों को सुविधा मिल सके।

इसके साथ ही जो डिस्पेन्सरीज खुलती हैं उनमें ए. एन. एम. की पोस्ट नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां अस्पताल या डिस्पेन्सरीज खोली जावे, वहां

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

पर ए. एन.एम. को पोस्ट कायम की जाए एक और निवेदन सरकार को करना चाहूंगा कि सरकार केटेगरी के आधार पर डाक्टर नर्स, कम्पाउन्डर देती है। मेरा सुझाव है कि राज्य सरकार के स्वास्थ्य मन्त्री केटेगरी के आधार पर स्टाफ दवाइयां न देकर वहां मरीजों की संख्या व औसत के आधार पर दें ताकि लोगों को सुविधा मिल सके।

इसके साथ ही मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्राइवेट भवन में डिस्पेन्सरीज चलती हैं, वहां पर आए दिन बीमार आते रहते हैं। लोगों को सरकार चिकित्सा सुविधा देना चाहती है। परन्तु गलत ढंग से भवन लेकर जो डिस्पेन्सरीज चलाई जा रही है, उनसे मरीजों को राहत नहीं मिल रही है। सहीमायने में डिस्पेन्सरीज चलें और अन्य प्रकार की बीमारियों से लोग शिकार न हों, इसलिए मेरा निवेदन है राजकीय नक्शे के अनुसार ही भवन डिस्पेन्सरीज के लिए लिए जाएं और नहीं मिलें तो उनका निर्माण शीघ्र से शीघ्र कराया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

इसके साथ ही मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज बाजार में एन्टी बायोटिक इन्जेक्शन उपलब्ध नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो एन्टी बायोटिक इन्जेक्शन उपलब्ध नहीं है वह उपलब्ध कराये जायें।

इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं जो पैरा मेडिकल स्टाफ है, उसमें 12 केटेगरीज हैं। उस में से 9 केटेगरीज को बराबर विशेष वेतन दिया जाता है किन्तु जो शेष तीन केटेगरीज हैं उनको विशेष वेतन नहीं दिया गया है। इसके लिए जांच आयोग भी बैठा, कमेटी बनी और उस कमेटी ने निर्णय किया था कि इस ढंग के लोगों को, पैरा मेडिकल की तीन केटेगरी के लोगों को भी विशेष वेतन दिया जाना चाहिए। उनको भी यह विशेष सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

इसके साथ ही, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मांडल में गत ढाई साल से आयुर्वेदिक अस्पताल में 'ए' क्लास की सुविधा नहीं है। यह घोषणा भी की गई है। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर 'ए' क्लास की सुविधा दी जाए।

इसके साथ ही यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि झालेर, मांडल पंचायत समिति एरिया में है। यहां पर दो ढाई हजार की आबादी है इसके आसपास किसी प्रकार की कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस एरिया के अन्दर चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही यह निवेदन करना चाहता हूं कि बागोर एक कस्बा है, मांडल पंचायत समिति के क्षेत्र के अन्तर्गत, यहां पर डाक्टर की जगह खाली है। उस डॉक्टर के स्थान पर, मैं यह स्वास्थ्य मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर शीघ्र ही एक लेडी डॉक्टर को भेजा जाए ताकि आसपास के इलाके की महिलाओं के इलाज की पूरी व्यवस्था हो सके। यह महत्वपूर्ण सुझाव है। मैं चिकित्सा मन्त्री महोदय से

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

निवेदन करूंगा कि इस ओर ध्यान देकर शीघ्र ही व्यवस्था करें।

**श्री सभापति :** श्री बिरदीमल सिंघवी !

**श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) :** माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि जोधपुर शहर में गांधी अस्पताल है, जिसे पहले विढ़म अस्पताल के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार महिलाओं के लिए एक उम्मेद अस्पताल है यह भारतवर्ष के प्रमुख अस्पतालों में गिना जाता था। इसकी गणना भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में, अनुशासन की दृष्टि से, चिकित्सकों की दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से की जाती थी। मगर आज इन अस्पतालों में जाया जाए तो ऐसा लगता है कि ये गंदगी के ढेर बने हुए हैं। यहां पर जो पेशेन्टस् हैं, उनके लिये लेट्रिन की बराबर व्यवस्था नहीं है। पेशेन्टस जितने भी हैं, वे लेट्रिन नहीं जा सकते हैं। फ्लश के लेट्रिन बन्द पड़े रहते हैं। इसका कारण यह बताया गया कि यहां पर वाटर सप्लाई की कमी है। वाटर सप्लाई का कनेक्शन नहीं है। इसकी व्यवस्था करना सरकार का पहला कर्तव्य है। इसको पहले करना चाहिए। यह भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पीने के पानी की यहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। अस्पताल में यदि मरीज पानी पीना चाहे तो उसके लिए उसे अस्पताल से बाहर जाना पड़ेगा। वहां पर नल पूरे समय नहीं चलता है। इसके कारण कठिनाई होती है। गर्मियों में कोई व्यक्ति प्राइवेट प्याऊ वहां पर लगा दे तो गर्मियों में प्याऊ चलती है लेकिन बाकी समय के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा। वहां की जो व्यवस्था है उसमें बड़ी भारी खामी है।

इसी प्रकार वहां पर एक्स-रे डिपार्टमेन्ट है वहां एक्स-रे की फिल्म ही नहीं। मशीन अधिकांश समय खराब पड़ी रहती है। वहां पर कोई एक्स-रे भी होगा तो वह किसी खास व्यक्ति का होगा। बाकी एक्स-रे होना कोई सरल नहीं लगता। किसी का हाथ टूट जाए तो मंत्री महोदय आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हाथ टूटने के कारण जो बेन्डेज स्पलन्ट लगानी होती है वह भी वहां पर नहीं मिलती है। मरीज से बाजार से लाने के लिए कहा जाता है। इतना बड़ा अस्पताल है फिर भी वहां पर किस प्रकार की स्थिति होगी, यह आप कल्पना कर सकते हैं।

कुछ इन्स्ट्रूमेन्टस वहां पर हैं। उनका उपयोग करना उन लोगों को नहीं आता। जो मशीन है सुनने की, जिससे टैस्ट किया जाता है उसका उपयोग नहीं होता है। मैं स्वयं अपना हाल बताता हूं। मैं इस अस्पताल में गया हूं। कान का टेस्टिंग कराने के लिए। परन्तु किसी डाक्टर ने उस मशीन को यूज नहीं किया। वे टालते रहे। कहते रहे यह आडोग्राम मशीन खराब पड़ी है। दूसरी बार और कोई कारण बता दिया। वे उस मशीन का उपयोग नहीं कर सके। कोई डॉक्टर आया वहां पर, उसने उस मशीन को यूज करके बताया। इस प्रकार से आडोग्राम मशीन का उपयोग नहीं किया जाता है।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि

(श्री विरदमल सिंघवी)

जोधपुर में ग्लूकोज प्लान्ट लगाने की योजना बनी है। ग्लूकोज प्लान्ट वहां पर लगे....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह बहुत आवश्यक है। काफी समय से यह योजना चल रही है परन्तु यह योजना योजना ही रह गई। आजमरीज को 6/7 रुपया खर्च करना होता है। इसलिए यह ग्लूकोज प्लान्ट वहां पर लगना आवश्यक है।

जोधपुर में दवाइयों के नाम पर किस प्रकार की बेईमानी होती है, उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूं। वहां पर क्लोरोक्वीन की गोलियां आई। एक डाक्टर ने डिब्बा खोला और उन गोलियों को निकाल कर उसमें सोडामिन्ट की गोलियां डाल दीं। वे गोलियां मरीजों को नहीं मिलीं। क्लोरोक्वीन की गोलियां बाजार में बेच दीं। यह अखबार में छपा है। एक महीने से अधिक हो गया है। इसकी जांच भी हुई बताते हैं परन्तु यह मामला दब गया। आप सोच सकते हैं कि एक मरीज को क्लोरोक्वीन के बजाय सोडामिन्ट की गोलियां दी जायं तो उसका क्या नतीजा होगा। इस प्रकार की हरकतें की जाती हैं मगर उसका कोई ठीक से निपटारा नहीं होता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं, सभापति महोदय, केवल दो मिनट और लूंगा।

जो मेडिकल कालेज खुला है; उससे एफिलिएटेड हॉस्पिटल, चार साल हो गये, नहीं बन रहा है। 1939 में जोधपुर हॉस्पिटल में जो बेड्स की व्यवस्था थी वह आज तक नहीं बढ़ाई गई है। जब वहां पर एक लाख से कम आबादी थी, उस समय भी यही संख्या बेडस की थी और आज भी वही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि छोटी छोटी डिस्पेन्सरीज में बेड्स की व्यवस्था कर के वहां पर उनकी संख्या बढ़ाई जाय।

ट्रीटमेन्ट में डिले के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पेशेन्ट को कई प्रकार की फार्मेलिटीज करने में टाइम लग जाता है और....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक पेशेन्ट का तो बेड पर पहुंचने से पहले ही स्वर्गवास हो गया। इसलिए पहले एडमीशन किया जाना चाहिए और फिर फार्मेलिटीज करनी चाहिए।

अब मैं अधिक समय नहीं लेकर केवल यही निवेदन करूंगा कि जोधपुर में जो हॉस्पिटल है उसकी व्यवस्था को सुधारने की तरफ ध्यान दिया जाय, लोग प्राइवेट हेल्प देने को तैयार हैं। रेडियोलॉजी के लिए वहां पर रजिस्ट्रार नहीं हैं। इसके अलावा दूसरी चिकित्साओं की व्यवस्था नहीं है, डॉक्टरों में कम्पीटीशन है, उनके ग्रूप बन गए हैं। कई रिट केसेज कोर्ट में चल रहे हैं और उनमें समय बेकार होता है। इतना ही मैं निवेदन करता हुआ स्वास्थ्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस ओर ध्यान देने की कृपा करें।

**श्री सभापति:** श्री बंशीलाल सारस्वत!

## सदन की कार्यवाही

### विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री संपतराम (मंत्री, संसदीय मामलात):** माननीय सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही का समय चिकित्सा विभाग की मांग पारित होने तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि चिकित्सा विभाग की मांग पारित होने तक समय बढ़ाया जाय ?

( स्वीकृत )

समय बढ़ाया गया।

**श्री मूलचन्द डागा :** श्रीमान, मुझे एतराज है। इससे हमारे सदस्यों का स्वास्थ्य बिगड़ता है। हमको यह दावत भी नहीं देते हैं !

**श्री उपाध्यक्ष :** समय बढ़ाया गया।

( व्यवधान )

**श्री मूलचन्द डागा :** रोज हम 12, 1 बजे घर पर पहुँचते हैं।

**श्रीमती नारंगी देवी :** माननीय सभापति महोदय, यह स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। सदन का समय 5 बजे तक होना चाहिए।

**श्री रतनलाल वर्मा :** सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि काम चाहे 11 बजे तक पूरा हो लेकिन यहां पर भोजन की व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। पैसे तो हम दे देंगे लेकिन इनकी व्यवस्था कराई जावे।

**श्री उपाध्यक्ष :** बैठिये, माननीय रतनलाल जी।

**श्री रतनलाल वर्मा :** मैंने पहले भी इसके लिए निवेदन किया था, हम कहां जायं ?

**श्री बजरंगलाल शर्मा :** माननीय सभापति जी, यह अत्यावश्यक कार्य है और जनता पार्टी के सदस्य होने के नाते हम हां भी करते हैं, लेकिन जो माननीय सदस्यों की मनोभावनायें हैं उनको ठीक तरह से समझा जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उनके स्वास्थ्य को संरक्षण देने का कार्य आपका है। इसलिए आप आसन पर बैठकर सरकार को निर्देश दें कि चाहे असेम्बली का समय दस दिन के लिए और बढ़ा दिया जाय लेकिन कार्य 10 से 5 बजे तक होना चाहिए। सभापति महोदय, मजदूरों को भी ओवरटाइम मिलता है लेकिन हमको कोई ओवरटाइम नहीं मिलता है। यह जनता की सबसे बड़ी पंचायत है, चाय भी हमको नहीं मिलती है।

**श्री उपाध्यक्ष :** मुख्य सचेतक महोदय यहां पर बैठे हैं, उनसे आप विचार कर लें।

**श्री बजरंगलाल शर्मा :** हमारे स्वास्थ्य पर एडवर्सली अफेक्ट न हो।

**श्री उपाध्यक्ष :** मैंने निवेदन किया कि मुख्य सचेतक महोदय से आप बात कर लें।

**श्री सूर्यनारायण चौधरी :** सभापति महोदय, मेडिकल और हेल्थ जैसे महत्वपूर्ण विषय पर दो दो मिनट का समय दिया

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

जाता है। जल्दी में एक तरह से घास काटते हैं। जब तक इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे तब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकेगा मगर इसका समाधान करना है, तो ठीक तरह से टाइम देना पड़ेगा।

## मांग संख्या 26 पर अग्रेतर वाद-विवाद

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य, अपने कटौती प्रस्तावों पर बोलिये आप।

**श्री बंशीलाल सारस्वत(नागौर) :** माननीय सभापति महोदय, शताब्दियों तक इस देश में भारतीय चिकित्सा का यह चिन्तन रहा है और उनके महान् युगद्रष्टाओं के दरवाजे पर और कार्यालयों में यह लिखा रहा है कि न राज्य की इच्छा है, न स्वर्ग जाने की इच्छा है, न पुनर्जन्म लेने की इच्छा है, पर मेरी इच्छा तो केवल इतनी ही है कि लाखों असहाय लोग जो हैं उनकी मैं केवल सेवा करता रहूं।

"नत्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम्
कामये दुःखतप्तानाम् प्राणिनामार्तनाशनम्"

यह परम्परा और धारणा हमारे देश की ही रही है। मगर आज हिन्दुस्तान का और विशेषतया राजस्थान का प्रत्येक प्रतिभावान चिकित्सा में काम करने वाला व्यक्ति ईराक और ईरान जाने की तैयारी में है। कोई दुर्लभजी अस्पताल में जाने को उत्सुक हैं और अन्य दूसरे प्राईवेट अस्पताल में जाना चाहते हैं। इसके पीछे जो भावना है वह यह है कि कोई इन्सेंटिव नहीं है, यहां पर काम करने की व्यवस्था ठीक नहीं है और विशेषज्ञों का पूरा मान और सम्मान नहीं है। जो प्राइवेट प्रैक्टिस थी, उसके सम्बन्ध में दीगर धारणा हो गई। प्रत्येक विशेषज्ञ ने सोच लिया कि हर हालत में सम्बन्धित कार्य के आधार पर पैसा दिया जाना चाहिये। इस कारण भूतपूर्व स्वास्थ्य मन्त्री महोदय ने राजस्थान में प्राइवेट प्रैक्टिस पर सबसे पहले जो चिकित्सालय कालेजों से सम्बन्धित थे उन पर प्रतिबन्ध लगा दिया। मगर इसका क्या इफैक्ट हुआ और कहां सुधार हुआ? मैंने जो व्यवस्था देखी है उसके आधार पर कह सकता हूं कि कोई सुधार नहीं हुआ। लोगों को जो सेवायें उपलब्ध थीं उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है और विशेषज्ञों का ध्यान इस ओर कतई गया ही नहीं। मैं निवेदन करूं कि उनकी जो काम करने की मनोवृत्ति थी वह समाप्त हो गई है। वे सोचने लगे हैं, कि कितना ही काम करो उन्हें कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। यह जो पद्धति है, प्रणाली है, डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर और दीगर जगह कायम नहीं हुई। मेडिकल कॉलेज से एफिलिएटेड जो हॉस्पिटल्स हैं, केवल उन तक ही सीमित रही है। इसलिए आज विशेषज्ञ सोचते हैं कि पे क्लीनिक से उन्हें 5-6 रुपये प्राप्त होते हैं। "मैं एडवाइज करता हूँ, मुझे इसमें जाने की जरूरत क्या है।" तो जो विशेषज्ञ गांवों में और जिला मुख्यालयों में हैं जो वहां शफाखानों में हैं उनमें यह लागू नहीं की गई है। या तो यह पूर्णतया लागू कीजाए, अन्यथा पूर्णतः बन्द हो। यदि सोचा जाय कि डॉक्टरों को इससे इन्सेन्टिव मिलता था जो शहरों के लोग हैं उनके पास पैसा है, वे वास्तव में सोचते हैं कि 20-30 रुपये देने से हमें सही राय मिल

( श्री बंशीलाल सारस्वत )

सकेगी। मेरा निवेदन है कि इस प्रतिबन्ध का कोई फायदा नहीं, इसमें सार नहीं, इसे बन्द किया जाना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा का प्रावधान रखा गया है और विस्तार किया जाने का प्रस्ताव है। एक तरफ शहरों में स्वास्थ्य विशेषज्ञ मौजूद हैं, उनकी सेवायें उपलब्ध हैं। वर्षों के अध्ययन व चिन्तन के बाद उनकी सेवायें उपलब्ध होती हैं। मगर गांवों में जो सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा का प्रावधान रखा है, उसमें सामान्य पढ़े-लिखे लोगों को लगाने का विचार है। गांव में दरिद्र नारायण रहते हैं, उनको आप इन क्वाक्स के हाथों में देंगे तो यह बहुत ही अनुचित होगा। इसके लिए मैंने पहले भी निवेदन किया था कि जैसे पहले चिकित्सा में डिप्लोमा होता था एल. एम. पी. उसी तरह से रूरल सेवा से सम्बन्ध रखने वाला डिप्लोमा तुरन्त चालू किया जाना चाहिये। इसको तुरन्त प्रारम्भ करना चाहिये।

आंग्ल चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में भी आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसमें आयुर्वेद का विषय अनिवार्य होना चाहिये ताकि दोनों प्रणालियों में समन्वय स्थापित हो सके और वास्तव में इनका तुलनात्मक अध्ययन हो सके। एक विद्वान रामायण की आलोचना करने को तैयार हो जाता है, यदि दूसरा इस ग्रन्थ को नहीं जानता तो वास्तव में नहीं कह सकता कि सही स्थिति क्या है? आज भी मालूम है कि मेक्साफार्म की गोलियों का रि-एक्शन होता है मगर आयुर्वेद की किसी भी दवाई का रि-एक्शन नहीं होता जहां तक इसका मेडिकल आस्पेक्ट है, यह पूर्ण साइन्स है। अंग्रेजी दवाइयों की प्रतिक्रिया हो, कैंसर हो, पक्षाघात हो। रि-एक्शन से बचने के लिए, तुलनात्मक अध्ययन के लिए आयुर्वेद का विषय एम. बी., बी. एस. के अन्दर अनिवार्य होना चाहिये।

बहुत बड़ी राशि इस राजकीय कोष की खर्च होती है, दवाइयां बनाने के लिए और खरीदने के लिए, क्यों नहीं राजस्थान में भी तमिलनाड की तरह औषधि निर्माण के लिए औषध शाला बनाई जाए? यहां भी औषधशाला बनाई जाकर दवाइयां खरीदने की व्यवस्था में तुरन्त परिवर्तन किया जाए। जितनी भी दवाइयां राजकीय अस्पतालों में सप्लाई की जाती हैं वे उसी शाला से वितरित होनी चाहिए, इससे बहुत बड़ा लाभ होगा, राज्य के बजट पर भी कम बोझ पड़ेगा और सस्ती दवाइयां भी मिलेंगी इसलिये इसका माकूल प्रबन्ध किया जाए।

**श्री सभापति :** श्री मणिराम!

**श्री शीशराम ओला :** पाइंट आफ आर्डर। हमें अभी षष्टम विधान सभा आम चुनाव, 1977 नामक पुस्तिका मिली है। इसमें 119 के बाद 132 कान्सटीट्यूएन्सी हैं, this is a very serious matter!

**श्री सभापति :** ठीक है, यह पाइंट आफ आर्डर नहीं है।

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** ऑन ए पाइंट आफ आर्डर। मुख्य मंत्री ने घोषणा की है कि राजस्थान में 80

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

प्रतिशत काम हिन्दी में करेंगे मगर इस पुस्तिका में 99.9 प्रतिशत अंग्रेजी है। केवल इसका नाम हिन्दी में दिया है, यह सरकार की घोषित नीति के विरुद्ध है।

**श्री सभापति :** इस विषय पर चर्चा नहीं हो रही है इसलिए यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** किताब दी गई है।

**श्री सभापति :** ठीक है, ठीक है। श्री मणिराम !

**श्री मणिराम (तारानगर) :** सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहां दूर दूर तक चिकित्सा व्यवस्था नहीं है। हमारे क्षेत्र में साबा गांव है जो तीन तहसीलों के त्रिकोण पर स्थित है, उसके आस पास 20-30 कोस तक कोई चिकित्सा का प्रबंध नहीं है। वहां पर प्राइमरी हैल्थ सेंटर खोला है लेकिन दुर्भाग्य से वहां दो महीने से कोई डॉक्टर नहीं है। वह क्षेत्र ऐसा है कि इधर भादरा का इलाका, उधर है नोहर और तीसरी तरफ है तारानगर। वहां लोग डॉक्टर के अभाव में परेशान हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक ही जहां स्वास्थ्य सेंटर है वहां पर कोई डॉक्टर न रहे तो वहां के लोगों की क्या हालत हो सकती है? मलेरिया के बीमारों को निराश होकर बाहर जाना पड़ता है। उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वह गांव भी इतना बड़ा है कि उससे बड़ा कोई गांव उस क्षेत्र में नहीं है।

इसके अलावा तारानगर में भी एक ही अस्पताल है। वहां का भी यही हाल रहा है कि वहां डॉक्टर के न मिलने से एक प्राइवेट डॉक्टर ओम प्रकाश है उसके पास तमाम लोग जाते हैं और अपने पैसे से इलाज कराते हैं। यह हालत डॉक्टरों की रहती है। इधर शहर से डॉक्टरों को भेज देते हैं। वे रहना नहीं चाहते। इसलिये प्राइमरी हेल्थ सेन्टर खाली पड़ा रहता है। ऐसे आदमी को वहां लगाया जाए जो वहां पर रहना चाहे। वरना डॉक्टर वहां रहता नहीं है, और मरीज मारे मारे फिरते रहते हैं। इस ओर चिकित्सा मन्त्री ध्यान दें और उचित व्यवस्था करें।

**श्री सभापति :** श्री टीकम चन्द कांत !

**श्री टीकमचन्द कांत (जालोर) :** सभापतिजी, जालोर जिले में एक जिला चिकित्सालय है। उस सम्पूर्ण जिले की करीब 7 लाख जनसंख्या है। वहां पर चिकित्सा के पूरे साधन उपलब्ध हैं। लेकिन....

(5.01 म. प.)

(मेजर श्री फतहसिंह, सभापति, पीठासीन)

जितने चिकित्सक हैं वे चिकित्सक न होकर मात्र व्यापारी हैं, वे चिकित्सा का व्यापार करते हैं। वे देखते है कि कौन मरीज हमारे पास आया। अगर पैसा देने वाला है, घर पर आने वाला है, ठीक हो जाने पर 400-500 रुपये दे सकता है तो उसे अच्छी तरह से देखेंगे। उसके सामने वह प्रकट करते है कि मैं डॉक्टर हूं, देख सकता हूं, इलाज कर सकता हूं। लेकिन यदि उनके सामने कोई गरीब आ जाय जिसके शरीर पर कपड़ा नहीं, जिसके पास दवाई के लिए पैसा नहीं,

( श्री टीकम चन्द कान्त )

और डॉक्टर को यह मालूम हो जाय व्यक्ति कुछ पैसा नहीं दे सकता तो उसके सामने वह प्रकट नहीं करता कि मैं डॉक्टर हूं। यानि डॉक्टरों या चिकित्सकों का जो धर्म होता है उसको वे नहीं मानते हैं। जिस तरह से उनका बरताव हर आम आदमी के साथ होना चाहिये वैसा वह नहीं करते हैं। मतलब यह है कि जालोर जिला अस्पताल के जो चिकित्सक हैं वे चिकित्सक नहीं है बल्कि वे लोग व्यापारी बने हुए हैं। इसलिये इन परिस्थितियों से निपटने के लिये मेरा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से चिकित्सा मन्त्री जी से यह निवेदन है कि आप ऐसे व्यापारी, डॉक्टरों को जालोर डिस्ट्रिक्ट से तुरन्त हटाने की कार्यवाही करें। इतना ही नहीं, सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि न केवल जालोर जिले के चिकित्सकों को ही बल्कि जालोर जिले के चिकित्सालय के सम्पूर्ण स्टाफ को तुरन्त हटाया जाय।

इसके साथ ही, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मन्त्री महोदय को यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे जालोर जिले के सी. एम. एण्ड एच. ओ. जो हैं वह ऐसे हैं कि जिनके लिये इस इलाके के जितने भी एम. एल. एज. हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं और जितना भी चिकित्सालय का स्टाफ है वह यह कह रहे थे कि जालोर जिले के चिकित्सालय की व्यवस्था को सम्भालना उनके बूते की बात नहीं है, वह उसे पूर्णतया नहीं सम्भाल पाते हैं। उनके बारे में तो यहां तक बात सही है कि अगर किसी पेशेन्ट का आपरेशन होना हो और पेशेन्ट टेबल पर पड़ा हुआ है तो वह बाहर जाकर उस पेशेन्ट के रिश्तेदार से यह कहेंगे कि आप अगर मुझे पांच सौ रुपये देते हैं तब तो मैं आपरेशन करूंगा अन्यथा आप देख लो। सभापति महोदय, पेशेन्ट टेबल पर है, आपरेशन होने को है, हाथ में मोजे पहले ही पहन रखे हैं लेकिन उस वक्त भी जाकर यह कहेंगे कि अगर तुम तीन सौ रुपये दो तब तो आपरेशन करूंगा अन्यथा नहीं करूंगा। ऐसे एक दो नहीं सैकड़ों केसेज हुये हैं। इसलिये मेरा चिकित्सा मन्त्री जी से आपके माध्यम से यह निवेदन है, सभापति इसप्रकार के भ्रष्ट और अयोग्य अधिकारी को आप जालोर जिले की जनता की भलाई के लिये तुरन्त हटाने के आदेश करें।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है, आज जालोर के अस्पताल में यह हालत है कि अगर कोई एक चिकित्सक किसी व्यक्ति को भर्ती कर लेता है तो दूसरा चिकित्सक वह रोगी मरता हो तो भी नहीं देखेगा। वह यह कहेगा कि इसको तो फलां डॉक्टर ने भर्ती किया है। मैंने इस मरीज को दाखिल नहीं किया है इसलिये मैं इसको कैसे देख सकता हूं? चाहे, सभापति महोदय, वह रोगी मृत्यु की सांस ले रहा हो पर दूसरा डॉक्टर उसको नहीं देखेगा। इसलिये मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि इस प्रकार की कार्यवाहियों में सुधार लावें और जो अभी वर्तमान में जालोर जिले के चिकित्सक है उन्हें तुरन्त वहां से हटायें। किसी की मृत्यु हो जाये तो भी उनको फिक्र नहीं हैं। इसे डॉक्टरों की राजनीति तो क्या कहूं यह एक प्रकार से डाक्टरों की अनीति है। इसको खत्म करने के लिये तुरन्त कदम उठाये जाने चाहिये।

( श्री टीकम चन्द कान्त )

सभापति महोदय इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज जालौर जिले के चिकित्सालय में एक्स–रे मशीन पिछले काफी अर्से से खराब पड़ी है। उसके लिये कई बार उच्च अधिकारियों को कहा गया पर कोई ध्यान नहीं दे रहा हैं। वह एक्स–रे मशीन बेकार पड़ी हुई है और उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। जब किसी को एक्स–रे कराना होता है तो जालौर वाले व्यक्ति को एक्स–रे के लिये शिवगंज या सिरोही या आहोर या सुमेरपुर जाना पड़ता है। यहाँ तक कि जोधपुर भी जाना पड़ता है। इसके लिये कई बार ज्ञापन दिया गया पर वह आज दिन तक एक्स–रे मशीन ठीक नहीं हो सकी है । इसलिये मेरा चिकित्सा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है आप इस मशीन को ठीक कराने के लिये शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था कराने की कृपा करें।

एक बात और, सभापति महोदय मैं चिकित्सा मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। जालौर जिले के जालौर चिकित्सालय में जुनियर स्पेशलिस्ट इन सर्जरी नहीं हैं, जुनियर स्पेशलिस्ट इन मेडिशन नहीं है। हालांकि वहाँ पर पोस्ट है और आपके बजट में तो पैसा मन्जूर करते हैं फिरभी वहां पर वे डाक्टर व सर्जन्स नहीं हैं। इसी प्रकार की हालत जूनियर स्पेशलिस्ट इन आई वहां नहीं है। जूनियर स्पेशलिस्ट इन टी. बी. भी वहां नहीं है। जनता को डिसिजेज से राहत मिल जाय इसलिये, सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जालौर जिले के लिये जो मैंने सुझाव दिये हैं उन्हें शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने की कृपा करें। जब आप इन कमियों को पूरा करेंगे तब ही जाकर जालौर जिले की जनता को चिकित्सा के मामले में राहत मिल सकेगी।

श्री सभापति : श्री विजयसिंह नवेरा !

( अनुपस्थित )

श्री शिवराजसिंह !

( अनुपस्थित )

श्री जगदीशचन्द्र !

श्री जगदीशचन्द्र (रतनगढ़) : सभापति महोदय, आज चिकित्सा विभाग के अन्दर डॉक्टरों और दवाइयों का, दोनों का ही बहुत ही घटिया स्तर हो गया है। यह स्तर इतनी तेजी से घट रहा है कि इस ओर चिकित्सा मन्त्री जी को तुरन्त ध्यान देकर एक्शन लेने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, आज कई छोटी छोटी कम्पनियां खुल गई हैं। वह घटिया स्तर की दवाइयों के साथ-साथ महंगी दवाइयां बना रही हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ओनेक्स्ट लेबोरेट्री आदर्श नगर, जयपुर है वह एक दवा बनाती है फेरोक्स जो कि दो मिलीग्राम की है लेकिन उसकी कीमत 11 रुपये 50 पैसे है। दूसरी दवा फेरीफोस है जो दो सौ मिलीग्राम की है लेकिन कीमत 12 रुपये 60 पैसे है । इसके अलावा कई ऐसी रेप्यूटेड फर्म्स हैं सारा भाई और एलेम्बिक फर्म है जिनकी दवाइयों के दाम कम हैं। फासफोमिन की कीमत सिर्फ 6 रुपये ही है। इसके अलावा लेनिक इन्स्टीट्यूट आफ फर्मेस्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई की एलपेलिक सिरप की कीमत 9 रुपये 70 पैसे है। ऐसी ही

# Page No 144

(१४४)



(श्री जगदीश चन्द्र)

दवाई की प्रसिद्ध फर्म बायोकेम बम्बई की है जिसके दाम भी कम है। एनोपल टैबलेट के दाम 41 पैसे है। जोकि मेसर्स गवर्नमेन्ट मण्डरटेकिंग्स की फर्म हैं उसकी ऐसी ही टेबलेट के दाम सिर्फ 25 हैं। तो मेरा निवेदन है कि यहां पर डाक्टर्स और जो कम्पनियों के दवाई बिकता हैं उनकी सांठगांठ है। यह लोग सभी स्तर पर मिल कर गरीब लोगों को लूट रहे हैं। आज डी. एम. एच. आफिस तक इनकी पहुँच है। उसमें भी घोर भ्रष्टाचार छाया हुआ है। आज, सभापति महोदय, डाक्टरों के स्थानान्तरण के मामलों में वहां पर एक सोनी बाबू हैं जो कि पैसे खाये बगैर कुछ भी नहीं होने देता है। उसने वहाँ पर लूट मचा रखी है। सभापति महोदय, यह जो भ्रष्टाचार डाक्टरों के स्थानान्तरण में छाया हुआ है उसको तुरंत समाप्त किया जाना चाहिये और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ में सख्त एक्शन लिया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, आज डाक्टरों की तो यह हालत है कि जयपुर में लोग पिछले 15-15 सालों से राजनैतिक संरक्षण के कारण टिके हुए हैं। आज उनका यहां से स्थानान्तरण नहीं होता है। दूसरी तरफ कई डाक्टरों को दूसरी जगह पटक दिया गया है। वह लोग 15-15 साल से वहां पर पड़े हुए हैं। आज उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर में ऐसे कई डाक्टर पड़े हुए मिलेंगे जिन्हें प्रतिशोधात्मक कार्यवाही करके जयपुर से बाहर फेंक दिया है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इन लोगों को यहां से तुरन्त हटाइये

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ। सभापति महोदय, आज जयपुर के बड़े अस्पताल में देहात के लोगों की तो नर्क में रहने जैसी हालत बना रखी है। स्वास्थ्य मन्त्री जी को इस ओर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है। आज लोग 15–15 साल से राजनैतिक संरक्षण के कारण यहां बैठे हुए होने की वजह से ऐसी हरकत बेचारे देहात वालों के साथ कर रहे हैं। इसलिए जिन लोगों को बीकानेर, जोधपुर और अजमेर पटक रखा है उन्हें आप यहां बुलाइये और इन जमे हुए लोगों को यहां से हटाइये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वह नहीं हट पायेंगे।

श्री जगदीश चन्द्र : इसी प्रकार, सभापति महोदय, रतनगढ़ में एक पुराना अस्पताल है। सभापति महोदय, बीकानेर स्टेट के टाइम में रतनगढ़ में जो अस्पताल था, वह बहुत ही अच्छा था। वहां पर हरियाणा तक के चिकित्सक थे। बाहर से लोग इलाज कराने आते थे। आज स्थिति ऐसी है कि हालांकि चिकित्सा मुख्यालय चूरू जिले का रतनगढ़ है पर वहां पर कोई जूनियर स्पेशलिस्ट दांतों का, आंखों और ई० एन० टी० का नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि रतनगढ़ में जिला मुख्यालय का चिकित्सालय है वहां पर सभी डाक्टरों की व्यवस्था तुरन्त की जाय। इसके अलावा चूरू जिला मुख्यालय है लेकिन वहां पर जिला चिकित्सालय का मुख्यालय नहीं है। वहां कलेक्टर, और एस० पी० वगैरह होने के कारण से छोटी अस्पताल होने के बाद भी जूनियर स्पेशलिस्ट आदि सभी लगे हुए हैं। तो मेरा

(श्री जगदीश चन्द्र)

निवेदन है कि आप कम से कम जिला चिकित्सा मुख्यालय पर तो इन जूनियर स्पेशलिस्ट की जगहों की पूर्ति करें। सभापति महोदय, वहीं पर वीमेन हॉस्पिटल में भी डाक्टरों की नियुक्ति की जाय।

इसी के साथ साथ, सभापति महोदय, आज सुबह बीकानेर से कुछ मेडिकल कालेज के डिमान्स्ट्रेटर आये थे। उन लोगों ने बताया कि वहां एक प्रोफेसर के. एन. सचदेव हैं जिनके अत्याचारों से सभी सीनियर डिमान्स्ट्रेटर्स परेशान हैं। उन्होंने एक ज्ञापन मुख्य मन्त्री जी को दिया, चिकित्सा मन्त्री जी को भी दिया और मुझे भी दिया। उसमें यह कहा कि श्री सचदेव हर वक्त नशे में चूर रहते हैं और हर तरह से लोगों को परेशान कर रहे हैं। वहां पर अनियमितायें भी कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे प्रोफेसर के विरुद्ध जल्दी से जल्दी सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये।

सभापति जी, मैं पुनः यह जोर दूंगा कि चिकित्सालय के सम्बन्ध में विशेष रूप से ध्यान दें और चिकित्सा के लिए आये हुए लोगों को समुचित रूप से आदर मिले।

**श्री सभापति :** श्री मेघराज।

**श्री मेघराज (चूरू) :** सभापति महोदय, जिस डिमाण्ड पर आज बहस चल रही है उस पर मैंने भी कटौती प्रस्ताव दिये हैं। मैं उनके द्वारा स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा

पहली बात चूरू के अस्पताल के सम्बन्ध में कहनी है। चूरू 70 हजार की आबादी का एक कस्बा है और जिला मुख्यालय है।

(व्यवधान)

आप बोलिये।

**श्री सभापति :** माननीय सदस्य।

(विराम)

**श्री मेघराज :** वहां 9 डाक्टरों की पोस्ट हैं लेकिन फिलहाल केवल दो ही डाक्टर हैं। चार-पांच महीने से तो ऐसा ही रहा है कि पांच डाक्टरों के होते ही फिर बिखर जाते हैं। स्पेशलिस्ट तो हैं हो नहीं। केवल दो डाक्टर हैं जो मामूली डाक्टर हैं। आस पास के जो लोग चिकित्सा का लाभ लेते हैं उनकी एक लाख की आबादी है। स्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन किया था करीब दो सप्ताह पहले लेकिन डाक्टरों की कोई व्यवस्था आज तक नहीं हुई।

दूसरी बात यह है कि जोही ग्राम तहसील चूरू में एक प्राइमरी हैल्थ सब सेन्टर खोला गया है। पहले वहां एक औषधालय था। अब डिस्पेन्सरी बना दी गयी है। लेकिन न डिस्पेन्सरी में डाक्टर रहता है और न वैद्य औषधालय में है। वैद्य कहता है कि जहां उसका ट्रान्सफर किया है वहां पर उसका मकान नहीं है इसलिये वह मकान खाली नहीं करेगा। चार-पांच महीने हो गये। ऐसा लगता है कि वहां कोई हॉस्पिटल हो नहीं है। कई बार निवेदन किया कि सारा का सारा इलाका इलाज से वंचित है। दूसरे दूधवा खारा में एक कम्पाउन्डर है। नयी नर्स की नियुक्ति की गई उससे उस कम्पाउन्डर ने छेड़ छाड़ की। पुलिस में मुकदमा दर्ज हुआ। ऊपर के अधिकारियों ने उस कम्पाउन्डर का जिले से बाहर तबादला कर दिया। अब

(श्री मेघराज)

वापस उसको वहाँ भेज दिया गया है राज्यादेश से। उनके आपस के झगड़े से डिस्पेन्सरी का काम हर्ज होता है। चूंकि बदली राज्यादेश से हुई है इसलिये जिला के अधिकारी दुबारा बदली करने का साहस नहीं करते हैं।

**श्री सभापति** : आपस में बात न करें, मंत्री महोदय जानकारी कर रहे हैं।

**श्री मेघराज** : कम्पाउन्डर ने नर्स को छेड़ा।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : किस जगह का है ?

**श्री मेघराज** : दूधवा खारा डिस्पेन्सरी का कम्पाउन्डर है।

**श्री सभापति** : श्रीमती मदनकौर !

(अनुपस्थित)

**श्री नवलराय बच्चाणी !**

**श्री नवलराय बच्चाणी (अजमेर पश्चिम)** : सभापति महोदय, आयुर्वेद में बीमारी की चिकित्सा के साथ-साथ दीर्घायु और स्वास्थ्य की रक्षा का प्रावधान है। मैं चाहूंगा कि स्वस्थ विचारों के साथ-साथ जन-स्वास्थ्य के लिये छोटी-छोटी पुस्तकों के द्वारा दिन चर्या, ऋतु चर्या, रात्रिचर्या का ग्रामीण और शहरी जनता को भली-भांति ज्ञान कराया जाय जिससे वे अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें।

अजमेर नगर की बढ़ती हुई जनसंख्या केवल मात्र एक जवाहरलाल नेहरू अस्पताल है। मैं चाहूंगा कि आस पास के क्षेत्रों में जैसे रामगंज, अलवरगेट रामनगर, शास्त्रीनगर आदि में 'अ' श्रेणी की एलोपैथिक डिस्पेन्सरीज, अथवा आयुर्वेदिक औषधालय खोले जायें जो सब सामग्री से परिपूर्ण हों।

आयुर्वेद के उत्थान के लिये पुरानी और हस्तलिखित पुस्तकों का संग्रह करा कर शीघ्र कार्य कराया जाय।

वैद्यों को मैडिको लीगल प्रेक्टिस का अधिकार दिया जाय। साथ ही राज्य सेवा में भर्ती के समय और एल. आई. सी. में बीमा कराने तथा किश्त जमा कराने से पूर्व व्यक्ति को स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र देने का अधिकार वैद्यों को भी दिया जाय।

इसी प्रकार औषधालय के लिये एक स्वतन्त्र निगम (कार्पोरेशन) का गठन किया जाय जहां पर आयुर्वेद वनस्पतियों, जड़ी बूटियों का संग्रह किया जाय व पंसारी, वैद्यों और रसायनशालाओं को सूखी तथा हरी वनस्पति व जड़ी-बूटी उपलब्ध करायी जाय।

वैद्यों, धात्री, उप वैद्यों का वेतन स्तर बढ़ाया जाना चाहिये। आने वाले समय में हजारों वैद्यों की आवश्यकता पड़ेगी। आयुर्वेद के दो ही कालेज हैं। मैं चाहूंगा कि कम से कम एक एक प्रत्येक खण्ड में कालेज आयुर्वेद का होना चाहिये। जैसे अजमेर, कोटा, जोधपुर और बीकानेर, वहां पर एक एक आयुर्वेद कालेज खोला जाना चाहिये।

उप वैद्य और धात्रियों की अब काफी आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि इन्डियन बोर्ड ऑफ मेडिशन्स को इनके लिये शिक्षण केन्द्र खोलने की अनुमति दी जावे।

(श्री नवलराय बच्चाणी)

इण्डियन बोर्ड ऑफ मेडिशन्स को 26 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है। इससे क्या होगा? कम से कम इण्डियन बोर्ड ऑफ मेडिशन्स को 1 लाख रुपये का अनुदान देना चाहिये।

इसके साथ-साथ मैं यह भी चाहूंगा कि आयुर्वेदिक राज्य मंत्री के स्थान पर केबीनेट मंत्री नियुक्त किया जावे। साथ ही, आयुर्वेद के लिये स्वतन्त्र आयुक्त और सचिव होना चाहिये जिससे आयुर्वेद का पूर्ण विकास हो सके।

आयुर्वेद में दवाइयों का एक स्तर कायम करने के लिये और उनमें एकरूपता लाने के लिये यह आवश्यक है कि ब्रिटिश फार्मोकोपिया की तरह आयुर्वेद फार्मोकोपिया बनाया जाय। च्यवन प्राश को ही ले लीजिये। किसी का कैसा रंग होता है किसी का कैसा इसलिये एकरूपता लाना आवश्यक है।

आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिशन्स एन्ड साइन्स की तरह आयुर्वेद के शोध के लिये मैं चाहूंगा कि अन्तर्राष्ट्रीय शोध संस्थान खोला जाय जहां पर राजकीय और स्वतन्त्र वैद्य को आयुर्वेद के आठों अंगों अर्थात् काय चि०, शल्य, श्मलाक्य, स्त्री, बाल चि० अगदतंत्र (विष) रसायन वाजीकरण आदि के शिक्षण की व्यवस्था, पंचकर्म शोधन आदि की होनी चाहिये।

जैसे बिहार में जनता पार्टी ने राजकीय औषधालयों में आयुर्वेद और एलोपैथी के साथ-साथ तुलनात्मक चिकित्सा की व्यवस्था की है ऐसी व्यवस्था राजस्थान में भी चालू करनी चाहिये।

**श्री सभापति :** माननीय सदस्य, माननीय वक्ता और आसन के बीच में न आयें।

**श्री मूलचन्द डागा :** इनको ताड़ना मिलनी चाहिये।

**श्री सभापति :** आप वरिष्ठ सदस्य हैं। Please sit down.

**श्री नवलराय बच्चाणी :** जनता की रुचि पर इसको छोड़ना चाहिये कि वे कहां से इलाज कराना चाहते हैं।

इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

**श्री सभापति :** श्री जीतमल!

**श्री जीतमल (अलवर) :** माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान अलवर जिले के एकमात्र जनरल होस्पिटल की कमियों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। अलवर जिले के अन्दर जनता होस्पिटल एकमात्र होस्पिटल है जिससे सारे जिले के लोग अपेक्षा करते हैं कि वह जनता को चिकित्सा की सारी सुविधायें उपलब्ध करायें। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में आस-पास की जनसंख्या को यह जनरल होस्पिटल चिकित्सा सुविधायें मुहैया नहीं कर सकता।

अलवर का अस्पताल एक बीच का अस्पताल है। वहां पर 250 शय्याओं की व्यवस्था की गयी थी लेकिन व्यवहार रूप में 300 बेड आज की तारीख में लगे हुए हैं। 40-50 रोगी जमीन पर आज भी देखे जा सकते हैं जिनको ठीक प्रकार से चिकित्सा

( श्री जीतमल )

उपलब्ध नहीं हो सकती है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ यह आवश्यक है कि अलवर के जनरल होस्पिटल को 'बी' श्रेणी के स्थान पर 'ए' श्रेणी का हास्पिटल घोषित किया जाये तभी अलवर जिले की जो समस्यायें हैं वह हल हो सकती हैं। रात के अलावा जब ड्यूटी लगती है तो केवल एक कम्पाउन्डर को और एक मेल नर्स को साठ-साठ मरीजों को देखना पड़ता है जो कि उनकी क्षमता के बाहर है। एक नर्स के लिए 60 रोगियों को देख पाना असम्भव है। इसलिए मेरा सुझाव है कि जो पहले अलवर में मेल नर्सिंग का कोर्स चलता था और जिसे पिछले दिनों बन्द कर दिया गया था यदि उसे वापिस प्रारम्भ किया जाये तो मैं समझता हूं कि जो वहां के स्टाफ पर अत्यधिक बोझ पड़ हुआ है वह बोझ कम हो सकेगा।

दूसरे मेरा निवेदन यह है कि अस्पताल में जाने के बाद में मनुष्य सोचता है कि वहां स्वच्छता का वातावरण मिलेगा और सफाई मिलेगी। लेकिन अलवर के अस्पताल में आप जायेंगे तो आपको घोर निराशा होगी। वहां जिस प्रकार की लेट्रीन हैं और जो उनकी हालत है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि यह अस्पताल न होकर नरक कुण्ड है। यह जी करता है कि यहां से जल्दी से जल्दी निकला जाये। वहां लेट्रीन का पाईप हैं, नाले हैं वह टूटे हुए हैं और उनसे पानी बहता रहता है। लेट्रीन के पीछे कूड़े–करकट के ढेर लगे हुए हैं, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई अस्पताल में जाता है तो यह अपेक्षा करता है कि वहां स्वच्छता का वातावरण मिले लेकिन वहां गन्दा वातावरण देख कर बड़ी ग्लानि होती है वहां रोग घटने के बजाय बढ़ने की आशंका बनी रहती है।

इसी प्रकार वहां के जनाना अस्पताल के पीछे बहुत बड़ा मैदान है लेकिन उसकी कोई बाउण्ड्री नहीं होने के कारण वहां सवेरे और शाम लोगों को शौच जाते हुए देखा जा सकता है। वहां का जो मैदान है वह बहुत बड़ा शौचालय के रूप में परिवर्तित हो गया है। हम यह अपेक्षा करते हैं कि अस्पताल के स्थान पर इस प्रकार की गन्दगी नहीं हो लेकिन यह सारी बातें हमको देखने को मिलती हैं। मैं मंत्री महोदय को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उसके चारों तरफ दीवार बनाई जाये और वहां सफाई रखने का प्रयत्न किया जाये।

इसके साथ ही साथ अगर आप कभी अस्पताल में जायें और खाने के समय वहां पहुंच जायें तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां के जो बरतन हैं वे गन्दे और टूटे फूटे हैं। अगर आपको सब्जी लेनी है तो टीन के डिब्बे से बांटी जाती है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानि कारक है। तो कम से कम अस्पताल में तो ऐसा देखने को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन देखने को मिलता है।

एक बात की ओर मैं आपका ध्यान और आकर्षित कराना चाहूंगा कि पिछले चार साल से वहां के क्लिनिकल-सर्जीकल वार्ड में एक महिला है जो कि बिल्कुल पागल है और बिल्कुल नग्न अवस्था में रहती है। कई बार वहां के स्टाफ ने कपड़े पहनाने की कोशिश की लेकिन वह कपड़े फाड़ देती है। उन्होंने इस सम्बन्ध में सरकार को लिखा कि उस महिला को

(श्री जीतमल)

मेन्टल हास्पिटल में भिजवा दिया जाये लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया उसको देखने से लगता है कि सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। उस महिला के कारण उस वार्ड का वातावरण हमेशा दूषित बना रहता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।

पिछली बार वहां एक डाक्टर एस० पी० सिंह थे। उन्होंने शराब के नशे में वहां के कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार किया। मन्त्री जी ने मेरे आग्रह के ऊपर उनका स्थानान्तरण वहां से कर दिया। उस समय उन्होंने आश्वासन दिया था कि जैसे ही मामले की इन्क्वायरी हो जायगी उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। लेकिन मुझे दुःख है कि तीन महीने से ज्यादा का समय गुजर गया और आज तक कोई इन्क्वायरी नहीं हुई और न कार्यवाही हुई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसके खिलाफ इन्क्वायरी पूरी करके दोषी व्यक्ति को सजा दी जाये!

श्री सभापति : श्री गंगासहाय।

**श्री गंगासहाय** (कठुमर) : सभापति महोदय; मैं अलवर के अस्पताल के सम्बन्ध में ही कुछ कहना चाहता हूं। उसमें एक ऐसी समस्या है जो कि राजस्थान के दूसरे अस्पतालों में भी है। वह यह है कि साधारण दवाइयां भी वहां उपलब्ध नहीं हैं। सल्फाडाइजीन, सल्फाबेन्डीन और एनालजीन जैसी दवाइयां भी वहां उपलब्ध नहीं होती हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इन अस्पतालों में यह दवाइयां उपलब्ध कराई जाये ताकि गरीबों को मिल सके। कीमती दवाइयां भी वहां मिलती ही नहीं लेकिन यह साधारण दवाइयां भी नहीं मिलती, यह बड़ी समस्या है।

दूसरे आपने देखा होगा कि ड्यूटी डाक्टर वार्ड से बहुत दूर रहते हैं। मरीज की हालत खराब होती है, स्टाफ भी पहले ही बहुत कमी होती है इसलिये वहां पहुंचने में समय लगता है। रोगी तड़फता रहता है और वह देरी से आते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वार्ड में टेलिफोन की व्यवस्था की जाये।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, इसकी शिकायत भी की गयी है कि अस्पताल में बिजली नहीं आती और जब बिजली नहीं आती तो पानी भी नहीं आता। इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि अस्पताल में जनरेटर अवश्य हो। बिजली के जनरेटर लगाये जायें जिससे कि पानी वहां उपलब्ध कराया जा सके। इसके अतिरिक्त जनरेटर इसलिए भी आवश्यक है कि कितनी ही बार रोगी आपरेशन टेबल पर होता है और बिजली चली जाती है। उस समय कैसा दृश्य उपस्थित होता है आप स्वयं सोच सकते हैं। गैस की लालटेन जलाने में समय लग जाता है तब तक रोगी का प्राणान्त भी हो सकता है। इसलिए प्रत्येक बड़े अस्पताल में जनरेटर होना आवश्यक है।

तीसरी बात मैं और कहना चाहूंगा कि अलवर में आइसोलेशन के पुराने वार्ड हैं और वहां टिनशेड हैं। मैं निवेदन करूंगा कि अस्पताल की बिल्डिंग बनाई जाये।

( श्री गंगासहाय )

इसके अलावा प्राइवेट डाक्टर जो कि नौसिखिये होते हैं और जिनको कुछ नहीं आता वह जनता को परेशान करते हैं, लूटते हैं और लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जो डाक्टर, एलोपेथीक के बारे में बिल्कुल नहीं जानते और एलोपेथी का काम गांवों में करते हैं उनके उपर प्रतिबन्ध लगाया जाये। इस सम्बन्ध में मैं पिछली सरकार के मन्त्री जी को लिख चुका हूं लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया।

सभापति महोदय, राजगढ़ अस्पताल में एक्सरे मशीन कई वर्ष पहले आई थी। वह 15 दिन तक काम करके बन्द हो गयी और आज बेकार पड़ी है। उसको भी दुरुस्त कराया जाये जिससे कि लोग उसका फायदा उठा सकें।

इसके अलावा मेरा एक प्रस्ताव और भी है। वह मैंने दिया तो नहीं है लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने एक होम्योपेथी बोर्ड बनाया है उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए 50 रुपये फीस के लिये जाते हैं लेकिन आज तक जो सुविधायें दी जानी चाहिए वह नहीं दी गयी हैं। मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम बोर्ड का रजिस्ट्रार तो होम्योपेथीक बनाया जाना चाहिये। यदि दूसरे को बनाकर रखते हैं तो वह इस तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि होम्योपेथीक बोर्ड का रजिस्ट्रार होम्योपेथीक हो। साथ ही निवेदन करूंगा कि बोर्ड का रजिस्ट्रार ही नहीं बल्कि चेयरमेन भी ऐसा होम्योपेथ होना चाहिए जिसको कि इससे प्रेम हो और अपनी स्वयं की कोई योजना रख सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके अलावा मैं कहूंगा कि ऐलोपेथिक डाक्टर गांवों में जाना नहीं चाहते और आयुर्वेद चिकित्सक उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में होम्योपेथ डाक्टर जो कि ट्रेण्ड है और अवेलेबल हैं उनको लिया जावे। नये अस्पताल खोल जायें और उनको वहां भेजा जाये। इससे आपको आपरेशन के लिए एलोपेथ डाक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि होम्योपेथ चिकित्सक बिना आपरेशन के और बिना इन्जेक्शन के इलाज करेंगे। बहुत सी हमारी जनता गांवों में रहती है उनका होम्योपेथी के द्वारा सस्ता इलाज हो सकेगा।

**श्री सभापति** : माननीय श्री आलम अली खां।

( अनुपस्थित )

माननीय श्री अमृतलाल !

( अनुपस्थित )

माननीया श्रीमती नारंगी देवी !

**श्रीमती नारंगी देवी ( किशनगंज )** : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने बहुत से अस्पताल इस वर्ष खोलने की घोषणा की है। किन्तु इसके साथ मैं निवेदन करूंगी कि मेरे पिछड़े क्षेत्र शाहबाद में बहुत ही कम सुविधायें दी गई हैं। मेरा तो क्षेत्र है उसमें 550 गांव है लेकिन बहुत ही कम डिस्पेन्सरियां हैं। एक बड़ी डिस्पेन्सरी शाहबाद में है जिसकी बिल्डिंग बड़ी खस्ता हालत में है। अगर

( श्रीमती नारंगी देवी )

किसी वक्त गिर गई तो डाक्टर और मरीज दोनों को ही ले बैठेगी। बार बार लिखने के बाद भी इस बारे में कोई व्यवस्था नहीं हुई। इसके साथ मैं निवेदन करूंगी कि मेरे क्षेत्र में पांच कालोनीज हैं जहां पर पिछले समय भयंकर प्रकार की कई बीमारियां फैलीं। खासकर पिछले समय हैजा फैला। दो दिन तक हमारे चिकित्सा मंत्री जी के दर्शन नहीं हुए। सब मन्त्रियों के द्वारा खटखटाये गये। आखिर गृह मंत्री जी की मार्फत वहां कुछ रोक थाम हुई है। चालीस व्यक्ति हैजे और दूसरे रोगों से अब तक मर गये हैं जिनके नाम चाहेंगे तो सूची सदन की मेज पर रख कर दूंगी। हैजा ही नहीं, मलेरिया भी बड़े जोरों से फैला हुआ है। जो सरकारी डिस्पेन्सरियां हैं न उनमें दवाइयां हैं, न इन्जेक्शन्स हैं. न पट्टियों की कोई व्यवस्था है जब कि डिस्पेन्सरीज को 7 हजार रुपये की मेडिशन देने की व्यवस्था की जाती है। हजारों लोगों को केवल ए. पी. सी. की गोली लेने के लिये मीलों तक भागना पड़ता है। यह न्यायोचित नहीं है। मेरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, नंगा भूखा है। पोस्टर्स के द्वारा, चार्ट्स के द्वारा, सिनेमा के द्वारा, ऑडोविजुअल के द्वारा वहां के लोगों को सामाजिक, शैक्षणिक ज्ञान कराया जाये। मैं समझती हूं Prevention is better than cure. एक्सपर्ट डाक्टर्स, जो माने हुए डाक्टर्स हैं उन लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में भेजने की व्यवस्था की जाये। उनके समय-समय पर प्रोग्राम पहले ही गांवों में भेज दिये जावें ताकि सरपंच वगैराह वहां पर पहले से ढोंडो पिटवा दें कि टी. बी. के आंखों के, सर्जिकल के डाक्टर आने वाले हैं। इससे उस स्थान पर मरीज लोग इकट्ठे हो जायेंगे और लोगों को अधिक से अधिक फायदा उन डाक्टर्स के द्वारा मिल सकेगा। हमारे यहां पर महिलाओं की बीमारियां भी फैली हुई हैं। इसलिये लेडी डाक्टर भी पिछड़े क्षेत्र में भेजना अत्यावश्यक है। जो लोग डाक्टरी पास कर के निकलते हैं उन लोगों को गांव में एक साल के लिये अवश्य रहने के लिये बाध्य किया जाये तभी सरकारी नौकरी दी जाय ताकि गांवों से वे घबराये नहीं और गांव वालों को भी डाक्टर की सेवा का लाभ मिल जाये और लोगों को बीमारियों से राहत मिल सके।

गांवों में बालक महिला कल्याण हेतु एक प्रकार की ट्रेनिंग दी जाय जिन्हें ग्राम काकी के नाम से पुकारा जाये। मैं निवेदन करूं, गरीब, पिछड़ी आदिवासी, ट्राइबल शिड्यूल्ड कास्टस, ट्राइब्स, अदर बेकवर्ड कास्ट्स, और बेगाली कालोनी है, वहां के शिड्यूल्ड गरीब ऐसे हैं कि चार-पांच दिन तक भूखे रहते हैं। ज्वार के अलावा कोई अन्न उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता है, उनमें बीमारियां तरह-तरह की फैली हुई हैं। तीस-चालीस साल की आयु में ही लोग मर जाते हैं। ऐसी जगहों पर टी. बी. के अस्पताल हों ताकि शहरों से दूर दराज गावों में रहने वाली जनता स्वास्थ्य लाभ कर सके। और स्वास्थ्य के नियमों का भली भांति प्रतिपादन हो। मेरे क्षेत्र में पशुधन बहुत ही संख्या में है लेकिन पशु चिकित्सालय एक ही किशनगंज में है। अत: पशुधन की संख्या देखते हुये गरड़ा, केलवाड़ा, और नाहरगढ़ में पशु चिकित्सालय खुलवाने की व्यवस्था करें।

( समय-समाप्ति-सूचक घंटी )

(152)



(श्रीमती नारंगी देवी)

मेरी भावना रही है कि हमारे हाड़ौती अंचल में मेडिकल कालेज खुले ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी प्रशिक्षित किये जायें। डाक्टर्स गांवों में जायें और लोगों को स्वास्थ्य की ट्रेनिंग दे सकें, खासकर उन टीचर्स, जो गांवों में काम करते हैं, को भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी जा सके।

सभापति महोदय, जंगली लोग होने के कारण उन लोगों को सांप काट जाते हैं। सांप काटने को रोकथाम के लिये उपाय अवश्य किये जायें। महोदय, क्योंकि मेरे क्षेत्र के लोग बहुत गरीब हैं, खाने की कमी के कारण उनके पेट चिपके पड़े हैं, आंखें पीली हैं और उन लोगों का स्वास्थ ठीक नहीं रहता। क्या सरकार गरीब लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था हेतु अधिक आयुर्वेदिक अस्पताल एवं ऐलोपेथिक अस्पताल खुलवायेंगे।

**श्री सभापति।** माननीय सदस्या पर्याप्त हो गया।

**श्रीमती नारंगी देवी :** इसलिये उन लोगों के लिये उचित दवाई की व्यवस्था की जाये। मैं निवेदन करूंगी कि सीतावाड़ी एक धार्मिक स्थान है वहां कैम्प सर्जिकल कैम्प लगायें।

**श्री सभापति :** सरकार का ध्यान आकर्षित हो गया।

**श्रीमती नारंगी देवी :** महोदय, एक्स-रे की मशीनें या तो बिगड़ी पड़ी हैं या प्लेट विहीन हैं। गरीब जनता के 20-25 रु. एक्सरे के लगते हैं यह गरीब जनता के के लिये बहुत हैं। इसलिये इसकी व्यवस्था की जाय। प्रशिक्षित डाक्टरों को इन्जेक्शन लगाने की भी इजाजत दी जाय।

**श्री सभापति :** मेजर फतहसिंह। सबके बाद अवसर दिया जायेगा।

माननीय श्री रामेश्वर!

**श्री रामेश्वर (चौमू) :** माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा संबंधी मांग के बारे में मेरा भी कटौती प्रस्ताव है। आज राजस्थान के अस्पतालों में अव्यवस्था है वह सब जगह फैली हुई है। वह मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी है। उसकी ओर मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा।

सभी जगह ऐसा देखने में आता है जैसे कि जनाना अस्पताल और एस. एम. एस अस्पताल के अन्दर चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। यहां तक कि मरीज रात को 12 बजे मरने वाला है या मरने की हालत में हैं तो कम्पाउन्डर कहता है कि डाक्टर साहब सुबह 8 बजे देखेंगे। इस ओर मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा। मरीज की गिरती हुई हालत को देखते हुए डाक्टर्स अपनी ड्यूटी के पहले भी आकर देख सकते हैं

मेरे क्षेत्र की जो हालत है उसकी ओर भी मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। डाक्टर्स की जो जगह खाली पड़ी हैं एक तरफ तो उनको भरा नहीं जाता और दूसरी तरफ बेरोजगार डाक्टर को रोजगार नहीं मिल पाता इसलिए मेरा माननीय चिकित्सा मंत्री से निवेदन है कि जितने भी डाक्टर्स के स्थान

( श्री रामेश्वर )

खाली पड़े हैं उनको भरा जाए ताकि बेरोजगारी भी दूर की जा सके।

मेरे क्षेत्र में भी मलेरिया की बीमारी फैली हुई है। अधिक वर्षा होने से चारों तरफ पानी भर गया है और उसकी वजह से मलेरिया की बीमारी फैली हुई है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन भी किया था किन्तु अभी तक वहां डी. डी. टी. तक छिड़कवाने की व्यवस्था नहीं की गई है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि मेरे चोमू क्षेत्र में मलेरिया की रोकथाम की व्यवस्था करवायें।

ठीक इसी तरह दूसरी समस्यायें निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय यह कहते हैं कि जनता सरकार की तरफ से जो समर्थन और कोआपरेशन मिले तो सरकार की तरफ से जो सुविधायें दी जा सकती है वह देने में वह सक्षम हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो अस्पताल हैं और जिन के भवन जनता द्वारा निर्मित किये हुए हैं जिन्हें ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों ने ही बनाया है उनमें या तो डाक्टर नहीं जाते हैं और चले भी जाते हैं तो वापस आ जाते हैं। इसी तरह का उदाहरण मैं मेरे क्षेत्र कालाडेरा का देना चाहता हूं। रामेश्वर लाल सहरिया ने मेटरनिटी सेन्टर बनाने के लिये बिल्डिंग दी। गतवर्ष भूतपूर्व सरकार ने बिना किसी तथ्य के; बिना किसी आधार पर मेटरनिटी सेन्टर की जो लेडी डाक्टर थी, उसकी पोस्ट हटा दी जब कि वहां उस क्षेत्र में कोई ऐसी असुविधा नहीं थी।

ठीक इसी प्रकार जो ग्रामीण क्षेत्र के रोगी है, उनकी तरफ माननीय चिकित्सा मंत्री ने कभी देखा नहीं। एस.एम.एस. हास्पिटल और जनाना अस्पताल में गाड़ियों के लिये गेरेज तो जरूर बने हुए हैं। गाड़ी गेरेज के बिना खड़ी नहीं हो सकती लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं उनको कहीं जगह नहीं मिलती है, धर्मशालाओं में भी उनको जगह नही मिलती। वे सर्दी में अपनी फटी पुरानी चादर, रजाई और गुदड़ी बिछाकर पड़े रहते हैं। मुझे दुःख है माननीय चिकित्सा मंत्री जी जब से बने हैं तब से उन्होंने ग्रामीण लोगों के लिए व्यवस्था करने का निर्देश नहीं दिया। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं एस० एम० एस० हास्पिटल और जनाना अस्पताल में चाहे टेन्ट ही लगवा दें या जो गाड़ियों के गेरेज हैं; वे उपलब्ध करवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। एक तरफ तो जीता जागता मानव सर्दी में खुले आकाश में सोता है और दूसरी ओर हास्पिटल और डाक्टरों की गाड़ियां बन्द गेरेजों में रहती हैं....

**श्री सभापति** : गाड़ी को सर्दी लगती है।

**श्री रामेश्वर** : सभापति महोदय, जो मेरा दूसरा निवेदन है वह चोमू अस्पताल के बारे में है। वह सिक्स बैड हास्पिटल है और 400 रोगी रोज आते है लेकिन भूतपूर्व सरकार ने और मौजूदा सरकार ने उसे क्रमोन्नत करने के आदेश प्रसारित नहीं किये हैं। मुझे खुशी हुई थी माननीय चिकित्सा मन्त्री जी ने सीकर से आते हुये अचानक निरीक्षण किया और यह महसूस किया कि यह अस्पताल क्रमोन्नत क्यों नहीं हुआ। इसलिए इस तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि चोमू में 400 रोगी आउट डोर में आते हैं इस

(श्री रामेश्वर)

लिए वहां शीघ्र ही 50 बैड्स का अस्पताल बनवाने की व्यवस्था करें। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री माधोसिंह!

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : माननीय सभापति जी, चिकित्सा व्यवस्था जोधपुर में सरदारपुरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। मान्यवर, कुछ मैं कहूं उससे पहले स्वामी रामकृष्ण का एक सेन्टेन्स याद आता है मैं कहना चाहूंगा।

"God laughs twice-once when two brothers go to courts and twice when a doctor thinks that he has saved the life of the patient."

अर्थात दो भाई भारतीय संस्कृति के प्रतिकूल पहली बार कोर्ट में जाते हैं तो भगवान पहली बार हंसता है और जब डाक्टर, अपने घमण्ड में कह दीजिये या अपनी कार्य कुशलता के आधार पर कह दीजिये, यह सोचता है कि उसने किसी रोगी को बचाया है तो दूसरी बार भगवान हंसता है.......

(व्यवधान)

तो, मान्यवर, मेरा निजी ख्याल है मैं थोड़ा कुछ कहूंगा और आप घंटी बजायेंगे तो भगवान इसी तरह हंसेगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, चिकित्सा की मांग के अन्तर्गत आपकी मार्फत माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि बातें मैं बड़ी छोटी कह रहा हूं जैसे चादर की सफाई है. लेट्रीन के दरवाजे खोलकर खड़ा नही रहा जा सकता, मरीजों को नीचे सुलाया जाता है, इस प्रकार की बड़ी दयनीय स्थितियां है। सारी बातें हॉस्पिटल के अन्दर की व्यवस्था को लेकर ही कह रहा हूं। जहां सफाई की सर्वाधिक आवश्यकता होती है वहां सर्वाधिक गन्दगी का राज्य होता है। अस्पताल में इस प्रकार की व्यवस्था को देखकर मुझे बड़ी शर्म होती है। माननीय मन्त्री महोदय, ऐसा महसूस नहीं करेंगे कि मैं पहली बार जानकारी दे रहा हूं। आम तौर पर यह देखा गया है कि बीमार का इलाज दवा से नहीं होता है बल्कि इलाज डाक्टर के नाम से होता है। जब तक डाक्टर मरीज को सन्तोष नहीं कराता है तब तक उसका रोग ठीक नहीं हो पाता है। जब एक मरीज डाक्टर को फीस देता है तभी डाक्टर असर करने वाली दवा लिखता है। ऐसी मेरी मान्यता है। आजकल जो अस्पतालों की हालत है; वह ठीक नहीं है। उसका कारण है, जब एक डाक्टर से सम्पर्क हुआ उन्होने बताया कि जो प्रेक्टिस पर कुछ प्रतिबन्ध भूतपूर्व सरकार ने लगाये हैं, उससे उन्हें असन्तोष है। वैसे भी जो प्रतिबन्ध लगाया है, वह कारगर नहीं है। बीमार तो आज भी उनको पैसा देता है और फीस देने पर आज भी डाक्टर घर पर जाते हैं, मेरी व्यक्तिगत राय है कि जो प्रतिबंध सरकार ने लगाया है, उसको हटा दिया जाय। उसका कारण है, बहुत से डाक्टर स्पेशलिस्ट हैं। स्पेशलिस्ट्स की विदेशों में मांग है तो वे वहा चले जाते है। हमें इस चीज को भी रोकना है। हमारे यहां डाक्टर बाहर विदेश न जा

Page No 155

(155)



(श्री माधोसिंह कछवाह)

पाये इसके लिये में यह चाहूंगा कि सरकार उस प्रतिबन्ध वाली बात को समाप्त करे। प्रेक्टिस, जो डाक्टर पहले करता था, पुनः चालू कर दी जाय। एक प्रकार का डाक्टरों मे जो असन्तोष फैला हुआ है, उसको आप दूर करें।

मान्यवर, जब कभी किसी को कुत्ता काटता है तो उसके लिये बड़े शहरों में तो इन्जेक्शन लगाते हैं, जयपुर में इन्जेक्शन लगाते है लेकिन ऐसे कई अवसर आये हैं कि लोगों ने बड़ी भारी शिकायतें की है। ऐसी भी शिकायतें हैं कि काफी समय तक आपरेशन रुके रहते हैं, क्योंकि आक्सीजन गैस हास्पिटल में उपलब्ध नहीं होती है। जब इस प्रकार की सारी बातें सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नही है। जो भगवान भरोसे हो जाय वह हो जाये नहीं तो मौत जब आती है तो डाक्टर कामयाब नहीं हो सकता है और न यह व्यवस्था ही आपकी कोई कामयाब हो सकती है।

जोधपुर में कई डाक्टरों के स्थान रिक्त पड़े हैं। कुछ ऐसे रिक्त स्थान हैं जिनकी पूर्ति समय पर नहीं होने के कारण मरीजों को इलाज के लिये इधर उधर भटकना पड़ता है या समय पर जो इलाज होना चाहिये वह डाक्टर नहीं होने से नहीं होता है। मरीज काफी परेशानी में पड़ जाते हैं और उन बेचारों की मौत तक हो जाती हैं। मैं चाहूंगा इस तरफ भी माननीय मंत्री महोदय देखेंगे।

मेडिकल कालेज में जो छात्रायें पढती हैं, उनके लिये जोधपुर में कोई होस्टल की व्यवस्था नहीं है। मैं चाहता हूं......

**श्री सभापति :** माननीय सदस्य आपका कटौती प्रस्ताव है?

**श्री माधोसिह कछवाह :** अव्यवस्था पर जरूर है। मैं चाहूंगा कि उनके लिये भी आप कोई न कोई व्यवस्था करें।

माननीय सभापति जी ने कृपा की है और मुझे समय का अहसास करा दिया इसलिये। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, श्रीमान्......

**श्री सभापति :** आप दो मिनट और बोल सकते हैं।

**श्री माधोसिह कछवाह :** तो मैं कहना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि यह जो बीमारों के इलाज का, अस्पताल की व्यवस्था का प्रश्न सारे राजस्थान का आपके सामने हैं, अभी वस्तु स्थिति आपके सामने नहीं आई है, माननीय सदस्य आपकी जानकारी दे रहे हैं, इस अव्यवस्था को रोकने के लिये आप तुरन्त कदम उठायें। वे कदम कारगर होने चाहिये ताकि जब अगला बजट आए, कटौती प्रस्ताव आयें तो लोग आपको धन्यवाद दें और साथ ही सारे राजस्थान की जनता भी सरहना करे। अगर अव्यवस्था बनी रही तो मैं समझता हूं कि कि भगवान भी हंसेगा और सब लोग भी महसूस करेंगे। धन्यवाद।

**श्री सभापति :** Thank you माननीय श्री रामकिशोर मीणा।

**श्री रामकिशोर मीणा :** (सिकराय) माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान मेरे क्षेत्र सिकराय, जो बहुत ही उपेक्षित रहा है, और दिलाना चाहूंगा। इस वर्ष, सिकराय

( श्री रामकिशोर मीणा )

तहसील में भारी वर्षा हुई है और बहुत ज्यादा बाढ़ आई उसके कारण जमीन में पानी अभी तक भरा हुआ है और मच्छरों का बहुत ज्यादा भयंकर प्रकोप है। इस कारण से वहां पर बीमारियां तरह तरह की फैल रही हैं। बच्चों में एक विशेष प्रकार की बीमारी फैली है, विशेष प्रकार का बुखार आता है 10 साल से नीचे की उम्र के बच्चों को अधिकांश यह बुखार आता है। इससे बहुत अधिक मौतें हो रही है। लेकिन अभी तक उनके इलाज की व्यवस्था चालू नहीं की गई है। मैंने पी. एच. सी. मालपुरा से सम्पर्क किया अभी काफी कट्टे डी.डी. टी. के पड़े हुए है फिर भी उनका छिड़काव प्रारम्भ नहीं किया गया है। इस बात को दस दिन हो चुके हैं लेकिन आज की तारीख तक डी. डी. टी. का छिड़काव प्रारम्भ नहीं किया गया है।

स्टाफ की विशेष तौर से कमी है। जितने भी अस्पताल हैं उनमें एक डाक्टर भी बड़ी मुश्किल से उपलब्ध है। वह भी पूरे समय तक वहां पर नहीं रहता है। अपने टांसफर के चक्कर में इधर उधर भटकता रहता है। इस समय विशेष रूप से भयंकर बीमारी फैली हुई है लेकिन वह अस्पताल में मौजूद नहीं रहता है। इस कारण से रोगियों को भयंकर बीमारियों को मुकाबला करना पड़ता है। दूसरी तरफ डाक्टर और वैद्य जितने भी हैं उन्होंने बीमारियों को अपना धन्धा मान लिया है। एक छोटा सा वैद्य भी गांव में जाता है, तो आदमी उसको बुलाते हैं देखने के लिए वह दिन में पचास आदमियों को देखता है तो हर एक व्यक्ति से फीस वसूल करता है। हरएक आदमी से चार पांच रुपये वसूल करता है। गरीबों को जितना पैसा दवाई के लिये नहीं देना पड़ता उतना फीस का देना पड़ता है। लोकतांत्रिक सरकार होने के नाते में चाहूंगा कि सिकराय जो मेरा क्षेत्र है, जो बहुत पिछड़ा हुआ है उसमें ज्यादा औषधालय खोलेंगे और ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करायें।

धन्यवाद।

श्री हरिशकुमार शर्मा (रामगंज मंडी) : माननीय सभापति महोदय; चिकित्सा की दृष्टि से मेरा जिला अत्यन्त दयनीय स्थिति में है। रामगंजमण्डी उप जिला है; वहां पर अस्पताल नाम मात्र की है। इस उप जिले वाले अस्पताल में दस बिस्तर भी नहीं है जब कि पूरा क्षेत्र श्रमिकों से लदा हुआ है। न वहां पर कोई एक्स-रे मशीन है और न एम्बुलेंस है। परिणाम स्वरूप नागरिकों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कई महिलाओं की मृत्यु उस समय हो जाती है जब वह नवजात शिशु को जन्म देती हैं। इस कारण नितान्त आवश्यक है कि इस सब जिला रामगंजमण्डी में समुचित अस्पताल की हो व्यवस्था और एक्स-रे मशीन, एम्बुलेंस की भी व्यवस्था हो। मंडाना, सुकेत, खेडायल्डा बड़े कस्बे हैं वहां चिकित्सालय है लेकिन डाक्टर नहीं है। डाक्टर की पोस्टिंग नहीं हुई है वहां पर। मंडाना और सुकेत बहुत बड़े कस्बे हैं और एक तरह से दूरस्थ गांवों से सम्बद्ध है। अतः आवश्यक है कि इन कस्बों में अस्पताल की समुचित व्यवस्था हो जिससे गांवों के लोगों को लाभ मिल सके। आज डाक्टरों की कोई कमी नहीं है। अनेक डाक्टर बेकार हैं फिर डाक्टर देने में क्या

( श्री हरिशकुमार शर्मा )

एतराज है। डाक्टर मिलना चाहिए। सेवायस्टा में छोटा मोटा अस्पताल होते हुए भी नर्स नहीं, कम्पाउण्डर है, नर्स नहीं है। हम कम्पाउन्डर नहीं, नर्स चाहते हैं वहां पर। बगैर नर्स के कौन मरीजों को देखेगा, कौन उनको समुचित चिकित्सा दे सकेगा? इसके बारे में राज्य सरकार को सोचना चाहिए और जल्द व्यवस्था करनी चाहिए।

रानपुर; अलोद, धरनावद मेरे क्षेत्र के प्रमुख गांव हैं। उनकी बस्ती करीब तीन-चार हजार के ऊपर है लेकिन न तो वहां पर कोई आयुर्वेद का अस्पताल है; न छोटा मोटा चिकित्सालय है। उनसे लगते हुए कई गांव हैं। मैं मांग करूंगा कि अतिशीघ्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करने की दृष्टि से लोगों को मजबूत और निरोग बनाने के लिए; इलाज की समुचित व्यवस्था करने के लिए इन चारों गांवों में, रानपुर, आलोद, धरनावद में छोटी 2 डिस्पेन्सरियां स्थापित की जायं, चिकित्सक लगाये जायं ताकि गांव के लोगों को लाभ मिल सके। इसकी बहुत आवश्यकता है। आप इसको गंभीरता से लें। इस क्षेत्र के चारों ओर और भी बहुत से नागरिक रहते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं कि वे कोटा जा सकें या रामगंजमण्डी पहुँच सकें। परिणाम-स्वरूप लोग रोगों से पीड़ित रहते हैं। वे मृत्यु का आलिंगन करना पसन्द करते हैं बनिस्पत इलाज कराने के लिए कहीं जाने के। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत स्वास्थ्य मंत्रीजी से मांग करता हूँ कि इन चारों स्थानों पर अविलम्ब चिकित्सालयों की व्यवस्था की जाय। हमने गांव के लोगों की तरफ ध्यान देने का वायदा किया है तो इन वायदों को पूरा करना है। बस इतना ही कहूंगा।

श्री सभापति : माननीय श्री गोपालसिंह !

( अनुपस्थित )

माननीय श्री करतारसिंह !

( अनुपस्थित )

माननीय श्री हरिसिंह यादव !

( अनुपस्थित )

माननीय श्री हजारीमल !

( अनुपस्थित )

माननीय श्री नन्दलाल !

( अनुपस्थित )

माननीय श्री मंजूर अली

श्री मन्जूर अली ( सवाई माधोपुर ) : जनाबे सभापति महोदय, मैं इस बजट पर चिकित्सा के मुताल्लिक जो सरकार की तजवीज है उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ और अपील करता हूँ कि सरकार की इस मांग को मन्जूर किया जाये। मैं सरकार की तवज्जोह मरकूज करना चाहता हूँ कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ। मेरी कॉन्स्टीट्यूएंसी को बनास नदी दो भागों में तकसीम करती हैं। एक तरफ सवाई माधोपुर से मिलता हुआ बनास नदी का इलाका है जिसके किनारे पर आबाद दुब्बी; जड़ावता, पडाना, एहिया, बाड़ालास जैसे ग्राम हैं दूसरी तरफ पीलवा, बोबूबसा, मकसूदनपुरा चार-पांच गांव हैं जिनकी करीब आठ-दस हजार की आबादी है लेकिन किसी भी गांव में किसी भी तरह के इलाज का कोई साधन नहीं हैं। इस इलाके में किसी भी तरह की डिस्पेन्सरी

(श्री मंजूर अली)

बोलने की कोई चर्चा नहीं है। नौबत यह है कि आम बीमारियों के अलावा बनास नदी के कारण जहरीले जानवर भी बहुत हो जाते हैं जो किसी को भी डस लेते हैं। बीमारी की इमर्जेन्सी या एबनोर्मल डिलेवरी में नतीजा यह होता है कि इलाज के बिना मौत का ही इन्तजार करने के अलावा उनके पास और कोई दूसरा चारा नहीं है। मैं पुरजोर मांग करता हूं कि बनास नदी के दोनों तरफ के जो गांव हैं उनमें से बीच के किसी गांव में किसी किस्म का औषधालय या डिस्पेन्सरी का इन्तजाम इसी बजट में जरूर किया जाय ताकि फौरन इस किस्म के जहरीले जानवरों के काटे हुओं का व बीमारी के इमर्जेन्सी केसेज का इलाज हो सके। वहां की आबादी को भी कुछ कुछ सहूलियत देनी चाहिए। वैसे तो शहरों के बराबर सहूलियत मिलनी चाहिए लेकिन अगर उतना न कर सकें तो भी कुछ न कुछ इन्तजाम तो करना ही चाहिए। मैं आपकी मारफत इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि जब हम हर किस्म की मदद पहुंचा रहे हैं तो इस ओर भी तवज्जोह दें और उनके लिए छोटा-मोटा इन्तजाम कर दें। आज हम फायदा तो गांव वालों से उठा रहे हैं। और उनको उनका शेयर तक नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि बजट में कुछ न कुछ गुंजाइश इस मांग के लिए रखी जाय, हालांकि मैं इस पर शक करता हूं कि हमारे मौजूदा बजट में से तो हमारा इन कटौती प्रस्तावों का मकसद पूरा नहीं हो सकता यह कटौती प्रस्ताव आइन्दा के बजट के लिए आउट लाइन्स हो सकते हैं फिर भी इसमें कट करके कुछ न कुछ किसी प्रकार की इमदाद पहुंचा सकें, आप इमदाद पहुंचायें यह जरूरी है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा।

**श्री उमरावसिंह डाबरिया ( बनेड़ा )** । सभापति जी, यह जो डिमान्ड है चिकित्सा की, इसके बारे में मैंने 6–7 कटमोशन दिए हैं एक बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने भी छोटे गांवों में डिस्पेंसरीज बनाई जाती हैं, उनके लिए जनता से कन्ट्रीब्युशन लेकर बिल्डिंग्स बनाने का सवाल है। मैं मन्त्री महोदय को यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह बड़े शहरों में अस्पतालों की बिल्डिंग्स सरकार की तरफ से बनाई जाती हैं उसी तरह से गांवों के अन्दर भी अस्पताल की बिल्डिंग भी सरकारी पैसे से बनाई जावे। सरकार की तरफ से ही बिल्डिंग्स बनायी जावे, फर्नीचर दिया जावे, दवाइयां उपलब्ध करायी जावे और फिर डाक्टरों को भेजा जावे। यदि ऐसा नहीं होता है तो जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है, उसमें जो ग्रामीण विकास की बात कही गयी है, उसके अनुसार हम अपनी पार्टी के कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे

इसके अलावा; एक कट मोशन दिया है उसमें यह कि जो हमारे यहां पर अस्पताल है, मेडिकल कालेज हैं, वहां पर प्रोफेसर, लेक्चरार का जो अपाइंटमेन्ट हाल ही में किया गया है; वह पक्षपातपूर्ण किया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी अभी आपने जोधपुर मेडिकल कालेज का जिनको प्रिन्सीपल बना कर भेजा है; इस सदन के अन्दर, शायद 1964–65 में उनके बारे चर्चाएं हुई है। उनको सस्पेंड किया गया था। हथकड़ियां लगाई गई थीं और अब आप उनको ट्रान्सफर करके प्रिन्सीपल बना कर भेज रहे हैं। कांग्रेस राज्य में उन्हें दंडित किया गया था और सजा उनका

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

इसलिए दी गई थी कि उनकी गलतियां थीं। अब आप उनको प्रिन्सीपल बना कर भेज रहे हैं। उसी के सरनेम का एक आदमी यहां पर काम कर रहा है मेडिकल कालेज में, दोनों का सरनेम एक ही है। उस आदमी के साथ तो आप अन्याय कर रहे हैं और इन पुरानी चीजों को भुला कर इस आदमी को आप तरक्की दे रहे हैं। मैं यह बात गवर्नमेन्ट को बताना चाहता हूं। आप एक आदमी के पास स्टूडेन्ट भी नहीं लगाना चाहते हैं। और दूसरे को आप प्रिन्सीपल बना कर भेज रहे हैं। यहां पर जो उसी नाम का, उसी सरनेम का आदमी है, दोनों के सरनेम एक ही है। उससे बदला लिया जा रहा है; जो यहां पर काम कर रहा है। तो ठीक नहीं है।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि आप जितने भी प्रोफेसर का अपाइंटमेन्ट कर रहे हैं

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :** आप नाम बता दें।

**श्री सभापति :** एक ही नाम है।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया :** सरनेम एक ही है। आप जानते ही हैं। आपने जोधपुर कालेज का प्रिन्सीपल बना कर भेजा है।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :** आप नाम बता दें।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया :** यह मेरे पास लिखा हुआ है। मैं पढ़ नहीं सकता इसको आप देख लेना। कोई डाक्टर था। वह सस्पेन्ड हुआ है। हथकड़ियां लगी हैं। भारद्वाज है उसका नाम जिसको जोधपुर कालेज का प्रिन्सीपल बना कर भेजा है। भारद्वाज के बारे में इस सदन में चर्चा हुई है। जब मैं मेम्बर था तब सदन में बहुत चर्चाएं हुई हैं। उसको सस्पेन्ड किया गया था। आज उनको आपने वापस प्रिन्सीपल बना कर भेजा है। दूसरा जो भारद्वाज काम कर रहा है, उस भारद्वाज को आप उसके बजाय मुलजिम मान कर उसके साथ वैमनस्यता निकाल रहे हैं।

उसके डिपार्टमेन्ट को आपने लड़के नहीं दे रखे हैं?

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :** यह कौन से भारद्वाज हैं?

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया :** बायो केमिस्ट में भारद्वाज हैं। जिन भारद्वाज को वास्तव में सजा होनी चाहिए थी, उनको आपने प्रमोशन देकर प्रिन्सिपल बना दिया है। जो आदमी यहां पर लोगली काम कर रहा है, उसके खिलाफ आप कार्यवाही कर रहे है। वह भारद्वाज है इसलिए आप उसको सजा दे रहे हैं। मुझे यह समझ में नहीं आता है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। जो आपने सलेक्शन किए हैं, उसके अन्दर आप प्रोफेसर के साथ कितना पक्षपात कर रहे हैं। मेरे से दस डाक्टरों ने आकर बात की है। मेरे पास जो चीजें उपलब्ध हैं मैं वह सब मंत्री महोदय को उपलब्ध करा दूंगा। ये टेक्निकल पोस्ट हैं। यह दुःख की बात है कि आप लोग इस मुश्किल में फंस गये हैं।

(श्री उमराव सिंह ढाबरिया)

जो डाक्टर हैं, जिनका मेडिकल एजूकेशन से ताल्लुक है, जिनका इलाज करने से ताल्लुक है, जिनका काम किसी को मौत से बचाने का रहता है, उन लोगों के साथ आप पार्टीबाजी करते हैं, पक्षपात करते हैं उनको अगर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो आपकी नौकरी वे फिर किस तरीके से कर सकते हैं। इस तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिये। यही पे-क्लिनिक का हाल है। जो छोटे लोग हैं, जो आदमी गरीब हैं, वे अपने को पे-क्लिनिक में नहीं दिखा सकते हैं। डाक्टर उनको देखते नहीं हैं। डाक्टर कहते हैं कि हमको चार रुपये मिलते हैं। तो ऐसे पे क्लिनिक से क्या फायदा है जिससे गरीब लोगों का इलाज नहीं हो सकता है और न वे पे-क्लिनिक में जाकर के इलाज करा सकते हैं। डाक्टर भी इससे सेटिस्फाइड नहीं हैं। इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लोग डाक्टर बन कर आते हैं, आप कम से कम मेरिट के आधार पर; सीनियोरिटी के आधार पर उनको प्रोफेसर बनावें, डीन बनावें, लेक्चरार बनावें तो यह ज्यादा अच्छा होगा बनिस्बत इसके कि डाइरेक्ट रिक्रूटमेन्ट कर लें और जिनका हक नहीं है, उसको तो आप बना दें और जिनका हक है उनको नहीं बनावें। कालेज में यह हो रहा है। अस्पतालों में यह हो रहा है। इसलिए यह भी आप ध्यान रख कर काम करें। जो लिखा हुआ लैटर मेरे पास है, वह आपको दिखा दूंगा। उसको भी आप पढ़ कर देख लेना। आप बतायें कि आप किस तरह से काम करने जा रहे हैं ?

एक कट मोशन में मैंने यह कहा है कि जो सदस्य हैं, एम. एल. ए. हैं, अगर वे अपना इलाज गवर्नमेन्ट के डाक्टर से नहीं करवाते हैं और बाहर को जो एजेन्सीज हैं, वहां जाकर इलाज करवाते हैं तो उनको खर्चा रिएम्बर्स नहीं होगा। यही मेरा केस है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, मेरी आंख का आपरेशन का सवाल था....

**श्री सभापति :** मेरा एक निवेदन है। इस सम्बन्ध में आपका कटौती प्रस्ताव नहीं है।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया :** हम बोल सकते हैं। यह एक रोजनेरल बात है इसलिये इस पर बोल रहा हूं। मेरी आंख का आपरेशन होना था। एस. एम. एस. अस्पताल गया। मेरा ब्लड शुगर 127 था फिर भी कह दिया कि आपकी आंख का आपरेशन हो जायगा। मैं यह कह सकता हूं कि अगर 127 किसी का ब्लड शुगर है तो उसका आपरेशन नहीं हो सकता है। टेबल के ऊपर ही उसकी मौत हो जायगी। मैं नहीं गया। जब ब्लड शुगर 75 हो गया तो मैं दूसरी जगह अपनी आंख का आपरेशन करा कर आया। आज हमारे यहां पर एम. एल. एज. को जो मेडिकल का पैसा देने को बात है उसके लिये आप कहते हैं कि हम उसको रिएम्बर्स नहीं करेंगे। बाहर से इलाज करवाया है इसलिए रिएम्बर्स नहीं होगा। जो गलत तरीके से इलाज करने वाले हैं, उन से इलाज करवाते हैं तो आप रिएम्बर्स करते हैं। परन्तु जिन पर हमको विश्वास है, उनसे इलाज करवाते हैं, तो उनका आप रिएम्बर्स नहीं करते हैं। दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि कोई मिनिस्टर लन्दन जाकर बीस लाख रुपया खर्च कर के रिएम्बर्स करवा सकता है। मिनिस्टर चाहे दिल्ली में बीमार हो जावे

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

तो उसका रिएम्बर्समेन्ट हो सकता है लेकिन हमारा नहीं होता है। मेरा यह कहना है कि इस बात पर आप सोचें। हमारा जहां पर विश्वास है, जिनसे हम इलाज करवाते हैं, उस पर जो खर्चा होता है, उसको आप रिएम्बर्स करें। उसको रिएम्बर्स आपको करना पड़ेगा, यह हमारी मांग है। हम बिना किसी कारण के मरना पसन्द नहीं करेंगे। जहां हमारा विश्वास है, वहां पर इलाज करवाना पसन्द करेंगे।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : सरकार आपकी सरकार है, आपके डाक्टर है, उन पर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** : हमारे प्रेसीडेन्ट इलाज के लिए न्यूयार्क गए। हिंदुस्तान के डाक्टरों ने कहा, हम इलाज कर सकते हैं। परन्तु उनको विश्वास नहीं हुआ। वे बाहर गये। डा० लोहिया ने आपके डाक्टरों से इलाज करवाया, वे मौत के घाट उतार दिये गये। इस मामले में आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि यहां पर ही इलाज करवाना होगा। मेरा यह मानना है कि मिनिस्टर को यह छूट है, चीफ मिनिस्टर को यह छूट है, गवर्नर को यह छूट है, प्रेसिडेण्ट को आप छूट दे सकते है तो क्या आप यहां के मेम्बर को यह छूट नहीं दे सकते कि वे अपनी मर्जी से इलाज करवा लें? क्या वे अपनी मर्जी से इलाज नहीं करवा सकते है? आप उसका रिएम्बर्समेंट नहीं कर सकते, यह कौन से कानून के तहत है? इसलिए मैं आपसे फिर कहता हूं कि आप इस बात पर विचार करें, इसके लिए कानून में रद्दोबदल करना हो तो करें।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य दस मिनट हो गये हैं।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** : मैं जल्दी ही खतम कर रहा हूं।

एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं वह यह है कि गांवों में जो पब्लिक हेल्थ सेन्टर्स और डिस्पेन्सरीज है, जो आपने खोली हैं वह तो ठीक है। लेकिन वहां पर डाक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, पूरी दवाइयां नहीं हैं तो फिर उनको खोलने से मतलब क्या है? हमने गुलाबपुरा के अन्दर एक लेडी डाक्टर की मांग की थी मगर वहां लेडी डाक्टर नहीं भेजी गई। एक दूसरी जगह पर हमने मेल डाक्टर की मांग की थी वह भी नहीं भेजा गया। इसलिए आपके जो पब्लिक हेल्थ सेन्टर्स खुले हुए हैं जो डिस्पेन्सरीज हैं उनमें पूरे डाक्टर नहीं हैं और दवाइयां नहीं हैं तो फिर उनका क्या उपयोग है? इसलिए मेरा निवेदन है कि जहां पर भी हॉस्पिटल्स और डिस्पेन्सरीज हैं जो आपने खोल रखी हैं, वहां पर लेडी डाक्टर की जरूरत है, तो आप लेडी डाक्टर भेजिये और अगर मेल डाक्टर की जरूरत हैं तो मेल डाक्टर भेजिये, नर्सेज नहीं है तो नर्सें भेजिये। कम से कम दवाइयां तो उपलब्ध कराइये नहीं तो उनका काम नहीं चल सकता।

आपने एक इन्तजाम कर रखा है कि जो स्वतन्त्रता सेनानी हैं उनका मुफ्त इलाज होगा जब वे हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाते हैं तो उनको डाक्टर पर्ची दे देता है कि ये दवाइयां बाजार से लानी पड़ेगी।

( समय समाप्ति सूचक घंटी )

तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहता

(श्री उमराव सिंह ढाबरिया)

हूं कि जो मुद्दे मैंने उठाये हैं, मन्त्री महोदय उन पर विचार करें और उनका जवाब दें, रद्दोबदल कानून में करना पड़े तो जरूर कीया जाय।

**श्री सभापति :** श्री विजयेन्द्र पाल सिंह।

( अनुपस्थित )

श्री बत्तीलाल।

**श्री बत्तीलाल ( टोडाभीम ) :** आदरणीय सभापति महोदय. चिकित्सा की मांग पर मेरा कटौती प्रस्ताव है। वर्तमान समय में औषधालयों और चिकित्सालयों में औषधियां अपर्याप्त हैं। नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना किसी भी राष्ट्र का परम कर्तव्य है। सभापति महोदय, जो हमारे वर्तमान चिकित्सालय और औषधालय हैं, उनमें दवाइयों की व्यवस्था को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सारी गरीबी का केन्द्रीयकरण उनमें हो गया हैं। मान्यवर, हमारे औषधालय या चिकित्सालय कहने को तो पब्लिक हेल्थ सेन्टर्स हैं, लेकिन वहां देखते हैं, तो ड्रेसिंग करने के लिए पट्टियां तक उपलब्ध नहीं होती हैं। मान्यवर, इसका कारण पिछली सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति तो है लेकिन साथ ही हमारे जो डाक्टर्स हैं उनका नैतिक मनोबल भी डाउन हो गया है। जो दवाइयां सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाती हैं उनका मार्केट के अन्दर मार्केटिंग होता है। माननीय सभापतिजी, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण मेरे क्षेत्र के पब्लिक हेल्थ सेन्टर का दे सकता हूं। वहां पर पिछली साल बहुत ही ज्यादा मलेरिया का प्रकोप हुआ था, अभी भी है। उसके लिए एक नेवाक्वीन का इन्जेक्शन होता है। वहां के डाक्टरों और कम्पाउन्डरों ने और दूसरे स्टाफ ने कई गैलन पानी नेवाक्वीन इन्जेक्शन के नाम पर लोगों के शरीर में डाल दिया। माननीय सभापति महोदय, कितना अमानवीय व्यवहार है जनता के प्रति और नागरिकों के प्रति ? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करूंगा कि अधिक धन का प्रावधान औषधियां उपलब्ध कराने के लिये तो करें ही लेकिन साथ ही यह जिम्मेदारी भी सरकार की है कि ऐसे नैतिक पतन वाले डाक्टरों पर कड़ी नजर रखें ताकि सरकार के द्वारा जो दवाइयां औषधालयों और चिकित्सालयों में भेजी जाती है उनका वहां की जनता को लाभ मिल सके।

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में टोडाभीम में एक पशु चिकित्सालय है, उस के एक डाक्टर के. डी. गुप्ता के खिलाफ बहुत शिकायतें आई जो औषधियां सरकार की तरफ से औषधालय को दी जाती थी वह परवारा ही मार्केट के अन्दर मार्केटिंग हो जाती थी लोगों से यह कहा जाता है कि दवा- उपलब्ध नहीं हैं, बाजार से खरीदिये। वहां वहां के लोग उन्हीं औषधियों को खरीदते हैं जो औषधियां सरकार लोगों के हित की दृष्टि से देती है। मान्यवर, जनता के हित के लिए सरकार कार्यवाही करे, वहां के डाक्टरों को उसका लाभ नहीं उठाने दें, वहां की जनता को तो मैं यह कहूंगा ही; साथ ही सरकारी अधिकारियों और सरकार की यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि उन पर कड़ी नजर रखी जाय।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि डिस्पेन्सरीज में औषधियों की बहुत कमी महसूस की जा रही है। मेरे क्षेत्र में चार डिस्पेन्सरियां खोली गई हैं लेकिन

(श्री बत्ती लाल)

उनमें न डाक्टरों की व्यवस्था है और न दवाइयों की। इसलिए मैं आपकी मार्फत सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि संसार में सबसे बड़ा सुख शरीर का है, अगर आदमी का शरीर स्वस्थ है तो वह जीवन की प्रत्येक वस्तु का उपभोग कर सकता है; अगर उसका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो वह कैसे जीवन यापन कर सकेगा। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि राष्ट्र की रक्षा करने के लिए सैनिकों के पास अच्छे उपकरणों की आवश्यकता है उसी प्रकार से नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये अच्छे डाक्टर होने चाहिए। उनके पास अच्छे उपकरण होना आवश्यक है, औषधियां भी उनके पास पूरी होनी चाहिएँ नहीं तो नागरिकों का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहेगा? नागरिक तन्दुरुस्त नहीं होंगे तो उनका राष्ट्र के प्रति क्या मनोबल होगा, क्या जीवन स्तर होगा, क्या प्रतिव्यक्ति आय होगी? तो मैं यह कहूंगा कि राष्ट्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि उसके नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। जब नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो राष्ट्र अनेक प्रकार की प्रगति कर सकता है। अंग्रेजी में एक कहावत हैं Sound mind in a sound body.

सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार से यह निवेदन करूंगा कि जो चार डिस्पेन्सरियां हमारे यहां खोली गई हैं, उनके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं लेकिन वहां पर औषधियों की उचित व्यवस्था करने की कृपा करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो लोगों को एक आडम्बर सा दिखाई देता है। कहने को तो पब्लिक हेल्थ सेंटर है लेकिन वहां पर दवाइयों की व्यवस्था है और न और किसी प्रकार की व्यवस्था है। वह सोचते हैं कि यहां के डाक्टरों के भरोसे रहकर, उनसे इलाज करा कर तो अकाल मृत्यु का ग्रास होना पड़ेगा। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि सरकार इस ओर अति शीघ्र ध्यान दे। दूसरे क्षेत्र भले ही कमजोर रह जाय लेकिन नागरिकों के जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह निभाई जानी चाहिए, यदि राष्ट्र के नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो वे आपको दुहाई देंगे और राष्ट्र विकास करेगा। यही कह कर मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जिस वक्त आपका नाम पुकारा जाय, जब आसन पांवों पर हों तो बैठे रहना चाहिए। आपका नाम?

**श्री रामेश्वर** : श्री रामेश्वर।

**श्री सभापति** : माननीय श्योपतसिंहजी आप लोग कोई भी बोलें मुझे आपत्ति नहीं लेकिन जिस समय किसी का नाम पुकारा जाता है, यदि वह उपस्थित नहीं है तो फिर उनको बीच में मौका देना कम से कम आसन उचित नहीं समझता। फिर भी आप कहते हैं तो आपको अवसर मिलेगा। व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित है कि आप न बोलें, नहीं तो सब सवार हो जायेंगे।

**श्री श्योपत सिंह मकासर** : मुझे जाना है इसलिए मैं कह रहा हूं।

**श्री सभापति** : कोई महत्वपूर्ण कटौती प्रस्ताव आपका नहीं जिस के लिए बोला ही जाए, नीतियों के संबंध में हो ....

श्री श्योपत सिंह मकासर : नीतियों के संबंध में बोलना था।

श्री सभापति : बाद में मौका दिया जा सकता है।

श्री रामेश्वर !

श्री रामेश्वर (जमवा रामगढ़) : सभापतिजी, मेरा क्षेत्र बंधा रामगढ़ स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना पिछड़ा हुआ है कि शायद राजस्थान में कोई कान्स्टीट्यूएन्सी भी होगी जिसमें डिस्पेन्सरी के नाम से नाम मात्र भी सुविधा नहीं है। बेराठ तहसील की 10 पंचायतें हैं, उनमें से मेड़ में एक पी. एच. सी. है एक डिस्पेन्सरी है। मैंने $1\frac{1}{2}$ महीने से मंत्रीजी को प्रार्थना पत्र दिए हैं कि वहां डाक्टर्स, नर्सेज कोई स्टाफ नहीं है। आज तक कोई डाक्टर वहां उपलब्ध नहीं है। कल मेरे सामने जो घटना घटी है वह इस हाल में प्रस्तुत करता हूं। पी० एच० सी० ग्राम गोघू का एक केस था। वहां डाक्टर या नर्स न होने के कारण मैं रोडवेज गाड़ी के द्वारा उस केस को लेकर गया शाहपुरा में जहां 25 बेड अस्पताल है, वहां दो डाक्टर हैं; एक लेडी डाक्टर व तीन नर्से हैं और तीन कम्पाउन्डर्स हैं। $3\frac{1}{4}$ बजे से मैं वहां उपस्थित था लेकिन $4\frac{1}{2}$ बजे तक एक भी आदमी अस्पताल में उपस्थित नहीं था। डाक्टर्स, कम्पाउन्डर व नर्स के दर्शन की प्रतीक्षा में उस मरीज के प्राण चले गए। मंत्री महोदय स्वयं उस अस्पताल में पधारे हैं। वहां के मरीजों ने आपको अवगत कराया है कि भूतपूर्व डाक्टर काले रिश्वत लिया करते थे। मंत्रीजी ने उनका स्थानान्तरण अवश्य किया लेकिन जो जनता के साथ नाजायज काम किए उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। शाहपुरा के चारों तरफ आवागमन है, नेशनल हाई वे पर है उसके बावजूद वहां ऐसा स्टाफ भेजा जाता है, जिसके कारनामे मैंने बताए हैं। एक-एक, दो-दो घंटे तक एक भी कर्मचारी अस्पताल में नहीं रहता है इस कारण मरीजों के प्राण उड़ जाते हैं।

इसके साथ साथ पी० एच० सी० मेड़ के लिए कई प्रार्थना पत्र भेजे गए कि वहां पर डाक्टर लगाया जाए लेकिन $1\frac{1}{2}$ महीने से कोई डाक्टर नहीं है। शाहपुरा में दो डाक्टरों का अस्पताल है लेकिन कोई डाक्टर उपलब्ध नहीं हुआ है। इस कारण जनता परेशान है, एक लेडी डाक्टर है, तीन नर्सें हैं तीन कम्पाउन्डर हैं लेकिन एक भी उपस्थित नहीं था....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसकी इन्क्वायरी की जाएगी।

श्री रामेश्वर : इसके साथ मैं आयुर्वेद मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि 15-20 किलोमीटर के मेरे क्षेत्र में एक भी औषधालय नहीं है, किसी प्रकार का चिकित्सा का साधन उपलब्ध नहीं है। जो औषधालय हैं उनके भवन की उपलब्धि नहीं है। कई जगह ऐसी हैं जहां बगैर भवन के औषधालय नहीं खोले गए हैं। इसके अलावा वहां औषधियों का निशान भी नहीं है। गांव डेवरी है तालिया है, उनमें आयुर्वेद की औषधियां नहीं हैं। इसके साथ-साथ मैंने आपको अवगत कराया है कि जो आयुर्वेद औषधियां नाम मात्र की दी जानी चाहिए, वह भी नहीं दी जाती हैं, केवल इन्जेक्शन कम्पाउन्डर व वैद्य लगाते हैं। आयुर्वेद अस्पतालों में खुले आम इन्जेक्शन लगाये जायं और अंग्रेजी दवाइयां दी जायं और

(श्री रामेश्वर)

आयुर्वेद औषधियां नहीं दी जायं, इसका आप निर्णय करें। जब आप आयुर्वेद औषधियां वहां भेजते हैं तो वे ही दी जानी चाहिए।

मेरा क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ है कि 20-20 किलोमीटर तक ऐसे गांव हैं जहां औषधालय नहीं हैं। वहां औषधालय खोलने की व्यवस्था करें।

श्री सभापति : श्री माणक लाल !

श्री माणकलाल (नैनवा) : सभापति महोदय, कथनी और करनी में हमारी सरकार के अंतर नहीं रहे तो वास्तव में बहुत शीघ्र सुधार हो सकता है। अभी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया कि शहरों और गांवों का क्षेत्रीय असंतुलन दूर किया जाएगा। लेकिन जहां तक चिकित्सा का सम्बन्ध है, यह असंतुलन और ज्यादा बढ़ाया जाता है। बूंदी जिले और विशेष रूप से जिस क्षेत्र, नैनवा का मैं विधायक हूं, पर पिछले 30 साल से चिकित्सा के सम्बन्ध में कांग्रेस सरकार की पूरी कृपा रही। नैनवा में आज से 20 वर्ष पूर्व से ही मैटरनिटी वार्ड में लेडी डाक्टर होनी चाहिए थी लेकिन वह आज तक नहीं है।

इसके अतिरिक्त पास में देई नाम का बड़ा गांव है वहां पर पब्लिक हेल्थ सेंटर है उसमें भी लेडी डाक्टर नहीं है। जहां दो डाक्टरों का प्रावधान है वहां एक ही डाक्टर है। नैनवा से 65 किलोमीटर दूरी तक कोई लेडी डाक्टर नहीं है। उसका नतीजा क्या निकलता होगा, यह कह कर मैं अपना समय कम नहीं करना चाहता। सभापति महोदय, मैंने इस सम्बन्ध में कई बार चिकित्सा मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जोड़ा लाओ। अब जोड़ा तो मैं कहां से लाऊं। या तो कोई लेडी डाक्टर की शादी कराऊं या किसी शादी शुदा डाक्टर और लेडी डाक्टर के जोड़े को खोजने की कोशिश करूं....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : क्या कहा जोड़ा लाओ।

श्री माणकलाल : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सब काम तो राज्य सरकार के हैं। सरकार को जनता की भलाई के लिये कार्यवाही करनी चाहिये। इसके ही साथ मैं, सभापति महोदय, मैं एक बात यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज स्थिति राज्य सरकार की यह हो रही है बातें तो यह कही जाती हैं कि गांवों का विकास किये जाने की जरूरत है गांवों का विकास किया जायगा, गांव वाले लोगों के लिये चिकित्सा, शिक्षा व्यवस्था की जावेगी पर, सभापति महोदय देखने में कुछ और ही आ रहा है आज गांवों से डाक्टरों, लेडी डाक्टरों और विशेषज्ञों को शहरों में बुलाया जा रहा है। यह कार्यवाही, सभापति महोदय, काफी द्रुत गति से हो रही है। मंत्री महोदय चाहें तो मैं इसके कई प्रमाण पेश कर सकता हूं। आज गांवों से हटा कर शहरों में कस्बों में डाक्टरों को लाया जा रहा है। सभापति महोदय, आप डाक्टरों की बात छोड़िये, लेडी डाक्टरों की बात छोड़िये अगर कोई कम्पाउन्डर भी विशेषज्ञ है तो उसको भी वहां से हटाया जा रहा है। कम्पाउन्डर भी अच्छा है तो गांवों में क्यों रहे। मैं आपको उदाहरण पेश करना

( श्री माणकलाल )

चाहूंगा, मेरे इलाके नैनवा में एक कम्पाउन्डर था। वह बहुत ही होशियार था। उसको नैनवा की जनता चाहती थी। उसको वहां से डी० एम० एच० ओ०, बून्दी ने हटाकर बून्दी लगा दिया। इतना ही नहीं उसको तो हटा लिया पर उसकी जगह किसी भी कम्पाउन्डर को वहां पोस्ट नहीं किया गया। उसका नाम शायद रविन्द्र है। मुझे उसका नाम तो याद नहीं आ रहा है। तो बात यह है, देहात में अच्छा डाक्टर भी नहीं हो, दूसरा कम्पाउन्डर नहीं आये तो जनता को इससे काफी परेशानी होती है। इसलिये, सभापति महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से इस सम्बन्ध में यह निवेदन है कि इस प्रकार की कार्यवाहियों की तरफ आप स्पेशल तौर से ध्यान दें। इसी प्रकार से नैनवा क्षेत्र में एक जलकोदवा गांव है वहां पर आयुर्वेदिक अस्पताल है। वहां जो वैद्य था वह जनता में काफी प्रभाव रखता था, होशियार था। उसको वहां से हटा दिया और उसकी जगह पर दूसरा वैद्य अनाड़ी भेज दिया। इसके लिये वहां की जनता ने कई दरख्वास्तें दीं मन्त्री जी को। मुझे भी दरख्वास्त दी। मेरा निवेदन है कि आप इस तरह की जो कार्यवाही हो रही है उनकी ओर विशेष ध्यान दें। अगर इसके बारे में जाकर मन्त्री महोदय को निवेदन करते है तो मन्त्रीजी कहते हैं कि तबादलों की बात मत करो। दिक्कत [illegible] बात करो। तो मेरा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन है कि इस प्रकार से जहां अच्छे वैद्य गांव में बैठे हुए हैं उन्हें देहातों से हटाने से क्या [illegible]? इस प्रकार तो मैं समझता हूं कि जो [illegible]

राज्य में क्षेत्रीय असन्तुलन की भावना बढ़ती थी वह कम नहीं होगी, बल्कि मैं समझता हूं कि और ज्यादा क्षेत्रीय असन्तुलन बढ़ेगा, यह मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है। राज्य सरकार को इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये।

मैंने एक और कटौती प्रस्ताव दवाइयों के बारे में दिया है। आज दवाओं की बहुत भारी मात्रा में कमी है। आज से 20 साल पहले बजट में जो राशि अस्पतालों में दवाओं के लिये रखी गयी थी वही राशि अभी तक रखी जा रही है। आज स्थिति, सभापति महोदय, ऐसी है कि दवाइयों की कीमत भी दस गुना बढ़ गयी है, इसके साथ ही रोगी भी दस गुना बढ़ गये हैं। अगर उस अनुपात से देखें तो 100 गुना बजट ज्यादा रखने की आवश्यकता है। जो दवा 10 पैसे में मिलती थी वह एक रुपए में मिलती है। तो कहने का मतलब यह है कि आपने कोई राहत गांव वालों को दवा के लिये ज्यादा राशि बजट में रख कर नहीं दी है। 20 साल के पहले जो सरकार ने दवा का बजट रखा था वह ही चला आ रहा है। सभापति महोदय, आज हमारे यहां पर एक नारा दिया जाता है हमारी सरकार स्टेटलैस सोसाइटी बनाना चाहती है। लैस वह सरकार के ऊपर तो लागू नहीं होता है लेकिन हां यह बात जरूर है, सभापति महोदय, आज हमारे यहां पर कम्पाउन्डर लैस और डाक्टरलैस अस्पताल जरूर चल रहे हैं: इसलिये सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से चिकित्सा मन्त्री को निवेदन है [illegible] इस ओर विशेष तौर से देखने की जरूरत है।

श्री सभापति : श्री सूर्य [illegible] राय।

( अनुपस्थित )

श्री दूसरा!

श्री बजरंगलाल शर्मा : सभापति महोदय, मेरा नाम होना चाहिये।

श्री सभापति : आपका नाम नहीं है। मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं। जिस वक्त माननीय सदस्य श्योपतसिंह जी का नाम पुकारा गया था उस वक्त वह नहीं थे। बाद में उन्होंने आकर कहा कि मुझे बोलने का अवसर दिया जाय, उनको कहा आपको सभी माननीय सदस्यों के बोलने के बाद अवसर दिया जायगा इसलिये उसी परम्परा के अनुसार आपकोभी सभी सदस्यों के बोलने के बाद अवसर दिया जायगा। जिस वक्त आपका नाम पुकारा गया था उस वक्त आप हाउस में मौजूद नहीं थे।

श्रीबजरंगलाल शर्मा : अभी तो क्रम में मेरा नाम श्री.नूरा से ऊपर है।

श्री सभापति : आसन से जब नाम पुकारा गया था उस वक्त आप अनुपस्थित थे। अब जब आप बोलें तब आपके सभी कटौती प्रस्तावों पर बोल लें। इस प्रकार की व्यवस्था है कि जब भी किसी माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाये तो एक ही बार में वह अपने सभी कटौती प्रस्तावों पर बोल सकता है। आपका जब बोलने का समय आवे तब आप सभी कटौती प्रस्तावों पर बोल लें।

श्री बजरंग लाल शर्मा : सभापति महोदय, श्री नूरा का नाम 239 नम्बर पर है मेरा नाम उनके ऊपर है। आज मेरी अगर दस रिट कोर्ट में हो और एक में अनुपस्थित हूं तो क्या एक नम्बर के बाद की दूसरी रिट में मेरा नम्बर नहीं आयेगा ?

श्री सभापति : श्रीमान, आपका नाम 51 नम्बर पर पुकारा गया। आप बैठिये। आपको यह मालूम होना चाहिये, इस सदन की यह परम्परा रही है कि जब भी किसी माननीय सदस्य का नाम कटौती प्रस्तावों पर बोलने के लिये बोला जाय और वह अनुपस्थित हो, तो बाद में सभी माननीय सदस्यों के बोलने के बाद उनको अवसर दिया जाता है। आपको भी अवसर दिया जायेगा। आपके साथ में मैं भी हूं। न्यायालय में मुझे भी साथ ले जाइये। मेरा भी नम्बर सबसे पीछे है। मैं भी बाद में बोलूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : तब तक आप बैठे रहें।

श्री सभापति : You will bring humore and intelligence to the House.

श्री नूरा (मसूदा) : सभापति महोदय, मैंने भी कटौती के प्रस्ताव चिकित्सा विभाग के ऊपर दिये हैं। कई बातें तो ऐसी हैं जो कि माननीय सदस्यों ने यहां पर कही हैं। उन बातों का तो मैं जिक्र यहां नहीं करना चाहूंगा पर इतना जरूर चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज कई डाक्टर ऐसे हैं जो अपने परिवार वालों के नाम से अस्पताल चलाते हैं। कोई भी रोगी जब उनके पास आते हैं तो वह पहले ही उन अस्पतालों में आने को कह देते हैं जो कि उनके परिवार वालों के द्वारा चलाये जाते हैं। चूंकि सरकारी नौकरी में रहते हुए कोई व्यक्ति प्राइवेट प्रेक्टिस नहीं कर सकता या अपना निजी अस्पताल नहीं खोल सकता है इसलिए वह अपने परिवार वालों के नाम से अस्पताल चलाते हैं और उससे धन कमाते हैं। कुछ डाक्टर ऐसे हैं जो कि अपने घर पर ही अस्पताल चलाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि डाक्टर

( श्री नूरा )

उन्हीं लोगों का इलाज अच्छी तरह से करते हैं जो कि उन्हें अच्छा पैसा देते हैं। तो जो गरीब लोग हैं या छोटे तबके के लोग हैं उनका इलाज यही कारण है कि अच्छी तरह नहीं होता है। जो लोग गरीब होते हैं वह बेकार बेचारे बिना इलाज के मर जाते हैं। जो गरीब आदमी पैसा नहीं देते हैं उनका वह डाक्टर ठीक तरह से इलाज ही नहीं करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन, सभापति महोदय, आपके माध्यम से चिकित्सा मन्त्रीजी से यह निवेदन है कि आप इस बात की जांच करायें कि ऐसे कितने डाक्टर हैं जिनके परिवार वालों के नाम से अस्पताल चलते हैं या अपने घर पर ही अस्पताल चलाते हैं ? ऐसे लोगों के खिलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिये।

यहां पर, सभापति महोदय, तबादलों के बारे में भी कई सदस्यों ने कहा है। एक जिले से दूसरे जिले में डाक्टरों का ट्रान्सफर कर देते हैं। उससे जो खराब डाक्टर होते हैं उनमें जो बीमारी होती है उस बीमारी को एक जिले से दूसरे जिले में डाल देते हैं। यह लोग अपनी ही स्वार्थ सिद्धि को देखते हैं। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। यह डाक्टर लोग बेचारे गरीब लोगों को कह देते हैं कि फलां जगह इलाज कराने आ जाना तुम्हारा अच्छी तरह से इलाज होगा। बेचारे नासमझ लोग उनके पीछे पीछे उनके निजी अस्पतालों में चले जाते हैं। इससे भी कई बार बेचारे अनपढ़ लोग बरबाद होते हैं। सभापति महोदय मेरा निवेदन है कि चिकित्सा मन्त्रीजी को इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसके अलावा जो मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव है वह यह है कि आज गांवों में डाक्टरों की बहुत कमी है। गांवों में डाक्टरों की इतनी कमी है कि गरीब जनता को इलाज मुहैया नहीं हो सकता है। आज गांवों में डाक्टर लोग जाना नहीं चाहते हैं। जिनका आप तबादला गांवों में करते है वह लोग वहां पहले तो जाते नहीं हैं और जाते हैं तो वहां से वापिस आ जाते हैं। मैं आपको खास तौर से मेरे क्षेत्र की बात बताता हूं। हमारे यहां पर एक जालिया गांव है उसमें अस्पताल है। उस अस्पताल में एक डाक्टर की नियुक्ति के आदेश दिये हैं पर उन्होंने वहां ज्वाइन नहीं करके उन आदेशों को कैंसिल करा लिया है। तो वहां पर काफी अर्से से कम्पाउन्डर ही काम चलाता है। गांव में डाक्टर जाता नहीं है और जाता है तो वहां से वापस चला आता है। इस प्रकार आज गांवों में डाक्टरों की कमी की वजह से सैंकड़ों लोगों की मृत्यु हो रही है चाहे डिलीवरी के अन्दर मृत्यु हो, चाहे अपेन्डिसाइटस की बीमारी के अन्दर मृत्यु हो, चाहे अपेन्डिसाइटिस की बीमारी हो वह लोग तो सोचते है कि उनके परिवार के लोगों की जो मृत्यु हुई है वह बीमारी से ही हुई है। सांप काटने से आज आदमी मरता है, जहरीले जानवरों के काटने से आदमी मरता है। अंधविश्वास के कारण गांवों में यह हालत है कि देवी देवताओं पर भरोसा करके चलते है। इस कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है। इलाज न होने के कारण मृत्यु हो जाती है। गांवों में डाक्टर हो, डाक्टरों के केम्प लगे, अधिक दिनों तक लगें जिससे वे लोग गांवों को बारी-बारी से कवर अप कर सकें. उनकी ड्यूटी बांध

( श्री नूरा )

दी जाय; टर्न बाय टर्न जायं और छोटी मोटी बीमारियों का इलाज हो तो अंध-विश्वास दूर होगा और गांव के लोगों को लाभ मिलेगा।

मैंने कटौती प्रस्ताव में यह बात कही थी कि ई. एस. आई. हास्पिटल में मजदूरों के लिये ठीक व्यवस्था नहीं है। केन्द्रीय सरकार ने जो स्कीम लागू की है उसके अन्तर्गत मजदूरों की तनख्वाह से कुछ पैसा कटता है, कुछ सरकार देती है और कुछ मालिक देते हैं। पैसा तो बहुत है लेकिन सही रूप से व्यवस्था नहीं है। खून आदि की जांच करने का उन अस्पतालों में सही साधन नहीं है। ज्यादा इलाज के लिए दवाई भी चाहिये। तो दूसरे हास्पिटल जो हैं वे मरीजों को देखेंगे तो दवाइयां मिलेंगी वरना मजदूर इलाज से महरूम रह जावेंगे। ब्यावर के लिये कहता हूं। ब्यावर में पांच हजार मजदूर हैं। वहां ई. एस. आई. हास्पिटल है। मजदूरों का परिवार काफी बड़ा हुआ है। मजदूर के परिवार के किसी व्यक्ति का या मजदूर का इलाज होगा तो उस अस्पताल में उसको रखा जावेगा। लेकिन उसमें 14 बेड्स ही हैं। भेड़-बकरियों की तरह से मरीज फर्श पर पड़े रहते हैं। उनको भर्ती किया जाता है लेकिन कोई उनके लिये व्यवस्था नहीं है। अपनी कमाई में से वे पैसा देते हैं, मालिक भी हिस्सा देते हैं, सरकार भी देती हैं। लेकिन जिस प्रकार की मजदूरों के लिये व्यवस्था होनी चाहिए वैसी नहीं है। इसलिये एक्स-रे आदि की व्यवस्था करके उनको इलाज की सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिये। वरना तो जो देश का सबसे मेहनतकश मजदूर तबका है वह समझदार डाकुओं द्वारा लुटता ही रहता है। मजदूर अपनी गाढ़ी कमाई का हिस्सा देता है फिर भी उसको लाभ नहीं मिलता है। इसलिए उचित व्यवस्था होनी चाहिये। मैं यही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : पर्याप्त है।

माननीय श्री गोपाल !

( अनुपस्थित )

माननीय श्री चिरंजीलाल।

श्री चिरंजीलाल गर्ग ( पुष्कर ) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी को कटौती प्रस्तावों के जरिये से कुछ गरीबों के इलाज के लिये यह कहना चाहता हूं कि चिकित्सा विभाग में जो बुराइयां व्याप्त हैं वह दूर होनी चाहिये। कई प्रकार की बुराइयां बड़े-बड़े अस्पतालों में विद्यमान हैं उन्हें दूर करना चाहिए। जहां तक गरीबों का सवाल है, बड़े मेडिकल कालेजों से अटेच्ड हास्पिटल हैं उनमें गरीबों को जो सुविधायें मिलनी चाहिये वे उनको उपलब्ध नहीं होती हैं जिससे उनके इलाज में बड़ी परेशानियां होती हैं। इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मरीजों के साथ जो इलाज कराने के लिये लोग आते हैं उनके लिये शेड्स की व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे वे लोग वहां ठहर कर मरीजों का इलाज करवा सकें। उनके लिये आज हम देख रहे हैं कि कोई व्यवस्था नहीं होती है। न सस्ते खाने की व्यवस्था है और न ही उनके सोने की व्यवस्था होती है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये वरना गरीब लोग अपने मरीजों का इलाज नहीं करा सकेंगे। अस्पतालों की जो

( श्री चिरंजीलाल गर्ग )

हालत है वह गरीबों के लिये बड़ी दयनीय है। बाहर भी उनकी दयनीय हालत होती है। दोनों प्रभावों के कारण गरीब मरीजों का इलाज नहीं करा पाते हैं। इसलिए सीमेन्ट के शेड्स डाल दिये जायं ताकि उनकी रात सही ढंग से गुजर सके। दूसरा सस्ता भोजन उनको एक या डेढ़ रुपये के कूपन के आधार पर मुहैया कराया जाय। गरीब को दाल-रोटी मिल जाय, जिससे वे लोग अपना पेट भर सकें।

दूसरे इस बात पर भी प्रकाश डालना चाहूंगा कि राजस्थान में पांच मेडिकल कॉलेज हैं। जुलाई मास में हाउस जोब्स के लिये एप्लीकेशन्स मांगी गई थीं। अजमेर मेडिकल कालेज ने दुबारा एप्लीकेशन्स मांगी और किसी ने नहीं मांगी। इसका क्या कारण है? क्या उद्देश्य है इसका? इससे उनकी धांधली का पता चलता है। दूसरे मेडिकल कालेजेज में नहीं मांगी गयी....

( 6.47 सायं )

( श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन )

अजमेर मेडिकल कालेज की ओर से दुबारा अर्जियां मांगी गईं। हेल्थ कमिश्नर साहब से जब कहा गया तो उन्होंने वायदा किया कि सब्जैक्ट अब बदले नहीं जावेंगे। स्टाइपेन्ड कन्टीन्यू रहेगा। लेकिन दो विद्यार्थियों के वांछित विषयों को बदला गया और दूसरे विद्यार्थियों को वह विषय दिये गये। इस प्रकार विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। प्रिन्सीपल चाहे जब विषय दे दे और जब चाहे तब बदल दे, और जिस विषय में दो महीने से विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उनको उससे वंचित किया जाय। इस तरह का उदाहरण अजमेर मेडिकल कालेज ने उपस्थित किया है। विद्यार्थियों के साथ ज्यादती है। इस प्रकार बच्चों के जीवन में साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिये। स्वास्थ्य आयुक्त को मैं कहना चाहता हूँ कि आपने वायदा किया था कि उनके विषय नहीं बदले जावेंगे। उस एश्योरेन्स के बाद इस प्रकार की घटना होना अपमानजनक है। इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। वरना इस प्रकार की अनियमितताएं आगे भी की जा सकती हैं। बच्चों के जीवन के साथ इस प्रकार खिलवाड़ करना कहां तक उचित है?

तीसरी बात कहना चाहता था वह यह है कि मरीज अस्पताल में भर्ती होता है उससे आपरेशन टेबल पर पैसे मांगे जाते हैं। देने पर ही उसका आपरेशन होता है। यह कार्य बहुत ही घृणित है। डाक्टर के हाथ में मरीज का जीवन होता है। इस युग में इतनी बड़ी भारी तनख्वाह मिलने के बावजूद इस प्रकार के घृणित कार्य अस्पताल में होते हैं यह बहुत बुरी बात है। इससे क्या आदर्श उपस्थित करना चाहते है? गम्भीरता से इस पर विचार करें। जो डाक्टर पैसा लेकर इस प्रकार से इलाज करते हैं उनके साथ कड़ाई से पेश आना चाहिये। इस प्रकार की जो गन्दगी और अव्यवस्था चल रही है उसको दूर करना चाहिये। स्वास्थ्य मन्त्री जी को इस पर विचार कर कार्यवाही करनी चाहिये।

मेरे क्षेत्र में राजोसी और तबीजी गांव हैं। वहां पर चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। मेरा निवेदन है कि चिकित्सा का वहां पर पूरा प्रबन्ध होना चाहिये। अरड़का

(श्री चिरंजीलाल गर्ग)

गांव के चारों तरफ कारी गांव हैं। वहां डाक्टर को व्यवस्था हो ताकि ग्रामीण किसान डाक्टर की मदद लेकर इलाज करा सके। इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुखलाल !

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशनदास !

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कालायत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आ रहा हूं राजस्थान में जो बेस्ट मेडिकल फैसेलिटी है वह वहां उपलब्ध है लेकिन जो देहाती क्षेत्र है वह उतना ही पिछड़ा हुआ है। बीकानेर का मेडिकल कालेज राजस्थान में पांचों मेडिकल कालेज में अग्रणी है। अपनी स्टेट में जो भी मेडिकल फैसेलिटीज अवेलेबल हैं वह करीब करीब वहां भी उपलब्ध हैं। यह अलग बात है कि सरकार की लापरवाही या गलत नीतियों के कारण से वहां के स्टूडेन्ट्स का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है क्योंकि हर डिपार्टमेन्ट में अण्डर-स्टाफिंग है। ऐसे कई डिपार्टमेन्ट है जैसे जूरिस्ट का है, न्यूरोलाजी का है और दूसरे डिपार्टमेन्ट भी हैं जिनमें स्टाफ अवेलेबल नहीं है। उससे स्टूडेन्ट्स की टीचिंग पर भी असर पड़ता है। मुझे आशा है कि इस ओर सरकार ध्यान देगी। यह पांचों मेडिकल कालेज एक साथ खोलने का यह असर हो रहा है कि काम्पीटेन्ट जो डाक्टर्स अवेलेबल होने चाहिये वह वहां अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं इस हाउस के जरिये से स्वास्थ्य मन्त्रीजी से कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सरकार ने जयपुर मेडिकल कालेज के अलावा अन्य मेडिकल कालेजेज के साथ में सौतेला व्यवहार कर रखा है वह उचित नहीं है। जितना बजट जयपुर मेडिकल कालेज को दिया जाता है उससे बीकानेर और अन्य जगह के मेडिकल कालेजेज को कम बजट दिया जा रहा है। यह सौतेला व्यवहार है और इसको दूर किया जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि आज आर्थिक कठिनाइयां तो हैं लेकिन अगर किसी मेडिकल कालेज में डाक्टर अवेलेबल हैं और वेल क्वालीफाइड हैं उनकी योग्यता का उपयोग होना चाहिए। बीकानेर के अंदर न्यूरोलाजी जैसी साइन्स है उसके काम्पीटेन्ट डाक्टर अवेलेबल होते हुए भी उस साइन्स की फेकल्टी वहां नहीं खुल रही है। वहां डाक्टर हैं, इन्स्ट्रूमेन्ट्स हैं, फैसेलिटीज हैं लेकिन सरकार की ओर से उस साइन्स की यूनिट नहीं खोलने के कारण से उन डाक्टर्स की जो योग्यता है उसका पूरा उपयोग नहीं हो रहा है।

तीसरी बात यह है कि वहां के होस्पिटल के वर्किंग के बारे में जो हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट हैं मेडिशन्स के या सर्जिकल के उनका इस प्रकार का व्यवहार है कि जैसे हास्पिटल का वार्ड न होकर व्यक्तिगत वार्ड हो। 7 दिन में 2 दिन टर्न आता है फिर भी वार्ड की जो भी व्यवस्था है उस पर वह अपनी मोनोपोली मानते है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे और ऐसी व्यवस्था करे कि पेशेन्ट को यह अधिकार हो कि जो भी डाक्टर अवेलेबल हैं उनमें से जो भी उसकी चाइस का है उससे इलाज करा सके। आज दिन फिक्स होने से एक पेशेन्ट किसी व्यक्ति विशेष योग्यता से प्रभावित होकर इलाज करवाना चाहता है लेकिन वह

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

उसके टर्न पर नहीं जायगा तो उस डाक्टर की सेवा से लाभान्वित नहीं होगा। इसके लिए मैं चाहूंगा कि हर दिन जो यूनिट हैड है उसका होना चाहिए। इससे डाक्टरों में व्यक्तिगत कम्पीटीशन भी आयेगा, रोगियों की देखभाल भी अच्छी होगी और जो इन-हेरेन्ट राइट है कि वह अपने मनपसन्द डाक्टर से इलाज करा सके उसका भी उपयोग हो सकेगा।

इसके साथ ही साथ जहां हमारे प्रदेश के सामने आर्थिक कठिनाइयां हैं वहां प्रदेश की ज्यादा जनता गांवों में बसती है इसलिए हमारे मेडिकल इन्स्टीट्यूशन का ओरियन्टेशन विलेजेज की तरफ होना चाहिये। विलेजेज में या तो डिस्पेन्सरीज नहीं हैं और अगर विलेजेज में डिस्पेन्सरीज हैं तो उनका आठ-दस हजार रुपये का ही बजट है। मैं चाहूंगा कि इन मेडिकल कालेजेज के जो डाक्टर अवेलेबल हैं उनकी सर्विसेज को लेने की फैसेलिटीज विलेजेज के लिए भी हो। मेडिकल कालेजेज के चारों तरफ जो विलेजेज हैं उनको भी उनके उपयोग का लाभ मिले ऐसे नियम बनाये जायें कि सात दिन या दस दिन में मेडिकल कालेज के वाहन को लेकर दस बीस गावों को चुन लें और वहां जायें और उनको मेडिकल फैसेलिटी दें।

सबसे बड़ा जो रोगियों के लिए सिर-दर्द है वह यह है कि एक रोगी विलेज से आता है तो उसके रोग की छान-बीन में कम से कम सात दिन का समय लग जाता है। आज कोई रोगी भर्ती होगा तो दो हफ्ते तो उसके रोग की खोजबीन में ही लग जायेंगे। कोई भी विलेज का रोगी 14 दिनों तक इंतजार कर सकेगा आपके इलाज के लिए? यह उसके लिए एक जटिल समस्या है। मैं चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था करें कि विलेज का कोई भी रोगी इलाज के लिए आता है तो एक दो दिन में उस रोग की खोजबीन हो जाय और फिर रोग का निदान हो जाय। तीसरे दिन उसको दवाई का प्रिस्क्रप्शन मिल जाये और अस्पताल में रहने की जरूरत नहीं हो तो वह विलेज चला जाय। इससे समय की बरबादी भी कम होगी और रोगी के साथ आने वालों को भी तकलीफ नहीं होगी।

साथ ही साथ अस्पतालों में एक्स-रे के लेटेस्ट इक्विपमेन्ट अवेलेबल हैं लेकिन फिल्म्स नहीं हैं। आज बीकानेर का होस्पिटल एक्स-रे के मामले में वेल-इक्विप्ड है लेकिन वहां लाचारी है कि एक्स-रे प्लेट अवेलेबल नहीं हैं। तो जो फैसेलिटीज सरकार ने मुहैया की है एक्स-रे प्लेट नहीं होने से उनका पूरा उपयोग नहीं हो पाता। जितनी फिल्म्स खींचनी चाहिए उतनी नहीं खींची जाती इसका असर यह है कि रोगियों को प्राइवेट क्लिनिक से एक्स-रे खिचवाने पड़ते हैं जो कि महंगा पड़ता है। तो मैं चाहूंगा कि एक्सट्रा एक्सपेन्डिचर लगाकर भी मेडिकल कालेजेज को और जहां जहां एक्स-रे प्लान्ट हैं वहां फिल्म्स का पूरा कोटा दिया जाये जिससे डाक्टर और मेडिकल इन्स्टीट्यूशन्स ढंग से काम कर सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अब समय कम है। बीकानेर मेडिकल कालेज एक तरफ है और दूसरी तरफ मेरे विधान सभाई क्षेत्र, जो कि कोलायत है में 80-80 मील के रेडियस में कोई भी

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

डाक्टर अवेलेबल नहीं है; कोलायत से बीकानेर तक कोई डाक्टर अवेलेबल नहीं है, न एक भी एलोपैथ का डाक्टर है और न होम्योपैथ अवेलेबल है। 80 वर्ग मील के एरिया में कोई भी डाक्टर अवेलेबल नहीं है। मैं चाहूंगा मंत्री महोदय से कि नये बजट में जो 100 डिस्पेन्सरी खोलने का प्रावधान रखा है, उनमें से कम से कम बज्जू और बीकमपुरा जैसे स्थान हैं वहां पर डिस्पेन्सरी जरूर खोली जाय....

श्री रघुनाथ विश्नोई : 80 मील वाली बात सही नहीं होगी। आप वेरीफाई करलें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : न तो आप मेरे टीचर हैं और न मैं आपका स्टूडेण्ट हूं। मैं बिलकुल ठीक कह रहा हूं।

इसलिए डिस्पेन्सरी आप बज्जू और बीकमपुरा में खोलें। जो देहाती क्षेत्र है वहां जनसंख्या जरूर कम है लेकिन हमारा फर्ज है कि जो एरिया अब इस मामले में पिछड़े हुए हैं वहां मेडिकल फैसेलिटीज दें।

अंत में एक बात और कहूंगा कि जैसे आल इन्डिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेस है और पी. जी. इन्स्टीट्यूट आफ चण्डीगढ़ है ऐसी ही कोई संस्था हम हमारे पांचों मेडिकल कालेजेज में से एक को चुन-कर बनायें। इसके लिए बीकानेर मेडिकल कालेज ही सबसे अधिक उपयुक्त है; यही मुझे निवेदन करना है।

## सदन की अवमानना

सर्व श्री सुरेशचन्द्र शर्मा व रईस मोहम्मद द्वारा सदन की अवमानना

श्री उपाध्यक्ष : मैं सदन के माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा, माननीय सदस्यों को याद होगा कि आज सायं 4 बजे जब चिकित्सा विभाग पर विचार विमर्श हो रहा था, उस समय दर्शक दीर्घा से दो व्यक्तियों ने सभा भवन में पर्चे फेंके और गेलेरी में से नारे लगाकर सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाई। इन दोनों ही व्यक्तियों को माननीय सदस्यों के सामने वाच एण्ड वार्ड अधिकारी द्वारा हिरासत में ले लिया गया।

पूछताछ करने के बाद इन व्यक्तियों ने जो अपने नाम बतलाये वे इस प्रकार हैं:—

(1) श्री सुरेशचन्द्र शर्मा पुत्र श्री प्रभुलाल शर्मा, निवासी कोटा, पेशा-वकालत।

(2) श्री रईस मोहम्मद पुत्र श्री शफी मोहम्मद, निवासी कोटा पेशा-विद्यार्थी

श्री सुरेशचन्द्र ने नारे लगाने के साथ साथ पर्चे भी फेंके, जब कि श्री रईस मोहम्मद ने केवल नारे लगाये। नारे इस प्रकार थे :

जयप्रकाश जिन्दाबाद
इन्कलाब जिन्दाबाद
छात्र एकता जिन्दाबाद।
सम्पूर्ण क्रांति जिन्दाबाद और कोटा में हाड़ोती विश्वविद्यालय खोला जावे।

इन दोनों व्यक्तियों को मेरे रूम में मेरे समक्ष उपस्थित किया गया और मैंने उनके बयान रिकार्ड किये। यह दोनों ही व्यक्ति पर्चे फेंकने, नारे लगाने तथा सदन की कार्य-

(श्री उपाध्यक्ष)

वाही में बाधा पहुंचाने का अपराध स्वीकार करते हैं, किन्तु अपने इस कार्य के लिए न तो वे खेद प्रकट करना चाहते हैं और न ही क्षमा-याचना।

चूंकि इस सम्बन्ध में सदन को निर्णय लेना है अतएव यह मामला उचित कार्यवाही हेतु सदन के समक्ष प्रस्तुत है।

श्री सम्पतराम (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष जी, यह सदन काफी महत्व रखता है। आज जैसे देश में पार्लियामेन्ट है इस प्रान्त में सर्वोच्च स्थान रखती है यह संस्था। इसका कार्य सुचारु रूप से चले; निर्विघ्न रूप से माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट कर सकें, इस बात की व्यवस्था करना हम सब का फर्ज है; आपने जो हालात बताये उन हालात को सुनने के बाद हमारे पास कोई चारा नहीं रहता सिवाय इसके कि इन दोनों व्यक्तियों को जेल भेजने की व्यवस्था करें। मेरा प्रस्ताव है कि—

"यह सदन संकल्प करता है कि जो व्यक्ति अपने आपको सुरेश चन्द शर्मा पुत्र श्री प्रभुलाल शर्मा कहते है, जिन्होंने आज सायं चार बजे दर्शक दीर्घा से सभा भवन में पर्चे फेंके और नारे लगाये और जिनको वाच एन्ड वार्ड अधिकारी ने तत्काल हिरासत में ले लिया, उन्होंने घोर अपराध किया है और वे इस सदन के अपमान के दोषी है।

यह सदन आगे संकल्प करता है कि उक्त श्री सुरेश चन्द शर्मा को तीन दिन के लिये जेल की सजा दी जाय और उन्हें जेल भेज दिया जाय।"

दूसरे व्यक्ति रईस मोहम्मद है। उनके लिये मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है:—

"यह सदन संकल्प करता है कि जो व्यक्ति अपने आपको रईस मोहम्मद पुत्र श्री सफी मोहम्मद कहते हैं, जिन्होंने आज सायं 4 बजे दर्शक दीर्घा से सभा भवन में नारे लगाये और जिसको वाच एंड वार्ड अधिकारी ने तत्काल हिरासत में ले लिया, उन्होंने घोर अपराध किया है और वे इस सदन के अपमान के दोषी हैं।

यह सदन आगे संकल्प करता है कि उक्त श्री रईस मोहम्मद को सदन की आज की कार्यवाही समाप्त होने तक वाच एंड वार्ड अधिकारी की हिरासत में रखा जाये।

श्री मूलचन्द डागा: श्रीमान, पहले यह जाना जाय कि वे किसके दस्तखत से प्रवेश लेकर यहां आये थे? जो भी आते हैं वे किसी न किसी माननीय सदस्य के दस्तखतों पर आते हैं। मैं दूसरी बात यह कहना चाहता कि उन व्यक्तियों की जो भावना थी और जिस रूप में उन्होंने भावना व्यक्त की उस रूप में से मेरे ख्याल से उनके दिल में कोई खराब भावना नहीं थी। आज का युग है, जनता पार्टी ने एलान किया है हर एक आदमी अपनी बात कह सकता है। इसलिये तीन दिन की सजा बहुत ज्यादा होगी। आज की कार्यवाही समाप्त होने तक की सजा दी जाये। श्रीमान मेरे ख्याल में तीन दिन की सजा ज्यादा होगी। जवान आदमी को जेल में डालने से उसके जीवन में बहुत असर होता है मेहरबानी करके आज सदन की कार्यवाही समाप्त होने तक की सजा दी जाये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मेरा निवेदन है यह जो दोनों छात्र हैं....

श्री उपाध्यक्ष : इसमें छात्र तो सिर्फ एक ही है।

श्री नवनीत पालीवाल : दूसरा एडवोकेट है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसमें दो तरह की सजायें प्रस्तावित की हैं माननीय चीफ व्हिप ने, मेरे ख्याल से दोनों को समान रूप से सजा दी जाये। आपने विशेष कारण भी नहीं बताया। आपने बताया कि एक छात्र है उसे राईजिंग आफ दी असेम्बली तक सजा दे दें। दूसरा एडवोकेट है उनका एक्शन सीरियस होना चाहिये। लड़का तो नादानी कर सकता है किन्तु एडवोकेट तो कानून कायदे जानता है। उपाध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण पहले भी आया है उसमें माफी दी गई है। आपके समक्ष उन्होंने क्षमा याचना की नहीं और अफसोस जाहिर किया नहीं। इस स्थिति में सदन की कार्यवाही में बाधा उपस्थित न हो; उसके लिये हमारे माननीय सदस्य, हम सब पूरा ध्यान देकर, देख कर ही पास जारी किया करें तो ऐसी हरकतें मेरे ख्याल में कम होंगी। दूसरा निवेदन कि दोनों की सजा समान रूप से सुनाई जाये।

श्री नवनीत पालीवाल : दोनों की तीन तीन दिन की सजा कर दी जाये ?

एक माननीय सदस्य : छात्र की वकील से कम की जाये।

श्री चिरंजीलाल गर्ग : भविष्य में ऐसा न हो इसलिये राईजिंग आफ दी असेम्बली तक की सजा दी जानी चाहिये। उसको पर्याप्त दण्ड भी मिल जायगा। इससे आगे बढ़ते हैं तो सख्त कदम होगा। राईजिंग आफ दी असेम्बली तक हो रखें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह सजा का जो प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति को सजा देते वक्त दो बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिये। पहला निवेदन है कि जब देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी उस वक्त सरदार भगत सिंह ने भी ऐसा कार्य किया था बल्कि इससे भी अधिक भीषण कार्य था। अब प्रश्न यह है कि क्या क्रिमिनल इन्टेंशन है, स्वयं को लाभ और दूसरे को नुकसान पहुँचाने की भावना है ? दूसरी बात निवेदन करना चाहूँगा कि जनता सरकार जब से आई है रूल आफ लॉ की बात कहते हैं। मेरा मानना है कि प्रिन्सीपल्स आफ नेचरल जस्टिस भी लागू किया जाये। इन व्यक्तियों को इस सदन में सजा दिलाने जा रहे हैं, अगर संसदीय मामलात मन्त्री ठीक समझे, न भी समझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप उचित समझें तो यह पद्धति निर्धारित की जाये कि जिसको सजा दी जाये उसको सदन में अपनी बात कहने का मौका दिया जाये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि सारी दुनियां में भाई भतीजावाद चल रहा है। काफी अभिभावक हैं यहां पर। अभिभावक को ज्यादा सजा देना ठीक नहीं, दोनों को समान ट्रीट कीजिये। जो कुछ उन्होंने कहा है किसी भावना ग्रस्त हो कर कहा हो वह अपनी बात को इस प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत के सामने कह सकें, आपके सामने कह सकें।

तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए सजा दी जाती है तो उनको सजा दी जाये

(श्री बजरंगलाल शर्मा

लेकिन उससे पहले उनको इस सदन में सुनवाई का मौका दिया जाये। मैं यह भी चाहता हूं, आप यह भी व्यवस्था दें कि इसमें सेपरेशन है कि नहीं ? यदि नहीं हो तो कम्पलीट डिबेट होनी चाहिये कि क्यों नहीं है।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : माननीय उपाध्यक्ष जी, हाउस के सामने सुनवाई करने की कोई भावना नहीं है। आपने सुनवाई कर ली। जैसा उन्होंने कहा कि अपने एक्शन के बारे में उन्हें कोई अफसोस नहीं है। उसके बावजूद तीन दिन की सजा अधिक होगी। इस सत्र में एक को माफी भी दी है। भावनाओं की पूर्ति भी हो जानी चाहिये। माननीय चीफ व्हिप ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें इस संशोधन को मान लें तो इसकी पूर्ति भी हो जायगी और वह उचित होगा।

**श्री मूलचन्द डागा** : भगत सिंह की तुलना में न रखें। अगर सजा दें तो भगत सिंह की तुलना में न रखें।

**श्री बजरंगलाल शर्मा** : जहां कहीं भी सजा के प्रोविजन्स हैं....

**श्री उपाध्यक्ष** : आप अपने विचार प्रकट कर चुके हैं।

**श्री बजरंगलाल शर्मा** : बिल्कुल रेलेवेंट बात कह रहा हूं। जहां किसी को सजा देने का है वहां सुनवाई करने के बाद ही सजा देने का हक होता है। उसमें सेपरेशन नहीं हो सकता। ऐसा कहीं नहीं है कि सुनवाई एक शक्ति करे और सजा दूसरी शक्ति दे। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न पर काफी बहस हुई है लेकिन मैं समझता हूं हाउस काम्पीटेन्ट है तो हाउस सुनकर तय करे यह मेरा निवेदन है।

**श्री उपाध्यक्ष** : अब आप विराजिये।

**श्री रतनलाल वर्मा**: मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि वे दोनों बच्चे हैं और कोई उग्र वादिता भी नहीं है। उन्होंने ऐसा किया है तो सदन की कार्यवाही समाप्त होने तक सजा दी जाय। यह ज्यादा अच्छा होगा। मैं समझता हूं सभी सदन की यही इच्छा है।

**श्री मूलचन्द डागा** : बिलकुल ठीक है।

**श्री माणकचन्द सुराणा** : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष बनीपार्क से आये हुये माननीय सदस्य ने एक मूल भूत मुद्दा उठाया है और वह यह है कि उन्होंने सदन का अपमान किया है या सदन के कक्ष में बैठकर पर्चे फेंके और नारे लगाये हैं उनको सजा देने से पूर्व सुनवाई की जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं लोक सभा में भी इस तरह के कई मामलात हुये हैं। खास तौर से 'ब्लिट्ज' के सम्पादक के केस की क्लेरिफिकेशन है। उसमें यह भरसक प्रयत्न किया गया था कि 'ब्लिट्ज' के सम्पादक को ताड़ना दी जाय। लेकिन उस मामले में सारी प्रक्रिया का सिंहावलोकन करने के बाद यह तय किया गया था कि इस तरह पर्सनल हियरिंग का मौका देना उचित नहीं है। न ही यह न्यायोचित है और न ही कानून के अनुसार इसकी गुंजाइश है। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस मामले में जब यह तय हो गया कि

(श्री माणकचन्द सुराणा)

पर्सनल हियरिंग सजा देने से पूर्व आवश्यक नहीं है तो मैं समझता हूं ऐसी नई परम्परा कायम करें और पर्सनल हियरिंग का मौका दें, यह उपयुक्त नहीं होगा। लोक सभा की जो परम्परा है उसके बाद परम्परा कायम करेंगे तो दिक्कत होगी। इसलिये मैं अनुमोदन करने में, उपाध्यक्ष महोदय, असमर्थ हूं। खास तौर से जो यह प्रश्न है कि विधान सभा के कक्ष में दर्शक दीर्घा से पर्चे फेंके गये और नारे लगाये गये; इसके लिये राईजिंग आफ दी असेम्बली तक की सजा दी, तो यह घटना इस सदन में इसी सत्र में दुबारा हुई है····

श्री रघुनाथ विश्नोई : उसमें सजा नहीं दी।

श्री माणकचन्द सुराणा : सिर्फ ताड़ना दी। उन्होंने माफी मांगी और हमने माफी दी। उपाध्यक्ष महोदय, इस बात की जिद्द नहीं होनी चाहिये कि माफी मांगे तो माफी दें। जो कुछ बयान आपके सामने है उसमें यह कहा है कि न तो अफसोस है और न माफी मांगने को वे तैयार हैं। तो मैं समझता हूं सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंची है। जब वे माफी मांगने को तैयार नहीं हैं और वे यह भी कहते हैं कि मैं परिणाम भी जानता हूं, सजा हो सकती है। ऐसा उनका स्टेटमेंट है। मैं समझता हूं सजा देने में सदन को सन्तोष मिलेगा, ऐसी बात भी नहीं है लेकिन आज सजा नहीं दी तो कल फिर दर्शक दीर्घा से नारे लगाये जा सकते हैं; पर्चे फेंके जा सकते हैं। यदि राजस्थान भर का ध्यान आकर्षित करने के लिये इस प्रक्रिया को अडाप्ट करें तो मैं निवेदन करूंगा जो लाख डेढ़ लाख मतों से चुनकर आये हैं, उनका यहां फंक्शन करना मुश्किल होगा। इस सदन की कार्यवाही का सम्मान करना है और सदन की गरिमा रखनी है तो दण्ड देने की प्रक्रिया है चाहे अन्यमनस्क भाव से हो उसको करना पड़ता है। अन्यथा यह सदन इस बात का केन्द्र हो जायगा कि दर्शक दीर्घा में आयें और सारे राजस्थान का ध्यान आकर्षित करें। कोई सजा नहीं दी, राइजिंग आफ दी विधान सभा यानि आज की कार्यवाही खत्म होने तक की सजा दी तो बार-बार लोग इस प्रक्रिया को अडाप्ट करेंगे। इससे यह खतरा होगा कि सदन की कार्यवाही में बाधा आयेगी। इसलिये मैं बड़े दुख के साथ निवेदन करूंगा कि एक तो नाबालिग है जिसका नाम रईस मोहम्मद है उनका बयान है मैं नाबालिग हूं। जो उम्र दी है उसको चुनौती नहीं दे रहे हैं। जो स्टेटमेंट है नाबालिग होने का तो मेरा निवेदन है कि जो नाबालिग हैं उसके लिये जो सचेतक महोदय ने सजेस्ट किया है उसे ही रखा जाय। जो बालिग है वे कहते हैं सारे परिणामों को मैं जानता हूं तो मैं समझता, उनको भी बहुत लिनियेन्टली सजा देने का प्रावधान रखा है। तीन दिन की सजा दी है। हम चाहे उनको अन्यमनस्क होकर ही सजा दें किन्तु सजा अवश्य होनी चाहिये ताकि अन्य लोग अनुसरण न करें। इसलिये जो माननीय सचेतक महोदय ने प्रस्ताव किया है, उससे मैं सहमत हूं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक नियमों की बात है a witness can't be a judge उसको सजा देने की बात है तो हम लोगों ने सारे एक्शन देखे हैं। आम तौर पर ऐसा सदन में हुआ है, जिन्होंने अपराध किया

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

उन्हें हमने छोड़ा है। दूसरी बात आज सांकेतिक रूप में दो साथियों ने यह किया कि सदन को दर्शक दीर्घा से नारे लगाये और पर्चे फेंके। यह सांकेतिक है तो इसका दण्ड है और हाउस की फीलिंग है वह भी सांकेतिक ही होनी चाहिये। परन्तु नेचरल प्रिन्सीपल आफ जस्टिस पर इसको छोड़ नहीं सकते। लोकसभा की हर परम्परा को यह हाउस नहीं मानता। लोकसभा की गाइड लाइन अलग हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा संसदीय मामलों के मंत्री महोदय स्वयं यह प्रस्ताव रखें कि उन दोनों व्यक्तियों को हाउस में बुलाकर ताड़ना दी जाय। फिर भी ऐसा एक्शन करें तो सजा भी दी जा सकती है।

**श्री रतनलाल वर्मा :** हाउस में बुलाने का तरीका ठीक नहीं रहेगा।

**श्री सम्पतराम** (मंत्री, संसदीय मामलात) : माननीय उपाध्यक्षजी, दरअसल में अलग अलग प्रान्तों में और केन्द्र में भी सर्वोच्च सत्ता प्राप्त संसद में इस प्रकार की सुनवाई नहीं होती है। सजा देना कोई सुखद बात नहीं होगी, इस सदन के लिये दुखद है लेकिन कुछ परम्परायें कायम करनी पड़ती हैं और कुछ मर्यादायें रखनी पड़ती हैं अगर वह नहीं करेंगे तो इस हाउस की कार्यवाही ठीक तरह नहीं चल पायेगी। इससे पूर्व भी ऐसा हुआ है, मुझे याद नहीं है लेकिन इस सदन के द्वारा 15 दिन की सजा दी गई थी। माननीय सदस्य ने जो अपनी भावना व्यक्त की है, उसका भी काफी प्रयत्न किया गया है। पहले घटना हुई उसको भी जाने दें और इसको भी जाने दें लेकिन परसिस्टेन्टली इनसिस्ट किया जाय तो सजा न देना ठीक नहीं रहेगा। उपाध्यक्ष महोदय, जो दोनों में भेद इसलिये रखा है कि एक का स्टेटमेन्ट है कम उम्र का। दूसरे महानुभाव काफी पढ़े लिखे हैं और कानून ज्ञाता भी हैं। उनको कानून की सही दिशा देनी चाहिये। अनजान आदमी गलती करे तो क्षमा हो सकती है लेकिन यदि जानकार आदमी करे तो वह क्षमा की परिधि में भी नहीं आता है। उपाध्यक्ष महोदय, सजा को बहुत कम रखा है। मेरी मान्यता है इस संस्था की, विधान सभा की अपनी मर्यादा है तो उस मर्यादा को कायम रखने के लिये और आईन्दा कामकाज ठीक चले इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रस्ताव किया है उसको स्वीकार किया जाय। मैं चाहता हूँ वे क्षमा चाहें लेकिन वे कबूल नहीं करते हैं। वह परसिस्टेन्टली कहते रहे कि हमने जानबूझ कर किया है, हम सारे नियमों की जानकारी रखते हैं, हमने जानबूझ कर होश हवास में किया है, अब आप चाहें जो फैसला करें। सदन स्वयं सक्षम है, मैं समझता हूं माननीय सदस्य स्वयं इसका फैसला करें और जो भी फैसला किया जाय वह शिरोधार्य है। मेरी समझ में जो मैंने प्रस्ताव रखा है वह सही रखा है।

**श्री बजरंगलाल शर्मा :** माननीय संसदीय मामलात के मंत्री ने जो एक बात कही कि परसिस्टेन्टली वह कह रहे हैं वह बयान दे रहे हैं, वह यह कह रहे हैं, यह कह रहे हैं। तो क्या माननीय संसदीय मामलात के मंत्री, उस वक्त जब की साक्ष्य ली गई थी, मौजूद थे ? जो ये सारी बातें बता रहे हैं कि वे परसिस्टेन्टली कह रहे थे तो क्या वे देख रहे थे ? वे इतने दावे के साथ कर रहे हैं कि उन्होंने यह किया वह

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

किया तो क्या यह बतायेंगे कि सुनवाई के वक्त कौन-कौन मौजूद थे ? इस बारे में मैं पूछना चाहता हूं।

**श्री सम्पतराम** : यह तो साफ बात है चेयर की तरफ से उनका बयान पढ़ कर सुना दिया। मैंने भी उसको देखने की कोशिश की है। मैंने भी उसको पढ़ा है यहाँ पर जो प्रोसिडिंग्स होती है वह भी पढ़ी गई है। यहां पर सभी माननीय सदस्यों ने सुना है, प्रोसिडिंग्स को देखा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय के सामने उनको जो कुछ कहना था वह कहा गया है। इसके बाद क्या शक रह जाता है।

**श्री नवनीत पालीवाल** : अधिक समय नहीं लेते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि सदन की मर्यादा की दृष्टि से दुःख के साथ खेद के साथ वह प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ताकि भविष्य में इस तरह का अवसर नहीं आए।

**श्री उपाध्यक्ष** : इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं वैसे शासन की तरफ से मैं कोई सुझाव नहीं दूंगा लेकिन जो व्यवस्था का प्रश्न माननीय बजरंगलाल ने उठाया है कि प्रिन्सिपल आफ नेचरल और जस्टिस और रूल आफ लॉ का पालन हुआ या नहीं, तो मैं निवेदन करूंगा कि कंटेम्प्ट हाउस के सामने किया जाता है तो उस व्यक्ति को सदन में बुलाने को परम्परा नहीं है। इस सम्बन्ध में पहले भी अवसर आए थे. इस प्रकार की कार्यवाही हुई थी तब भी इस तरह की व्यवस्था आसन की तरफ से कितनी ही बार में दी गई है। पार्लियामेंट में भी इस तरह के अवसर आए है और अपनी राजस्थान विधान सभा में भी आसन की ओर से इस तरह की व्यवस्था दी गई है। जहां तक प्रिन्सिपल आफ नेचरल जस्टिस और रूल आफ ला को आब्जर्व करने का प्रश्न है यह सदन की परम्परा रही है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सम्बन्धित व्यक्ति से पूछताछ कर लेते हैं और इस सम्बन्ध में जो प्रक्रिया है उसको अपना लेते हैं यही प्रिन्सिपल आफ नेचरल जस्टिस एण्ड रूल आफ लॉ है मैंने जितनी भी आवश्यक जानकारी करनी थी उतनी पूछताछ की है। मुख्य सचेतक महोदय ने जो प्रस्ताव रखा है उसके पहले उन्होंने स्वयं ने भी इस कार्यवाही के बारे में जानकारी प्राप्त की है। यह बिल्कुल नियमानुसार सदन के सामने प्रस्ताव रख रहे हैं, प्रस्ताव के रूप में रख रहे हैं जो इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की गई है उसकी जानकारी रखते हुए।

जहां तक इस सदन की गरिमा का प्रश्न है मैं समझता हूं और अन्य माननीय सदस्य भी महसूस करेंगे कि जनतन्त्र को, सदन को लन्दन का हाईड पार्क न बनाया जाय। जो सदस्य विचार रखते है वह आप सभी के सामने विचारणीय हैं। और भी कोई सज्जन इस सम्बन्ध में सुझाव देना चाहें तो दे सकते हैं वे लेकिन मैं समझता हूं कि मुख्य सचेतक महोदय ने पूरी जानकारी हासिल करके प्रस्ताव रखे हैं और सभी माननीय सदस्यों ने भी अपने विचार रख दिए हैं। मैं चाहूंगा कि अब अधिक वाद-विवाद में न जाकर माननीय सचेतक महोदय ने जो प्रस्ताव रखा है उसको हाउस के सामने एप्रूवल के लिए रखना चाहूंगा। वैसे और भी कोई माननीय सदस्य कहना चाहें तो कह सकते हैं।

कई माननीय सदस्य : ठीक है।

श्री भैरवलाल कालाबादल : उपाध्यक्ष महोदय, आज यहां पर दर्शक दीर्घा से जो पर्चे फेंके गये और 'जय प्रकाश जिन्दाबाद' के नारे लगाए उनकी भावना इस प्रकार की नहीं थी कि इस हाउस की गरिमा को ठेस पहुंचाई जाय। आखिर में इन लोगों की भावना इसी प्रकार की थी कि हमारे द्वारा यहां विधान सभा में बोला जाय, वह इस विचार को दृष्टि से कि वह समझे हुये थे कि उनकी अन्य कहीं सुनवाई न हो तो हाउस के सामने इस प्रकार का प्रयत्न किया जाय। शायद इसी भावना को लेकर उन्होंने यह किया होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि अब की बार तो उनको यह सदन माफ कर दे और आगे यदि कोई काण्ड इस प्रकार का हो तो उसके लिए सजा दी जाय। अब की बार माफ कर दिया जाय। उन्होंने हाड़ौती विश्व-विद्यालय की मांग ही तो की थी।

मेजर श्री फतहसिंह : श्रीमान्, इस सदन में हर किसी को नारेबाजी की अनुमति नहीं दी जा सकती। केवल यह कहना ठीक नहीं कि 'जयप्रकाश जिन्दाबाद' के नारे लगाए। आखिर उनका इरादा इस सदन की कार्यवाही में बाधा डालना था। हम लोग अगर उनको केवल हाउस उठने तक की ही सजा देकर छोड़ देते हैं तो यह तो गलत परम्परा पड़ेगी और भविष्य में सबके लिए प्रोत्साहन देने वाली बात होगी। कोई भी दर्शक दीर्घा से नारेबाजी कर दे और फिर वह यह समझे कि जिस तरह से कल परसों नारेबाजी करने के बाद दूसरे लोग बच गये हैं उसी तरह से हम भी बच जायेंगे। इसलिए जो कुछ माननीय सचेतक महोदय ने प्रस्ताव रखा है उसका मैं पूर्णतया समर्थन करता हूं। जो नाबालिग युवक है उसके लिए रियायत बर्ती गई है और इसी में नेचरल जस्टिस है। दूसरा जो दोषी है, अपराधी है वह कानून को जानता है। कानून को जानने वाला अगर अपराध करता है तो उसका अपराध बड़ा बन जाता है। इसलिए माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करते हुए मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को यह निवेदन करूंगा कि सजा देने के इरादे से नहीं बल्कि न्याय की दृष्टि से दोनों को सजाओं में भिन्नता है। जो युवक नाबालिग हैं, उसने अगर अपराध किया है तो उसको सदन के उठने तक की सजा देना पर्याप्त होगा और वकील साहब के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव किया है तीन दिन की सजा देने का उसको मैं न्यायोचित और पर्याप्त मानता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव मुख्य सचेतक ने रखा है कि श्री सुरेशचन्द्र शर्मा को तीन दिन के लिये जेल की सजा दी जाय और उन्हें जेल भेज दिया जावे, इसको स्वीकार किया जाय ?

( स्वीकृत )

प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा को तीन दिन के लिए सजा दी जाय और वारन्ट बना कर जेल भेज दिया जावे।

श्री मूलचन्द डागा : सर्व-सम्मति से हो गया, श्रीमान्।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरा प्रस्ताव।

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव मुख्य सचेतक ने रखा है कि श्री रईस मोहम्मद को

(श्री उपाध्यक्ष)

सदन की आज की कार्यवाही समाप्त होने तक वाच एण्ड वार्ड अधिकारी की हिरासत में रखा जाये; उसको स्वीकार किया जाय ?

( स्वीकृत )

प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया ।

श्री रईस मोहम्मद को आज की कार्यवाही समाप्त होने तक वाच एण्ड वार्ड अधिकारी की हिरासत में रखा जाय ।

## मांग संख्या 26 पर अग्रेतर वादविवाद

**श्री उपाध्यक्ष :** अब कटौती प्रस्तावों पर बोलने वाले जो वक्ता महोदय बच गये हैं उनमें आगामी वक्ता हैं श्री कुंजीलाल ।

( अनुपस्थित )

सुश्री पुष्पा ।

**सुश्री पुष्पा जैन ( आमेर ) :** आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान उस अभागे क्षेत्र की ओर दिलाना चाहूंगी जो कि ऐतिहासिक स्थल कहलाता है, बावजूद इसके आज तक विकास की दृष्टि से उस क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। आए दिन उस क्षेत्र के निवासी चिकित्सा के लिए तड़फते हैं। मां अपनी गोद सूनी होते देखती हैं, पति पत्नी को मरते देखते हैं, कई मातायें विधवा हो जाती हैं और कई बेगोद हो जाती हैं। श्रीमान्, इस क्षेत्र की ओर आज तक चिकित्सा की दृष्टि से या तो ध्यान ही नहीं दिया गया है या अगर कुछ ध्यान दिया भी गया तो इस क्षेत्र को इस काबिल नहीं समझा गया। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर चिकित्सा की दृष्टि से कोई भी चिकित्सालय नहीं है, कोई आयुर्वेद औषधालय नहीं है । उनमें से कुछ एक के नाम मैं आपके सामने रखती हूं, वे हैं रामपुरा डाबरी, सिवाय, पुनानिया, जयसिंहपुरा, कालवाड़, छापराडी, मानपुर माचेडी, खोरा मीणा, राजास, रामसर मूंडिया, हाथोज और मूंडिया रामसर आदि-आदि । इतनी बड़ी संख्या में ग्राम हैं। इस सारे क्षेत्र में सिर्फ दो पी. एच. सी. हैं और उनमें भी कैसी व्यवस्था है यह इनको देख कर कोई भी बता सकता है। आमेर में डिस्पेन्सरी है रून्डल और राधाकृष्ण पुरा में उपचिकित्सालय हैं, वह रून्डल राधाकृष्ण पुरा में कम्पाउन्डर ही काम चलाता है । मेरी समझ में नहीं आता, इस विकासशील दुनिया में एक कम्पाउन्डर पूरी तरह क्वालिफाइड नहीं होता वह किस मर्ज का इलाज कर सकता है ?

आमेर विधान सभा क्षेत्र में सुविधाओं का अभाव है, अस्पतालों में डाक्टर पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं और दवाइयों का स्टाक नहीं है । अगर स्टाक है तो डाक्टर मरीजों को देना ठीक नहीं समझते । मेरा सुझाव है कि आमेर विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा के पूरे प्रावधान किए जायं और दवाइयां प्रचुर मात्रा में दी जायं । जहां डाक्टर नहीं वहां एक्सपर्ट डाक्टर को भेजा जाय और नर्स व कम्पाउन्डर भेजे जायं । यह दुर्भाग्य रहा है इस क्षेत्र का कि यह अकाल का पात्र बना जिससे कई बीमारियां फैलीं-मलेरिया और एक दूसरी बीमारी, जिसका नाम में नहीं बता सकती जिसमें डिसेन्ट्री और उल्टियां होती हैं। उस बीमारी से देखते-देखते मौतें हो जाती हैं । तीसरी एक बीमारी है जिसमें खुजली होती है। फुंसियां

( सुश्री पुष्पा जैन )

हो जाती हैं और फिर जख्म हो जाते हैं यह इन्फेक्शन होती है। एक बच्चे को होने के बाद दूसरे बच्चे भी शिकार हो जाते हैं। कहने के बावजूद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। दिनों दिन मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है।

हम प्रगति की बात करते हैं। हम अगर ग्रामीण लोगों को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध नहीं करा सकते तो यह हम लोगों के लिए शर्म की बात है।

धन्यवाद।

श्री गोविन्द सहाय : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम बीच में रह गया है। मुझे बोलने दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम जरूर है लेकिन मेरे पास जो सूची है उसमें नहीं लिखा है। खैर ! देर आयद दुरुस्त आयद बोलिए।

श्री बजरंगलाल शर्मा : सभापति महोदय ने व्यवस्था दे रखी है कि जिनके नाम बीच में रह गए वे अंत में बोलेंगे। अगर इस व्यवस्था को बदलना वाजिब समझते हैं तो मैं अपना दावा पहले प्रस्तुत करता हूँ।

श्री गोविन्द सहाय : मेरा नाम पुकारा गया था। उस वक्त मैं सदन में उपस्थित नहीं था।

श्री बजरंग लाल : असल में बोलने का हक मेरा है सबसे पहले डाइरेक्टर आफ मेडिकल सर्विसेज, हेल्थ कमिश्नर मेरे क्षेत्र में हैं। कृपया भूल न जायं।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे इम्प्रेशन था कि शायद उनका नाम सूची में था। जब तक पूरी लिस्ट एग्जास्ट नहीं हो जाय, बीच वालों को बोलने नहीं दिया जाएगा।

श्री श्रवणलाल !

श्री श्रवणलाल (हिंडौन) : उपाध्यक्ष जी, चिकित्सा के मद में मेरे करीब पांच कटौती प्रस्ताव हैं। मुझसे पूर्व बोलने वालों ने अपने कटौती प्रस्तावों द्वारा दवाओं के अभाव, पट्टियों के अभाव इत्यादि समस्याओं की ओर मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया है। मुझे निवेदन करना है कि चिकित्सा विभाग का जो बजट रखा जाता है, उस बजट में कमी होने के कारण ग्रामीण जनता को दवाइयां एवं पट्टी व अनेक प्रकार की जो दवाइयां हैं वे उपलब्ध नहीं होती हैं। चाहे डिलीवरी केस हो चाहे हाथ या पैर में चोट आ गई हो। पट्टी बांधने का सवाल हो, तो उसके लिए पट्टियां अस्पतालों में डाक्टर बाजार से मंगाते हैं। अगर हाथ में फ्रेक्चर हो तो उसके लिए प्लास्टर व पट्टियां बाजार से मरीज द्वारा मंगाये जाती हैं। यह भेदभाव ग्राम व शहर के बीच में चला आ रहा है। आज अगर जनता के लिए डिस्पेन्सरी खुलवानी हैं या हैल्थ सेन्टर खुलवाना है तो वहां पहले भवन व श्रमदान करना पड़ेगा। यह हमारी सरकार की नीति व परम्परा रही है। मैं इस नीति के संदर्भ में अपने पिछड़े हुए इलाके-सवाई माधोपुर जिले की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। बैकवर्ड इलाका होने के नाते वहां पर अनेक प्रकार की घटनायें घटती हैं। पत्थर वहां पर खानों के अन्दर निकाला जाता है और ट्रकों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। दुर्घटना खानों में होती रहती हैं।

( श्री श्रवणलाल )

दुर्घटनाग्रस्त लोगों का वहां के छोटे पी० एच० सी० या डिस्पेन्सरी में इलाज न होने के कारण रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है।

हिण्डौन का जो पी० एच० सी० है, वह अगर जनसंख्या को देखा जाय तो नं के बराबर है। वहां की 10 हजार की जनसंख्या जब थी तब यह सेंटर चला आ रहा है। अब वहां की जनसंख्या करीब 40 हजार के आसपास है पहुँच चुकी है। तो अनुमान लगायें पूरी तहसील की जनसंख्या को लेकर अगर चला जाए तो वहां का स्टाफ किस प्रकार से देख रेख कर सकता है? वहां पर 50 बेड के लिए पिछली सरकार के सामने मांग रखी गई थी। उसको स्वीकार किया था लेकिन कुछ रंजिश के कारण अभी तक 50 बेड उपलब्ध नहीं करा पाए इसलिए इस समस्या को जल्दी से जल्दी हल करें।

मैं एक सुझाव देने जा रहा हूं कि हमारे राजस्थान में 237 प्राथमिक केन्द्र हैं और एक एक के नीचे 8 सब-सेंटर्स हैं; टोटल मिलाकर करीब 1900 होते हैं। प्रत्येक केंद्र पर करीब दो हजार का वार्षिक खर्चा मानकर चलते हैं। जितना भी खर्चा हमारी सरकार करती है सारे का सारा फिजूल जाता है क्योंकि इन सेंटर्स पर तो कोई ट्रेन्ड दाइयां नहीं हैं, उनके द्वारा वहां पर जिस प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल पाती है। इसके अलावा जो वी० एल० डब्ल्यु हैं वह नहीं के बराबर है। ड्यूटी पर आते हैं, फिर महीना भर गायब रहते हैं। तो उनके ऊपर जो खर्चा किया जाता है, वह बेकार जाता है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि जहां भी इस प्रकार के केंद्र है, वहां मेल नर्स प्रथम श्रेणी का ही रखा जावे। इससे उसको वहां रखने का जो खर्चा हो रहा है, उसका सदुपयोग होगा और जनता को भी उसका उपयोग मिल सकेगा।

साथ ही साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा जो बहुत सी कमी है वे भी मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं, जैसे हमारे हिन्डौन के अन्दर कोई पागल कुत्ता काट खाता है तो उसके लिए, इन्जैक्शन लगवाने के लिए जयपुर आना पड़ता है। इसलिए जो डिस्पेन्सरी हैं; उनमें भी इस प्रकार के इन्जैक्शन रखने के लिए अरेंजमेंट किए जाएं। जो सब-सेन्टर है या जो पी. एच. सी. है उनमें पागल कुत्ते के काटने पर लगने वाले इन्जैक्शन होने चाहिए जिससे कि जनता को इतनी दूर इन्जैक्शन लगवाने के लिए नहीं आनां पड़े।

मैं आपके द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी दिलाने की कोशिश करूंगा कि पिछले समय में जब आपातकालीन स्थिति थी, पिछली सरकार ने नसबन्दी के केसेज को लेकर बहुत ज्यादा अत्याचार किये। किसी कर्मचारी ने अपना आपरेशन नहीं करवाया तो उसकी तनख्वाह रोक दी, उसको तनख्वाह नहीं मिली। उसका ट्रान्सफर कर दिया गया। इस प्रकार से उन्हें परेशान करते थे। इसी प्रकार से गरीब व्यक्ति की शादी नहीं हुई थी, उसको भी नसबन्दी कर दी गई। उपाध्यक्ष महोदय, उस की नसबन्दी कर दी गई जो इकलौता पुत्र था। वह पाली की फैक्ट्री में काम करता था। पाली के अन्दर कैम्प लगा। पुलिस कर्मचारियों ने उसको पकड़ा और उसे नसबन्दी के कैम्प में ले गए। उसने काफी मिन्नते कीं। यह

( श्री श्रवणलाल )

भी कहा, मेरी शादी नहीं हुई है। मैं अपने बाप का इकलौता बेटा हूँ। उसके बाद भी उसकी नसबन्दी कर दी गई। उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उसको मुआवजा मिलना चाहिए। उसकी स्पेशल तौर पर दुबारा नस जोड़ी जाए। उसका नाम है बच्चू सिंह पुत्र नारायणसिंह कौम राजपूत....

श्री मूलचन्द डागा : बाबूसिंह है। पाली मारवाड़....

श्री रतनलाल वर्मा : यह आपने ही करवाई है।

श्री मूलचन्द डागा : यह पकड़ा कहां से?

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे इस प्रकार के केसेज बहुत हैं। तो इस तरह से हमारे डागा साहब बोल रहे हैं। जितनी काली करतूतें हैं, वह इनकी हैं। इन्होंने यह करवाया है और मेरे से सिफारिश करवा रहे हैं। तो मेरा यह निवेदन करना है कि इस प्रकार के जो केसेज हो गये हैं उनकी नस दुबारा जोड़ी जाए।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को यह निवेदन करूंगा कि हिंडौन में जो पी. एच. सी० है, उस पी० एच० सी० में पिछली सरकार ने 50 बैड का अस्पताल खोलने का बजट में प्रावधान रखा था। आप स्वयं वहां पर जाकर सारी स्थिति को देख कर आये हैं। किस प्रकार का कस्बा है। सफाई की दृष्टि से डाक्टर की दृष्टि से, व्यवस्था बहुत नाकाफी है, दवाइयां वहां पर नहीं के बराबर हैं। पापुलेशन को देखते हुए दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं तो मैं आपके द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय को पुन: निवेदन करना चाहूंगा कि इस अस्पताल की समस्या को अतिशीघ्र वे हल करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेश कुमार।

श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो नवीनीकृत पद्धति है जिसे रेशनलाइज्ड पेटर्न कहते हैं, उसके अनुसार अस्पतालों के अन्दर स्टाफ की नियुक्ति की जानी चाहिए। मुझे दुःख है कि अगर इसके आधार पर देखें तो राजस्थान के अधिकतर अस्पतालों में रेशनलाइज्ड पेटर्न के आधार पर स्टाफ की नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं श्रीमन, मैं आपका अधिक समय न लेते हुए भरतपुर के जनाना अस्पताल का उदाहरण अपनी बात की पुष्टि करने के लिए यहां पर दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, रेशनलाइज्ड पेटर्न के आधार पर भरतपुर के जनाना अस्पताल में एक सिस्टर की नियुक्ति होनी चाहिये। 16 स्टाफ नर्स, 6 सफाई कर्मचारी और 15 वार्ड सेवक होने चाहिए। लेकिन इस समय सिस्टर की तो कोई नियुक्ति नहीं हुई है, और 16 स्टाफ नर्स के स्थान पर वहां पर 5 स्टाफ नर्स हैं। 6 सफाई कर्मचारियों के स्थान पर केवल 2 सफाई कर्मचारी हैं और 15 वार्ड सेवकों के स्थान पर 6 वार्ड सेवकों की भर्ती की हुई है। इस हालत में, श्रीमान्; वहां पर कठिनाई आ रही है जनता को पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि राजस्थान का मेडिकल डाइरेक्टोरेट इस

( श्री सुरेशकुमार )

बात पर कैसे मौन रहा ? इस पर क्यों नहीं अब तक विचार किया है ?

श्रीमान्, रेडियोलोजिस्ट की जगह पिछले एक साल से भरतपुर अस्पताल में रिक्त पड़ी हुई है। एक साल से रेडियोलोजिस्ट नहीं है। मैं समझता हूं कि डाइरेक्टोरेट ने इस आधार पर वहां नहीं भेजा है क्योंकि वहां की जो एक्स-रे मशीन है वह भी काफी अर्से से खराब है। 14 हजार उसकी मरम्मत में पहले खर्च हो चुके हैं। आज भी खराब है। अब 22 हजार का तखमीना उस मशीन को ठीक करने के लिए पेश किया गया है। मैं समझता हूं यह सब इसलिए है कि बाहर से तकनीशियन आता है उसको प्रथम श्रेणी का भाड़ा दिया जाता है, उसके अतिरिक्त 300 रुपये रोजाना उसको भत्ता दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो सामान लगता है वह अलग से है। बराबर यह मशीन खराब है। मैं यह सुझाव दूंगा कि डाइरेक्टोरेट अपने यहां पर मेडिको इलेक्ट्रिकल इन्जीनियरिंग ब्रांच स्थापित करे और तकनीशियन रखे और उसके द्वारा मरम्मत कराये जिससे इस समस्या का निपटारा हो सके और इससे जनता को भी कठिनाई न हो। बड़े-बड़े अस्पतालों में एक्स-रे मशीन है जैसे कि आपके जयपुर में है, जोधपुर में है, उदयपुर में है, मैं समझता हूं, कि आंकड़े तो मुझे मालूम नहीं है फिर भी आधे से ज्यादा अस्पतालों की एक्स-रे मशीने खराब पड़ी हैं। बिना मरम्मत के पड़ी है क्योंकि मरम्मत की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मैं इस सम्बन्ध में यह सुझाव देना चाहूंगा कि अस्पतालों में विभिन्न कम्पनियों की एक्स-रे मशीनें नहीं खरीदी जावे। काफी छानबीन करने के बाद एक ही कम्पनी तय कर दें और हर एक अस्पताल में एक कम्पनी को ही मशीने लगाई जावें ताकि उनकी मरम्मत का काम आसानी से हो सके। स्पेअर पार्टस का लाभ उठाया जा सके।

भरतपुर जिले में एक बड़ा कस्बा है बयाना वहां पर वर्षों से एक एक्स-रे मशीन की मांग की जाती रही है। वहां की जनता ने इसके लिये भूख हड़ताल की है, मैं यह सुझाव दूंगा कि भरतपुर अस्पताल में जो मशीन खराब पड़ी है, उसकी मरम्मत करा कर उसको बयाना अस्पताल को दे दिया जाए और भरतपुर के लिए नयी 200 एम० एम० की मशीन खरीदी जावे।

भरतपुर अस्पताल, श्रीमान, बाबा आदम के जमाने का बना हुआ है। यह रियासत के जमाने में जैसा बना था वैसा ही आज है। 30 वर्ष के बाद भी वहां का आपरेशन थियेटर उसी तरह का है। उसका विस्तार नहीं किया गया बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में। वहां पर आज एक बड़े आपरेशन थियेटर की आवश्यकता है। चिकित्सा मंत्रीजी हंस रहे हैं परन्तु उन्होंने स्वयं इस अस्पताल का निरीक्षण किया है। वहां जो कठिनाई है, उसको देख कर आप आए हैं। जनता को आपने आश्वासन दिया है।

गंदगी की तो यह हालत है, श्रीमन, वहां पर बीमार तो क्या अच्छा होगा, अच्छा भला आदमी अगर कुछ दिन रह जाए तो वह भी बीमार हो जाएगा। चिकित्सा मंत्रीजी ने इसके लिए मन्जूरी दी

( श्री सुरेश कुमार )

है। मैं जानता हूं कि वे इस सम्बन्ध में और उचित कार्यवाही करेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी ओर अच्छी तरह से सफाई वे कराएंगे और, ड्रेनेज की व्यवस्था भी भरतपुर के अस्पताल में कराई जाएगी।

श्रीमान् एक पोस्ट आपरेशन थियेटर की भरतपुर के अस्पताल में आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं की चिकित्सा मन्त्रीजी इस ओर ध्यान देंगे।

मेरा निवेदन है कि नया ऑपरेशन थियेटर बनाया जाय और पोस्ट ऑपरेटिव इक्विपमेंट्स भरतपुर के अस्पताल में लगाये जायं।

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, हालांकि बहुत सी बातें कहनी हैं। भाषण को छोटा इसलिए कर रहा हूं कि इस सदन में एक विशेषज्ञ माननीय सदस्य डाक्टर हरिसिंह भी हैं उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया तो हम उनके विशेष विचारों से वंचित रह जायेंगे। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आप डॉ० हरिसिंह को अपने विचार प्रगट करने की अनुमति दें तो बहुत लाभ होगा।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० हरिसिंह ।

श्री हरिसिंह ( फुलेरा ) : माननीय उपाध्यक्षजी, मेडिकल के मामले में राजस्थान में ही नहीं सारे हिन्दुस्तान में अव्यवस्था है। उस अव्यवस्था में कई कारण है। कई माननोय सदस्यों ने कई शिकायतें की कहीं पर नर्से नहीं है, कहीं पर डॉक्टर नहीं हैं, कहीं पर सामान नहीं है। यह बात ठीक है, लेकिन इसके क्या कारण हैं, इनमें किसी ने जाने की कोशिश नहीं की। मैं इस मामले में सोचता हूं और माननीय सदस्य की तुलना में थोडा सा ज्यादा समझता हूं। इसलिये इसको विस्तृत रूप से कहने की कोशिश करूंगा इसलिए टाइम का भी खयाल रख, टाइम ज्यादा देने की कृपा करें।

मेडिकल एड के सम्बन्ध में राजस्थान में ही नहीं, जैसा कि मैंने पहले कहा सारे देश में व्यवस्था काफी नहीं हैं। कई पहलुओं से इसको देखना पड़ेगा। खास तौर से डाक्टर पेशेन्ट्स और इक्विपमेन्ट के सम्बन्ध में हमको विचार करना चाहिए। पेशेन्ट्स की हमारे देश में कमी नहीं है, डाक्टरों की भी कमी नहीं। एक तरफ तो यह आवाज उठाई जाती है कि डाक्टर नहीं हैं फलानी डिस्पेन्सरी में डाक्टर नहीं हैं पी० एच० सी० में डाक्टर नहीं है; दूसरी तरफ बहुत से डाक्टर बेकार हैं। यह बिल्कुल व्यवस्था का प्रश्न है, इस बारे में मेडिकल डिपार्टमेन्ट अच्छी तरह से सोचे कि यह व्यवस्था क्यों खराब है। हमारे पास डाक्टर्स, बेकार हैं और दूसरी तरफ डिस्पेन्सरिज में डाक्टर्स नहीं हैं, यह बड़े दुःख की बात है।

दूसरी बात है, गांवों में मेडिकल व्यवस्था की कई समस्याएं है। यह बात सही है कि शहरों के बजाय गांवों की तरफ ध्यान कम दिया जाता रहा है। अब भी उसके लिए ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा हैं यह बड़े दुःख की बात है कि शहरों में भी व्यवस्था अच्छी नहीं है। शहरों में भी याद मैं यह कहूं कि व्यवस्था अच्छी नहीं है और गांवों में उसकी ओर भी उपेक्षा की जा रही है, तो गलत नहीं होगा।

( श्री हरिसिंह )

मेरा सोचना है कि गांवों में सारे गांव वाले सोचते हैं कि हमारे यहां पर डिस्पेन्सरी खोली जाय एक आयुर्वेदिक अस्पताल खोला जाय, और एक हकीमखाना खोला जाय। इसी तरह से अगर आभूषण के तौर पर सारे गांवों में अस्पताल, डिस्पेन्सरी और आयुर्वेदिक औषधालय खोल दिये जायं तो इसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए अगर इनका डिस्ट्रीब्यूशन सही हो जाय तो भी बहुत राहत मिल सकती है।

दूसरा सवाल इस बात का पैदा होता है कि गांवों में आप डाक्टर भेजते हैं, गांवों में डाक्टर भेजने भी चाहिए लेकिन जब तक पूरा मेटेरियल और इलाज की सुविधा आप उनको नहीं देंगे तब तक वे पूर्ण रूप से इलाज नहीं कर सकेंगे और समाज को पूरी सेवा नहीं दे सकेंगे। सिर्फ कमरे बनाने और पलंग लगाना ही काफी नहीं होगा। इसकी व्यवस्था बजट में नहीं हुई है इसलिए अब मैं ज्यादा गांवों की बात नहीं करूंगा; मेडिकल कॉलिजों के बारे में कहना चाहता हूं।

मेडिकल की शिक्षा के मामले में काफी कमी है। इसके तीन-चार कारण है। एक तो डाक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस का विशेष मामला है। मेडिकल कालेजों को सेपरेट हास्पिटल बनाना चाहिए। एक डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल भी होना चाहिए, जहां पर रिसर्च हो जहां पर एम. बी. बी. एस. एवं पोस्ट ग्रे० डिग्री दी जाय और साथ-साथ प्रेक्टिस भी की जाय, ये तीनों काम कोई भी आदमी पूरी क्षमता के साथ नहीं कर सकता इसलिए प्राइवेट प्रेक्टिस मेडिकल कॉलेजों में बन्द होनी चाहिए। आप देखिये कि सारे के सारे डाक्टर प्रेक्टिस करने में बिजी हैं ऐसी हालत में क्लास भी लेना, रिसर्च वर्क भी करना और अस्पताल में गरीबों का इलाज भी करना इन सब कामों की उनसे उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए कुछ जगह ऐसी होनी चाहिए जहां केवल रिसर्च क्लासेज और स्पेशलाइज्ड इलाज की व्यवस्था हो, जिनसे कुछ अच्छा काम हो सके मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले डाक्टरों को प्राइवेट प्रेक्टिस करने के अधिकार नहीं होने चाहिए।

दूसरी बात मेडिकल कॉलेज में डाक्टरों के डिस्ट्रीब्यूशन आफ वर्क की बड़ी समस्या है। लेक्चरार हैं उनको आप क्वालिफाइड मानते हैं परन्तु यहां का सिस्टम ऐसा रहा है लेक्चरार को काम की जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन आफ वर्क नाम की कोई चीज नहीं है। यूनिट सिस्टम भी ठीक नहीं है, जूनियर डाक्टर को रेस्पान्सिबिलिटी नहीं दी जा रही है इसके लिए भी पूरा प्रबन्ध होना चाहिए। सारी समस्या इस बात की है कि जो आदमी हेड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट हैं, लेबोरेटरी के इन्चार्ज हैं उन्होंने यह समझ लिया है कि वह सब उनकी प्रोपर्टी है, दूसरों को घुसने तक नहीं देते हैं काम करने देने का प्रश्न ही क्या इस मामले में भी जाँच होनी चाहिए सब लोगों को फैसिलिटीज मिलनी चाहिए और काम करने का मौका दिया जाना चाहिए।

तीसरी बात एन्सिलियरी फैसिलिटीज हास्पिटल्स में बिलकुल नहीं है केवल बिस्तर बढ़ा देते, बिल्डिंग बना देवे और डाक्टर उपलब्ध करा देने से ही इलाज नहीं हो सकता जब तक कि उनको सामान उपलब्ध नहीं कराया जाय। एक तरफ तो आप यह कहते हो कि तीन महीने ट्रेनिंग दे कर कुछ लोग गांवों में इलाज करा सकेंगे। आप

(श्री हरिसिंह)

दूसरी ओर उन स्पेशलिस्ट को इलाज करने का अख्तियार नहीं देते। क्वालिफाइड डाक्टरों को काम करने का मौका नहीं दिया जाता है, पैथोलोजीकल बायोकेमिकल सर्विसेज और रेडियोलॉजिकल सर्विसेज के बिना इलाज नहीं हो सकता है। इन चीजों को उपलब्ध नहीं कराके सिर्फ डाक्टर और बिल्डिंग का होना ही काफी नहीं है, इस बात के लिए काफी गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

एस. एम. एस. हास्पिटल में 1400-1500 मरीज एट ए टाइम होते हैं। मरीज को इन्तजार करना पड़ता है, किसी भी स्पेशलाइज्ड टेस्ट के लिए दो महीने की तारीख मिलती है। यह सब एसिलियरी फैसेलिटीज की कमी के कारण है। आपको मरीजों का इलाज करना है या उनको भर्ती मात्र रखना है, यह सोचना पड़ेगा।

पोस्ट-ग्रेजुएट के रजिस्ट्रेशन के लिए कोई रूल्स नहीं है, इसमें भेदभाव बरता जाता है, इसके लिए हैल्थ मिनिस्टर साहब को डिटेल में जाना चाहिए। उनके रजिस्ट्रेशन में भी भेदभाव के कारण अव्यवस्था है।

अब हास्पिटल्स में मरीजों के अटेन्डेन्ट्स का सवाल है। उनके लिए ठहरने की समस्या है। जो मीलों दूर से आते हैं, कहां रहे बड़ी समस्या है। एस. एम. एस. हॉस्पिटल के सामने एक धर्मशाला है लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। आपने देखा होगा कि कभी-कभी तो बड़ी रहमदिली का सवाल हो जाता है। वे बरसात में भीगते हैं पर कोई शेल्टर तक नहीं मिलती है। यह भी हॉस्पिटल की समस्या का ही एक पार्ट है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा अब रि-एम्बर्समेन्ट की समस्या के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, जो रि-एम्बर्समेन्ट आफ दी बिल्स गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स को होता है यह एक स्पेशल प्रिविलेज गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स को दिया जाता है। जो व्यक्ति नौकरी करता है उसको तनख्वाह मिलती है फिर यह स्पेशल कन्सेशन क्यों? इससे करप्शन चार जगह होता है एक तो सरकारी डाक्टर, दूसरा मेडिकल स्टोर वाला, तीसरा अकाउन्टेन्ट और चौथा जो कि बिल का पैसा उठाता है। मेरा उपाध्यक्ष महोदय यह सुझाव है कि इसको समाप्त कर दिया जावे। इन्श्योरेन्स स्कीम लागू की जानी चाहिये या गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट को फिक्स भत्ता दिया जाना चाहिये। इसको समाप्त कर देने से आज जो भी मेडिकल रि-एम्बर्समेन्ट को लेकर करप्शन होता है वह बहुत हद तक समाप्त हो जायगा। उपाध्यक्ष महोदय मेरा यह सुझाव है कि हैल्थ मिनिस्टर साहब गम्भीरतापूर्वक इस पर विचार करें। यह मेरा नम्र निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय एक बात और निवेदन करना चाहता हूं वह है पागल कुत्ते की काटने की बीमारी के बारे में। उपाध्यक्ष महोदय, पागल कुत्ते के काटने से बीमारी होती है। यह भी है कि पागल कुत्ते का काटा हुआ व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति को काट जाय तो उसे तो उसी पागल कुत्ते के काटने वाली बीमारी हो जाती है। आज स्थिति ऐसी है कि जो इन्जेक्शन इस पागल कुत्ते के काटने के इलाज के लिये लिए लगाये जाते हैं वह एन्टी रेबिक इन्जेक्शन बहुत बार नहीं मिलते हैं।

( श्री हरिसिंह )

इससे लोगों को बहुत भारी परेशानी होती है। एन्टी रेबिक इन्जेक्शन पर सरकार का बहुत खर्चा आता है। मेरा सुझाव है कि आप जितना पैसा इस एन्टी रेबिक इन्जेक्शन के लिये खर्च करते हैं उसका वन टेन्थ भी आप स्ट्रीट डॉग को खतम करने के लिये खर्च कर दें तो यह पागल कुत्तों के काटने की बीमारी हमेशा के लिये खतम हो जायगी। पता नहीं क्यों हमारे यहां पर स्ट्रीट डॉग्ज के प्रति लोगों को प्यार है? मेरा निवेदन है कि इन स्ट्रीट डॉग्ज को खतम किया जाना चाहिये। इससे राज्य सरकार के दवाई के खर्चे में कमी आयेगी। इसलिए मेरा उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि इस ओर मंत्री जी विशेष ध्यान दें तो उचित रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं हमारे यहां पर एक चेस्ट हास्पिटल नाम की इन्स्टीट्यूट है। डा० हंस कुमार जी के रिटायर होने के बाद कोई दूसरा सर्जन उनके स्थान पर नहीं आ सका है, यह क्या बात है? अब 3 साल से वहां सर्जरी नहीं होती है। अगर कोई आदमी रिटायर हो जाय तो क्या वह इन्सटीट्यूशन ही बन्द हो जाय? क्या आज विधान सभा के मौजूदा सदस्य चले जायें तो क्या विधान सभा को ही बन्द कर दिया जाय या दुबारा गठन किया जावे? मेरा उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हेल्थ मिनिस्टर साहब से यह निवेदन है कि इस पर गम्भीरतापूर्वक सोचने का कष्ट करें। यह जिम्मेदारी हेड आफ इन्स्टीट्यूशन की भी होनी चाहिये कि वह यह देखे कि किसी भी व्यक्ति के रिटायर होने के बाद दूसरा नेक्स्ट मेन आये। गवर्नमेन्ट को भी इस ओर जागरूक रहना चाहिये। चेस्ट हास्पिटल में दो साल में कोई नेक्स्ट मेन नहीं आया है। कन्टीन्यूटी होनी चाहिये। हैड स्पेशलाइज्ड होता है यूनिट का उसकी कोशिश यही रहती है कि वह दूसरे को पनपने नहीं दे ताकि उस व्यक्ति का एक्सटेन्शन हो जाय। यह होता आ रहा है।

इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां एक न्यूरो सर्जन की पोस्ट है उसकी भी हालत यही है कि कोई दूसरा आदमी उस पोस्ट के लिये क्वालिफाइड ही नहीं है। अतः उनको भी चार महीने को एक्सटेन्शन दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि यह सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिये कि एक स्पेशलिस्ट के रिटायर होने से पहले ही दूसरे को ट्रेन्ड करें। अगर कोई व्यक्ति स्पेशलाइज्ड है तो उसके बाद में नेक्स्ट व्यक्ति कोई नहीं होगा। मुझे बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज न्यूरो सर्जन ही नहीं है इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। मेरा यह सुझाव है कि यह हेड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट और सरकार की जिम्मेवारी है कि इसके लिये आदमी ट्रेन्ड करें ताकि जो यह प्रवृत्ति है यह खत्म हो और एक के रिटायरमेन्ट के बाद एक्सटेन्शन की जरूरत नहीं है। मेरा राज्य सरकार को सुझाव हो कि इस ओर विशेष रूप से ध्यान दे। इसमें किसी प्रकार की नेग्लीजेन्स नहीं बरतनी चाहिये। अगर एक आदमी दो दिन के लिये कुछ या थोड़े दिनों के लिये बाहर आगरा चला जाता है तो पीछे से कोई दूसरा डॉक्टर तो उसकी जगह काम करने वाला न हो। खुदा न खास्ता उसका एक्सीडेन्ट हो जाय और वह एवेलेबल नहीं हो सके तो फिर लोगों

का इलाज ही नहीं होगा। मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, हैल्थ मिनिस्टर साहब से यह निवेदन है कि इस ओर गम्भीरता से सोचें। Medical and Health services require complete and total overhauling. They require to be looked into deeply and soberly. I will request the Health Minister to look into these affairs. We must improve this department in totally.

श्री उपाध्यक्ष : सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग पहले अनुपस्थित थे और उस वजह से अपने कटौती प्रस्तावों पर नहीं बोल सके थे अब वह वापस आ गये हैं तो मैं दुबारा उनके नाम लेकर उसी क्रम में बोल रहा हूं। ताकि वह अपने कट मोशन पर बोल कर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकें।

श्री भैरवलाल !

श्री भैरवलाल कालाबादल (खानपुर) उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में चिकित्सा विभाग की मांग पर बहस चल रही है। मैंने भी अपने कट मोशन इस मांग पर दिये हैं जिनके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर एक कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख है घर में माया। तो, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर लोग बीमार हैं उनकी काया निरोगी नहीं है और माया भी हमारे यहां पर लोगों के पास नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि न तो पहला सुख निरोगी काया है और न हमारे घर में धन माया ही है। यह दोनों ही चीजें नहीं होने से हमारे यहां की जनता बहुत ही परेशान है। उपाध्यक्ष महोदय, आज स्थिति हमारे यहां के गरीब लोगों की यह है कि लोगों को बीमारी में दवाइयां उपलब्ध नहीं होतीं। जो भी दवाइयों के लिये बजट रखते हैं वह ऐसा है जैसे कि ऊंट के मुहं में जीरा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके में दो बड़े-बड़े कस्बे हैं जिसमें जनसंख्या दस दस हजार लोगों की है वह है खानपुर और इकलेरा। इसके अलावा पांच छ: कस्बे और हैं जिनकी आबादी ढाई-ढाई हजार लोगों की है पर हालत यह है कि वहां पर डिस्पेन्सरी में कोई लेडी डाक्टर नहीं है, न ही वहां पर पलंग वगैरह की पूरी व्यवस्था है। यही हालत इकलेरा की है और यही हालत खानपुर की है उपाध्यक्ष महोदय, अभी जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो भूतपूर्व मुख्य मंत्री राजस्थान के वहां पर आये थे। तब उन्होंने यह कहा था कि हम आपके यहां पर खानपुर में 25 बेड्स और इकलेरा में 22 बेड्स की व्यवस्था कर देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं विधानसभा के चुनावों में खड़ा हुआ तो उन्होने मुझे इसी मांग के लिए कहा कि आपको यह काम करवाना है। मैं बड़े ही चक्कर में पड़ गया, सोचा कि जनता पार्टी की सरकार आयेगी तो कम से कम डाक्टर का इन्तजाम तो हो जायगा। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर डिस्पेन्सरीज की हालत यह है कि न तो वहां पर डाक्टर हैं न ही वहां पर कम्पाउण्डर है न ही वहां पर नर्स है। अगर कोई एक आध हो तो यह होता है कि डाक्टर हैं तो कम्पाउन्डर नहीं, कम्पाउन्डर है तो नर्स नहीं, नर्स है तो दवा नहीं और दवा है तो मरीज को मिलती नहीं।

श्री हरिसिंह : मरीज नहीं ।

(व्यवधान)

श्री भैरवलाल काला बादल : उपाध्यक्ष महोदय, यह लोग किस बात पर हंस रहे हैं । हंसने की बात यह है कि जितने भी यह हंस रहे हैं शहरी लोग हैं । गांव वालों पर और उनकी बातों पर हंसते हैं । मुझे बड़ा अफसोस है ।

श्री जगदीशप्रसाद : हंस तो आप भी रहे हो ।

श्री भैरवलाल काला बादल : जब आप लोग मेरे बोलने पर हंस रहे थे, हाउस में आप सभी हंस रहे थे तो मुझे भी हंसी आ गयी, उपाध्यक्ष महोदय ।

पचपहाड़ एक कस्बा है, परिवार नियोजन का केन्द्र हरीगढ़ में बना था । डाक्टर नर्स कम्पाउन्डर वगैरह को 15-6-76 को उस कैम्प में बुला दिया था । अब तक भी नसबन्दी कैम्प में जो स्टाफ गया था वह पचपहाड़ वापस नहीं पहुंचा था । मेरे द्वारा प्रयास करने के बाद एक महीने से डाक्टर गया है । आज अब तक वहां की हालत खराब थी । हमारे क्षेत्र में बीमारी हो जाय तो गरीब कहां जाय, वहां कोई वैद्य नहीं है । कई महिलायें मर जाती हैं । रही औजार हैं अच्छा खानों में । मेरे क्षेत्र की ओर 30 वर्ष से ध्यान नहीं दिया गया । भूरजी का गांडरवाल एक अच्छा बड़ा कस्बा है । न वहां दवाखाना है और न आने-जाने का साधन है । उपाध्यक्ष महोदय, इस साल जब डिस्पेन्सरियां खोली जा रही हैं तो कम से कम मंत्री महोदय भूरजी गांडरवाल का ध्यान रखें और वहां पर डिस्पेन्सरी खोलें । खानपुर और इकलेरा में जितने केन्द्र आपने बताये हैं यदि आप ही केन्द्र कायम कर देंगे तो मैं समझता हूं कि वहां की जनता यह मान लेगी कि स्वास्थ्य मंत्री का उनकी ओर ध्यान है, स्वास्थ्य मंत्रीजी वैसे तो हमारे हाड़ोती के ही हैं फिर भी हाड़ोती की ओर ध्यान नहीं देते हैं, यह अच्छी बात नहीं होगी ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सारे राजस्थान के हैं ।

श्री भैरवलाल काला बादल : पूरे राजस्थान के तो हैं फिर भी हाड़ोती के तो हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, भूरजी गांडरवाल, और करोड़ा रायपुर ये ऐसे गांव हैं, जगह हैं जहां औषधालय भी नहीं है । इन कस्बों की ओर ध्यान देना चाहिये और मेरे इलाके में समुचित व्यवस्था करनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीशसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री नवरंगसिंह ।

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा क्षेत्र के बारे में जो अभाव अभियोग हैं, उनके बारे में सदन में काफी चर्चा हुई है, उदाहरण के तौर पर दो-चार बातें मैं बताना चाहूंगा । मेरा इलाका नवलगढ़ है । वहां पर परसरामपुरा ग्राम है । पिछली सरकार को करोड़पति सेठ भवन के लिये पैसा देने के लिये गया था और एडवान्स में एक लाख रुपया सरकार को जमा कराने को था लेकिन चूंकि सरकार के बीच के लोग सेठ की रकम को हड़प कर अस्पताल खोलना चाहते थे, ऐसा सेठ नहीं करना चाहता था, इस तरह से उसमें दस वर्ष का टाइम निकल गया । मायुक्त

Page No 192

192



(श्री नवरंग सिंह)

महोदय को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। मुझे यह बताया गया कि बहुत जल्दी उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार आदेश जरूर करेगी। मुझे दुःख होता है, इस तरह से कोई दानी बिल्डिंग दे और पैसा जमा कराने के लिये जाय फिर भी अस्पताल न खोले। मैं खास तौर से स्वास्थ्य मन्त्रीजी का परसरामपुरा नवलगढ़ जिला झुंझुनू की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

आयुर्वेद मन्त्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि चिड़ावा ग्राम में दस साल से वैद्य है लेकिन वह काम नहीं करता है। केवल कांग्रेस का फार्म भरता था। यदा कदा उसकी शिकायत कर दी गई तो अफसर के पास घी का पीपा पहुंचा देता। इस प्रकार वह वहीं बैठा रहा। मन्त्री महोदय के सामने अर्ज किया उसके खिलाफ कार्यवाही करने में कौनसी परेशानियां है वे जाने, मेरा तो अर्ज करने का फर्ज है, मेरा निवेदन है कि जनता सरकार ध्यान दे।'

सवाई मानसिंह अस्पताल के बारे में कई माननीय सदस्यों ने कह दिया है पर मेरा कट मोशन है इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इमर्जेन्सी सेवा में थियेटर की कोई व्यवस्था नहीं है। हड्डी टूट जाती है तो तुरन्त उसका इलाज नहीं होता। एक दो दिन के बाद जाकर प्लास्टर लग पाता है। ऐसा भी सुना है कि राज्य सरकार से थियेटर रूम की स्वीकृति हो चुकी है। लेकिन कुछ अधिकारियों की लापरवाही से वह नहीं बन पा रहा है।

जनाना अस्पताल के लिये निवेदन करूंगा कि भवन की कमी है। अक्सर देखा जाता है कि दो-दो सौ औरतों की लाइन लग जाती है। कई उनमें से ब्लड प्रैशर आदि की मरीज होती हैं। लाइन में लगी हुई के ही बच्चा हो जाता है। यह राजधानी की स्थिति है। यह दुखदायी स्थिति है इसको देखना चाहिये।

एक मेरा सुझाव है कि जितने बड़े डाक्टर हैं जो शहरों में रहते हैं उनका गांव वालों को लाभ मिलना चाहिये। भूल से यदि उनको भेज भी दिया जाता है तो डाइरेक्टर साहब मिनिस्टर साहब के चक्कर लगा कर शहरी क्षेत्र में ही रहने की चेष्टा करते हैं और आ भी जाते हैं।

झुन्झुनू-सीकर जिले के लिये मैं कहना चाहूंगा कि यह शेखावटी का इलाका है, मैं निवेदन करूंगा स्वास्थ्य मन्त्रीजी से कि नवलगढ़ में मेडिकल कालेज खोला जाय। उसके लिये जितने साधनों की आवश्यकता होगी, 25 करोड़पति हैं वे देने के लिये तैयार हैं। यदि इस सुझाव पर विचार करें तो आगे उनसे इस पर विचार किया जा सकता है। नवलगढ़, सीकर राजस्थान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन वहां चिकित्सा की समुचित व्यवस्था नहीं है। इस ओर विशेष तौर पर ध्यान दें।

झुंझनूं में टी० बी० वार्ड है, वह नाम मात्र का है। टी० बी० की दवाइयां आती हैं तो डाक्टरों के सोर्स से समाप्त कर देते हैं। स्वास्थ्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसको ठीक ढंग से नहीं चला सके तो 15 सीटें हैं वह सावली (सीकर) को दे दें वरना दवाई वगैरह का इन्तजाम करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओम प्रकाश शर्मा ।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बूंदी अस्पताल की ओर आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। बूंदी के जनरल अस्पताल के अन्दर 14 डाक्टर हैं लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वहां केवल 10 डाक्टर हैं। 4 डाक्टर वहां नहीं हैं। 4 डाक्टर के पद, जिसमें एक सी. एम. ओ. बूंदी भी थे, डेढ़ माह से रिक्त हैं। उसके लिए स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने आदेश जारी कर दिये लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अधिकारी भ्रष्ट हों या कुछ भी हों अब तक उनके आदेशों की पालना नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि अधिकारी वही हैं जो कि पिछली सरकार जिस प्रकार से चलती था रही थी उसी प्रकार चलाना चाहते हैं। यह स्वास्थ्य मंत्री जी की कमजोरी है और इसी कमजोरी के कारण बूंदी में रोज दो-तीन लोगों की मृत्यु होती है। इसकी जिम्मेदारी उन अधिकारियों की है और साथ ही साथ मैं मंत्री महोदय को भी जिम्मेदारी मानता हूं। अगर इस प्रकार रोज मृत्यु होती रही और व्यक्ति मृत्यु के शिकार होते रहे तो आखिर इसकी जिम्मेदारी सरकार पर ही होगी। भरतपुर में बाढ़ आई तो दो डाक्टरों को वहां भेजा गया उस स्थान से भेजा गया जहां डाक्टरों की कमी पहले ही थी।

इसी तरह से हमारे वहां एक पी. एच. सी. है। वहां लेडी डाक्टर दो माह से नहीं है। उसके लिए भी स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने डेढ़ माह पूर्व आदेश जारी कर दिये परन्तु बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब तक वहां कोई लेडी डाक्टर नहीं गयी है। वहां पर जनता बहुत परेशान हो रही है। वहां के लोग मृत्यु की गोद में सो रहे हैं। इसकी भी जिम्मेदारी मंत्री महोदय की और अधिकारियों की मैं मानता हूं।

बूंदी में रोजाना 333 आदमी आउटडोर में आते हैं और 367 वहां आलरेडी हैं तो आउटडोर में 700 मरीजों की संख्या है लेकिन डाक्टर के बैठने की वहां व्यवस्था नहीं है। डाक्टर वहां है ही नहीं तो बैठे कहां से। अभी 15-9-77 की बात है। सरकारी आंकड़ों में कोई मृत्यु नहीं दिखाई गयी है जबकि वहां 3 व्यक्ति उस दिन मरे हैं। वहां पर सी. एम. ओ. इस समय मौजूद हैं श्री प्रेमलाल लेकिन उनको फोड़े का आपरेशन तक करना नहीं आता है। पता नहीं वह किस आदेश से वहां बैठे हुए हैं? जनता परेशान है और जनता हमारा घेराव करती है। इतनी बार स्वास्थ्य मंत्री जी को कहने के उपरान्त भी स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

इसी प्रकार से मेरे क्षेत्र बूंदी के अन्दर डाबी, नामणा, गामच और अ तड़ा ऐसे स्थान हैं कि जहां चिकित्सा की सुविधा दी जानी चाहिए। डाबी के आस-पास 40 गांव पड़ते हैं लेकिन वहां डाक्टर की कमी है। उसकी पूर्ति अभी तक नहीं हो पाई है। वहां खाने हैं और वहां काफी मात्रा में मजदूर रहते हैं। किसी मजदूर को यदि चोट लग जाती है तो उसको या तो कोटा ले जाना पड़ता है या फिर बूंदी ले जाना पड़ता है जो कि वहां से 30 मील दूर पड़ते हैं। यह बड़ी भयंकर अव्यवस्था है। इसकी ओर मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी को पहले भी ध्यान दिलाया लेकिन अभी तक कोई इन्त-

(श्री ओम प्रकाश शर्मा)

जाम नहीं किया गया है। नवाना भी एक प्रमुख स्थान है। वहां पर भी अभी तक कोई डाक्टर की व्यवस्था नहीं की गयी है। इसी प्रकार से गामच, अंतड़ा में आयुर्वेदिक मंत्री से निवेदन करूंगा कि वहाँ यदि आयुर्वेद अस्पताल खोला जावे तो वहां के लोग अधिक लाभन्वित होंगे क्योंकि वहां पर भी आसपास में कोई अस्पताल नहीं है।

हमारे यहां बूंदी में अस्पताल है लेकिन वहाँ डाक्टर नहीं है। इस समय वहां पर 115 बेड्स हैं और 143 मरीज मौजूद हैं। 28 और 30 मरीज जमीन पर लेटे हुए हैं, उनके लिए बिस्तर नहीं हैं। अगर 150 बेड्स का इन्तजाम कर दिया जाता है तो वह 'ब' श्रेणी का अस्पताल हो जायेगा। डाक्टरों की व्यवस्था भी आप कर ही देंगे। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां और बेड्स की व्यवस्था करें। 143 मरीज तो इस समय मौजूद हैं। 7 और बढ़ जायें, इस प्रकार 150 कर दिये जायें तो 'बी' क्लास अस्पताल हो जायेगा। आप चाहें तो जानकारी कर सकते हैं कि इस समय वहां पर 143 मरीज हैं।

( समय-समाप्ति-सूचक घन्टी )

वहां पर जनता के ठहरने के लिए और मरीजों के परिवार के ठहरने के लिए एक स्थान बनाया गया था। उसमें मलेरिया इन्सपेक्टर ने और वहां के इन्चार्ज महोदय ने अपना आफिस बना लिया है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो मरीज हैं उनके परिवार और रिश्तेदारों को वहां रहने दिया जाये।

( समय-समाप्ति-सूचक घंटी )

अभी दो मिनट में समाप्त करता हूं।

टी० बी० अस्पताल में मैंने अभी दो माह पूर्व स्वास्थ्य मंत्रीजी को ले जाकर बताया कि कैसी स्थिति है। टी० बी० हास्पिटल शहर के मध्य में है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने आदेश दिये कि 10 तारीख से पूर्व टी० बी० हास्पिटल को जनरल हास्पिटल बनाया जाये लेकिन अभी तक आदेश पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। मैं सारी बातों की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी तुरन्त पूर्ति की जाये।

धन्यवाद

श्री उपाध्यक्ष : अब अन्तिम वक्ता श्री गोविन्द सहाय हैं।

( व्यवधान )

ऐसा है कि जो लिखित आवेदन आये थे; उसी के अनुसार कह रहा हूं।

मेजर श्री फतहसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जब मेरे बोलने की बारी आई उस समय मेरा दुर्भाग्य समझिये कि मैं वहां बैठा हुआ था जहां आप बैठे हुए हैं। फिर मैंने बाद में अवसर लेने के लिए सदन से अनुमति मांगी थी। आपको अनुमति हो तो एक दो मिनट में दो बातें कह दूं। सब को बोल लेने दिया जाय। और फिर मुझे मौका दिया जाय।

श्री किशनसिंह भाटी : आपने कहा था कि मैं सबसे बाद में बोलूंगा। इसलिये हमें बोल लेने दिया जाये।

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष जी; आप सूची को देखें, उसमें ओम प्रकाश जी हैं 112 नम्बर पर और उसके बाद में किशनसिंह जी; ताराचन्द जो और बजरंगलाल हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे पूरी जानकारी नहीं थी कि कौन अनुपस्थित थे। मैं इस बारे में थोड़ी देर में जानकारी लूंगा। तब तक आपत्ति नहीं हो; और आप चाहें तो मेजर साहब बोल सकते हैं। आप इनसिस्ट करते हैं तो आप बोल लें।

श्री गोविन्द सहाय शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, शहर वालों को हर चीज में विशेषाधिकार दिया जाता है इसलिए इनको बोल लेने दीजिए।

श्री किशनसिंह भाटी : वैसे मैं बजरंगलाल जी की कद्र करता हूं। इन्हें बोल लेने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बजरंगलाल शर्मा।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क; जयपुर) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा सौभाग्य है कि जब आखिरी दौर चल रहा है तो उस समय आपने मुझे मौका दिया है। खाना खाया जाता है उसमें लास्ट आइटम होता है वह बहुत डेलीशस डिश होती है। यहां मैं नहीं कहता कि मैं वह डेलीशस डिश हूं। मेरे बाद में जो भी बोलेंगे वह मोस्ट डेलीशस डिशेस होंगे इसलिए अफसोस नहीं होना चाहिए। मेरा निवेदन यह है कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं यह वह क्षेत्र है जिसमें खड़े होकर स्वास्थ्य मन्त्री को महामहिम राज्यपाल महोदय ने उनके पद की शपथ दिलाई। यह वह क्षेत्र है जहां 29 जून को स्वास्थ्य मन्त्री ने शपथ ली। उस दिन माननीय मुख्य मन्त्री भी वहां मौजूद थे। उसी दिन किशनपोल विधान सभाई क्षेत्र से मेरे क्षेत्र में आकर सिविल लाइन्स नम्बर 6 में रहने की कोशिश की और उसी दिन इनको मलेरिया के मच्छर काट गये। यह एक बार नहीं हुआ, राजस्थान के सर्वोच्च सत्ताधारी व्यक्ति को इतने से अर्से में दो बार मलेरिया के मच्छर काट गये। सिर्फ मुख्य मन्त्री जी ही नहीं, उनको ही नहीं बल्कि उनके साथ साथ मुझ को भी काट गये। ऐसा लगता है कि फोर्ट नाइट के बाद उनका ट्यूर होता है और जो उनके रास्ते में पड़ जाता है; उसे भेदभाव के बिना काटते हैं। मेरा निवेदन है, यह कहते हैं कि मलेरिया को प्रदेश से बाहर निष्कासित कर दिया है लेकिन जहां राज्यपाल रहते हैं, मुख्य मन्त्री रहते हैं जहां स्वास्थ्य मन्त्री रहते हैं, हैल्थ कमिश्नर भी रहते हैं, जहां डाइरेक्टर आफ हैल्थ का भी एक समय आफिस था अब शायद कहीं इधर-उधर कर दिया है; सीनियर हास्पिटल है जिस क्षेत्र में उसमें मलेरिया वापस प्रवेश कर रहा है। मिनिस्टर महोदय इस बात का नोटिस ले कि मलेरिया का फिर प्रवेश हो रहा है वह न हो।

दूसरा निवेदन है कि मार्च, 1977 में लोकसभा के चुनाव हुए उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट ने फूड इन्सपेक्टर्स की पावर्स को वापस ले लिया था। वह फिर से वापस दी नहीं गई और दी गई हैं तो उनका इस्तेमाल नहीं हुआ है इसका नतीजा यह है कि खुले आम मिलावट हो रही है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय जवाब देते वक्त यह बतायें पिछले सारे पीरियड में मिलावट की क्या कोई चेकिंग हुई? अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

हुई ? नतीजा यह है कि किसी गृह-स्वामिनी से पूछें मूंगफली के तेल के बारे में तो मालूम पड़ता है कि उसमें 80 प्रतिशत तारामीरा है। एक दैनिक पत्र के पत्रकार की पत्नी ने मुझ से कहा कि साहब खुले आम पैसे से मौत को खरीदना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारी सरकार पर यह आरोप है कि यह सरकार व्यापारियों की सरकार है। जब तक मिलावट को दूर नहीं करेंगे तब तक इस तरह की बातें होंगी। इसलिए सबसे पहले इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये। मिलावट को रोकने के लिये सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पर कदम उठाये जाने चाहिये।

तीसरी बात यह है कि एस० एम० एस० के बारे में काफी बातें नहीं कही गईं। देश में जो माने हुए डाक्टर्स माने जाते हैं उनका सेट एस० एम० एस० में है। दिक्कत यह है कि उनको हर एक को यह डर लगा रहता था कि उन्हें कहीं और न भेज दिया जाये जिससे कोई भी चिकित्सा की तरफ समुचित ध्यान नहीं देता। इसलिए उनको आश्वस्त करना होगा कि जब तक कोई खास बात नहीं होगी उनको यहां से दूसरी जगह नहीं भेजेंगे। जैसे बम्बई जनरल अस्पताल है जसलोक अस्पताल है वहां डाक्टर शुरू से आखिर तक रहते हैं। डाक्टरों का तबादला होना कोई जरूरी बात नहीं है। मैं मानता हूं कि ये स्वास्थ्य मन्त्री हमें बढ़िया डाक्टरों से महरूम नहीं करेंगे।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि स्पेशलाइजेशन की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये। एस. एम. एस. में इतने फिजिशियन्स होते हुए भी आज यह हिन्दुस्तान के और अस्पतालों के मुकाबले खड़ा नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि स्पेशलाइजेशन करने का मौका नहीं मिला या दूसरे शब्दों में कहें तो स्पेशलाइजेशन करने का मौका नहीं दिया। इसलिये मेरा निवेदन है कि मेडिशन्स में जो डवलपमेंट नहीं हो पा रहा. उसके लिये उनको मौका दिया जाये। एक बात यह बताई जा रही है कि कोई भी क्वालिफाइड डाक्टर नहीं है। रिलेक्शन का प्रोविजन कर रखा है तो रिलेक्शन मिल सकता है यदि दो साल के एक्सपेरिमेंट वाली बात को पूरा नहीं करते। स्पेशलाइजेशन करवाइये ताकि हमारे डाक्टर की टीम दूसरे इन्स्टीट्यूशन के साथ खड़ी हो सके। जोगेन्द्रपाल जी राज्यपाल पहले रहे वे यहां स्वस्थ रहे थे यहां से जाने के बाद उनकी टांग टूटी तो वह यहां आये क्योंकि डा० सेठी यहां पर थे, डा० जी० सी० शर्मा हैं विश्व में नम्बर तीन पर माने जाते हैं। सर्जिकल साइड में स्पेशलाइजेशन हुआ है लेकिन मेडिकल साइड में डवलपमेंट नहीं किया गया है। इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : यह राय ठीक नहीं है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : क्योंकि एक्सपर्ट बोल चुके हैं इसलिये कोई नम्बर दो पैदा नहीं हो सकता। जैसे एक एक्सपर्ट हरि सिंह जी चौधरी माननीय सदस्य, पैदा हो रहे थे। लेकिन वे वहां से छोड़कर यहां आ गये। थे एक्सपर्ट की हैसियत से बोले, आप लोगों ने उनको सुना। मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर हरिसिंह जी नहीं आते; तो क्या हम विचार नहीं करते ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

तो मेरा निवेदन है कि स्पेशलाईजेशन को डवेलप करने का मौका दिया जाना चाहिये।

इसके बाद दो एक बातें निवेदन करना चाहता हूं। जैसे एस० एम० एस० हास्पिटल है मेरे क्षेत्र में, उसी प्रकार सन्तोकबा दुर्लभजी हास्पिटल है वह भी मेरे क्षेत्र में है। एक तरीके से इसको डैथ चेम्बर कह सकते हैं। आये दिन डैथ्स होती रहती हैं। यहां के डाक्टर्स या तो लापरवाही करते हैं या काम्पीटेंट नहीं हैं। शिक्षा मंत्री जी ने जिस तरह प्राइवेट इन्सटीट्यूशन्स की तरफ ध्यान दिया है उसी प्रकार इस तरफ ध्यान दें। यह सन्तोकबा दुर्लभजी अस्पताल पद्म श्री खेलशंकर दुर्लभ जी का है जिसे कांग्रेस सरकार संरक्षण देती थी। यहां तस्करों को सुपरिन्टेन्डेंट बनाने का मौका दिया था। अगर आप मुझसे कहलाना चाहेंगे तो मैं बता दूंगा नहीं तो अलग से फैक्ट्स दे दूंगा। इस अस्पताल के निर्माता पद्म श्री खेलशंकर दुर्लभजी जवाहरात का धन्धा करते थे उन्होंने एक साल में 88 लाख रुपये का इन्कम टैक्स दिया है। उन्होंने दो ही काम किये हैं या तो लोगों की मौतें उसमें करवाईं, जिसे संगमरमर का भवन है या उसके माध्यम से अपनी दूसरी एक्टीविटीज चलाने की कामयाब कोशिश की। मेरा निवेदन है, स्वास्थ्य मंत्री जी उस अस्पताल की तरफ भी ध्यान दें। जब समय मिलेगा तब और कहूंगा। लेकिन यहां एक बात और निवेदन कर दूं। हम अन्त्योदय में प्रवेश कर रहे हैं और भारत में अग्रणी होने का दावा कर रहे हैं। आप उस अस्पताल को जा कर देखिये, क्या कोई गरीब उस अस्पताल में जाकर इलाज करवा सकता है? Service to humanity is our moto. जिसका यह मोटो है उस अस्पताल में 27 रुपये कन्सलटेशन फी है। सब से पहले तो दो रुपये भीतर घुसने का प्रवेश शुल्क, फिर 25 रुपये कन्सलटेशन फी। अगर आपरेशन करवा दिया तो 10-20 हजार से कम में पिन्ड नहीं छूटे और किसी गरीब को गरीबी का सर्टिफिकेट चाहिये तो वह सेठ जी के मकान पर जाये। सेठ जी दूसरे धन्धों में व्यस्त रहते हैं, इसलिये मेरा निवेदन है कि गरीब को गरीबी का सर्टिफिकेट मिल सके, इससे पहले ही वह दम तोड़ देता है। मेरा निवेदन है आप इसको देखें कि यह हास्पिटल कितना तो चिकित्सा की दृष्टि से काम कर रहा है और कितने इसके दूसरे मोटोज हैं। 36 हजार स्क्वायर फीट जमीन कन्सेशनल रेट पर इसको दी गई है। इस तरह सब तरह की सुविधायें इस अस्पताल को दी जायं और फिर यह अस्पताल कार्माशयल बेसिस पर चले तो सरकार को विचार करना चाहिये....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन छोटी छोटी बातें और निवेदन करूंगा। रिलेटेड बात ही कह रहा हूं.......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने बहुत समय ले लिया है।

**श्री बजरंग लाल शर्मा** : इतना ही निवेदन है कि पहले 1.90 पैसे पर बेड पर डे, पर डाइट के हिसाब से लगता था अब नये बजट में स्वास्थ्य मन्त्री जी ने पर बेड पांच रुपया कर दिया तो पहले 1.90 पैसे में वही खाना आ रहा था और अब भी वही खाना आ रहा है तो फिर ऐसी अन्धेर नगरी चौपट राजा क्यों ? अधिक टैक्स लेने की क्या आवश्यकता थी ? 1-90 पैसे में मिल सकता है तो पांच रुपये लेने की क्या आवश्यकता आ पड़ी थी ?

एक आखिरी बात कह कर समाप्त करता हूँ। डाइरेक्टर मेडिकल एन्ड हैल्थ सर्विसेज है और कालेजों में प्रिन्सिपल्स हैं, होस्टल्स में सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं, यूनिवर्सिटी की अपनी अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं तो मैं हैल्थ मिनिस्टर साहब की योग्यता के बारे में नहीं कहता, राजस्थान के सबसे योग्य व्यक्तियों में से हैं लेकिन हैल्थ कमिश्नर की पोस्ट किस काम की है। मेरा निवेदन है, डाइरेक्टर को या प्रिन्सिपल को हैल्थ सेक्रेटरी बनायें या एडीशनल सेक्रेटरी बनायें जिसे भी आप बनायें उससे काम चलाये लेकिन एक पोस्ट को केवल इसलिए बरकरार रख रहे हैं ताकि ट्रान्सफर करते रहें। राज गोपाल जी योग्य व्यक्ति हैं, मैं तो उनसे भी व्यक्तिगत रूप से बार-बार कहता रहता हूं कि आप योग्य आदमी हैं और काफी काम्पीटेन्ट हैं। किन्तु सरकार उनकी योग्यता का सही लाभ नहीं उठा पा रही है तो इधर खर्चा क्यों बढ़ाये। क्या मेडिकल कालेजों के ट्रान्सफर्स के लिये ही हैल्थ कमिश्नर की पोस्ट को रखे है ? तो मेरा निवेदन है आप इस तरफ भी ध्यान दें कि इसका क्या आवश्यकता है। पांच कालेजों के ट्रान्सफर्स का काम हो तो डाइरेक्टर ही काफी है।

अब मेरे पास समस्यायें तो लम्बी चौड़ी हैं और समय कम है। मैं इस बात के लिये बदनाम हूं कि मैं लम्बा बोलता हूं। लेकिन चरपरी बातें कहनी थीं वह तो मेरे पास ही रह गई। खैर फिर कभी कहूंगा। आपको धन्यवाद देते हुये निवेदन करता हूं कि और आगे जब कभी बुलवायें तो ठीक समय देकर बुलवायें।

धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री किशन सिंह भाटी : आप बोलना चाहेंगे ?

**श्री किशन सिंह भाटी (जैसलमेर)** : माननीय बजरंग लाल जी को मौका दिया है तो मुझे भी मौका मिलना चाहिये बोलने का।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आकर्षित करूंगा। जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने स्वीट डिसीज के बारे में कहा तो वह तो शहरों में होती है। गांवों में तो छाछ-राबड़ी खाने वाले लोग होते हैं। मैं समझता हूं उन गांव वालों की तरफ भी माननीय चिकित्सा मन्त्री जी का ध्यान जाना चाहिये।

जहां तक गांवों में चिकित्सा व्यवस्था फैलाने की बात है उस पर अधिक ध्यान दिया जाना जरूरी है। खास तौर पर से रेगिस्तानी इलाके, सीमा के इलाके और जोधपुर सम्भाग के प्रसंग में मैं कहना चाहूंगा, आज वहां जितनी चिकित्सा की सुविधायें होनी चाहिये वह नहीं हैं। विशेषज्ञों की बातें भी यहां कही गई, मैं मानता हूं, राजस्थान में प्रतिभा की कमी

(श्री किशनसिंह भाटी)

नहीं है। राजस्थान के ही डाक्टर बेलूर में जाते है, राजस्थान के ही डाक्टर इण्डियन इन्सटीट्यूट आफ मेडिकल एन्ड साइन्स, दिल्ली में जाते हैं, बम्बई में जाते हैं। प्रतिभा की कमी न होते हुये जो विशेषता है, जो विशेषज्ञ है, स्पेशलिस्ट हैं जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने कहा है उन लोगों को यहीं रख कर काम करवाना चाहिये। जैसे पक्षाघात की बीमारी है, केन्सर थैरापी है इनके इलाज को और इनकी मेडिशन्स को डवलप कराना चाहिये ताकि किस प्रकार हम भयंकर बीमारियों की रोक-थाम कर सकें। यह कार्य क्षेत्रीय आधार पर नहीं हो, यह सारा कार्य जयपुर में ही कराया जाय। जो मैंने बीमारियां बताई हैं इनकी रोक थाम मानव जाति के लिये, मानव कल्याण के लिये अत्यन्त जरूरी है। हम अभी तक इन रोगों का पूरा निदान नहीं कर पाये हैं। इसलिये हमें राजस्थान की प्रतिभा को ज्यादा एन्करेज करके पांच संभाग केन्द्रों पर अलग-अलग केन्द्र खोलकर इस कार्य को करवाना चाहिये। डाक्टर हरिसिंह इस विषय के जानकर बैठे हैं।

एक मेरा निवेदन है कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक इन तीनों का कोई सामंजस्य बैठाना चाहिये, क्योंकि तीनों का कोई सम्मिश्रण हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ता पड़ेगा। उसको रूस की तरह हम चाहे नहीं अपनायें लेकिन एक पोलीक्लिनिक के रूप में उसको तैयार करें। हमें दिल्ली और बम्बई की तरफ भी इस मामले में नहीं देखना चाहिये। राजस्थान में इस पोलीक्लिनिक का कार्य चालू किया जा सकता है। तीनों पद्धतियों की एक समन्वित पद्धति हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिये काफी उपयोगी होगी। जहां एलोपैथिक 15 रु० में जुकाम तीन दिन में ठीक नहीं कर सकता है वहां होम्योपैथ तीन पैसे की पुड़िया में ठीक कर सकता है और इसी प्रकार आयुर्वेद भी सस्ते मूल्य में जुकाम को ठीक कर सकता है। लेकिन आपके अस्पतालों के डॉक्टर इस पद्धति को स्वीकार नहीं करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकती है और इस पोली क्लिनिक पद्धति का सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है।

जैसलमेर, बाड़मेर और अन्य रेगिस्तानी इलाकों में चिकित्सा पद्धति के लिये मैं यह भी चाहूंगा कि वहां जनसंख्या का आधार इसके लिए न मानें, क्योंकि जनसंख्या कम है। जैसलमेर का इलाका है, यह 16062 स्क्वायर मील के एरिया में है और दुनियां का सबसे बड़ा इलाका है लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से शायद सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। वहां आपको कहीं-कहीं 150-200 स्क्वायर मील में कोई चिकित्सा सुविधा नहीं मिलेगी। ऐसे गांव हैं बड़ाकला, भारेवाला, पोछीना, खारा, करड़ा, लूणार दूर दराज गांव हैं। अब केवल वहां जनसंख्या को ही आधार माने तो आने वाले 10 वर्षों में भी वहां जन संख्या का आधार नहीं हो सकता है और पांच हजार की जनसंख्या भी नहीं हो सकती है। तीन हजार की आबादी शायद आने वाले वर्षों में नहीं हो सकती है। इसलिये आबादी का आधार न मान कर जो रिमोट एरियाज हैं और जो सभ्यता के नजदीक आने वाले हैं, उनको आप हॉस्पिटल की सुविधायें तो दीजिये।

(श्री किशन सिंह भाटी)

इसलिये जो भी आप चिकित्सालय खोले, सीमान्त क्षेत्रों में खोलें। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, ग्रामीण जनता के साथ न्याय नहीं हो सकेगा। माननीय मन्त्री महोदय ने ग्रामीण चिकित्सा प्रसार के लिये समाचार-पत्रों में दिया है अतः उसको सही रूप में क्रियान्वित करके दिखायें। मेरा निवेदन यह भी है, गांवों में यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा ज्यादा लाभकर सिद्ध होगी और यह राज्य सरकार को महंगी भी नहीं पड़ेगी।

दूसरा मैं निवेदन करूंगा, जैसलमेर क्षेत्र को बराबर उपेक्षा की जा रही है। जैसलमेर का जिला 16062 स्क्वायर मील में बसा हुआ है जो दुनिया का सबसे बड़ा जिला है। वहां पोकरण में डेढ़ दो साल से डॉक्टर नहीं है। जहां 17 का स्टाफ होना चाहिये वहां अभी केवल चार का स्टाफ है। मैं माननीय मन्त्रीजी को 26-27 बार इसके लिये कह भी चुका हूं। डाइरेक्टर साहब को भी कहा, कमिश्नर साहब को भी कहा। आपको इस जिले की इस तरह से उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। मेरा मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में विलम्ब हो सकता है लेकिन मानव जाति के रोगों के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। जो जैसलमेर की नाचना और रामगढ़, मोहनगढ़ तहसीलें हैं, जहां पुरानी रियासतों की हुकूमत थी जहां 4-5 हजार की आबादी है वहां आपके होस्पिटल खाली पड़े हुए हैं, दोनों ढाई-ढाई साल हो गए वहां डाक्टर नहीं जाता लेकिन अभी तक आपका आलस्य नहीं उड़ा। उत्तर यह दिया जाता है कि डाक्टर जाने को तैयार नहीं है। सोचने की बात है कि आज भी शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के जो पढ़े-लिखे लोग हैं वे आकर मुझ से भी मिले हैं वे नौकरियां लेने को तैयार हैं, एडहाक बेसिस पर जाने को तैयार हैं, उनका कोटा खाली पड़ा हुआ है लेकिन सरकार उनको नौकरी तक नहीं दे पाई। उधर डाक्टर बेकार घूम रहे हैं और इधर रेगिस्तानी इलाके में डाक्टर नहीं हैं, इलाज की व्यवस्था नहीं है। दवाइयां हैं तो हास्पिटल नहीं है और हास्पिटल हैं तो डाक्टर का पता नहीं है। जैसलमेर जैसे जिला हैडक्वार्टर पर कोई डाक्टर नहीं है, आई स्पेशलिस्ट नहीं है, मोबाइल सर्जिकल यूनिट की व्यवस्था नहीं है, फिजिशियन नहीं है। टी. बी. के हास्पिटल में एक्स-रे मशीन है लेकिन टैक्निशियन नहीं है। जैसलमेर में एक नागपुर के पुरोहित ने दो-ढाई लाख रुपये की मशीन डोनेट की, एडवान्स पेमेन्ट किया गया बम्बई की साइमन कम्पनी को, जिसकी ब्रांच यहां जयपुर में है लेकिन मशीन को फिट नहीं किया है। जैसलमेर में एक्स-रे की मशीन पड़ी है तो वहां पर टैक्निशियन नहीं है और पोकरण में एक्स-रे मशीन नहीं है तो टैक्निशियन है। कई बार यह परेशानी आपके सामने कही है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप इस बात का स्पेशल नोट लें ताकि इस तरह की गड़बड़ नहीं हो। रामगढ़ वगैरह गांवों में प्रसूति माताओं की मृत्यु हो गई। आज के युग में रेगिस्तान के इलाकों में चिकित्सा सुविधायें पहुंचनी चाहिए, वह भी दूसरे हिस्सों की तरह राजस्थान का अंग है। वहां के नागरिक भी चाहते हैं कि वे भी स्वास्थ्य को डवलप करें। इसलिए जो स्टॉफ की कमी है, कर्मचारियों की कमी है वह पूरी करनी

# Page No 201

(201)



(श्री किशनसिंह भाटी)

चाहिए। जो भी डॉक्टर जैसलमेर जाना चाहें, स्पेशलिस्ट्स की बात छोड़ दीजिए, वहां तो अगर कोई एम. बी. बी. एस. भी लगा दें तो काफी है। अच्छे-अच्छे डाक्टरों की बात नहीं कहते, जो विगनर हैं वही हमें दे दिये जायं ताकि हमारे हास्पिटल में हमारे मरीजों को इलाज कराने का मौका मिल सके। दूसरी बात . . .

( समय-समाप्ति सूचक-घण्टी )

एक आध मिनट में समाप्त करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल मेरे इलाके की बात नहीं करता, सीकर झुंझुनू, नागौर, चूरू, इन चारों जिलों के बीच में टी. बी. का एक ऐसा सामली में सेनीटोरियम है जिस पर मेरे ख्याल से दो करोड़ का खर्चा प्राइवेट लोगों ने किया है। इस स्वास्थ्य केन्द्र में जयप्रकाश नारायणजी को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने का अवसर मिला था, मोरारजी देसाई ने इसको देखा है। इस स्वास्थ्य केन्द्र को देखकर लालबहादुर शास्त्री ने जो शब्द कहे हैं वे वहां पर लिखे हुए हैं। उन्होंने कहा था कि मैं मेरा सौभाग्य समझूंगा जिस दिन मैं इस हास्पिटल में अपने हाथ से झाड़ू लगाऊं इसके अन्दर तीन सौ के करीब बेड है। इसमें एक बेड के ऊपर साढ़े चार सौ रुपया खर्च होता है जो प्राइवेट खर्च होता है। यहां पर गऊशाला है, बगीचा है और अमेरिका के का० सा० दम्पत्ति ने तो चालीस लाख रुपया इस हॉस्पिटल को देना चाहा था। हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। मेरे साथी से कहा है, रघुनाथजी को सुन कर ताज्जुब होगा कि उस समय के मुख्य मंत्रीजी हरिदेवजी जोशी ने यह कह कर चालीस लाख रुपयों को मानवता की सेवा में लगने नहीं दिया कि आपकी हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती। यह शर्म की बात है। तीन दिन पहले स्वयं स्वास्थ्य मंत्रीजी ने उस हास्पिटल का निरीक्षण किया है और वे प्रभावित हुए हैं। उसमें बीस बेड राज्य सरकार के हैं, तीस बेड और बढ़ा दिए जावें तो लोगों की बहुत सेवा होगी। यह राजस्थान का सबसे बड़ा टी. बी. सेनीटोरियम है, इससे ह्यूमिनिटी की बड़ी भारी सेवा होगी। मैं समझता हूं कि आपका ध्यान इस ओर आकर्षित होगा और चार जिलों की समस्या भी इस मेरे सुझाव को मद्देनजर रखते हुए सुलझायेंगे।

( समय-समाप्ति-सूचक घण्टी )

इसके अलावा एक बात और कहना चाहता था। रूरल एरिया का जहां तक सवाल है, डाक्टर्स भिजवाने का सवाल है, डाक्टर जाने को तैयार हैं। मेरा सुझाव है कि रूरल सर्विस दो साल के बजाय तीन साल कम्पलसरी कर दी जाय। गांवों में डाक्टरों को जो 75) रुपया अलाउन्स मिलता है वह दस-पन्द्रह साल पुराना है; प्राइस इंडेक्स भी बहुत बदल गयी है इसलिए डाक्टरों को रूरल सर्विसेज में आकर्षित करने के लिए और ग्रामीण लोगों को चिकित्सा सुविधा प्राप्त कराने के लिए उनका अलाउन्स दुगुना या ढाई गुना कर देना चाहिए। साथ ही ग्रामीण सेवा जो दो साल की है उसको तीन साल कर देना चाहिए।

जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा है उसी का समर्थन करते हुए मैं भी कहना चाहता हूं

(श्री किशनसिंह भाटी)

कि आयुर्वेद केन्द्र और एलोपैथी के औषधालय दोनों एक ही जगह पर नहीं होने चाहिए। अगर कहीं होस्पिटल है तो आयुर्वेद का सेन्टर दूसरी जगह खोलना चाहिए। अगर आयुर्वेदिक औषधालय है तो एलोपैथी का दूसरी जगह खोलना चाहिये। इससे उचित वितरण होगा और सबको इस व्यवस्था से लाभ होगा। इसके अलावा

( समय-समाप्ति-सूचक घण्टी )

भ्रष्टाचार के बारे में जिस प्रकार दूसरी जगहों की बात कही गई है, उसी प्रकार जैसलमेर हास्पिटल में भी, बगैर पैसे लिए किसी का इलाज नहीं होता। मेज पर सुला कर डाक्टर कहता है कि दस, पन्द्रह, बीस रुपया लाओ। आज भी गरीबों से पैसा उसी प्रकार लिया जाता है। मैं नहीं कहता कि कांग्रेस के राज में ही लिया जाता था। आज की तारीख में भी गरीबों से, मरीजों से पैसा लिया लाता है। यह भ्रष्टाचार है इस भ्रष्टाचार को दूर करना चाहिए। जयपुर के कुछ डाक्टरों का ट्रांसफर जैसलमेर हुआ। बारह महीने तक कोई गए ही नहीं वहां। यहीं पर कागजों में जैसलमेर में गये दिखा दिया और तनख्वाह भी यहां से ही पाते रहे। बाद में बदली यहां पर करवा ली। इस भ्रष्टाचार की उनके खिलाफ इन्क्वायरी होनी चाहिए जिससे यह टैंडेंसी, यह प्रवृत्ति आगे न बढ़े। इसको रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री गोबिन्द सहाय ?

**श्री गोपाल :** उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नम्बर था।

**श्री उपाध्यक्ष :** सीरियल नम्बर कौन सा था आपका ?

**श्री गोपाल :** 282।

**श्री उपाध्यक्ष :** अब बोल लेना।

**श्री गोविन्द सहाय ( गंगापुर ) :** उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री मोरारजी भाई ने स्वयं इस आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देने के लिए कहा है। भारत की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है यह कहते हुए पिछली सरकार समाप्त हो चुकी और जनता पार्टी की सरकार अब आई है। किन्तु जो आयुर्वेद चिकित्सा की व्यवस्था है, मैंने 1962 में जो स्थिति देखी है उसमें और आज की परिस्थिति में औषधालयों की दृष्टि से, स्टाफ की दृष्टि से कोई परिवर्तन नजर नहीं आया। मंत्री महोदय, यह स्थिति उस चिकित्सा पद्धति के साथ है जिसके लिए देश का प्रधान मंत्री कहे और जिसके पहले महात्मा गांधी कहा करते थे कि देश जब आजाद होगा तो इसे प्रोत्साहन अवश्य देंगे। किन्तु इसके साथ इतना सौतेला व्यवहार है। अस्पतालों के लिए आज क्या किया जाता है और उसी के समानान्तर इसकी क्या स्थिति है। इस व्यवस्था के लिए बजट में चार करोड़ का प्रावधान रखा है। हमने आयुर्वेद राज्य मंत्री महोदय से निवेदन किया कि कहां कहां पर आयुर्वेद औषधालय खोलें ? अभी उसके बारे में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला है। मेरा निवेदन है कि वैद्य सभी जगह जाने को तैयार हैं परन्तु अलाउन्स ग्रामीण

(श्री गोविन्द सहाय)

भत्ता उन वैद्यों को मिलना चाहिए जो गांवों में रहते हैं। कई माननीय सदस्यों ने डाक्टरों को ग्रामीण भत्ता देने की बात कही है, डाक्टरों को भत्ता दिया जाय इस में कोई आपत्ति नहीं है किन्तु इससे ज्यदा डाक्टर्स उसी शहर में जाते हैं, उसी ग्रामीण स्थान पर जाते हैं जहां बिजली हो जहां पर नल हो। उनके दिमाग में पढ़ने-लिखने के बाद भारत की सेवा का कोई लक्ष्य नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेन करूंगा कि एलोपैथी मेडिकल कालेजों में उनको यह प्रावधान रखना चाहिए कि तीन साल तक उसको गांव मे जाना ही पड़ेगा, फिर चाहे वहां पर बिजली हो या नहीं, नल हो या नहीं और फिर चाहे मंत्री महोदय की सिफारिश हो या एम. एल. ए. महोदय की सिफारिश हो, लेकिन उसको ग्राम में जाना ही पड़ेगा।

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि अस्सी प्रतिशत जनता की दुहाई देने वाले ग्रामों की क्या हालत है। वहां पर औषधालय नहीं, अगर औषधालय है तो भवन नहीं; भवन है तो वैद्य के रहने का स्थान नहीं। कम्पाउण्डर नहीं। सन् 1959 मे मैंने देखा और आज भी देखता हूं कि गंगापुर डिस्ट्रिक्ट का बड़ा कस्बा है, उसमे आज तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं, उप वैद्य नहीं। वैद्य को हाथ से झाडू लगानी पड़ती है। यही आयुर्वेद पद्धति को प्रोत्साहन देने का तरीका है

तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह निवेदन है कि जिन जगहों पर अभी तक भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं हैं, उप वैद्य नहीं है वहां पर तुरन्त व्यवस्था की जाय। मैं मंत्री महोदय को सूचना दे रहा हूं कि माधोपुर जिले में 1959 से आज तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का, उपवैद्य का कोई स्थान नहीं है। चिकित्सा की दृष्टि से भी यह हालत है कि चाहिए फोड़े की दवा और भेजेंगे दूसरी इन्सपेक्टर बढ़े है लेकिन इंस्पेक्ट एक साल भर में एक बार भी वहां नहीं पहुँचता। माधोपुर ज़िले के लिए जैसा मैंने निवेदन किया कि बारह लाख की जनसंख्या वाले जिले मे गंगापुर उस जिले का प्रमुख स्थान है लेकिन वहां पर लेडी डाक्टर चार वर्षों से नहीं है। हिण्डौन में नहीं है। माधोपुर में कभी आती है, कभी चली जाती है जितनी भी लेडी डक्टर हैं, जयपुर, बीकानेर जैसे बड़े शहरों के लिए हैं। उनको ग्रामीण क्षेत्रों में भी भेजना चाहिए।

जिस तरह से अभी बतलाया गया कि प्राइमरी हेल्थ सेन्टर खोले जायेंगे। सन् 1965 से गंगापुर जिले का सबसे बड़ा आबादी का कस्बा है जहां सात हजार की आबादी है।

(समय समाप्ति-सूचक-घन्टी)

दो मिनट में समाप्त करता हूं।

मैं अभी हेल्थ डिपार्टमेंट में गया, वहां डायरेक्टर साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि पांच लाख रुपया चाहिये। बिना पैसे के चिकित्सा सुविधा नहीं मिल सकती। टैक्स भी तो उनसे लिया जाता है। हम औषधालय चाहते हैं तो भवन की व्यवस्था करें, अगर हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर चाहते हैं तो पैसे की व्यवस्था करें। आखिर गांव वालों के साथ कब तक भेदभाव करेंगे? मैं यह निवेदन करना

(श्री गोविन्द सहाय)

चाहता हूं कि इस तरह के भेदभाव को समाप्त करें। जब हम गांवों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो वहां की एक सूची तैयार करें और इस समस्या को समाप्त करें। गंगापुर अस्पताल में जो डाक्टर है, वह सात-सात वर्ष से वहीं पर हैं। हालत खराब है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

चिकित्सा मंत्री महोदय से निवेदन किया है कि वहां के बारे में व्यवस्था शीघ्र करें। लेडी डाक्टर की भी व्यवस्था करें। मेरा निवेदन है कि यह जो असमानता है इसको दूर किया जाए। न लेडी डाक्टर है न कम्पाउन्डर है। चिकित्सा मंत्री इसके बारे ध्यान देकर इस भेदभाव को समाप्त करने का कष्ट करें। मैं राज्य मंत्री, आयुर्वेद से भी निवेदन करना चाहूंगा। वैद्यों की जो ग्रेड है····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आपके दो मिनट हो चुके हैं।

श्री गोविन्द सहाय : प्रथम बार अवसर मिला है। आपका आदेश होगा तो नहीं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा निवेदन है कि आप मेरा निवेदन मान लें।

श्री गोविन्द सहाय : मेरा यह निवेदन करना है कि आदेश हो जाते हैं परन्तु उनकी पालना नहीं होती है। जिस तरह से पी० डब्ल्यू० डी० में भ्रष्टाचार है, शिक्षा विभाग में है, वैसे ही चिकित्सा विभाग में भी है। वह भी किसी से पीछे नहीं है। चिकित्सा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उन डाक्टरों की सूची बनायी जाए जो पांच-पांच साल से एक ही जगह पर हैं चाहे सवाई मानसिंह अस्पताल में हों, चाहे आपके पास पहुँचने की सिफारिश भी हो तो उसको भी आप गांवों में भेजें। इससे गांव वाले लाभान्वित होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया मेरा निवेदन मान लें।

श्री गोविन्द सहाय : धन्यवाद।

एक बात वैद्यों के ग्रेड के बारे में कहना चाहता हूं पांच पांच रुपये का इन्क्रीमेन्ट इन वैद्यों को पहले दिया गया था। उसको वापस लेने के आदेश दिये गए हैं। यह पहला उदाहरण है। एक तरफ आप आयुर्वेद को प्रोत्साहन देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो 11 साल पूर्व ग्रेड इन्क्रीमेन्ट दिया गया था उसको वसूल करने के आदेश दिए गये हैं। मैं राज्य मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस बारे में ध्यान दें। वैद्य परेशान हैं, जो उनकी कठिनाई है, उसको हल करने की ओर ध्यान दें। जो कीमती औषधियां खरीदी जाती हैं, उन में भी गड़बड़ियां हैं। इस तरह की कमेटी बनाई जाए···

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप बिराजिये। श्री गोपाल ?

श्री गोपाल (पाटन) : उपाध्यक्ष जी, पहले तो जो माननीय सदस्य सो रहे हैं, उनको जगाया जाए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सोने का समय होगा तो सोएंगे।

श्री गोपाल : माननीय उपाध्यक्ष, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लाखेरी, पाटन और अामेट इन तीनों जगहों पर कोई लेडी डाक्टर नहीं है। यह कोटा और बूंदी से 25-30 मील की दूरी पर है। आवागमन के साधनों की भी कोई व्यवस्था नहीं है। केशोराया पाटन में किसी महिला के डिलीवरी होने वाली हो, यदि लेडो डाक्टर के अभाव में उसको कोटा लाया जाए; या बूंदी लाया जाए तो कोई साधन वहां पर नहीं मिलता है। रोड खराब है। इसलिए मैं स्वास्थ्य मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि तीनों जगहों पर लेडी डाक्टर की व्यवस्था करें।

मेरी जो मुख्य बात है अभी माननीय सदस्य ने उसका जिक्र भी किया है कि सात साल से कई डाक्टर, कम्पाउन्डर एक ही जगह पर बैठे हैं। मेरे क्षेत्र केशोराय पाटन में जो डाक्टर था वह अस्पताल के टाइम में ही पैसा लेता था। मैंने इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय से निवेदन किया। उन्होंने तत्काल सुनवाई की और दूसरा डाक्टर वहां पर लगा दिया। भवानीमण्डी से डाक्टर जगदीश अरोड़ा को लगाया। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि डा० अरोड़ा के आदेश की स्याही भी नहीं सूख पाई थी कि उनका स्थानान्तरण कोटा किया गया और डाक्टर नागेश जोशी को लगा दिया गया जिन्होंने कि आपातकालीन स्थिति के दौरान हमारे स्वास्थ्य मन्त्री की अच्छी सेवा की थी। उनकी सेवाओं के पारिश्रमिक स्वरूप उनको हमारे यहां केशोरायपाटन में लगा दिया। वह डाक्टर रात के 11 बजे से लेकर दो बजे तक नशे में चूर होकर घूमता रहता है। अगर स्वास्थ्य मन्त्री जी इसका प्रमाण चाहें तो उन डाक्टर के नशे में चूर होकर घूमने के फोटो भी मैं पेश कर सकता हूं। मन्त्री महोदय के डाक्टर अजीज दोस्त हैं। उनकी सेवा भाव से वह खुश है तो उनको सी० एम० ओ०, पी० एम० ओ० बना दीजिये परन्तु ऐसे डाक्टर को हमारे पाटन से तत्काल हटा दें। यह जनहित में होगा। स्वास्थ्य मन्त्री महोदय के अजीज हैं इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही भी नहीं हो रही है। यह उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है। मैंने डाक्टर नागेश के बारे में दो तीन बार नहीं तेरह बार कहा है। एक ही काम कहा था परन्तु आपने मना कर दिया। इस तरह की व्यवस्था है जब कि हम पुरानी व्यवस्था को तोड़ने की बात करते हैं और ऐसी व्यवस्था को कायम कर रहे हैं। एक शिवनारायण माथुर कम्पाउण्डर हैं....

श्री उपाध्यक्ष : व्यक्तिगत असंतोष जाहिर न कर कट मोशन पर ही बोलें।

श्री गोपाल : ये मेरे कट मोशन में है। शिवनारायण माथुर कम्पाउण्डर है। उसका स्थानान्तरण कर दिया गया। दूसरा कम्पाउण्डर लगा दिया गया परन्तु उसका स्थानान्तरण रद्द कर दिया गया। इस प्रकार की जो व्यवस्था है, उसको समय रहते सुधार लेना अच्छा है जिससे कि जन हित पर भारी असर न हो।

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि पाटन तहसील में बड़ाखेड़ा में और दूसरी जगह पर जो डिस्पेन्सरीज हैं; वहां पर केवल एक कम्पाउण्डर है। देहाती इलाके में अकेला कम्पाउण्डर जनता की सेवा नहीं कर सकता है। वहां बस की व्यवस्था नहीं

(श्री गोपाल)

है जिससे कि मरीजों को शहर में पहुँचाया जा सके। इसलिए मेरा निवेदन है कि जहां पर डिस्पेन्सरीज केवल कम्पाउण्डर के आधार पर चल रही हैं, वहां पर डाक्टरों की समुचित व्यवस्था की जाए। इसके अलावा जहां पर एक हजार की आबादी है, वहां पर छोटी-छोटी डिस्पेन्सरीज खोली जावें। मैंने स्वास्थ्य मन्त्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित किया है कि जो छोटी-छोटी जगह हैं वहां पर स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएं। मेरा यह भी निवेदन है कि केवल मात्र कम्पाउण्डर के आधार पर जो डिस्पेन्सरीज चल रही हैं वहां पर डाक्टर की नियुक्ति हो और जहां पर एक हजार की आबादी है, वहां पर डिस्पेन्सरीज अविलम्ब खोली जावें।

**श्री उपाध्यक्ष :** मेजर श्री फतहसिंह !

**मेजर श्री फतहसिंह (भीम) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने कटौती प्रस्तावों के जरिए राज्य सरकार का ध्यान मेरे क्षेत्र की समस्याओं की ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। संक्षेप में मैं यही कहूँगा कि पंचायत हैड क्वार्टर मदारिया, ठीकरवास, कूकरखेड़ा नराना, कालादेह, ये बहुत बड़े-बड़े गांव हैं; जहां की जनता आयुर्वेदिक औषधालय के लिए भवन और वैद्य के लिए मकान उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। इस सम्बन्ध में मैंने माननीय राज्य मन्त्री महोदय को पत्र भी लिखा था लेकिन उसके बाद जब मैं आपसे आपके कार्यालय में मिला तो आपने उस पत्र के प्राप्त होने से अनभिज्ञता जाहिर की। इसलिए इस सदन के माध्यम से इस प्रश्न को वापस उठाने की आवश्यकता महसूस हुई। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि शहरों में, चाहे चिकित्सालय खोलने की बात हो, चाहे कालेज या स्कूल खोलने की बात हो, उनके भवन की बात हो तो सारा खर्चा सरकार लगाती है, जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था लेकिन जब गांवों की जनता औषधालय के लिए भवन और वैद्यों के लिए मकानात देने को तैयार हो तो फिर सरकार को उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये। इस पर गम्भीरता से विचार किया जाय।

श्रीमन्, भीम क्षेत्र में भीम सब-डिविजनल हैडक्वार्टर है, वहां पर एक डिस्पेन्सरी चल रही है, एलोपेथिक डिस्पेन्सरी, जिसके भवन का निर्माण महाराणा साहब के जमाने में सन् 1945 में हुआ था। याद रखिये, सब-डिविजनल हैडक्वार्टर है, पांच हजार की आबादी का गांव है लेकिन उस डिस्पेन्सरी में एक भी लेडी डाक्टर नहीं है, नर्स नहीं है। मैटरनिटी के केसेज हो जाते हैं तो या तो नाथद्वारा जायं या उदयपुर जायें या इधर ब्यावर जाना पड़ता है तभी किसी लेडी डाक्टर की या नर्स की मदद मिल सकती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस डिस्पेन्सरी को क्रमोन्नत किया जाय और जब तक वह क्रमोन्नत नहीं हो तब तक एक लेडी डाक्टर और नर्स का अपाइन्टमेंट किया जाय। इस सम्बन्ध में मुझे केवल इतना ही कहना है। मैं निवेदन करूंगा कि हेल्थ मिनिस्टर साहब इस ओर ध्यान देंगे।

पिछले तीस वर्षों में भीम की उपेक्षा होती रही है राजनैतिक कारणों से क्योंकि भीम तहसील हमेशा कांग्रेस का विरोध करती रही है। मुझे खुशी है कि अब समय आ गया है जब भीम तहसील के साथ न्याय होगा। जैसा कि अभी मान-

(मेजर श्री फतहसिंह)

नीय सदस्य ने कहा, जो यहां विराजे हुए हैं, प्रधान मन्त्री मोरारजी देसाई ने कहा कि विकास के मामले में शहरों के बजाय गांवों की ओर अधिक ध्यान दिया जायगा। इसलिए चिकित्सा के मामले में, औषधालय के मामले में, डिस्पेन्सरीज के मामले में सरकार को ज्यादा से ज्यादा पैसा गांवों में खर्च करना चाहिए, गांवों में ज्यादा साधन उपलब्ध कराने चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : अब माननीय चिकित्सा मन्त्रीजी उत्तर देंगे।

माननीया आयुर्वेद मन्त्री।

श्रीमती विद्या पाठक ( राज्य मंत्री, आयुर्वेद ) : माननीय उपाध्यक्षजी,

मेजर श्री फतहसिंह :श्रीमन्, इसके पहले हमको बता दिया जाय कि कितना समय लेंगे?

आप शादीशुदा हैं ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी ( चिकित्सा मंत्री ) : हां।

मेजर श्री फतहसिंह : आप लोग शादी शुदा हैं आपको चिन्ता नहीं है। हम लोग शादी-शुदा होते हुए भी कुंवारे हैं, रोटी-पानी का कोई इन्तजाम नहीं है There is no arrangement of Food

श्रीमती विद्या पाठक : जल्दी समाप्त कर देंगे।

माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्य गण, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पर बजट प्रोविजन्स के बारे में आर्ग्युमेंटस हुए, चिकित्सा पद्धतियों का आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति भी एक अंग है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति भारतीय संस्कृति की एक अद्वितीय देन है। यह पद्धति सस्ती और सुलभ होने के साथ-साथ बहुत ही अच्छी है और जो भारतीय परिस्थितियां हैं; उनमें शारीरिक आवश्यकताओं की भी अधिक से अधिक पूर्ति करती है। जहां तक हमारी शिक्षा का सम्बन्ध है, इस पद्धति के अन्तर्गत तीन कालेज राजस्थान में चल रहे हैं। एक कालेज जयपुर में है जिसको आयुर्वेदिक संस्थान के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा उदयपुर में और तीसरा एडेड कालेज सीकर में है। इन कालेज में कुल मिलाकर 180 सीट्स हैं। मुझे कहा गया है कि अधिक समय नहीं लिया जाय इसलिए मैं कुछ पाइन्ट्स में ही बताने का प्रयास करूंगी। इन तीनों कालेज में मिलाकर 180 सीट्स हैं इसके अतिरिक्त धात्रियों व कल्पदों को प्रशिक्षित करने हेतु एक शिक्षण संस्थान सरदारशहर में है जिसमें 60 सीटें है। यह दाई और धात्रियों के प्रशिक्षण के लिए है। इसके अलावा अनुसंस्थान केन्द्र जयपुर और उदयपुर में हैं। इनके द्वारा जड़ी-बूटियों से सम्बन्धित जो पुराना साहित्य अभी तक प्राप्त है और जो नया लिखा जाता है उन सबके प्रकाशन और उनके प्रयोग, प्रचार एवं प्रसार आदि की व्यवस्था की जाती है। इन अनुसंधान मण्डलों के माध्यम से यह सारी व्यवस्थाएं की जाती है।

इसके अतिरिक्त आयुर्वेदिक औषधालयों के सम्बन्ध में जहां तक प्रश्न है, जो आयुर्वेदिक औषधालय हमारे राजस्थान में हैं उनकी संख्या कुल 2391 है, जिनमें से 47 में शय्यायें उपलब्ध हैं और शेष अस्पताल ऐसे हैं जहां केवल चिकित्सा

(श्रीमती विद्या पाठक)

उपलब्ध है। यह सच है, जैसी कि अभी माननीय सदस्यों ने शिकायत की कि स्टाफ की कमी है, ऐसी शिकायतें आती रहती हैं, परन्तु इसमें हमारी नई सरकार का कितना दोष है, उसके हम कितने भागी हैं, यह इस बात से सिद्ध होता है कि पिछली सरकार ने दो सौ औषधालय नये खोल दिये उस समय उसने स्टाफ पर ध्यान नहीं दिया और इन्डिस्क्रिमिनेटली औषधालय खोल दिये। इसलिए स्टाफ की कमी होना स्वाभाविक था।

इसी तरह से सबसे बड़ी कमी धात्रियों की चल रही है, हालांकि एलोपैथी में जो ए. एन. एम. होती है उनको उनके स्थान पर सब्स्टीट्यूट करने का प्रयास करेंगे। इनकी क्वालिफिकेशन कुछ नीची करके एक योजना बना रहे हैं जिससे कि जल्दी से जल्दी और अधिक से अधिक मात्रा में दाइयों और कल्पदों की उपलब्धि हो सके। परन्तु जो पैसा अभी दिया गया है, उससे हम इसकी पूर्ति नहीं कर सकेंगे।

इसके अतिरिक्त एक सबसे बड़ी समस्या माननीय सदस्य श्री हरजीराम बुरडक ने नागौर के बारे में उठाई है कि उनके अस्पताल में बेड्स नहीं दिये गये हैं। उसके विषय में मैं यह निवेदन कर दूँ कि वह 'ए' श्रेणी का अस्पताल नहीं है। यह मैं उनकी सूचना के लिए निवेदन कर दूँ कि वह 'बी' श्रेणी का औषधालय है।

औषधि वितरण के सम्बन्ध में बहुत सी शिकायतें की गईं, इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ समस्यायें हैं जिनकी ओर अब ध्यान दिया गया है। वर्तमान में औषधियों का वितरण करने हेतु 11 सेंटर्स चल रहे हैं। इनमें एक ही ट्रक है जो सभी जगह औषधियां डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसके लिए और अधिक बजट प्रोविजन किया जाय तो इस समस्या का समाधान हो सकता है।

यह चर्चा हुई कि बाढ़ की और वर्षा की स्थिति होने से मलेरिया और कई एपेडेमिक बीमारियां फैलीं जिनके लिए दवाइयां आवश्यक थीं, परन्तु कुछ प्राकृतिक बाधा थी, जैसे रास्ते खुले हुए नहीं थे, गांवों में यह हालत हो गई कि पोस्टमैन भी नहीं जा सकता था, वहां पर पहुँचने को कोई व्यवस्था नहीं थी। परन्तु जैसे ही रास्तों के सुधार हुआ, वहां पर आवश्यक दवाओं के वितरण का प्रयत्न किया गया।

इसी तरह औषधालयों के विषय में जैसा अभी माननीय मेजर साहब ने इण्डिकेट किया कि औषधालय भवन प्रोवाइड कर सकते हैं तो औषधालय क्यों नहीं खोले जाते। इस सम्बन्ध में मैं, यह कहना चाहूंगी कि केवल भवन प्रोवाइड करने से ही औषधालय नहीं खुल सकता। यही एकमात्र रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके साथ इसकी तुलनात्मक उपयोगिता, दवाइयों का किसी भी तरह उपलब्ध न होना, एक हजार की जनसंख्या इन सब को ध्यान में रखकर औषधालय खोलते आये हैं और निश्चित रूप से इसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे।

200 औषधालयों का जहां तक संबंध है, इस बारे में चर्चा हुई है। एक विशेष बात मैं यह कहना चाहती हूं कि पिछली सरकार ने जो अस्पताल खोले हैं, औषधालय खोले हैं। वे इतने इण्डि-

(श्रीमती विद्या पाठक)

डिस्क्रिमिनेट थे कि उनके बारे में हमें समुचित जानकारी नहीं हो पाई है। उदाहरण के लिए गोपालगढ़ में पहले भी औषधालय स्वीकृत था और अच्छा चल रहा था, पिछली सरकार ने जाते-जाते एक औषधालय इसी नाम पर और स्वीकृत कर दिया। हो सकता कि है उन पर प्रेशर पड़ा हो या जो भी कारण हो। इसी तरह से जयपुर में, एक द्वारकापुरी में औषधालय स्वीकृत किया जिसके लोकेशन का भी अभी तक मालूम नहीं हो पाया कि किस जगह यह स्थान है।

पिछली सरकार ने अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के एम्पलायमेंट के लिए रिजर्वेशन करती रही परन्तु आयुर्वेद ऐसा विभाग है जिसमें उन लोगों की तरक्की का मार्जिन है। पिछली सरकार ने केवल रिजर्वेशन के दुहाई देने के अतिरिक्त यह नहीं सोचा कि इस दिशा में इनको भी प्रेरित करें। मैं सभी माननीय सदस्यों से अपिल करती हूँ कि वे इन वर्गों को आयुर्वेद की ओर प्रेरित करें। इसमें काफी गुंजाइश है। शायद मेरे लिए यह बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा अगर मैं कुछ लोगों को इस विभाग में जॉब दे सकूं। यह एक नया अचीवमेंट विभाग का होगा।

इसी तरह होमियोपैथिक और यूनानी चिकित्सालयों के बारे में कहा गया। कुछ होमियोपैथिक चिकित्सालय काम कर रहे हैं और इसके कुछ कालेजेज हैं प्राकृतिक चिकित्सालय भी हैं, एक जयपुर में हैं और एक बाहर भी है परन्तु फिर भी उनकी व्यवस्था कोई स्थाई तौर पर तय नहीं कहीं की गई।

जहां तक वेतनमानों की मांग है, मुझे पूर्णतया सहानुभूति है और उन लोगों में व्याप्त निराशा से मैं पूर्णतः परिचित हूँ परन्तु जैसा कि पिछली बार भी मैंने कहा था कुछ इस तरह की समस्यायें व्यवस्था से सम्बन्धित समस्यायें हैं जो प्रोसीजर को पूरा कर डालने पर ही पूरी हो सकती है जैसे तीन इनक्रीमेंट्स का सवाल है. यह सबसे बड़ा काम्पलीकेशन है। इस मामले को आगे बढ़ाने में हमें कठिनाई आ रही है। जहां तक वेतनमानों का सवाल है 1966 में जो इनको वेतनमान दिए गए थे उसके 5 साल बाद तक तीन इन्क्रीमेंट्स लेते रहे। 1971 में इसको विथड्रा करने के लिए आदेश दिए गए। उसके बाद 1975 तक इसी तरह से चलता रहा पिछली सरकार जाते जाते आदेश करती गई विथड्रा करने के के लिए। यह सब पूरा प्रोसीजर [illegible]रीके से नहीं हुआ।

आयुर्वेद चिकित्सा में वनस्पति विज्ञान का भी महत्वपूर्ण स्थान है। हम चाहते हैं कि शुद्ध और नवीन औषधियां निरन्तर उपलब्ध होती रहे, उसके लिए सर्वेक्षण किया गया है वनस्पति विज्ञान के लिए भूमि का आवंटन भी किया गया है। स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई हैं जो राज्य सरकार को योजना बनाकर देगी। इसमें बाहर के एक्सपर्टस भी हैं जिनकी राय ली जायगी। इस का प्रस्ताव आने पर आगे कोई प्लान बनाया जा सकता है।

यह सही है कि स्पेशीफिक जो घोटाले हैं उनकी जानकारी है, तथ्यों को भी जानकारी मिल रही है मैं शीघ्रतशीघ्र जांच कर इन्हें समाप्त करने का प्रयास करूंगी।

(श्रीमती विद्या पाठक)

इसी तरह हम लोगों का, विभाग का सरकार का विचार है कि चारों फार्मेसीज को मिलाकर एक निगम जल्दी बनावें। इस तरह का एक प्रयास गुजरात में भी किया गया है। हम उसका अध्ययन कर रहे हैं ताकि उसकी जानकारी प्राप्त करके हम यहां काम कर सकें।

रसायनशाला के साथ लेबोरेट्रीज हैं जो दवाइयों का एनेलेसिस करती हैं। साथ ही ही साथ आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में मांसशोष, केन्सर आदि कुछ बीमारियों पर अनुसन्धान चल रहा है, उससे बहुत से लोग लाभान्वित हो रहे हैं।

उदयपुर में आयुर्वेद कालेज चल रहा है उसमें 6 साल का कोर्स है। हायर सैकेन्डरी के बाद भी आयुर्वेद का एक साल का है। इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएशन की भी व्यवस्था है। इसी आयुर्वेद महाविद्यालय के साथ 75 बेड का अस्पताल भी है जिसमें 11 बेड के लिए प्रावधान डाइरेक्टोरेट करता है और बाकी कालेज की तरफ से किया जाता है। कालेज के साथ रिसर्च लेबोरेट्री भी अटेच्ड है।

सबसे बड़ा प्रश्न सरकार के सामने आयुर्वेद संस्थान के बारे में बहुत बड़ी चिंता का है। हालांकि जिस तरह से शुरू किया गया उसके पीछे शायद कोई नीति रही हो। खास तौर से राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का श्री गणेश किया गया। जो इन्स्टीट्यूट है, वह अपनी ही परीक्षायें ले, स्वयं ही यूनिवर्सिटी की तरह है। इसको हम व्यापक तौर पर सारे भारतवर्ष के लिए डवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ वनस्पति विज्ञान, रसायन शाला और आयुर्वेद ग्रंथ के प्रकाशन के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं।

हमारी जो आगे की नीतियां है, जो योजनाएं हैं, वे अभी तक चल रही हैं, केन्द्र से शीघ्रातिशीघ्र बात करके इस बारे में जो शर्तें तय करनी हैं। जो मामले पेंडिंग पड़े हुए थे, उनके बहुत जल्दी तय करने के प्रयास कर रहे हैं।

कुछ इस तरह की संस्थायें हैं जिन्हें हम लोग एड देते हैं। शिक्षण संस्थाओं के अलावा कुछ रिसर्च संस्थायें और औषधालय हैं, जिनको हमारा विभाग एड देता है। राजस्थान में होम्योपैथिक कालेज दो हैं, दूसरी यूनानी कालेज एक है जो रिकग्नाइज्ड नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सालय है। 62 यूनानी चिकित्सालय भी है हालांकि स्टाफ की कमी की वजह से, प्रशिक्षित हकीमों की कमी की वजह से हम इस तरह के यूनानी औषधालय खोलने मे अपने आप को असमर्थ पाते हैं। 2391 आयुर्वेदिक औषधालय हैं जिनमें से 90 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और शेष शहरी क्षेत्रों में है। दूसरे शब्दों में 2191 ग्रामीण क्षेत्रों में और 239 शहरी क्षेत्रों में। नम्बर देखने से पता लगेगा कि आयुर्वेद विभाग का झुकाव गांवों की तरफ अधिक है और शहरों में भी जहां आवश्यकता होती है, वह विभाग प्रोवाइड करने की कोशिश करता है।

उपाध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में जितने भी आयुर्वेदिक औषधालय हैं उनमें 47 आयुर्वेदिक औषधालय तो ऐसे हैं जिनमें बेड्स की व्यवस्था है और 581 आयुर्वेदिक औषधालय ऐसे हैं जिनमें बेड्स की व्यवस्था नहीं है। पिछली सरकार का

(श्रीमती विद्या पाठक)

जनसंख्या के अनुसार 109 ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार था। उपाध्यक्ष महोदय, यह जनसंख्या का जो आधार रखा उसमें सन 1971 की जनसंख्या के अनुसार देहातों में औषधालय खोलने का विचार था। देवगढ़ में खोलने के सम्बन्ध में जो कटौती प्रस्ताव दिया है उसमें आयुर्वेदिक औषधालय खोलना सम्भव नहीं है। इसका कारण यह है कि वहां से कोई प्रस्ताव नहीं आया था। अगर वहां से प्रस्ताव आया और जैसा कि मापदंड में जो अपेक्षा आयुर्वेदिक औषधालय खोलने के लिए चाहिए वह पूरी हुई तो वहां पर आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का राज्य सरकार विचार कर सकती है।

मेजर श्री फतहसिंह : वह प्रस्ताव कहां से आये ?

श्रीमती विद्या पाठक : वह तो वहां के जन-प्रतिनिधि की तरफ से आये या वहां की जनता करे।

मेजर श्री फतहसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तारीख से मैं सदन में आया हूं उसी दिन से भीम में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने के लिए निवेदन कर रहा हूं। वहां से जनता के लोग भी आये थे। और मैं खुद आपके यहां पर आया था।

श्रीमती विद्या पाठक : इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

मेजर श्री फतहसिंह : यही तो बात है आप लोग भूल जाते हैं। तभी तो मुझे यहां पर भीम में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने के लिये कटौती प्रस्ताव देना पड़ा है।

श्रीमती विद्या पाठक : इसके बाद में एक कटौती प्रस्ताव माननीय सदस्य का है श्री ताराचन्द जी का आयुर्वेदिक विभाग की डिस्पेन्सरियों में पर्याप्त मात्रा में दवायें न होने के बारे में। उसके बारे में मेरा निवेदन है, हो सकता है कि हमारे यहां के विभाग की कुछ कमी रही हो जिससे कि डिस्ट्रीब्यूशन समय पर नहीं होता तो उसके लिए ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि जो जो निर्धारित दवाइयां हैं उतनी मात्रा में सभी जगह पर हास्पिटल में दवाइयां प्रोवाइड की जाएं।

इसी के साथ में एक माननीय सदस्य श्री हरजीराम बुरड़क ने अपने कटौती प्रस्ताव दिये हैं जिसमें उन्होंने लाडनू आयुर्वेदिक औषधालय के भूतपूर्व सहायक वैद्य के खिलाफ चल रही कार्यवाही को दबा देने के बारे में कहा है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह निवेदन करना चाहती हूं, उस मामले की भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के द्वारा जांच की जा रही थी, पर वह मामला पूरा न्यायिक नहीं बनने के कारण उस मामले को दबाया नहीं गया बल्कि उस मामले को डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी के अन्तर्गत लेकर उनके खिलाफ में कार्यवाही की जा रही है। जो वर्तमान में रिकार्ड भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के पास है वह मंगाकर उसके खिलाफ जो भी आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी वह की जावेगी।

इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, जमवारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य

(श्रीमती विद्या पाठक)

ने भी अपने कटौती प्रस्ताव में कुछ गांवों का उल्लेख किया है। उसके लिये मैं, यह निवेदन करना चाहती हूं कि तलुवा में 1900 रुपये की दवाइयां स्वीकृत हुई। इसमें से 1620 रुपये की दवाइयां उस औषधालय में भेजी जा चुकी है। इसी के साथ पावड़ी गांव में जो औषधालय हैं वहां पर दो हजार रुपये की दवाइयां स्वीकृत है और उसके स्थान पर 862 रुपये की दवाइयां भेजी जा चुकी हैं। इसी प्रकार देवली ग्राम के आयुर्वेदिक औषधालय में 816 रुपये की दवाइयां सेंक्शन है उसमें से 698 रुपये की दवाइयां भेजी जा चुकी हैं।

इसके अतिरिक्त और भी माननीय सदस्य है जिन्होंने औषधालय खोलने के बारे में कहा है उसके लिये मेरा निवेदन है कि औषधालय जो खोले जाते हैं वह विभाग की स्थिति और जन-प्रतिनिधियों या जनता के प्रस्तावों पर निर्भर करता है। यह तो हमारे यहां पर जो जन-प्रतिनिधि है उन पर निर्भर है कि वह अपने क्षेत्र में किस तरह आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने में इन्ट्रेस्टेड हैं। यह तो उनकी जिम्मेदारी है कि वह कितने जागरूक रहते हैं।

इसके अलावा रूरल हेल्थ स्कीम भी चालू की जा रही है। यह दो अक्टूबर से राज्य में चालू की जायगी। इसमें ऐसी व्यवस्था की जायगी कि पर्टीक्यूलर एरिये में उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति को चुना जायगा और उसको ट्रेन्ड किया जायगा। जो कि बाद में वहां पर आयुर्वेदिक चिकित्सा जगह-जगह घूमकर करेगा, वह आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में जानकारी भी गांव वालों को देगा। इसी तरह से लिखित और मौखिक रूप से उस व्यक्ति से जो भी जानकारी चाही जाएगी वह गांव वालों को देगा।

इसके बाद में कुछ बात आयुर्वेदिक विभाग में अपोइन्टमेन्ट, प्रमोशन, फिक्सेशन के बारे में कही गयी है उसके लिये भी मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहती हूं कि इन सभी केसेज को शीघ्रातिशीघ्र निपटाने के लिये राज्य सरकार जल्दी कार्यवाही करेगी।

इसके साथ-साथ यह भी देखना है कि कई जगह पर 'ए' श्रेणी के वैद्य 'बी' श्रेणी के अस्पताल में लगा दिये गये हैं और 'बी' श्रेणी के वैद्यों को 'ए' श्रेणी के औषधालयों में लगा दिया है। इसके साथ में कुछ लोग जो स्पेशलिस्ट हैं, पोस्ट-ग्रेजुएट हैं, उन्हें भी 'बी' श्रेणी औषधालय में लगा दिया गया है। उनका भी एडजस्टमेन्ट किया जायेगा।

इनके साथ-साथ मैं माननीय सदस्यों से यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि जिस तरह से एलोपैथी में मोबाइल सर्जिकल कैम्प्स लगाये जाते हैं उसी तरह से आयुर्वेदिक मोबाइल्स कैम्प्स भी गांवों में जगह-जगह लगाये जायेंगे। इसके लिये तीन वाहन काम में लिये जायेंगे। वाहनों के माध्यम से यह लोग दूर-दूर गांवों में दवाइयां लेकर जायेंगे और उनको दवाइयां देंगे, कैम्प्स लगायेंगे। मोबाइल यूनिट्स भी जल्दी ही शुरू किये जायेंगे।

इसी तरह कुछ दवाइयां आयुर्वेद की ऐसी हैं जो कि हमारी ट्रेडिशनल मेडिशन्स हैं उनका एनेलेसिस करवा कर उन दवा-

(श्रीमती विद्या पाठक)

दवों को ज्यादा से ज्यादा पोपूलेराइज करने की भी कार्यवाही की जावेगी। जिससे कि जो हमारी आयुर्वेदिक पद्धति है जो कि हमारी मूल सांस्कृतिक पद्धति है उसका विकास हो सके। इसके लिये न केवल राज्य सरकार ही बल्कि जन प्रतिनिधियों को भी आगे आने की आवश्यकता है जिससे कि हमारी यह आयुर्वेदिक पद्धति जनता में ज्यादा से ज्यादा पोपूलेराइज हो सके।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदया ने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। 11 साल के बाद जिन वैद्यों की वेतन वृद्धि वापस ले ली गयी या ली जा रही है उसके बारे में पिछली सरकार ने क्या निर्णय लिया था ?

**श्रीमती विद्या पाठक** : पिछली सरकार ने जाते-जाते क्या निर्णय लिये वह अलग बात है। मेरी जानकारी में अब उन तथ्यों को लाया जा रहा है इसलिये मैं उनको देख रही हूं कि इसके क्या कारण थे।

**श्री राम कृष्णदास गुप्ता** : Now it is not the stage for asking questions. We want to go. We have to take our meals.

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : मैं मेरी बात मन्त्री महोदय से कह रहा हूं। आपको इसके लिये क्यों तकलीफ हो रही है।

**श्री राम किशनदास गुप्ता** : ग्रोन ए पोइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर ! यह सवाल उपाध्यक्ष महोदय, इस स्टेज पर पूछे जाने वाले नहीं है।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : इसमें आपको क्या हुआ है। I am making my submission to the Chair,

**श्री भवरलाल** : यह बात नहीं है। माननीय सदस्य बाद में सवाल पूछ सकते हैं।

**श्री रतनलाल वर्मा** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि राज्य सरकार हर पंचायत हैडक्वार्टर पर औषधालय खोलें तो ठीक रहेगा। अन्यथा आज शहरों में अस्पताल भी हैं और आयुर्वेदिक औषधालय भी है, दोनों ही है, जब कि गांव में हमारे देश के लोग ज्यादा बसते हैं और उनको बेचारों को न एलोपैथी की दवा मिलती है और न ही आयुर्वेदिक औषधि। तो बेचारे गरीब लोग बिना दवा के ही गांवों में मर रहे हैं। इसलिये निवेदन है कि कांग्रेस राज्य समाप्त हो गया है। अब जनता पार्टी के राज्य में कम से कम एक पंचायत हैडक्वार्टर में एक आयुर्वेदिक औषधालय तो खोला जाना चाहिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : वर्माजी बैठिये।

**श्रीमती विद्या पाठक** : माननीय सदस्य ने जो कहा है....

**श्री रतनलाल वर्मा** : उपाध्यक्ष महोदय; आज तीस साल से गांवों की जनता बरबाद हो रही है और शहर आबाद हो रहे हैं। कम से कम पंचायत हैडक्वार्टर पर तो एक औषधालय खोलने के आदेश कर दें।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : मैंने कटौती प्रस्ताव दिया था उसमें है कि गांव सूखी

# Page No 214

(214)



(श्री रघुनाथ विश्नोई)

है वहाँ पर औषधालय खोला गया है वहाँ स्टाफ भेजें।

(व्यवधान)

मेरा आपकी मार्फत यह निवेदन है कि जो सुदूर एरिया है वहाँ पर दवाई नहीं पहुँच पायी हैं।

तीसरा यह निवेदन है कि जो अस्पताल हैं ए, बी, सी, ग्रेड के उन्हें पुराने बजट के हिसाब से ही दवाई देते जा रहे हैं। एक ही व्यवस्था है। क्या राज्य सरकार यह निर्णय लेगी जैसी-जैसी खपत हो उसी प्रकार बजट रिलीज कराया जाय।

श्रीमती विद्या पाठक : 'सी' श्रेणी के औषधालय, दोनों ही एडजस्ट नहीं होते हैं। पहले ही विभाग को लिखा हुआ है कि जानकारी करके उचित कार्यवाही करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जानकारी तो मैंने दी है। मकान बना कर व्यवस्था कर दी। मलेरिया से सेन्ट-पर्सेन्ट पीड़ित हैं।

श्री सम्पतराम : माननीय उपाध्यक्ष जी बजट के ऊपर वाद-विवाद होता है। कुछ सवाल होते हैं, माननीय सदस्य भी चर्चा करते हैं और राज्य सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि उन पर प्रकाश डाले। कोई व्यक्तिगत मामले को लेकर..........

श्री रघुनाथ विश्नोई : व्यक्तिगत नहीं है। कटौती प्रस्ताव दिया है। उसके लिये यहाँ बैठा हूं।

श्री सम्पतराम : मैं भी यही कहता हूँ कटौती प्रस्ताव है उसकी ओर ध्यान आक-र्षित कर चुके हैं। There cannot be any debate

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप कोई वहां के लिये व्यवस्था करना चाहते हैं या नहीं?

श्री सम्पतराम : सरकार के पास जितने साधन होंगे उनके अनुसार समुचित व्यवस्था करने की कोशिश करेगी But there cannot be any debate on this question.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदया ने जिन प्रश्नों की जानकारी नहीं दी है लिखित में दे दे।

श्री श्रवणलाल : भाषण में यह कहा है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स में कोटा पूरा नहीं है उनको एडजस्ट किया जायेगा। मैं जानकारी चाहूंगा कि वैद्य, कम्पाउन्डर चतुर्थ श्रेणी, किस रूप में करेंगे?

श्रीमती विद्या पाठक : आयुर्वेद विभाग में कोई किसी को दे सकते हैं। यह नहीं है कि आवश्यकता नहीं है। प्रयोजन में जो लोग आ जाते हैं, उसके लिये प्रोविजन है। हर स्टेज को प्रभावित करने की इच्छा रखते हैं।

श्री श्रवणलाल : 28 पर्सेन्ट कोटा अभी तक आपके डिपार्टमेंट में नहीं के बराबर है। उसकी पूर्ति करने के बारे में आप क्या कहते हैं?

श्री सम्पतराम : मूल बात यह है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के बच्चे आयुर्वेद में शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं। संस्कृत में उनका प्रवेश बहुत कम है। मैंने

(श्री सम्पतराम)

भी कोशिश की। जिस योग्यता के बड़े वैद्य के लिये चाहिये वह नहीं मिलते हैं इसलिये हमारा कोटा पूरा नहीं होता है। चतुर्थ श्रेणी और दूसरे कैडर को जितना सरकार को देना चाहिये सरकार देगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय चिकित्सा मन्त्री अब उत्तर देंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा विभाग की मांग को लेकर माननीय सदस्यों ने जो कटौती प्रस्ताव या सुझाव और जो सारी बातें रखी हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं और उन सुझावों को बराबर शक्ति लगाकर पूरा करने का प्रयत्न करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीस वर्षों से इस प्रकार की सारी चीजें हुई है जिनसे चिकित्सा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा असंतुलन खड़ा कर दिया गया है।

जहां तक शहरों और गांवों का सवाल है शहरों और गांवों में भी एक बहुत बड़ा अन्तर लगातार रहा है और शायद उसे लगातार रखने का प्रयत्न किया गया। मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि चिकित्सा पर हरएक का अधिकार है। आज कम से कम गरीब को अच्छी से अच्छी चिकित्सा की आवश्यकता पहले है और इसलिये पूरा प्रयत्न होगा, पूरी कोशिश होगी कि ठेठ गांव से चिकित्सा सुविधा के प्रचार और प्रसार का कार्य किया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, स्थिति यह है कि एक और जहां जनता पार्टी सरकार ने अंत्योदय के सिद्धान्त के द्वारा पांच-पांच गरीब परिवार प्रत्येक गांव से लेने का प्रयास किया है, शत-प्रतिशत उनको सभी प्रकार का सहयोग देकर उनकी गरीबी दूर करने की कोशिश की है, उसी प्रकार चिकित्सा क्षेत्र में शायद बड़े परिमाण में करना संभव नहीं होगा। किन्तु यह तय किया है कि प्रदेश भर के प्रत्येक गांव में से एक व्यक्ति चुना जाय; उस व्यक्ति को प्रशिक्षित किया जाय, 3 महीने का प्रशिक्षण काल हो, दो सौ रुपये महीना उसको प्रशिक्षण काल के समय में दिये जायं और उसके बाद उसमें जो थोड़ी काबलियत पैदा, हो राज्य सरकार उसको दवाइयां उपलब्ध करेगी। उन दवाइयों के माध्यम से उस गांव में चिकित्सा सुविधा देने की दृष्टि से वह प्रयत्न करेगा। राजस्थान सरकार उसके लिये कटिबद्ध है। हमने प्रयत्न किया है कि प्रत्येक जिले में इस वर्ष एक पंचायत समिति में इस कार्य को सुचारु रूप से कराया जा सके माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हमने यह तय किया है कि भारत की प्रत्येक पंचायत के प्रति व्यक्ति को, महात्मा गांधी की जयन्ती 2 अक्टूबर को है, उस दिन से प्रशिक्षण देना प्रारम्भ करेंगे।

एक बात निवेदन करना चाहता हूं; माननीय सदस्यों ने चर्चा की है कि अब तक गांवों में चिकित्सा सुविधा देने की दृष्टि से पूरा प्रयत्न नहीं किया गया। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि हमने तय किया है कि प्रत्येक पंचायत समिति में कम से कम दो डिस्पेन्सरियां हों, एक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, साथ ही उप केन्द्र और एक एड पोस्ट उपलब्ध करायेंगे। इस बारे में कहना चाहता हूं कि स्थिति जो

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

प्रारम्भ से बनी हुई है, वह स्थिति ऐसी रही है, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि 25–30 साल में जो विकास करने की योजना रही, सारे सदन को सुनकर आश्चर्य होगा कि 70 पंचायत समितियां ऐसी हैं जिनमें एक भी डिस्पेन्सरी नहीं है। उसी प्रकार से 135 पंचायत समितियां ऐसी हैं जिनमें एक भी एड-पोस्ट उपलब्ध नहीं है। यह स्थिति उस समय है जब जाते-जाते सरकार ने कुछ डिस्पेन्सरी और एड पोस्ट की घोषणा की थी। आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि जाते-जाते, भागते-भागते योजना बना डाली कि 105 डिस्पेन्सरी और 203 एड-पोस्ट खोली जायेगी इतनी अधिक खोलने के बाद यह सुनकर भी शायद सदन को आश्चर्य होगा कि पूरे बजट में 6 मास का प्राविजन था किन्तु बजट में घोषणा हुई और उसी समय से इन सारों को चालू करने की पद्धति स्वीकार कर ली। चालू तो क्या हुई हैं कुछ स्थानों पर डिस्पेन्सरीज जरूर खुल गयी, कुछ एड-पोस्ट्स खुल गयीं बाकी के सारे डाक्टर जिला केन्द्रों पर बैठे हैं। उस समय भी ऐसा प्रयास रहा कि जो आंकड़े मैंने पहले बताये उनमें से ज्यादा की पूर्ति नहीं की गयी। एक जगह दो-दो और तीन-तीन खोल दी गयीं। जैसी योजना पुरानी सरकार ने बनाई थी वह सामने रहती तो 43 पंचायत समितियों के क्षेत्र ऐसे रह जाते जिनमें एक भी डिस्पेन्सरी नहीं रहती और 70 पंचायत समितियों के क्षेत्र ऐसे रह जाते कि जिनमें एक भी एड-पोस्ट की व्यवस्था नहीं रहती। इसलिए जहां-जहां खोल दी गयीं वहां प्रयत्न है, शुरू हो गयीं। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनको विथड्रा नहीं किया जायेगा। किन्तु जितने डाक्टर बैठे हैं मुख्य केन्द्रों पर, जो योजना मैंने आपके सामने रखी प्रत्येक पंचायत समिति में दो डिस्पेन्सरी, एक एड-पोस्ट और 1 उप-केन्द्र की उस नाते से विचार करके उसकी योजना यहां नहीं बनाई जायगी बल्कि जिला केन्द्रों पर जिला अधिकारी के साथ एम. एल. ए. बैठकर वहां के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर जो सारी योजना दी है मैं भुक्तभोगी हूं इसलिए मैं प्रत्यक्ष रूप से कहना चाहता हूं वहां बैठकर और परिस्थिति देखकर कौनसी पापुलेशन में कहां आवश्यकता है इसका भी निर्णय करके वह भेजेंगे। फिर थोड़ा बहुत निर्णय करना होगा तो किया जायेगा। यह एक योजना हमने स्वीकार की है जिसे मैंने आपके सामने रखने का प्रयत्न किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने आपसे कहा कि प्रयास किया गया कि डिस्पेन्सरी खोली गयी। कहीं-कहीं एड-पोस्ट भी, डिस्पेन्सरी भी और दूसरी डिस्पेन्सरी भी उसी जगह खोली गया कहीं-कहीं तो आयुर्वेदिक औषधालय भी वहीं पर खोली गयी। बाकी जगह भुक्तभोगी रह गई। इस सारी स्थिति में इस प्रकार का विचार किया गया है। यह योजना मैं सदन के सामने आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, रख रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी दृष्टि से सारी चर्चा प्रारम्भ में आने वाले, सरदारपुरा से आने वाले, पीपलदा से आने वाले, बयाना से आने वाले, बूंदी से आने वाले, जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्यों ने की और चिन्ता प्रकट की कि गांवों और शहरों में हुत इम्बेलेन्स रखा गया है। हमारे

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

पास समय बहुत कम है। अनुपूरक बजट हम ला रहे हैं इसलिए जो थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते थे वह आपके सामने रखा है। मैं चाहूंगा कि सारे विधायक महोदय अपनी योजना रखें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें ताकि गांव पीछे न रहें और गांव भी निश्चित रूप से शहरों की पंक्ति में आकर खड़े हो जायें, यह निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सबके बाद भी जैसा मैंने निवेदन किया कि बहुत से माननीय सदस्यों ने मांग की है कि हमारे यहां शैयायें कम हैं और अस्पताल छोटा है। उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी का विश्वास है कि वह जन-जाति के क्षेत्रों की कमी नहीं भूल सकती इसलिए मन में आया, थोड़ा बहुत बजट रहा तो 5 अस्पताल बनाये जायेंगे और 6 शैय्याओं से 30 रोगी शैय्या तक अफोर्ड किया जायेगा यह विचार जब मन में आया तो 5 में से 3 जन-जाति के क्षेत्र खोलने के लिये रखा गया है। परतापपुरा सीमलवाड़ा और ऋषभ यह तीन ऐसे अस्पताल हैं पहाड़ी क्षेत्र में है, जहां हमारे भील भाई रहते हैं, जो गरीब हैं जिन्हें सुविधायें प्राप्त नहीं हैं इसलिए प्रयत्न किया गया कि 5 अस्पताल हम खोलने की स्थिति में हैं और उन में से 3 अस्पताल जन-जाति के क्षेत्र में खोले जायेंगे और बाकी के दो जिला चूरू में सांडवा और अलवर जिले में गोविन्दगढ़ में खोले जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि 500 रोगी शैय्या वाला भ्रमण चिकित्सालय हमारे पास है जिसकी गतिविधियां और बढ़ाई जायें और बढ़ाकर उसका पूरा उपयोग किया जाये इस प्रकार का भी प्रयत्न है। केन्द्र सरकार भी बहुत अधिक सहयोग दे रही है। हमारे मुख्य मंत्री जी लगातार केन्द्र सरकार के पास जाते हैं और कुछ योजनायें उनकी भी बनी है। मैं सदन को निवेदन करना चाहता हूं की केन्द्र ने योजना ली है वह 3 जिलों को प्रत्येक प्रदेश में लेना चाहते हैं। उनकी लेने की यह भी इच्छा है कि वर्ल्ड बैंक और और केन्द्र सरकार ने मिल कर मध्य प्रदेश में ऐसे तीन जिले भिण्ड, मुरेना और ग्वालियर और उनके साथ लगे हुए हमारे भरतपुर सवाई माधोपुर और कोटा जिले हैं इनको लिया है जिनमें भारत सरकार के अनुसार विश्व बैंक की सहायता मिल सकेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना है। इसके अन्तर्गत इन जिलों में पोषाहार, मातृ शिशु कल्याण सेवा, गर्भ समापन सेवायें आदि को ग्रामीण जनता के नजदीक से नजदीक पहुंचाना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी योजना पहुंच सके इसके लिये इस प्राजेक्ट के अन्तर्गत सब डिविजनल हेडक्वार्टर पर एक आपरेशन थियेटर का निर्माण होगा जिसमें 6 रोगी शैय्यायें होंगी 2 अतिरिक्त चिकित्सा अधिकारी, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ और एक शिशु रोग विशेषज्ञ का प्रावधान है इन तीन जिलों में प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र की सेवाओं का स्तर ऊंचा किया जायगा जिसके अन्तर्गत प्रत्येक ऐसे केन्द्र में 6 अतिरिक्त रोगी शैय्यायें और एक आपरेशन थियेटर का निर्माण भी शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्राजेक्ट के अन्तर्गत हर पांच हजार की जनसंख्या पर एक ग्रामीण उप केन्द्र की स्थापना भी

# Page No 218

(218)



(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

की जायगी। इसके अतिरिक्त इस प्राजेक्ट में पोषाहार के स्तर को ऊंचा करना, दवाइयों को प्रशिक्षण देना; शिशु कल्याण को लोकप्रिय बनाना, शिक्षा प्रसार के अधिकारियों का इन जिलों में विस्तार करना है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मेडिकल इन्स्टीट्यूट आफ इण्डिया को भी हमने निवेदन किया। उन्होंने भी स्वीकार किया है हमारे राजस्थान के एक जिले को गोद लेने का। वह गोद लेना चाहते हैं। चूरू जिले को हमने उस नाते से तय किया है। चूरू जिले में मेडिकल इन्स्टीट्यूट के सहयोग से इस प्रकार किया सारी चिकित्सा सुविधाओं का प्रसार किया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा संस्थान, नई दिल्ली द्वारा चूरू के ग्रामीण क्षेत्र में विशेषज्ञों की सेवायें उपलब्ध कराने का प्रावधान है। प्रथम चरण में यह योजना जिले को राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में लागू की जायेगी। इसे सुचारु रूप से चलाने के लिए राजगढ़ स्थापित उप-जिला अस्पताल को 30 रोगी शैय्या में क्रमोन्नत करने का प्रावधान है इसके जिसे भवन व्यवस्था जन-सहयोग से उपलब्ध कराई जा रही है वहां से सीधा मेडिकल इन्स्टीट्यूट को रेफर किया जायेगा। आशा है शहरों और ग्रामीण क्षेत्र के असंतुलन को हम कम करने में सफल होंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं। बजट कम है। अनुपूरक मांगे केवल पास की हैं। उसमें हम थोड़ा सा सहयोग लेना चाहते हैं। टी० बी० का रोग गरीबों का रोग है। निश्चित रूप से टी० बी० उपचार के लिये प्रयत्न करना चाहिये। कुछ माननीय सदस्यों ने चर्चा की थी कि जयपुर के टी० बी० अस्पताल में जो आपरेशन्स हो रहे हैं वे बन्द हो गये हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। पहले तो कुछ और हो था। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं ऐसे डाक्टर को लाया जायेगा जिससे आपरेशन हो सकें। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि सामली का जो अस्पताल है सीकर के नजदीक, वह अस्पताल मैंने देखा है। इतना शानदार अस्पताल है इतनी सुन्दर व्यवस्था है कि एक भी रोगी ऐसा नहीं मिला, जो रोगी टी० बी० का वहां पहुंचा हो और उसकी मौत हुई हो। जो भी रोगी वहां पहुंचे हैं सारे स्वस्थ हो कर गये। वहां पर रोगी शैय्या बढ़ा कर 50 की जायेंगी।

मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं मलेरिया के संबंध में बड़े जोरों से चर्चा की। न केवल राजस्थान में बल्कि सारे हिन्दुस्तान में मलेरिया फैला हुआ है। जैसे बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि राजस्थान के मुख्य मंत्री मलेरिया के शिकार हुये हैं। जेल में जाने से पहले मैं भी दो वर्ष तक लगातार मलेरिया का शिकार होता रहा हूं। अब शायद जेल में जाने के बाद मेरे शरीर ने शक्ति प्राप्त कर ली है। यह बात सत्य है कि मलेरिया काफी फैला हुआ है। इसकी रोकथाम करना आवश्यक है। इसके लिये आदेश दिये हैं। आजकल मच्छर डी० डी० टी० भी पचाने लगा है।

**श्री रतन लाल वर्मा :** हिन्दुस्तान का डी० डी० टी० किसी काम का नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आज तक 17 इकाइयां थीं इनको बढ़ाकर प्रत्येक जिले में एक इकाई कर दी गई है। इस प्रकार 26 इकाइयां कर दी हैं। बाढ़ के क्षेत्र को मैं देख कर आया हूं। जहां-जहां पानी भर गया है वहां मलेरिया बड़े जोरों से फैला हुआ है। हमने प्रयत्न किया है, लगातार भरतपुर और अलवर के लोगों को राहत देने की कोशिश की है। कोट-पूतली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, उसकी मुझे जानकारी है। हम मलेरिया की रोकथाम का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में जहां मलेरिया के फैलाने चान्सेज ज्यादा हैं। वहां अधिक सुविधायें पहुंचाई जायेंगी। हमने राहत देने की कोशिश की है। फिर भी जितने क्षेत्र में बीमारी है हम प्रयत्न करेंगे वहां पर डी० डी० टी०, बी० एच० सी० आदि दवाइयों का छिड़काव कराने का रोगियों की जांच के लिये हम प्रयत्न कर रहे हैं। यह बीमारी बहुत जोरों से आई है बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में और भी जोर से आई है। आप सहयोग दें, परामर्श दें, डिपार्टमेंट को जानकारी दें। अगर डिपार्टमेंट में किसी भी स्तर पर स्लेकनैस आई, तो मैं मंत्री के नाते कहना चाहता हूं कि दोषी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

माननीय उपाध्यक्ष जी, चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान की दृष्टि से बहुत सारे कटौती प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने दिये हैं और उस पर काफी चर्चा यहां पर की है। मैं इस विषय पर भी निवेदन करना चाहता हूं। पहले पहल आज जब मैं खड़ा हुआ हूं तो जैसी भूमिका बनी हुई है इसमें 450 सीटें पी० एम० टी० की की थी उन्हें बढ़ाकर 550 करने का निश्चय किया है।

एक माननीय सदस्य : इसमें शिड्यूल्ड-कास्ट्स की कितनी हैं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जितनी अधिक कैपेसीटी हो सकती थी। उतनी बढ़ाने का निश्चय किया है। आज तक जब कभी भी बढ़ी हैं तो 525 से अधिक नहीं बढ़ी हैं।

श्री नवनीत पालीवाल : 25 और बढ़ा दो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जितनो लोगों को ठीक रूप से पढ़ाया जा सकता है उतनी पूरी केपेसिटी करने का प्रयत्न किया गया है। 525 से अधिक बढ़ाना सम्भव नहीं था लेकिन कहने का अवसर न मिले इस कारण 550 सीटें करने का निश्चय किया गया है। इस सम्बन्ध में मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया ने कुछ ऐसे नियम बना दिये हैं कि जिन नियमों के हम इधर-उधर नहीं जा सकते हैं। उन्होंने नियम बना दिये हैं कि सारे विद्यार्थियों के 50 पर्सेन्ट मार्क्स आवश्यक होंगे। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के विद्यार्थी हो उनके लिये पांच पर्सेन्ट की छूट दी जा सकती है लेकिन 45 पर्सेन्ट मार्क्स आवश्यक हैं। आज भी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिल पाता है। कुल 63 के करीब सीट आती हैं उनमें से केवल 38 शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के मैरिट के आधार पर आते हैं। मैंने निवेदन किया, मुख्य मंत्री जी श्री राजनारायण जी से बात करके आये। वहां तक पहुंच लगाई। मैडिकल कौंसिल आफ इण्डिया को भी यहां से पत्र भिजवाया। उनसे निवेदन किया कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

के लोग शायद 45 पर्सेन्ट मार्क्स से नहीं आ सकेंगे। उनके लिये 30 पर्सेन्ट रखने का सुझाव दिया है। मुझे विश्वास है कि जितना कोटा शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राईब्स का बनता है उसमें से सारे विद्यार्थी 6 या 8 पर्सेन्ट में आयेंगे।

**श्री बजरंग लाल शर्मा** : यूनिवर्सिटी में भी रिवाइज करवा दो।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : एक निवेदन और करना चाहता हूं। राज्य सरकार एक और विचार कर रही है कि पिछले साल पढ़ाईकर्त्ता कई लोग मीसा में गिरफ्तार हुए। उनके बच्चों को घर का काम चलाने के लिये प्रयत्न करना पड़ा। शायद उनके मन की भूमिका इसमें लगी, उनके मन डिस्टर्ब रहे। उसी तरह से सिर्फ इमर्जेन्सी का विरोध करने के लिये कई फर्स्ट-ईयर और हायर सेकेण्डरी के विद्यार्थी डी० आई० आर० में गिरफ्तार रहे। राज्य सरकार विचार कर रही है कि 10 सीटें उनके लिये रखी जायें। अभी प्रस्ताव है, केबिनेट बैठेगी तो निर्णय होगा। राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है।

**श्री नवनीत पालीवाल** : दूसरों में भी ऐसे विद्यार्थियों को ले लें मध्य प्रदेश ने ऐसे लिये हैं।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : राज्य सरकार ने विचार किया है और विचार करने के कारण ही वह दृष्टिकोण मैंने आपके सामने रखा है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, राज्य में पांचों मेडिकल कालेज में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के प्रबन्ध की व्यवस्था को भी देखा गया है।

स्पेशलिस्टों का विकास राजस्थान में नहीं हो पाया, यह बात कुछ अंशों में सही है। आज हमारे यहां सब प्रकार के कुशल डाक्टर विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद हैं। इस सम्बन्ध में कुछ प्रयत्न किया गया था और हमें सफलता मिली है। बांगड चेरिटेबिल ट्रस्ट की ओर से 25 लाख रुपये की राशि इस सम्बन्ध में मिली है। उन्होंने राज्य सरकार को सहयोग दिया है। हम चाहते हैं उससे राजस्थान में भवन निर्माण हो और उसमें इस प्रकार की विभिन्न एक्टीविटीज को प्रोत्साहन दिया जाय।

हृदय रोग, स्नायु रोग विभाग के बारे में राज्य सरकार का दृष्टिकोण है कि उनका विकास किया जायेगा। इसी प्रकार एस० एम० एस० हास्पिटल के विस्तार की ओर मरम्मत की काफी चर्चा की गई। बीकानेर के हास्पिटल में पीने के पानी की व्यवस्था आदि कई काम हैं जो माननीय सदस्यों के सुझाव आये, वे करने हैं। सब काम हमें इस छोटे बजट से पूरे करने है, इस दृष्टिकोण को भी सामने रखना होगा। यह विचार किया है।

एस० एम० एस० हास्पिटल, राजस्थान के केन्द्र में है, राजधानी में है उसके विषय में कई प्रकार के सुझाव दिये हैं। और कई माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव दिये हैं। निश्चित रूप से उनमें सुधार की आवश्यकता है सुपरिन्टेन्डेन्ट अलग-अलग रूप से इसकी व्यवस्था को देखेंगे, ऐसी व्यवस्था रखी

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

गई है। जो सुझाव आये हैं वे मेरे ध्यान में हैं और डिपार्टमेन्ट के भी ध्यान में आये है। मैं चाहता हूं जैसा सुझाव आया है, यह आवश्यक नहीं है कि मन्त्रीगण ही जाकर चैकिंग करें। जो भी माननीय सदस्य हैं वे वहां की गतिविधियों के बारे में सुझाव देते रहें। राजस्थान के केन्द्र उसकी राजधानी में जो अस्पताल है इसकी अत्यन्त आवश्यकता है। सारे माननीय सदस्य इसके सुधार में सहयोग करेंगे, इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि सदन में और भी चर्चाएँ की गई हैं वे चर्चाएँ हैं डाक्टरों की कमी, नर्सेज की कमी, कम्पाउन्डरों की कमी के बारे में। मैं निश्चित रूप से इस मूल को स्वीकार करता हूं। व्यक्तिगत रूप से मैं जिम्मेदार हूं और मैं दोषी अपने आपको मानता हूं लेकिन हमारी समस्यायें है। जिस परिमाण में डिस्पेन्सरीज खोली गई हैं उतने परिमाण में व्यक्ति प्रशिक्षित हमारे पास हैं भी या नहीं। डाक्टर मौजूद हैं लेकिन जैसा कहा गया डाक्टरों के अभाव में मरीज मर रहे हैं, यह बात कुछ अंशों में सही है। मैं सारी व्यवस्था को ढंग से लगाऊँ उनमें कुछ देरी होना स्वाभाविक भी है। आज 179 पोस्ट खाली है। हमने तय किया है दो महीने में भरने का कुछ कठिनाई अवश्य इसमें थीं। उसी प्रकार 20 पोस्ट और हैं सी० ए० एस० की। फेमिली प्लानिंग का थोड़ा सा एडजस्टमेंट होगा उसके कारण जो लोग निकलेंगे शायद उनको एब्जार्ब करना होगा। उसी प्रकार 31 पोस्ट शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की हैं। अभी तक ऐसे डाक्टर अवेलेबल नहीं हैं। इन पोस्ट्स को एडवरटाइजमेन्ट किया गया है। हम चाहते हैं कि 31 पोस्ट भर जायं। इसी प्रकार 29 पोस्ट लेडी डाक्टर की हैं। उनकी कमी की भी बहुत चर्चा की है। मैं प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करता हूं, राजस्थान में लेडी डाक्टरों की बहुत कमी है। जितनी लेडी डाक्टर्स हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स आदि की, उन सबको एब्जार्व कर लें तो हो सकता है उनमें से भी कोई आये नहीं लेकिन आने वाले दो महीनों में किसी डाक्टर की जगह खाली नहीं रहेगी और निश्चित रूप से व्यवस्था हो जायगी। कुछ कठिनाई है जिसको हम फील करते हैं। डाक्टर का अपाइन्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन डाक्टर जोइन नहीं करते। पता नहीं पहले क्या परम्परा बनी है। किन्तु अब कुछ नियमों को कड़ा करने का प्रयत्न किया जा रहा है। डाक्टर्स का अपाइन्टमेंट होने के बाद पन्द्रह दिन के अन्दर डाक्टर्स ने उस स्थान पर जोइन नहीं किया तो उसका नाम उस लिस्ट से निकाल दिया जायगा। उसी प्रकार ट्रान्सफर होने के बाद अगर 15 दिन में डाक्टर ने दूसरे स्थान पर जाकर जोइन नहीं किया तो डिशिप्लीनरी एक्शन लिया जायगा। बड़ी कठिनाई हमें इस बारे में होती है। और हमें यह देखने को मिला भी है।

( व्यवधान )

श्री बजरंग लाल शर्मा : हमने मेजें नहीं थपथपाई हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : किसी का ट्रान्सफर हो गया तो वह जयपुर में दो महीने बैठा रहता है और प्रतीक्षा करने लगता है कि कब चिकित्सा मंत्री बदल जाय

( श्री ललित किशोर चतुर्वेदी )

श्रोर वह श्रपना ट्रान्सफर वापस बदलवा ले। पता नहीं ऐसा क्यों प्रयत्न किया जाता रहा है....

( व्यवधान )

मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी भरपूर कोशिश इस ओर रहेगी। कम्पाउन्डर श्रोर मेल नर्सेज की कमी है; उनको इतनी जल्दी प्रशिक्षित भी नहीं किया जा सकता है। अब यह कैसे गेप भरा जाय कुछ उसकी भी कोशिश की है। पांच केन्द्र खोल कर यह गैप भरने का भी तय किया गया है। उसके साथ 200 ऐसे लोग हैं, जो कन्डेन्स्ड कोर्सेज दो साल का था उसके बजाय एक साल कर दिया, श्रोर आज उनको लोवर ग्रेड में रखा है उससे वे सन्तुष्ट नहीं है। हम भी चाहते हैं कि उनको कम्पाउन्डर की जगह लगा दिया जाय। उन कम्पाउन्डर्स को मेल नर्सेज के बीच का करना चाहेंगे। हमें कठिनाई अवश्य आयेगी कि पूरे लोग फिर भी नहीं मिल पायेंगे। यह भी कोशिश की गई है कि राजस्थान के बाहर से लाये जायें लेकिन उससे भी कुछ माननीय सदस्यों को रोष होगा श्रोर उनका एजीटेट होना निश्चित रूप से आवश्यक भी है। उनके रोष का मैं आदर भी करता हूँ। हमें बतायें किस प्रकार के प्रयत्न हो हम उसके अनुसार पूरा करने का भरसक प्रयत्न करेंगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने पे-क्लिनिक के बारे में भी चर्चायें की हैं। पे-क्लिनिक का बड़ा भारी सवाल है। बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने, किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने इसकी चर्चा की है। आज निश्चित रूप से हमें इसका भी इवेलुएशन करना है, किसको यह उपयोगी है श्रोर किसको इसका फायदा होगा; क्या राज्य सरकार को इससे कोई फायदा होगा, क्या उससे मरीजों को फायदा रहेगा यह एक बड़ी समस्या है जिसकी जानकारी भी हम करना चाहते हैं। इसके लिये राज्य सरकार ने तय किया है कि एक कमेटी बनाई जाय, वह यह इवेलुएट करे कि पे-क्लिनिक चलने के कारण क्या प्रभाव हुआ है। यदि उस कमेटी को लगा कि यह ठीक नहीं है तो वह भी किया जायगा। उस समिति में चिकित्सा शास्त्री हैं, उस समिति में कुछ अर्द्ध शास्त्री भी हैं श्रोर कुछ विधान सभा के सदस्यों को भी रखने का विचार किया गया है। इन सारे सदस्यों की समिति बनेगी, वह जाकर इवेल्युएट करेगी श्रोर अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट देने के बाद उसमें क्या कुछ करना सम्भव है, क्या प्रणाली होनी चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए इस पर राज्य सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी।

मिलावट, मिश्रण श्रोर श्रोषधि नियन्त्रण के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने कहा है। यह बात निश्चित है कि पूर्व सरकार ने जाते-जाते चुनाव को सामने देखकर एकदम ऐसी व्यवस्था कर दी थी। हम भी नये आये इसलिए उस व्यवस्था को सुधार नहीं सके। किन्तु उस व्यवस्था को ठीक रूप से चलाने की आवश्यकता है। मिलावट निश्चित रूप से घनघोर अपराध है। जन-जीवन के साथ खिलवाड़ है। मिलावट के प्रश्न पर सभी प्रकार से विचार कर रहे हैं श्रोर पड़ोसी प्रान्तों से जानकारी कर रहे हैं। राज्य सरकार कटिबद्ध है श्रोर विचार कर रही है ताकि इन सारी अव्यवस्था को, नकली दवाइयों के निर्माण

( श्री ललित किशोर चतुर्वेदी )

से होने वाली सारी अव्यवस्था को जल्दी से जल्दी दूर किया जा सके। देरी हुई है इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि जल्दी से यह व्यवस्था प्रारम्भ नहीं हुई।

परिवार कल्याण के विषय को लेकर बहुत सारे माननीय सदस्यों ने कई सवाल किये। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार परिवार कल्याण कार्यक्रम के बारे में नये परिवेश में सोच रही है। जो भुक्त भोगी हैं उन्होंने देख लिया है कि परिवार नियोजन का क्या हाल हुआ। हमारा मत है कि स्वेच्छा से परिवार कल्याण करने का प्रयत्न किया जाय। केवल परिवार कल्याण में इतनी बात नहीं आती, शिक्षा, दीक्षा, सब बातों का प्रचार, प्रसार......

श्री रतनलाल वर्मा : सन्यास।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : नई नीति के अनुसार परिवार कल्याण कार्यक्रम को नई दिशा दी गई है। हमारा जो परिवार कल्याण कार्यक्रम बना है उसको नियोजन के संकीर्ण स्तर से उभार कर जन-कल्याण कार्यक्रम बनाना चाहते हैं तथा उसमें माताओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा से सम्बन्धित योजनाओं का समावेश करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम में अब परिवार के स्वास्थ्य में सुधार हेतु पोषण, खुराक, वस्त्र, आवास, पीने योग्य जल की व्यवस्था, शिक्षा, रोजगार और नारी कल्याण को भी सम्मिलित किया गया है। परिवार कल्याण को पूर्णतः स्वेच्छिक कार्यक्रम के रूप में चलाया जावेगा। यह एक व्यापक नीति का अभिन्न अंग रहेगा और व्यक्ति एवं राष्ट्र के विकास तथा समृद्धि के साधन के रूप में विकसित होगा। भारत सरकार ने यह लक्ष्य रखा है कि 1978-79 के अन्त तक जन्म दर को 30 प्रति हजार और 1983-84 के अन्त तक 25 प्रति हजार लाना है। इस उद्देश्य को सामने रख कर जन-साधारण को इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न प्रचार और प्रसार माध्यमों का व्यापक रूप से उपयोग किया जावेगा ताकि जन-साधारण इस कार्यक्रम को समझकर स्वेच्छा से अपना सके। राज्य सरकार ने परिवार कल्याण के प्रति लोगों में फिर से विश्वास उत्पन्न करने के लिए तथा नसबन्दी के मामलों में उत्पन्न जटिलताओं की देखभाल करने के लिए 2 अक्टूबर, 1977 से 30 नवम्बर, 1977 तक विशेष अभियान का कार्यक्रम बनाया है। जो लोग नसबन्दी के शिकार हुए हैं उनको ठीक तरह से राहत दी जा सके। मरने वाले बन्धुओं के परिवार को एक्स-ग्रेशिया पांच हजार रुपये देने का निश्चय किया है। जो कम्पलीकेटेड केसेज हैं उनको राहत दी जा सके, इस प्रकार का पूरा राज्य सरकार का प्रयत्न होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और भी कई सवाल किये गए हैं, मेरे पास बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन दो-चार बातें जरूर करना चाहता हूं।

हमारे जयपुर से आने वाले माननीय विधायक ने संतोकबा हास्पिटल के बारे में कुछ ऐसे विषय रखे थे जो शायद बानगी के रूप में ही प्रस्तुत कर पाये हैं समय के अभाव के कारण। मैं उनको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि वे सारे फैक्ट्स देंगे, फण्ड के दुरुपयोग के बारे में और

( श्री ललित किशोर चतुर्वेदी )

उसमें ऐसा लगा कि दुरुपयोग हो रहा है तो निश्चित रूप से उसकी इन्क्वायरी की जाएगी। इसमें किसी प्रकार का सन्देशा नहीं है। ऐसी कोई भी बात कहीं की भी, कोई भी कभी राजस्थान के अन्दर कहीं पर भी हो, उसके बारे में हमको सूचित किया जायगा तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसके बारे में निश्चित रूप से जांच की जाएगी।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : मैं बीच में ही पूछ लेना चाहती हूं क्यों कि इनके भाषण के बाद में बोलना कदापि उचित नहीं होगा। मोती कटला डिस्पेन्सरी.... ..

**श्री उपाध्यक्ष** : बीच में बोलना भी ठीक नहीं होगा। आप कृपया बिराजिये।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : न सुबह बोलने दिया और न अब बोलने दिया जा रहा है।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : एक चर्चा एम. एम. एस. कालेज के बारे में भी उठाई गई। मैं वहां निरीक्षण पर गया था, कुछ मुझे देखने को मिला है। केवल ऐसा नहीं है कि वह दबा दिया जाएगा। वहां जो कुछ देखने को मिला है, चाहे कूलर्स का हो, चाहे वह स्टेनलेस स्टील के बर्तन का मामला हो सकता है····

**श्री बजरंगलाल शर्मा** : कालेज या हॉस्पिटल ?

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी**। हॉस्पिटल है। उनके बारे मे इन्क्वायरी की जाएगी दबाने की इच्छा न मेरी है और न किसी भी स्तर पर है। न माननीय सदस्य ऐसी अपेक्षा मुझ से करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सारी चर्चायें और भी उठाई गई। मैं चाहता था कि कुछ और बातों पर चर्चा करूं। बहुत सारे सवाल यहां पर खड़े किए गए हैं किन्तु समय के अभाव के कारण मैं क्षमा चाहता हूं। मैं इन सवालों का ब्योरेवार विवरण उनको प्रस्तुत कर दूंगा। इतनी बात कह कर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह मांग सदन के सामने है।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं समझता हूं ...

( व्यवधान )

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाह रही थी कि मोती-कटला डिस्पेन्सरी मेरे क्षेत्र में पड़ती है, उसके बारे में मेने आपका ध्यान आकर्षित किया है। वहां पर 92 बल्लियां आ चुकी थीं मरम्मत के लिए। इसके लिए विशेष रूप से पैसा सैंक्शन हो गया, अन्त में काम भी शुरू हो गया। मेटिरियल लाना पी. डब्यू. डी. वालों ने शुरू कर दिया। उस वक्त निर्देशक महोदय से एक पत्र आ गया कि 65 हजार रुपये मरम्मत के लिए स्वीकृत हुए थे उसका काम बन्द कर दो। पी. डब्ल्यू. डी. का महकमा भी आपके पास है, आप उसके मंत्री है····

**श्री उपाध्यक्ष** : यह नया कटौती प्रस्ताव रख रही हैं आप।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : एक महीना पहले मैंने डो.ओ. लेटर भी लिखा लेकिन उसका उत्तर नहीं लिखा है। इसी तरह से

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

मेरे क्षेत्र में लक्ष्मीनारायण पुरी में आयुर्वेदिक औषधालय खोला गया लेकिन वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या कटौती प्रस्ताव पर पहले काफी बोल चुकी हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैंने तो कटमोशन दिए थे लेकिन मेरे एक भी कटमोशन को रेफर नहीं किया है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वर्माजी, कृपया विराजिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय उपाध्यक्षजी, दो कटौती प्रस्ताव मेरे हैं। सुबह तो कह रहे थे कि जवाब सुनने को रुकते नहीं है और अब रुके हैं तो माननीय मंत्रीजी ने एक को भी रेफर नहीं किया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न किया गया है मोतीकटला डिस्पेन्सरी के बारे में, मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि सात दिन में उस स्थान की मरम्मत का कार्य प्रारम्भ हो जाएगा।

कुछ और सवालों के जवाब भी देने को तैयार हूं....

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय मेरे प्रश्न का क्या हुआ ? मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आपने कहा था कि आप अगर आ गए तो जवाब देंगे। माननीय मंत्रीजी ने मेरे एक भी कट मोशन को रेफर नहीं किया जिसका मुझे बड़ा दुःख हुआ।

(व्यवधान)

श्री नवरंगसिंह : नवलगढ़ मेडिकल कॉलेज खोलने के बारे में मैंने निवेदन किया था....

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : जालोर से आने वाले माननीय सदस्य ने कटमोशन रखा था। वहां की डिस्पेंसरी गिरने वाली है, आज तक दवाइयां बराबर नहीं पहुंच रही हैं, उसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्य महोदयों ने जो भी सवाल किए हैं....

एक माननीय सदस्य : साढ़े दस बज गये हैं, सारे ढाबे बन्द हो जायेंगे, होस्टल बन्द हो जाएगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं सबको जवाब लिखित में भेज दूंगा।

इतनी बात और कहना चाहता हूं कि डिस्पेंसरी खोलने की बात कही गई, प्राइमरी हैल्थ सेंटर खोलने की बात कही है उस पर निश्चित रूप से विचार होगा। लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं, हो सकता है कि किसी पैसे वाले ने बिल्डिंग बना दी हो और आवश्यकता नहीं हो तो गरीबों की आवश्यकता पर विचार करते हुए निश्चित रूप से सार्वजनिक दृष्टिकोण से विचार किया जाकर खोली जायेंगी।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिन कटौती प्रस्तावों पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं उन पर दुबारा न बोलें।

(व्यवधान)

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** बहुत से माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव है जिनका जवाब नहीं आया है। पहले भी यह परम्परा रही है कि उनका जवाब लिखित में उनको भेजा जाए।

**श्री उपाध्यक्ष :** वे लिखित में भेज रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दे दिया है।

**श्री किशनसिंह भाटी :** स्टॉफ के बारे में....

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :** मेरे पास में ये सारे हैं। मैं जवाब देने को तैयार हूं।

**श्री किशनसिंह भाटी :** स्टॉफ के बारे में क्या आश्वासन है ?

**श्री उपाध्यक्ष :** मंत्री महोदय ने कह दिया है, वे आपके कट मोशन का जवाब लिखित में भेज रहे हैं।

**श्री नवनीत पालीवाल :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं, मंत्री महोदय ने यह घोषणा की है कि मेडिकल के क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों को चुना गया है....

( व्यवधान )

**श्री उपाध्यक्ष :** मंत्री महोदय ने आश्वासन दे दिया है वे लिखित में सूचना दे रहे हैं। बार-बार आप इस प्रश्न को दोहरा रहे हैं।

**श्री नवनीत पालीवाल :** मेरा तो घोषणा से सम्बन्धित है।

**श्री उपाध्यक्ष :** आपको लिखित में उत्तर दे देंगे।

**एक माननीय सदस्य :** एक ही प्रिपरेशन है परन्तु उस दवाई की डबल कीमत वसूल की जाती है। इसके बारे में स्वास्थ्य मंत्री का उत्तर नहीं आया है, मैं यह कहना चाहता हूं कि 6 रुपये की दवाई को न देकर डाक्टर उसी प्रिपरेशन की दूसरी दवाई लिखता है जिसकी डबल कीमत है। यह क्यों है ?

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :** आप मुझे सूचना दे दें मैं इसकी इन्क्वायरी करवा लूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य अब इजाजत नहीं दूंगा।

मांगों पर मतदान।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 26 चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 36 करोड़ 90 लाख 39 हजार रुपये की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

( स्वीकृत )

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 20 सितम्बर, 1977 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

( तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 10-35 बजे मंगलवार दिनांक 20 सितम्बर, 1977 के म. पू. 11-00 बजे तक के लिए स्थगित की गई )।

Page No 227

227



## परिशिष्ट–1

( तारांकित प्रश्न संख्या 227 की सूची )

"वर्ष 1977-78 में खोले गये नवीन औषधालयों की सूची"

जिला अजमेर

1. मोराझड़ी आयुर्वेद
2. कालेसरा ,,

जिला अलवर

3. मैनपुर आयुर्वेद
4. ढुण्डियाकलां ,,
5. हिंगापाली ,,

जिला भरतपुर

6. मीजानगरावीवोरां आयुर्वेद
7. बिलयारी ,,
8. इंसरानी ,,
9. गोपालगढ़ ,,
10. हुमेची ,,
11. पीयावटी ,,
12. पिलनोदा ,,
13. भरतपुर ,,

जिला बीकानेर

14. वासूरी आयुर्वेद
15. हथरासर ,,
16. बनियां ,,
17. बीकानेर होम्यो०

जिला बून्दी

18. रानीपुरा आयुर्वेद
19. भवाण ,,
20. बून्दी होम्यो०

जिला भीलवाड़ा

21. माहरी आयुर्वेद
22. टूकरवाड ,,
23. सिडियास आयुर्वेद
24. मरनीकलां ,,
25. गंगापुर ,,
26. मानपुरा ,,
27. निकरन ,,
28. जगपुरा ,,
29. बलपरलां ,,
30. भीलवाड़ा होम्यो०

जिला चित्तौड़गढ़

31. मानूपा आयुर्वेद
32. मण्डेसरा ,,
33. झांझली ,,

जिला गंगानगर

34. पुरानी आबादी होम्यो०
35. वेलडिवा आयुर्वेद
36. बुर्कवाला ,,
37. कीकरपाली ,,
38. केछरवाला ,,
39. तेलवाला ,,
40. थींदवाला ,,
41. गोसूवाला ,,
42. फतहगढ़ ,,

जिला जालोर

43. जूतड़ी आयुर्वेद

जिला झालावाड़

44. फतहगढ़ आयुर्वेद
45. स्यारेल ,,
46. बेहला ,,

जिला कोटा

| | | |
|---|---|---|
| 47. | हीरापुराभांजी | आयुर्वेद |
| 48. | नीमोदा | ,, |
| 49. | बोरदा | ,, |
| 50. | नीयाना | ,, |

जिला चूरू

| | | |
|---|---|---|
| 51. | सीसमादेसर | आयुर्वेद |
| 52. | लासाउ | ,, |
| 53. | उदासर कल्याणपुरा | ,, |
| 54. | मेहरी | ,, |
| 55. | कुसमरवाड़ा | ,, |
| 56. | सम्योरवटी | ,, |
| 57. | पावूसर | ,, |
| 58. | कडयारी | ,, |
| 59. | सुजानगढ़ | ,, |
| 60. | बाडसा | ,, |
| 61. | सेछनारली | ,, |
| 62. | लसेली | ,, |
| 63. | भालेरी | ,, |
| 64. | सारायण | ,, |
| 65. | रैयाटूण्डा | ,, |
| 66. | राजसरवीरान | ,, |
| 67. | बरासरवड़ा | ,, |

जिला झुन्झुनू

| | | |
|---|---|---|
| 68. | कुसुमपुरा | आयुर्वेद |
| 69. | कुमाला | ,, |
| 70. | कलवा | ,, |
| 71. | सीडाना | ,, |
| 72. | सीरासरकलां | ,, |
| 73. | पातीव | ,, |
| 74. | मालासर | ,, |
| 75. | कुमास | ,, |
| 76. | केहरपुर कलां | ,, |
| 77. | माधोगढ़ | ,, |
| 78. | जालिमपुरा (कासिमोसर के पास) | ,, |

जिला पाली

| | | |
|---|---|---|
| 79. | मागेसर | होम्यो० |
| 80. | पाली | ,, |

जिला जयपुर

| | | |
|---|---|---|
| 81. | सागानेर | होम्यो० |
| 82. | पोबीसागर चौकड़ी, जयपुर | ,, |
| 83. | द्वारिकापुरी | यूनानी |
| 84. | जौहरी बाजार, जयपुर | ,, |
| 85. | हीरापुरा | होम्यो० |
| 86. | योथगद | आयुर्वेद |
| 87. | राधापुरा | ,, |
| 88. | अबानियां | ,, |
| 89. | लूनियांवास | ,, |
| 90. | कठपो का वास | ,, |
| 91. | सिरल्ली | ,, |
| 92. | सांरकोटड़ा | ,, |
| 93. | चिलूची | ,, |
| 94. | जगतपुरा | ,, |
| 95. | भुरा | ,, |
| 96. | टूटोली | ,, |
| 97. | पोप्लर खुर्द | ,, |
| 98. | पापड़ी | ,, |
| 99. | टोरडा | ,, |
| 100. | खोसेपास | ,, |
| 101. | कोलाल | ,, |
| 102. | पालडी | ,, |
| 103. | खोरडी | ,, |
| 104. | सागांपासां | ,, |
| 105. | हरपूलियां | ,, |
| 106. | गोपालपुरा, जयपुर | ,, |

जिला सवाई माधोपुर

| | | |
|---|---|---|
| 107. | मलोली | यूनानी |
| 108. | मोपुरवसादुरपुर | आयुर्वेद |
| 109. | फनोम | ,, |
| 110. | स्वला | ,, |
| 111. | पाबायलोदा | ,, |

जिला जोधपुर

112. मदाद आयुर्वेद

जिला नागौर

113. मोदा आयुर्वेद
114. बोछरू ,,
115. पोपलाद ,,
116. सबलपुर ,,
117. एयामसर ,,
118. थिम ,,
119. रोहीसा ,,
120. घुडल ,,
121. मसाया ,,
122. नागौर यूनानी

जिला सीकर

123. परासपुरा आयुर्वेद
124. टीमोसी ,,
125. पुरापटी ,,
126. धिरमिया बड़ा ,,
127. दादिया ,,
128. मुलियास ,,
129. रेयासा ,,
130. सीकर होम्यो०
131. ढीकरीया आयुर्वेद

जिला टोंक

132. जोपासा आयुर्वेद
133. खण्डेवल ,,
134. छावँलगढ़ ,,
135. माटू ,,
136. वडापुरी ,,

जिला उदयपुर

137. धनका वाडापाल आयुर्वेद
138. मोरज ,,
139. भूलासा ,,
140. अपलोया ,,
141. यामन खेडा आयुर्वेद
142. अन्टालिया ,,
143. पिपरडा ,,
144. करणपुर ,,
145. नारायणपुरा ,,

जिला अलवर

146. अलवर होम्यो०

230



## परिशिष्ट संख्या—2

( तारांकित प्रश्न संख्या 238 की सूची )

### तालिका नं० 1

राज्य के विभिन्न नियोजन-कार्यालयों पर जीवित पंजिका पर उपलब्ध आशार्थी वर्षान्त 30/6/77

| आइटम | जीवित पंजिका पर आशार्थियों की संख्या 30-6-77 |
|---|---|
| डाक्टर | 260 |
| इंजीनियर | 437 |
| ओवरसियर | 979 |
| ट्रेण्ड अध्यापक | 13,585 |
| ट्रेण्ड नर्सेज एवं कम्पाउण्डर | 284 |
| अन्य टैक्नीकल हैण्ड | 4099 |
| योग.... | 19,644 |

### तालिका नं० 2

गत तीन वर्षों में रोजगार प्राप्त करने वाले आशार्थियों की संख्या

| आइटम | 1-7-74 से 30-6-75 | 1-7-75 से 30-6-77 | 1-7-76 से 30-7-77 | योग |
|---|---|---|---|---|
| डाक्टर | 28 | 83 | 107 | 271 |
| इंजीनीयर | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ओवरसियर | 23 | 74 | 41 | 138 |
| ट्रेण्ड अध्यापक | 3901 | 3111 | 4295 | 11,307 |
| ट्रेण्ड नर्स एवं कम्पाउन्डर | 91 | 397 | 452 | 940 |
| अन्य टैक्नीकल हैण्ड्स | 956 | 720 | 821 | 2497 |
| योग.... | 5000 | 4386 | 5770 | 15156 |

तालिका संख्या–23

राज्य के विभिन्न नियोजन कार्यालयों की जीवित पंजिका पर 30-6-77 को निम्नांकित स्तर के अनट्रेंड-ओवर एज आशार्थियों की तालिका

| आइटम | जीवित पंजिका पर उपलब्ध आशार्थी | ओवरएज आशार्थी 28 वर्ष की आयु से ऊपर |
|---|---|---|
| स्नातक ( ग्रेजुएट ) | 29623 | 797 |
| अधिस्नातक (पोस्ट ग्रेजुएट) | 5317 | 985 |
| हायर सैकण्डरी | 46056 | 473 |
| सैकण्डरी | 51504 | 712 |
| योग···· | 132500 | 2967 |

## परिशिष्ट संख्या—3

( समयाभाव के कारण सदन में नहीं पूछे गये प्रश्न तथा उनके उत्तर )

### जयसमन्द बाँध की मछली का ठेका

249. श्री मावजी (सलूम्बर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर जिले में स्थित जयसमन्द बांध की मछली का ठेका सबसे पहले कौन से वर्ष में श्री एच. सी. कपूर को दिया गया था तथा ठेके की अवधि क्या थी और आखरी ठेका कब तक रहा ?

(2) क्या जयसमन्द बांध का ठेका प्रतिवर्ष बिना नीलाम किये ही श्री एच. सी. कपूर के पक्ष में बढ़ा दिया जाता था ?

(3) क्या ऐसा करने में आर्थिक नियमों की भारी अवहेलना की जाती थी एवं भारी घोटाला किया जाता था ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसकी जांच करायेगी ?

(4) क्या अब जयसमन्द बांध के आस पास रहने वाले भीलों की सहकारी समिति द्वारा जयसमन्द से मत्स्य निकालने का कार्य किया जायेगा ?

(5) इसके लिये राज्य सरकार ने क्या तैयारी की है व कितना खर्चा किया जायेगा ?

(6) क्या यह सही है कि जयसमन्द से चोरी-चोरी काफी मछलियां निकाली जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम करेगी ?

उत्तर

(1) जयसमन्द भील की मछली का ठेका सर्वप्रथम भूतपूर्व महाराजा, उदयपुर ने जनवरी, 1953 में श्री एच० सी० कपूर के साथ अनुबन्धन कर पांच वर्ष के लिए दिया था। विभिन्न चरणों में अवधि की वृद्धि होती रही और दिनांक 18-9-76 को अवधि समाप्त हो गई।

(2) जी हां।

(3) हालांकि राजस्थान मीन नियम 1958 में मत्स्य आखेट का ठेका एक वर्ष के लिये खुली नीलामी द्वारा ही देने का प्रावधान है परन्तु श्री एच० सी० कपूर को मत्स्स आखेट का ठेका दीर्घ अवधि के लिये बिना नीलामी के राज्य सरकार के समय समय पर निर्णय के अनुसार दिया गया। सरकार इस सारे मामले की जांच करायेगी।

(4) जी हां। इस प्रकार की योजना सरकार के विचाराधीन है।

(पशुपालन मन्त्री)

(5) जयसमन्द में मत्स्य विकास तथा सहकारिता को प्रोत्साहन देने हेतु नियोजित कार्यक्रम है जिसके लिये लगभग 8.70 लाख रुपये की धनराशि का वित्तीय प्रावधान है।

(6) इस प्रकार की जब कभी भी शिकायत आई, उस पर अनियमित मत्स्य माखेट को रोकने की कार्यवाही विभाग व जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर की गई। जयसमन्द बन्ध पर नियुक्त विभागीय अधिकारियों का यह भी दायित्व है कि वह अवैध मत्स्य आखेट को रोकने का हर सम्भव प्रयत्न करें।

## महाराजा उम्मेद मिल्स में कार्यरत मजदूरों को रहने आदि की सुविधाएं

250. श्री मूलचन्द डागा (पाली)। क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली शहर में महाराजा उम्मेद मिल्स के मजदूरों के रहने के लिये कुल कितने मकान बनाये गये हैं? तथा यह मकान कब बनाये गये हैं?

(2) क्या यह सही है कि उन बस्तियों में आज भी पीने के पानी की, आवश्यक सड़कों की, नालियों की व शौचालयों की कोई व्यवस्था नहीं है? इस कारण यह कालोनीज गंदी बस्तियों में परिणित हो गई हैं?

(3) जब यह मकान बने तब मजदूरों से कितनी धनराशि किराये के रूप में ली जाती थी और आज कितनी ली जाती है?

### उत्तर

(1) पाली शहर में महाराजा उम्मेद मिल्स के मजदूरों के आवास के लिए राज्य सरकार द्वारा अलग से व्यवस्था नहीं की है। परन्तु पाली शहर के श्रमिकों के आवास सुविधा के लिए सरकार ने 600 भवनों का निर्माण किया है। एक कमरे वाले 272 भवनों का 1957 में, 16 भवनों का 1959 में, 192 भवनों का 1963 में तथा दो कमरे वाले 120 भवनों का 1964 में कब्जा दिया गया।

(2) श्रमिक कालोनी में पीने के पानी, सड़कों, नालियों व शौचालयों की व्यवस्था है। निर्मित 600 भवनों में से 288 भवनों में शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था मकान के साथ उपलब्ध नहीं है। इनके लिए सार्वजनिक शौचालय एवं नलों की व्यवस्था है। 12 कोमन सार्वजनिक फ्लश तहारत है।

(3) एक कमरे के बने हुए 288 मकानों का 5/- और 192 मकानों का 8/- किराया व 2 कमरे के मकानों का 12-50 किराया लेना प्रारम्भ किया गया था और आज भी उतना ही लिया जा रहा है।

## पशुपालन अधिकारी, भरतपुर के विरूद्ध मामला

251. श्री हरजी राम बुरड़क ( लाडनूं ) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला पशुपालन अधिकारी, भरतपुर द्वारा सन् 1971-72 में फर्जी बीज उठाने का मामला भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में चल रहा है यदि हां, तो इस केस का अब तक चालान नहीं होने का क्या कारण है ? मय आरोप-पत्र के सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त मामले का चालान अब कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) केस सं० 35/71 भरतपुर में दिनांक 28-2-71 जेर दफा 409 भा. दं. सं. के अन्तर्गत डा० ज्ञानसिंह तथा रूपसिंह लेखाकार के विरुद्ध हुआ था उक्त केस निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान ने आडिट रिपोर्ट के आधार पर 10,000/– रुपये के गबन से सम्बन्धित होने पर, दर्ज करवाया था। उक्त केस सं० 35/71 स्थानीय पुलिस भरतपुर द्वारा 30-4-73 को चालान किया जो मुन्सिफ एवं ज्यूडिसियल मजिस्ट्रेट, भरतपुर के न्यायालय में जेर तजवीज है।

(2) दिनांक 30-4-73 को ही चालान न्यायालय में पेश किया जा चुका है।

## मीसा में गिरफ्तारी व जब्त किया गया सामान

252. श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 12-7-75 को श्री राज राजेश्वरसिंह टोंक को मीसा में गिरफ्तार किया गया था ?

(2) क्या पुलिस ने गिरफ्तारी के समय उनके घर का पूरा सामान जब्त किया था ?

(3) क्या यह सही है कि पुलिस ने आज तक उनका सामान नहीं लौटाया है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) घर से सामान जब्त किया गया था।

(3) जी नहीं। केवल श्री राज राजेश्वर सिंह की एक सिंगल बेरल रायफल 8 एम. एम. सं० 79951 एवं इनके पिता श्री शिवराज सिंह की 12 बोर डबल बेरल

( गृह मन्त्री )

गन नं० 34000 भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत जिला दण्डनायक टोंक के आदेश दिनांक 23-7-75 द्वारा इनके शस्त्र अनुज्ञा-पत्रों को रिवोक करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत पुलिस थाना मेन्दवास पर जमा करवाये गये। शस्त्र लाइसेन्स रिवोक होने के कारण उक्त शस्त्र वापस नहीं किये गये। दरख्वास्त देने पर लाइसेन्स स्वीकृत कर दिया जावेगा।

## राज्य में ऊंटों की संख्या तथा दवाई की व्यवस्था

253. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में ऊंटों की संख्या कितनी है ? राज्य में भारत के कुल ऊंटों की संख्या का कितना प्रतिशत है ?

(2) ऊंटों की बीमारी तिबरसा की रोकथाम हेतु Antricide-Prosalt का कोटा राजस्थान के लिए प्रति वर्ष कितना है व राज्य में इसके लाइसेन्स शुदा कितने विक्रेता हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) राज्य में Antricide Prosalt Injection की मांग एवं ऊंटों की संख्या को देखते हुये क्या राज्य सरकार कोटा बढ़ाना उचित समझती है ? अगर हां, तो इसके लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं एवं भविष्य में Black को कम करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) राज्य में ऊंटों की संख्या 1972 की पशु गणना के अनुसार 7.45 लाख थी, जो कि भारत के कुल ऊंटों की संख्या का 70 प्रतिशत थी।

(2) यह कन्ट्रोल्ड आइटम नहीं है, अतः कोई कोटा निर्धारित नहीं है। Antricide Prosalt की आयात इंग्लैण्ड से होती है। राज्य के अधिकृत वितरकों की सूची "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता। राज्य सरकार इस दवा को ज्यादा से ज्यादा मंगाने हेतु प्रयत्नशील है लेकिन दुर्भाग्य से अभी उपलब्ध नहीं हो रही है। Black की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

### सूची "क"

1. मैसर्स पोरवाल ब्रादर्स, जोधपुर।
2. मैसर्स कल्याण दास जोशी, कोटा।
3. मैसर्स सैफी एण्ड सन्स, उदयपुर।
4. मैसर्स जयपुर कैमिकल्स, जयपुर।
5. मैसर्स जेठानन्द बादूमल, अजमेर।

## कोटपूतली का रोडवेज डिपो

254. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटपूतली के रोडवेज के डिपो कार्यालय व वर्कशाप में कितने अधिकारी व कर्मचारी काम कर रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस डिपो पर कुल कितनी गाड़ियां हैं तथा इनमें से चालू हालत में कितनी हैं तथा यह कौन-कौन से मॉडल की हैं ? गाड़ियों को चालू करने या ठीक रखने की क्या व्यवस्था है ?

(3) उक्त डिपो पर फालतू (स्पेयर) सामान कितना है ?

(4) क्या उक्त डिपो की सब गाड़ियों की सीटें ठीक हैं ? यदि नहीं, तो इसमें से कितनी गाड़ियों की सीटें खराब हैं तथा इन्हें कब तक ठीक करा दिया जावेगा।

उत्तर

(1) कोटपूतली आगार (डिपो) में कार्यरत कर्मचारियों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट–अ)

(2) कोटपूतली आगार (डिपो) को कुल 35 वाहन आवंटित है जिनमें से चालू हालत में 29 वाहन हैं। मोडल अनुसार विवरण निम्न हैं:—

| मॉडल | वाहन संख्या |
|---|---|
| 1966–67 | 1 |
| 1971–72 | 5 |
| 1972–73 | 7 |
| 1973–74 | 10 |
| 1976–77 | 12 |

कोटपूतली में वाहनों की मरम्मत तथा रखरखाव के लिए कार्यशाला (वर्कशाप) है।

(3) कोटपूतली आगार (डिपो) में आवश्यकतानुसार स्पेयर सामान रखा जाता है।

(4) जी नहीं। 7 वाहनों की सीटें खराब हैं। संभाग कार्यशाला (वर्कशाप) में रेक्जीन उपलब्ध न होने के कारण इन्हें ठीक नहीं करवाया जा सका। अब रेक्जीन प्राप्त हो गई है तथा इन गाड़ियों की सीटों को ठीक कराया जा रहा है।

## परिशिष्ट-अ

### कोटपूतली आगार व कार्यालय की स्टॉफ पोजीशन

| क्र. सं. | नाम पद | सं. कार्यरत कर्मचारी कार्यालय | सं. कार्यरत कर्मचारी कार्यशाला |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आगार प्रबन्धक | 1 | — |
| 2. | सहायक आगार प्रबन्धक | 1 | — |
| 3. | सहायक यातायात निरीक्षक रूट | 2 | — |
| 4. | स्थान प्रभारी मार्ग | 2 | — |
| 5. | लेखाकार | 1 | — |
| 6. | कनिष्ट लेखाकार | 2 | — |
| 7. | वरिष्ठ लिपिक | 2 | — |
| 8. | संगणक | 1 | — |
| 9. | केशियर | 1 | — |
| 10. | कनिष्ट लिपिक | 13 | — |
| 11. | एस. एस. आई. | 1 | — |
| 12. | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 4 | — |
| 13. | हैड गार्ड | 1 | — |
| 14. | सुरक्षा प्रहरी | 4 | — |
| 15. | जलधारी | 2 | — |
| 16. | सफाई कर्मचारी | 1 | — |
| 17. | स्वीपर | 1 | — |
| 18. | परिचालक/अड्डा परिचालक | 62 | — |
| 19. | परिचालक (प्रशिक्षण) | 26 | — |
| 20. | सहायक यांत्रिक अभियन्ता | — | 1 |
| 21. | कनिष्ट कार्यदेशक | — | 1 |
| 22. | मैकेनिक प्रथम ग्रेड | — | 1 |
| 23. | मैकेनिक द्वितीय ग्रेड | — | 3 |
| 24. | बॉडी फिटर ग्रेड द्वितीय | \| | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 25. | टायर फिटर ग्रेड द्वितीय | — | 1 |
| 26. | विद्युतकार ग्रेड द्वितीय | — | 2 |
| 27. | सहायक | — | 6 |
| 28. | शोधक | — | 6 |
| 29. | सहायक भण्डार निरीक्षक | — | 1 |
| 30. | तकनीकी कर्मचारी (प्रशिक्षण) | — | 24 |
| 31. | चालक | — | 24 |
| 32. | चालक (प्रशिक्षण) | — | 27 |
| | योग.... | 128 | 99 |

## पंचायत समिति, सोजत की वन गोचर सुधार योजना

255. श्री माधवसिंह (सोजत) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, सोजत ने दिनाक 12-7-71 को वन गोचर सुधार हेतु 4830 बीघा भूमि वन विभाग को स्थानान्तर करने का प्रस्ताव पास कर जिलाधीश, पाली को भूमि को स्थानान्तरण करने हेतु लिखा।

(2) अगर हां, तो क्या उक्त कार्य पर अकाल राहत कार्य के दौरान खारिया नींव में 400 हेक्टर भूमि में पत्थर की दीवार बनाने में 24000) रु. खर्च किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो किस वर्ष में ?

(3) क्या यह भी सही है कि 1971 से लेकर आज तक जिलाधीश ने न तो भूमि वन विभाग को दी है और न वन गोचर सुधार का कार्य ही हाथ में लिया है और न उक्त भूमि में काश्त ही की गई है ?

(4) क्या सरकार अब उक्त योजना को शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? भूमि को वन विभाग को हस्तान्तरण कर दिया जायेगा ?

### उत्तर

(1) वन मण्डल, जोधपुर के मूल प्रस्ताव पर पंचायत समिति सोजत ने ग्राम पंचायत खारिया नींव द्वारा 19-8-71 का पारित प्रस्ताव, जिसमें 6500 बीघा भूमि वन विभाग को हस्तानन्तरित करने की प्रस्तावना थी, जिलाधीश, पाली को भिजवाया था।

(वन मंत्री)

(2) जी हां, अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत वर्ष 1975-76 में खारिया नींवको 400 हैक्टर भूमि में पत्थर की दीवार बनाने पर 23,800 रु. 50 पैसे व्यय हुए थे।

(3) यह सही है कि उक्त भूमि अभी तक वन विभाग को हस्तानान्तरित नहीं की गई है। वर्ष 1975-76 में अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत यह भूमि गोचर सुधार हेतु हाथ में ली गई। परन्तु कुछ ग्रामवासियों द्वारा विरोध करने पर कार्य बन्द कर देना पड़ा। यह भूमि न तो काश्त योग्य है और न इस पर काश्त की गई है।

(4) उक्त भूमि वन विभाग को हस्तानान्तरित करने की कार्यवाही जिला स्तर पर की जा रही है। जिसके उपरान्त वन विकास-कार्य कराना सम्भव हो सकेगा।

## जयपुर ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र में क्षतिग्रस्त बांधों की मरम्मत

256. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण), क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) जयपुर ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र में गत वर्षों से छोटे-बड़े कुल कितने बांध टूटे हैं?

(2) क्या राज्य सरकार इन टूटे बांधों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां तो, इस कार्य को कब तक प्रारम्भ कर दिये जाने की सम्भावना है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उन बांधों के टूट जाने से जल-प्रवाह हुआ उससे किसानों के कुओं एवं खेतों में मिट्टी भर गई जिससे उनकी फसल खराब हो गई है?

(4) क्या राज्य सरकार इन गांव को बाढ़ पीड़ित घोषित कर राहत कार्य के अन्तर्गत कूओं से मिट्टी आदि निकलवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) जयपुर ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई विभाग का कोई भी बांध गत वर्षा से नहीं टूटा है।

(2) प्रश्न नहीं उठता है।

(3) प्रश्न नहीं उठता है।

(4) प्रश्न नहीं उठता है।

## घातरी गांव में हुई चोरी का मामला

257. श्री रावतराम आर्य ( सुजानगढ़ ) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गांव घातरी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के निवासी श्री नथूराम पुत्र श्री खींवाराम जाट के यहां सन् 1976 में चोरी की संगीन वारदात हुई ? यदि हां, तो उक्त चोरी की रपट कब और किस थाने में दर्ज कराई गई तथा चोरी में कितना माल गया ?

(2) उक्त चोरी की तफतीश कौन अधिकारी कर रहे हैं और क्या चोरी का माल बरामद हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त चोरी के सिलसिले में किन किन को गिरफ्तार किया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) जी हां। उक्त चोरी की रिपोर्ट दिनांक 30-11-76 को 12-30 बजे दिन में पुलिस थाना छापर में दर्ज की जाकर अभियोग संख्या 12 धारा 457, 380 ता. हि. में कायम हुआ। जिसमें लगभग 12000 ) का नकद जेवर चोरी दर्ज कराया।

(2) इस चोरी के मामले में पुलिस अधीक्षक, चूरू के आदेश से जोगेन्द्रसिंह एस.एच. ओ. सुजानगढ़ ने दिनांक 2-6-77 तक इसकी अन्तिम तफतीश की थी ? काफी प्रयत्न के बावजूद माल एवं मुलजिमान का पता नही चल सका अतः दिनांक 28-8-77 को इस मामले में एफ. आर. अदम पता दी गई है।

(3) इस अभियोग से सम्बन्धित मुलजिम का पता नहीं चलने पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया।

## पंचायत समिति, अटरू क्षेत्र में आर. ई. सी. के अन्तर्गत विद्युतीकरण

258. श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे;—

क्या राज्य सरकार पंचायत समिति, अटरू क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर. ई. सी.) के अन्तर्गत मिनी स्कीम विद्युतीकरण लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और कितने ग्रामों को इससे इस क्षेत्र में लाभ मिलेगा ?

### उतर

जी नहीं।

## अलवर के मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग

259. डॉ. गंगासहाय (कठूमर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर में कौन-कौन से उद्योग मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में लगाये गये हैं? इनमें से कितने चालू हो चुके हैं और कितने बन्द पड़े हैं तथा किस कारण से बन्द पड़े हैं?

(2) किन-किन उद्योगों को कितना-कितना ऋण कब-कब दिया गया है तथा क्या उस ऋण का उनके द्वारा सही उपयोग किया गया है? क्या ऋण की वसूली भी नियमानुसार की जा रही है?

(3) क्या यह सही है कि उद्योग तो अलवर में खोले गये हैं परन्तु उनके मुख्यालय अलवर जिले से बाहर रखे गये हैं? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया है?

उत्तर

(1) मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर में अभी तक 110 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु भू-खण्ड आवंटित किए गए हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

इनमें से 32 औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन का कार्य प्रारम्भ हो चुका है एवं 40 इकाइयों में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया है जो अभी अपूर्ण है। बाकी बचे 38 भू-खण्डों पर अभी कोई कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

उपरोक्त 32 इकाइयों में से वर्तमान में तीन इकाइयां वित्तीय एवं विपणन आदि की कठिनाइयों के कारण अस्थाई रूप से बन्द है। मैसर्स विनय ग्लास इण्डस्ट्रीज, जो अभी बन्द है, को एक खरीद का आर्डर प्राप्त हो गया है अतः फिर कार्य चालू होने वाला है।

राजस्थान वित्त निगम ने जिन इकाइयों को ऋण स्वीकृत किया है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) ऋण का वितरण फैक्ट्री के निर्माण एवं मशीनों की खरीद के उपरान्त ही दिया जाता है। अतः ऋण का उपयोग नहीं करने का प्रश्न हीं नहीं उठता है। ऋण की वसूली नियमानुसार की जाती है।

(3) वर्त्तमान में 10 औद्योगिक इकाइयां मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में है, जिनके मुख्यालय अलवर के बाहर हैं। इसका कारण यह है कि उनमें से कई संस्थानों में उद्योग अन्यत्र बहुत पहले से चल रहे हैं और उन्होंने अलवर में बाद में उद्योग स्थापित

(उद्योग मंत्री)

किए हैं। कुछ एक ऐसे उद्योग भी है जिन्होंने विपणन व्यवस्था एवं संपर्क सुविधा के कारण मुख्यालय अलवर जिले के बाहर रखे हैं।

( सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई )

## ग्रामीण निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की मजदूरी का अनाज के रूप में भुगतान

260. श्री राम रघुनाथ (डेगाना) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ग्रामीण निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों की मजदूरी का भुगतान रुपयों के स्थान पर अनाज देने का विचार कर रही है ? अगर हां, तो इसमें कितना प्रतिशत नकद भुगतान होगा और कितना अनाज ?

(2) क्या अनाज लेने में मजदूर रुचि को भी ध्यान में रखा जायेगा या सरकार अपनी मर्जी का अनाज देगी ? क्या यह मजदूर को छूट होगी कि वह चाहे तो अपना भुगतान रुपयों में ही ले या उसको अनाज लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा ?

(3) क्या शहर या शहर के आस-पास कार्य करने वाले मजदूरों के लिये भी इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी ?

(4) ग्रामीण निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों को अनाज के अलावा अन्य आवश्यक सामग्री जैसे खाद्य तेल, केरोसीन, शक्कर और कन्ट्रोल का कपड़ा भी इसी प्रकार दिलाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या होगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता है।

(3) प्रश्न नहीं उठता है।

(4) प्रश्न नहीं उठता है।

## ग्रामीण विद्युतीकरण की विद्युत् मण्डल एवं निगम के पास विचाराधीन योजनाएं

261. श्री एच० एन० शर्मा (बेगूं) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण की कितनी योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं जिनका विद्युतीकरण होना बाकी है तथा कितनी योजनाएं विद्युत् मण्डल में एवं कितनी योजनाएं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पास विचाराधीन हैं ?

(श्री एच. एन.शर्मा )

(2) राज्य की किन किन पंचायत समितियों में अभी तक एक भी विद्युतीकरण की योजना नहीं बनी है तथा ऐसी कौनसी पंचायत समितियां है जिसमें दो या दो से अधिक योजनायें बन चुकी है तथा इस असमानता के क्या कारण हैं ?

(3) क्या भंसरोड़गढ़ पंचायत समिति के गांवों का सर्वे मई, 1975 में विद्युतीकरण के लिए विद्युत मण्डल के द्वारा पूरा कर लिया गया था ? अगर हां, तो किन कारणों से उक्त योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को स्वीकृति हेतु नहीं भेजी गई ?

(4) क्या इस वर्ष भंसरोडगढ़ पंचायत समिति की ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना को स्वीकृत करने के लिये सरकार कोई विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(१) राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत 78 योजनाओं में गांवों के विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है। इस समय ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और विद्युत मण्डल के बीच 36 योजनाओं पर विचार विमर्श चल रहा है। 3 और योजनाओं का प्रारूप मण्डल द्वारा तैयार किया जा रहा है।

(2) ऐसी पंचायत समितियों, जिनमें अभी तक ग्रामीण विद्युतीकरण योजना नहीं बन सकी है, की सूची "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है। राज्य की 36 पंचायत समितियां ऐसी हैं जिनके गांव 2 या 2 से अधिक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत योजनाओं में विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित है। असमानता का मुख्य कारण यह है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजनायें आरम्भ में जिले अथवा तहसीलों के लिये बनाई जाती थीं, जिनमें प्रसारण लाइनों में क्षमता उपलब्ध थी। ऐसी पंचायत समितियों के नामों की सूची "ब" भी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) पंचायत समिति भेंसरोडगढ़ के लिये योजना तैयार करने हेतु सर्वे के आदेश अवश्य दिये गये थे और कुछ गांवों का सर्वे भी किया गया था। 69 गांवों का सर्वे कार्य अब पूरा कर लिया गया है। परन्तु भू जल सम्बन्धी रिपोर्ट अभी भी प्राप्त नहीं हुई है। अग्रिम कार्यवाही भू जल उपलब्धि से सम्बन्धित रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही की जा सकेगी।

(4) यदि बनने वाली योजना भू-जल उपलब्धि एवं आर्थिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण से साध्य रही तो राज्य स्तरीय समन्वय उप-समिति को प्रेषित कर दी जायगी तथा उप-समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात ही ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को भेजी जा सकेगी।

(244)



**List of the Panchayat Samities in which REC Schemes have not been prepared so far**

| S. No. 1 | Name of Panchayat Samiti 2 | District 3 |
|---|---|---|
| 1. | Sheo | Barmer |
| 2. | Barmer | -do- |
| 3. | Baytoo | -do- |
| 4. | Sisdri | -do- |
| 5. | Siwana | -do- |
| 6. | Pachpadra | -do- |
| 7. | Chohtan | -do- |
| 8. | Gudha Malani | -do- |
| 9. | Nokha | Bikaner |
| 10. | Kolayat | -do- |
| 11. | Bikaner | -do- |
| 12. | Keshoraipatan | Bundi |
| 13. | Bhadesar | Chittorgarh |
| 14. | Taranagar | Churu |
| 15. | Sardar Shahar | -do- |
| 16. | Dungargarh | -do- |
| 17. | Ratangarh | -do- |
| 18. | Sajangarh | -do- |
| 19. | Karanpur | Ganganagar |
| 20. | Ganganagar | -do- |
| 21. | Sadulshahar | -do- |
| 22. | Raisinghnagar | -do- |
| 23. | Suratgarh | -do- |
| 24. | Bhadra | -do- |
| 25. | Alsisar | Jhunjhunu |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 26. | Sam | Ganganagar |
| 27. | Bap | Jodhpur |
| 28. | Luni | -do- |
| 29. | Mandore | -do- |
| 30. | Itawa | Kota |
| 31. | Anta | -do- |
| 32. | Ladnu | Nagaur |
| 33. | Nagaur | -do- |
| 34. | Deedwana | -do- |
| 35. | Moondwa | -do- |
| 36. | Sirohi | Sirohi |
| 37. | Bhim | Udaipur |
| 38. | Deogarh | -do- |
| 39. | Mavli | -do- |
| 40. | Manoharthana | Jhalawar |
| 41. | Prawa | -do- |
| 42. | Dug | -do- |
| 43. | Phagi | Jaipur |
| 44. | Chaksu | -do- |
| 45. | Bhainsrorgarh | Chittorgarh |

APPENDIX 'E'

**List of the Panchayat Samities in which two or more than two REC Scheme have been sanctioned so far**

| S. No. | Name of the Panchayat Samiti | District |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Namrana | Alwar |
| 2. | Behror | -do- |
| 3. | Mandawar | -do- |
| 4. | Bansur | -do- |
| 5. | Umrain | -do- |
| 6. | Seemalwara | Dungarpur |
| 7. | Chirawa | Jhunjhunu |
| 8. | Surajgarh | -do- |
| 9. | Piprali | Sikar |
| 10. | Khandela | -do- |
| 11. | Newai | Tonk |
| 12. | Khandar | Sawaimadhopur |
| 13. | Gangapur | -do- |
| 14. | Sawaimadhopur | -do- |
| 15. | Bassi | Jaipur |
| 16. | Bandikui | -do- |
| 17. | Sikrai | -do- |
| 18. | Govindgarh | -do- |
| 19. | Shahpura | -do- |
| 20. | Bairath | -do- |
| 21. | Jamwaramgarh | -do- |
| 22. | Lalsot | -do- |
| 23. | Dudu | -do- |
| 24. | Jhotwara | -do- |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 25. | Dausa | Jaipur |
| 26. | Deeg | Bharatpur |
| 27. | Weir | -do- |
| 28. | Nadbai | -do- |
| 29. | Kumher | -do- |
| 30. | Rajakhera | -do- |
| 31. | Ghatol | Banswara |
| 32. | Reni | Alwar |
| 33. | Kotkasim | -do- |
| 34. | Shahpura | Bhilwara |
| 35. | Mandalgarh | -do- |
| 36. | Raipur | -do- |

## भ्रष्टाचार निरोधक विभाग

262. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार के गृह विभाग के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में कितने अधिकारी एवं कर्मचारी किस किस पद पर किन किन स्थानों (नगरों और शहरों) में नियुक्त हैं ? विस्तृत विवरण देते हुए सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या राज्य सरकार जब कि भ्रष्टाचार उन्मूलन करने में सक्रिय होने का दावा कर रही है, उपरोक्त स्टाफ की कार्य की महत्वता को देखते हुए अपर्याप्त नहीं समझती ? यदि हां, तो राज्य सरकार उक्त कमी की पूर्ति के लिए क्या कदम उठा रही ?

(3) क्या राज्य सरकार प्रत्येक जिले में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की शाखा के लिये डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के पद का रखना उचित समझती है ? यदि हां, तो उसके लिये राज्य सरकार इस वर्ष क्या कदम उठा रही है ?

(4) क्या उक्त विभाग में अधिकारी एवं कर्मचारी उनकी ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता के कारण भेजे जाते हैं ? यदि हां, तो उसके लिये क्या मापदण्ड अपनाया जाता है ? क्या उक्त मापदण्ड का पालन भी किया जाता है या नहीं ?

उत्तर

(1) सूचना परिशिष्ट 'क' व 'ख' में दे दी गई है।

(2) मामला विचाराधीन है।

(3) यह मामला भी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(4) अधिकारियों के गोपनीय पत्र देखकर उनकी ईमानदारी व कार्यकुशलता के आधार पर नियुक्ति की जाती है।

परिशिष्ट—"क"

## Statement Showing A.C.D. Out-posts in Rajasthan their jurisdiction and sanctioned strength

| S. No. | Name of the OP and its jurisdiction | STRENGTH | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Addl. SP. | Dy. SP. | Insp. | S. I. | H. C. | Const. | L. D. C. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | *OP. Jaipur City* (Jaipur City only) | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 7 | 1 |
| 2. | *OP. Jaipur Rural* (Jaipur Distt., Except City) | — | 1 | — | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 3. | *OP. Alwar* (Alwar Distt. only) | — | 1 | 1 | — | 1 | 4 | 1 |
| 4. | *OP. Ajmer* (Ajmer & Tonk Distt.) | — | 1 | — | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 5. | *OP. Bharatpur* (Bharatpur Distt. only) | — | 1 | 1 | — | 1 | 4 | 1 |
| 6. | *OP. Sawai Madhopur* (Swai Madhopur & Bundi Distts. only) | — | 1 | — | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 7. | *OP. Sikar* (Sikar & Jhunjhunu Distts.) | — | 1 | — | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 8. | *OP. Jodhpur* (Jodhpur Distt. only) | 1 | — | 1 | — | 1 | 4 | 1 |
| 9. | *OP. Barmer* (Barmer, Jaisalmer Distts. & Bhinmal Sub-Divi. of Jalore Distt.) | — | 1 | — | 1 | 1 | 4 | 1 |

# Page No 250

250



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. *OP. Pali* (Pali, Sirohi, Distts. and Jalore Sub-Divi. of Jalore Distt.) | — | 1 | 1 | — | 1 | 4 | 1 |
| 11. *OP. Bikaner* (Bikaner & Churu Distts.) | — | 1 | 1 | — | 1 | 4 | 1 |
| 12. *OP. Ganganagar* (Ganganagar Karanpur & Raisingh Nagar, Sub-Divi. of Ganganagar Distt.) | 1 | — | 1 | — | 1 | 4 | 1 |
| 13. *OP. Hanumangarh* (Hanumangarh & Nohar Sub-Divi. of Gunganagar Distt) | — | 1 | 1 | — | 1 | 4 | 1 |
| 14. *OP. Udaipur* (Udaipur & Dungarpur Distts.) | 1 | — | 1 | — | 1 | 4 | 1 |
| 15. *OP. Chittore* (Bhilwara, Banswara & Chittore Distt.) | — | 1 | — | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 16. *OP. Kota* (Kota & Jhalawar Distts.) | 1 | — | 1 | — | 1 | 4 | 1 |
| 17. *OP. Nagaur* (Nagaur Distt. only) | — | 1 | 1 | — | — | 4<br>1 UDC | 1 |
| Total.... | 5 | 13 | 11 | 6 | 17 | 71<br>1 UDC | 16 |

# Page No 251

(251·)



परिशिष्ट—"ख"

## Statement showing the existing strength of Anti-corruption Department, Rajasthan, Jaipur

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Addl. I.G.P. | 1 |
| 2. | Ss. P. | 2 |
| 3. | Add. S. P. | 9 |
| 4. | Dy. S. P. | 13 |
| 5. | Inspectors | 11 |
| 6. | *S. I.* | 13 |
| | 1. Casuaty Reserve @10% | 2 |
| | 2. Training Reserve @2½% | 1 |
| 7. | H. C. | 29 |
| 8. | *Constables* | 192 |
| | 1. Casuaty Reserve @ 10% | 20 |
| | 2. Training Reserve @2½% | 5 |

## Ministery Staff

| | | |
|---|---|---|
| 1. | O. S. | 1 |
| 2. | Accountant | 1 |
| 3. | Junior Accountant | 1 |
| 4. | Steno | 3 |
| 5. | U. D. C. Cum Steno | 5 |
| 6. | U. D. Cs. | 6 |
| 7. | L. D. Cs. | 27 |
| | Leave Reserve | 2 |

## Class IV

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Zamadar | 1 |
| 2. | Peon | 15 |
| 3. | Sweeper | 1 |
| 4. | Cook | 1 |

(252)



## परिशिष्ट—4

( तारांकित प्रश्न संख्या 226 की सूची )

## APPENDIX—'A'

List of the applications received for the post of Public Relation Officer

| *S. No.* | | *Name* |
|---|---|---|
| 1. | Shri | Suresh Kumar Vyas |
| 2. | „ | Goverdhan Lal Garg |
| 3. | „ | Mahavir Pd. Shobhawat |
| 4. | „ | Kawar Lal M. Bhandari |
| 5. | „ | Bhagwan Dass Gupta |
| 6. | „ | Laxman Bolia |
| 7. | „ | Suresh Chandra Gaur |
| 8. | „ | Phool Chand Pandey |
| 9. | „ | K. D. Vijai Vergia |
| 10. | „ | Mathura Nath Sharma |
| 11. | „ | Sanjiv Kataria |
| 12. | „ | M. Munish Joshi |
| 13. | „ | Arun Mathur |
| 14. | Mrs. | Madhuri Sahai |